[2022] 6 एस.सी.आर 382

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य

ए

बनाम

भारत संघ एवं ओआरएस.

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 4634 वर्ष 2014)

बी

जुलाई 27, 2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी. टी. रविकुमार,

जे.जे.**]**

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *2(1),* खंड *(*ना*)* - उसमें अभिव्यक्ति *"*कार्यवाही*"* - आयोजित*:* अभिव्यक्ति

सी

धारा *2(1)* के खंड *(*एनए*)* में होने वाली *"*कार्यवाही*"* प्रासंगिक है और ईडी के अधिकारियों, निर्णायक प्राधिकरण और विशेष न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया को शामिल करने के लिए इसे विस्तृत अर्थ दिया जाना आवश्यक है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *2(1),* खंड

डी

*(*ना*)* - उसमें अभिव्यक्ति *"*जांच*"* - माना गया*:* धारा *2(1)* के खंड *(*एनए*)* में अभिव्यक्ति *"*जांच*"* अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित जांच के मामले तक ही सीमित नहीं है और कार्य के साथ विनिमेय है अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली *"*जांच*"* की।

और

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *2(1),* खंड *(*यू*),* स्पष्टीकरण - माना गया*:* धारा *2(1)* के खंड *(*यू*)* में डाला गया स्पष्टीकरण ट्रैकिंग और तक पहुंचने की भविष्यवाणी करने वाले मुख्य प्रावधान से आगे नहीं बढ़ता है। किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति।

एफ

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *3* - का दायरा - माना गया*:* धारा *3* की व्यापक पहुंच है और अपराध की आय से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रक्रिया और गतिविधि को शामिल किया गया है और यह घटित होने तक ही सीमित नहीं है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में दागी संपत्ति के एकीकरण का अंतिम कार्य - स्पष्टीकरण डाला गयाजी

2019 के संशोधन के माध्यम से धारा *3,* धारा *3* के तात्पर्य का विस्तार नहीं

करती है, बल्कि प्रकृति में केवल स्पष्टीकरण है - धारा *3* में होने वाली अभिव्यक्ति "और" को "या" के रूप में समझा जाना चाहिए, ताकि इसे पूर्ण रूप दिया जा सके। उक्त प्रावधान में किसी भी व्यक्ति द्वारा शामिल की गई "प्रत्येक" प्रक्रिया या गतिविधि को शामिल किया गया है - व्याख्या में सुझाव दिया गया है कि केवल इसी पर

एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

प्रश्नगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना

ए

कि धारा *3* का अपराध पूर्ण होगा, अस्वीकार किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - काल्पनिक आधार या धारणा पर अभियोजन - यदि अनुमति हो - आयोजित: अधिनियम के तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा पर मुकदमा नहीं चला सकते कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक

बी

यह क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के साथ पंजीकृत है और/या सक्षम मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत सहित जांच/मुकदमा लंबित है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *5* - की वैधता - धारित: धारा *5* संवैधानिक रूप से वैध है - यह एक संतुलन प्रदान करता है

सी

व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने की व्यवस्था और यह भी सुनिश्चित करती है कि अपराध से प्राप्त आय अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए उपलब्ध रहे।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *8(4)* - धारा *8* की उपधारा *(4)* की वैधता को चुनौती - माना गया: खारिज कर दिया गया है

डी

धारा *8* को लागू करने और उसे दिए गए अर्थ के अनुसार संचालित करने के अधीन - केवल पुष्टि के आधार पर जब्ती का औपचारिक आदेश पारित होने से पहले प्रश्न में संपत्ति पर कब्जा करने के लिए धारा *8(4)* के तहत निर्देश अनंतिम अनुलग्नक आदेश, एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम - वह मुद्दा होगाऔर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *17* - धारा *17* की उपधारा *(1)* के परंतुक को हटाने की चुनौती - अस्वीकृत - माना गया: धारा *17* और उसके तहत बनाए गए नियमों में कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं - इसके अलावा, नियम के परंतुक में पूर्व शर्तएफ *2005* के नियमों के *3(2)* को संशोधन के बाद धारा *17* में नहीं पढ़ा जा सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *18* - धारा *18* की उपधारा *(1)* के परंतुक को हटाने की चुनौती - खारिज - माना गया: धारा *18* में सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं - संशोधित प्रावधान के दोषों से ग्रस्त नहीं है मनमानी करना।

जी

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *19* - धारा *19* की संवैधानिक वैधता को चुनौती - खारिज - माना गया: धारा *19* में कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं - प्रावधान मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं है।

एच

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *24* - वैधता

ए

- माना गया: धारा *24* का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है और इसे स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *44* - धारा *44* की उपधारा *(1)* के खंड *(ए)* में प्रावधान - माना गया: माना जाना चाहिए

बी

प्रकृति में निर्देशिका और इस प्रावधान को इस अर्थ में भी पढ़ा जाता है कि विशेष न्यायालय मामले-दर-मामले के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *44* - को चुनौती - आयोजित: धारा *44* को मनमाना या मनमाना होने की चुनौती में कोई योग्यता नहीं है

सी

असंवैधानिक - हालाँकि, इस धारा में निर्दिष्ट घटनाओं को संबंधित न्यायालय और संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार निपटाया जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *45(1)* - जमानत पर रिहाई - धारा *45(1)* में जुड़वां शर्तें - आयोजित: कारण जो

डी

इस न्यायालय के साथ तौला गयानिकेश ताराचंद शाहधारा *45(1)* में जुड़वां शर्तों को, जैसा कि प्रासंगिक समय में था, असंवैधानिक घोषित करने का मामला, किसी भी तरह से क़ानून की किताब से प्रावधान को नहीं मिटाता है - इस न्यायालय द्वारा नोट किए गए दोष को ठीक करने के लिए यह संसद के लिए खुला था। मौजूदा स्वरूप में उसी प्रावधान को पुनर्जीवित करने के लिए।

और

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *45* - वैधता - धारा *45* के रूप में प्रावधान, जैसा कि *2018* के संशोधन के बाद लागू होता है, उचित है और इसका *2002* अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और वस्तुओं के साथ सीधा संबंध है। और मनमानी या अनुचितता के दोष से ग्रस्त नहीं है।

एफ

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *45* - प्रयोज्यता - जमानत के लिए प्रार्थना - आयोजित: जमानत देने की प्रार्थना के संबंध में, कार्यवाही की प्रकृति के बावजूद, धारा *438* सीआरपीसी के तहत या यहां तक कि अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने पर भी। संवैधानिक न्यायालय, धारा *45* के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरताजी

लागू हो सकता है - दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* - धारा *438*।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *436*ए सीआरपीसी को लागू करना - अनुमेयता - माना गया: धारा *436*ए सीआरपीसी के लाभकारी प्रावधान को अधिनियम - सीआरपीसी - धारा *436*ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा लागू किया जा सकता है।

एच

385

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *50* - प्रक्रिया

ए

धारा *50* द्वारा परिकल्पित - माना गया: अपराध की आय के खिलाफ एक जांच की प्रकृति में है और अभियोजन शुरू करने के लिए शब्द के सख्त अर्थ में "जांच" नहीं है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - धारा *48* - अधिनियम के तहत प्राधिकारी (धारा *48* में संदर्भित) - माना गया: वे नहीं हैं

बी

जैसे पुलिस अधिकारी.

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान - माना गया: वे संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* या अनुच्छेद *21* से प्रभावित नहीं हैं - भारत का संविधान, *1950* - कला। *20(3)* और *21*.

सी

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *63* - वैधता - धारित: धारा *63* में झूठी जानकारी या जानकारी देने में विफलता के संबंध में सजा का प्रावधान है, जो मनमानी के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है।

डी

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - अधिनियम की अनुसूची - किसी विशेष अपराध को शामिल करना या बाहर करना - माना गया: अधिनियम की अनुसूची में किसी विशेष अपराध को शामिल करना या बाहर करना विधायी नीति का मामला है - किसी की प्रकृति या वर्ग विधेय अपराध का अनुसूची या उसके अधीन किसी नुस्खे की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

और

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - धारा *48* - प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट *(ईसीआईआर)* - माना गया: ईसीआईआर को सीआरपीसी के तहत एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है - ईसीआईआर प्रवर्तन निदेशालय *(ईडी)* का एक आंतरिक दस्तावेज है - तथ्य यह है कि एफआईआर के संबंध में अनुसूचित अपराध दर्ज नहीं किया गया है, यह रास्ते में नहीं आता हैएफ अपराध से अर्जित संपत्ति की "अनंतिम कुर्की" की "सिविल कार्रवाई" शुरू करने के लिए पूछताछ/जांच शुरू करने के लिए धारा *48* में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को - एफआईआर।

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट *(ईसीआईआर)* - आयोजित: ईसीआईआर की एक प्रति की आपूर्तिजी प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है, गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन निदेशालय *(ईडी)* ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है तो यह पर्याप्त है - हालांकि, जब गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तो यह खुला होता है। विशेष न्यायालय प्राधिकृत द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेखों को देखने के लिएएच

उसकी आवश्यकता के मुद्दे का उत्तर देने के लिए ईडी का प्रतिनिधिए

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सिलसिले में हिरासत जारी रही।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - प्रवर्तन निदेशालय *(ईडी)* मैनुअल - आयोजित: तब भी जब ईडी मैनुअल नहीं हैबी अधिकारियों *(ईडी* अधिकारियों*)* के मार्गदर्शन के लिए जारी एक आंतरिक विभागीय दस्तावेज होने के नाते, विभाग को अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालने की वांछनीयता का पता लगाना चाहिए जो मोटे तौर पर अधिनियम के तहत पदाधिकारियों के अधिकार के दायरे और उपायों को रेखांकित कर सके। उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष संबंधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों/उपायों को भी अपनाया जाएगासी और विशेष न्यायालय के समक्ष.

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, *2002* - अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्तियां - कार्यकारी इस संबंध में शीघ्रता से सुधारात्मक उपाय करें।

डी

धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* - अनुसूचित अपराध की प्रकृति के संदर्भ में सजा की आनुपातिकता के बारे में तर्क - माना गया: पूरी तरह से निराधार है।

2002 अधिनियम के प्रावधानों की वैधता और व्याख्या से संबंधित मुद्दों का उत्तर देते हुए, न्यायालय

और

आयोजित:

(i) इस फैसले में इस सवाल की जांच नहीं की गई है कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, **2002** में कुछ संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिनियमित नहीं किए जा सकते थे। वही होने के लिए खुला छोड़ दिया गया है

एफ

के मामले में इस न्यायालय की बड़ी पीठ (सात न्यायाधीशों) के निर्णय के साथ या उसके बाद जांच की गईरोजर मैथ्यू.

(ii) 2002 अधिनियम की धारा **2(1)** के खंड (एनए) में होने वाली अभिव्यक्ति "कार्यवाही" प्रासंगिक है और अपनाई गई जांच प्रक्रिया को शामिल करने के लिए इसे व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है।

जी

ईडी के प्राधिकारियों, निर्णायक प्राधिकारी और विशेष न्यायालय द्वारा।

(iii) 2002 अधिनियम की धारा **2(1)** के खंड (एनए) में अभिव्यक्ति "जांच" केवल इस मामले तक सीमित नहीं हैएच

अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित जांच और है

ए

अधिनियम के तहत प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली "जांच" के कार्य के साथ विनिमेय।

(iv) 2002 अधिनियम की धारा **2(1)** के खंड (यू) में डाला गया स्पष्टीकरण ट्रैकिंग और प्राप्त संपत्ति तक पहुंचने की भविष्यवाणी करने वाले मुख्य प्रावधान से आगे नहीं बढ़ता है या

बी

किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया।

(v) (ए) **2002** अधिनियम की धारा **3** की व्यापक पहुंच है और अपराध की आय से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रक्रिया और गतिविधि को शामिल किया गया है और यह केवल घटित होने तक ही

सीमित नहीं है।

सी औपचारिक अर्थव्यवस्था में दागी संपत्ति के एकीकरण का अंतिम कार्य। **2019** के संशोधन के माध्यम से धारा **3** में डाला गया स्पष्टीकरण धारा **3** के तात्पर्य का विस्तार नहीं करता है बल्कि प्रकृति में केवल स्पष्टीकरण है। यह "और" शब्द को "या" के रूप में पेश करने या दावा करने वाली अभिव्यक्ति से पहले स्पष्ट करता है; और एक होनाडी स्पष्टीकरण संशोधन, भले ही इसे वित्त अधिनियम या अन्यथा के माध्यम से पेश किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(बी) उपरोक्त से स्वतंत्र, धारा **3** में होने वाली अभिव्यक्ति "और" को उक्त प्रावधान को पूरा करने के लिए "या" के रूप में समझा जाना चाहिए ताकि "प्रत्येक" प्रक्रिया को शामिल किया जा सके याऔर किसी के द्वारा की गई गतिविधि। संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना एक स्वतंत्र प्रक्रिया या गतिविधि होने के कारण अपने आप में मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा।

(सी) याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाई गई व्याख्याएफ केवल विचाराधीन संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने पर कि धारा **3** का अपराध पूरा हो जाएगा, खारिज कर दिया जाता है।

(डी) **2002** अधिनियम की धारा **3** के तहत अपराध संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर हैजी एक अनुसूचित अपराध के लिए. यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध है। **2002** अधिनियम के तहत प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा पर मुकदमा नहीं चला सकते कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि यह क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के साथ पंजीकृत न हो और/या लंबित जांच/मुकदमा शामिल हो।एच

सक्षम मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत के माध्यम से। यदि

ए

व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से बरी/बरी कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं हो सकता है या कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दावा कर सकता है कि वह कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति है। उसे।

बी

(vi) **2002** अधिनियम की धारा **5** संवैधानिक रूप से वैध है। यह व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराध से प्राप्त आय **2002** अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए उपलब्ध रहे। उल्लिखित

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रभावी हैंसी
संबंधित व्यक्ति के हितों की रक्षा के उपाय।

(vii) 2002 अधिनियम की धारा **8** की उप-धारा **(4)** की वैधता को चुनौती भी खारिज कर दी जाती है, बशर्ते कि धारा **8** को लागू किया जाए और उसे दिए गए अर्थ के अनुसार संचालित किया जाए।

डी

(viii) 2002 अधिनियम की धारा **17** की उपधारा **(1)** के प्रावधान को हटाने की चुनौती खारिज कर दी गई है। धारा **17** और उसके तहत बनाए गए नियमों में कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, **2005** के नियमों के नियम **3(2)** के प्रावधान में पूर्व शर्त को इसके बाद धारा **17** में नहीं पढ़ा जा सकता हैऔर
संशोधन। केंद्र सरकार उस संबंध में उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकती है।

(ix) 2002 अधिनियम की धारा **18** की उपधारा **(1)** के प्रावधान को हटाने की चुनौती भी खारिज कर दी गई है। धारा **18** में समान सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। संशोधित प्रावधानएफ
मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं है.

(x) 2002 अधिनियम की धारा **19** की संवैधानिक वैधता को चुनौती भी खारिज कर दी गई है। धारा **19** में कड़े सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रावधान मनमानी की बुराई से ग्रस्त नहीं है।

जी

(xi) 2002 अधिनियम की धारा **24** का **2002** अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है और इसे स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

(xii) (ए) **2002** अधिनियम की धारा **44** की उप-धारा **(1)** के खंड (ए) में प्रावधान को प्रकृति में निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिएएच

और इस प्रावधान को यह भी पढ़ा जाता है कि विशेष

ए

न्यायालय मामले-दर-मामले के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है।

(बी) धारा **44** को मनमाना या असंवैधानिक होने की चुनौती में कोई योग्यता नहीं है। हालाँकि, इस धारा में निर्दिष्ट घटनाओं को संबंधित न्यायालय और संबंधित प्राधिकारी द्वारा व्याख्या के अनुसार निपटाया जाएगा।

बी

दिया गया।

(xiii) (ए) वे कारण जो इस न्यायालय पर प्रभाव डालते हैंनिकेश ताराचंद शाह**2002** अधिनियम की धारा **45(1)** में जुड़वां शर्तों को, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, असंवैधानिक घोषित करने के लिए किसी भी तरह से प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया।

सी

क़ानून की किताब; और यह संसद के लिए खुला था कि वह इस न्यायालय द्वारा नोट किए गए दोष को ठीक करे ताकि मौजूदा स्वरूप में उसी प्रावधान को पुनर्जीवित किया जा सके।

(बी) यह न्यायालय टिप्पणियों से सहमत होने में असमर्थ हैनिकेश ताराचंद शाहके उच्चारण को अलग करना

डी

संविधान पीठ का फैसला***Kartar Singh***; और अन्य टिप्पणियाँ मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की गंभीरता के संबंध में संसद की धारणा पर संदेह करने का संकेत देती हैं, जिसमें देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा भी शामिल है।

और

(सी) **2002** अधिनियम की धारा **45** के रूप में प्रावधान, जैसा कि **2018** के संशोधन के बाद लागू होता है, उचित है और **2002** अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और वस्तुओं के साथ सीधा संबंध रखता है और इसके दोषों से ग्रस्त नहीं है। मनमानी या अनुचितता.

एफ

(डी) जहां तक कार्यवाही की प्रकृति की परवाह किए बिना, **1973** संहिता की धारा **438** के तहत या यहां तक कि संवैधानिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने पर भी, जमानत देने की प्रार्थना का संबंध है, धारा **45** के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरताएं लागू हो सकती हैं।

जी

(xiv) 1973 संहिता की धारा **436**ए के लाभकारी प्रावधान को **2002** अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा लागू किया जा सकता है।

(xv) (ए) **2002** अधिनियम की धारा **50** द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया अपराध की आय के खिलाफ जांच की प्रकृति में हैएच

और आरंभ करने के लिए शब्द के सख्त अर्थ में "जांच" नहीं है

ए

अभियोग पक्ष; और **2002** अधिनियम (धारा **48** में संदर्भित) के तहत प्राधिकारी, पुलिस अधिकारी नहीं हैं।

(बी) **2002** अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान भारत के संविधान के अनुच्छेद **20(3)** या अनुच्छेद **21** के अंतर्गत

नहीं आते हैं।

बी

(xvi) 2002 अधिनियम की धारा **63** में झूठी जानकारी या जानकारी देने में विफलता के संबंध में सजा का प्रावधान है, जो मनमानी के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है।

(xvii) किसी विशेष अपराध को शामिल करना या बाहर करनासी **2002** अधिनियम की अनुसूची में विधायी नीति का मामला है; और किसी भी अपराध की प्रकृति या वर्ग का अनुसूची या उसके तहत किसी नुस्खे की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(xviii) (ए) **2002** अधिनियम द्वारा परिकल्पित विशेष तंत्र को ध्यान में रखते हुए, ईसीआईआर को **1973** के तहत एफआईआर के साथ बराबर नहीं किया जा सकता हैडी

कोड. ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है और यह तथ्य कि अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, धारा **48** में संदर्भित अधिकारियों के लिए "अनंतिम" की "सिविल कार्रवाई" शुरू करने के लिए पूछताछ/जांच शुरू करने के रास्ते में नहीं आता है। अपराध की आय होने वाली संपत्ति की कुर्की।

और

(बी) प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर की एक प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है, यह पर्याप्त है यदि ईडी गिरफ्तारी के समय ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है।

(सी) हालाँकि, जब गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो विशेष न्यायालय इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होता हैएफ

मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में उसकी निरंतर हिरासत की आवश्यकता के मुद्दे का जवाब देने के लिए ईडी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए।

(xix) यहां तक कि जब ईडी मैनुअल को अधिकारियों (ईडी अधिकारियों) के मार्गदर्शन के लिए जारी एक आंतरिक विभागीय दस्तावेज के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना है, तो विभाग को इसका पता लगाना चाहिए

जी

अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालने की वांछनीयता जो मोटे तौर पर अधिनियम के तहत पदाधिकारियों के अधिकार के दायरे और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के साथ-साथ प्राधिकरण और विशेष न्यायालय के समक्ष संबंधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों/उपचारों को रेखांकित कर सके।

एच

(xx)याचिकाकर्ताओं द्वारा गंभीरता व्यक्त करना उचित है

ए

अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्तियों के कारण अन्याय होने की सीमा तक चिंता। इस संबंध में शीघ्रता से सुधारात्मक उपाय करने के लिए कार्यपालिका पर दबाव डालना आवश्यक समझा जाता है।

(xxi) सज़ा की आनुपातिकता के बारे में तर्क

बी

अनुसूचित अपराध की प्रकृति का संदर्भ पूरी तरह से निराधार है और खारिज कर दिया गया है। **[**पैरा **187] [719-**बी-एच; **720-**ए-एच; **721-**ए-एच; **722-**ए-एच; **723-**ए-सी**]**

निकेश ताराचंद शाह बनाम. भारत संघ एवं अन्य.**(2018) 11** एससीसी **1: [2017] 12** एससीआर **358;**यूथ बार एसोसिएशन

सी

भारत बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2016) 9** एससीसी **473;**न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम राज्य पर**(2010)** एससीसी ऑनलाइन **4309** से;इसके कानूनी मामले में,बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।**(2021) 10** एससीसी **598;**नित्या धर्मानंद एवं अन्य। वी गोपाल शीलम रेड्डी एवं अन्य।**(2018) 2** एससीसी **93: [2017]**

डी

12 एससीआर **118;**ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य.**(2014) 2** एससीसी **1: [2013] 14** एससीआर **713;**ई. पी. रोयप्पा बनाम. तमिलनाडु राज्य और अन्य।**(1974) 4** एससीसी **3 : [1974] 2** एससीआर **348;**एस.जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य।**[1967] 2** एससीआर **703;**के. पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम एवं अन्य।**(1981)**

और

4 एससीसी **173 : [1982] 1** एससीआर **629;**भारत संघ एवं अन्य. वी. मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड**(2009) 12** एससीसी **209 : [2009] 7** एससीआर **946;**पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय**(2019) 9** एससीसी **24 : [2019] 12** एससीआर **172;**पंजाब राज्य बनाम बरकत राम**[1962] 3** एससीआर **338;**राजाएफ राम जयसवाल वि. बिहार राज्यएआईआर **1964** एससी **828: [1964] 2** एससीआर **752;**नंदिनी सत्पथी बनाम. पी.एल. दानी और अन्य.**(1978) 2** एससीसी **424 : [1978] 3** एससीआर **608;**तहसीलदार सिंह एवं अन्य. उत्तर प्रदेश राज्यएआईआर **1959** एससी **1012: [1959] 2** पूरक।

एससीआर **875;**वी. के. मिश्रा एवं अन्य। वी उत्तराखंड राज्य एवं अन्य।**(2015) 9** एससीसी **588: [2015] 8** एससीआर **1;**

जी

सोमसुंदरम उर्फ सोमू बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस उपायुक्त ने किया**(2020) 7** एससीसी **722;***Balkishan A. Devidayal v. State of Maharashtra* **(1980) 4** एससीसी **600 : [1981] 1** एससीआर **175;**सेल्वी और अन्य। वी कर्नाटक राज्य**(2010) 7** एससीसी **263 : [2010] 5** एससीआर **381;**राज्यएच

बम्बई के वि. काठी कालू ओघड़एआईआर **1961** एससी **1808:**

ए

[1962] 3 एससीआर **10;**एमपी। शर्मा एवं अन्य। बनाम। सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य.**[1954]** एससीआर **1077;**केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, गुंटूर बनाम रामदेव तंबाकू कंपनी**(1991) 2** एससीसी **119 : [1991] 1** एससीआर **126;**गुडिकांती नरसिम्हुलु और अन्य। वी जनताबी अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय**(1978) 1** एससीसी **240 : [1978] 2** एससीआर **371;**रंजीतसिंग ब्रह्मजीतसिंग शर्मा बनाम. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य.**(2005) 5** एससीसी **294 : [2005] 3** एससीआर **345;**नूर आगा बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका पंजाब राज्य और अन्य.**(2008) 16** एससीसी **417 : [2008] 10** एससीआर **379;**पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। वि. समिति

सी

लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल और अन्य।**(2010) 3** एससीसी **571: [2010] 2** एससीआर **979;**साकिरी वासु बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।**(2008) 2** एससीसी **409 : [2007] 12** एससीआर **1100;**डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।**(1997) 1** एससीसी **416 : [1996] 10** पूरक। एससीआर **284;**प्रबंध-विभागडी प्रवर्तन बनाम दीपक महाजन एवं अन्य।**(1994) 3** एससीसी **440 : [1994] 1** एससीआर **445;**बीड़ी सप्लाई कंपनी बनाम भारत संघ एवं अन्य।एआईआर **1956** एससी **479: [1956]** एससीआर **267;**मालाबार के कलेक्टर एवं अन्य. वी एरीम्मल इब्राहिम हाजीएआईआर **1957** एससी **688: [1957]** एससीआर **970;**जी.जे. फर्नांडीस बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य।एआईआर **1967** एससी **1753 :**

और

[1967] 3 एससीआर **636;**आभूषण इमैनुएल और अन्य। वी केरल राज्य एवं अन्य।**(1986) 3** एससीसी **615 : [1986] 3** एससीआर **518;**सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं

अन्य।**(2014) 8** एससीसी **682 : [2014] 6** एससीआर **873;**सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य.वायुएफ **1954** एससी **728 : [1955] 1** एससीआर **707;**दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।**[1959] 2** पूरक। एससीआर **8;**बाबू बनाम केरल राज्य**(2010) 9** एससीसी **189 : [2010] 9** एससीआर **1039;**सतेंदर कुमार एंटिल बनाम. केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य,**(2021) 10** एससीसी **773;**अय्या उर्फ अयूब बनाम सरकार। यूपी राज्य.और अन्य.,**(1989) 1** एससीसी **374 : [1988]**

जी

3 पूरक. एससीआर **967;**भारत संघ बनाम के.ए. नजीब**(2021) 3** एससीसी **713 : (2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **50;**कृष्ण लाल चावला एवं अन्य। वी उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य.**(2021) 5** एससीसी **435;**शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2017) 9** एससीसी **1: [2017] 9** एससीआर **797;**जोसेफ शाइन बनामएच विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

भारत संघ**(2019) 3** एससीसी **39: [2018] 11** एससीआर **765;***Dwarka Prasad v. Dwarka Das Saraf* **(1976) 1** एससीसी **128 : [1976] 1** एससीआर **277;**सतनाम सिंह एवं अन्य। बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य.**(1997) 3** एससीसी **353 : [1997] 1** एससीआर **1038;**अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2020) 3** एससीसी **637;**अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य.,**(2021) 2** एससीसी **427;**किरण प्रकाश कुलकर्णी बनाम. प्रवर्तन निदेशालय और अन्य.एस.एल.पी. में आदेश दिनांक **11.4.2019** (आपराधिक) संख्या **1698 2019;**रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य.**(2020) 6** एससीसी **1: [2019] 16** एससीआर **1;**बरेन्द्र कुमार घोष बनाम द किंग एम्परर,**(1924)** एससीसी ऑनलाइन पीसी **49 :** एआईआर **1925** पीसी **1;***Soni Devrajbhai Babubhai v. State of Gujarat and Ors.* **(1991) 4** एससीसी **298 : [1991] 3** एससीआर **812;***Mahipal Singh v. Central Bureau of Investigation & Anr.* **(2014) 11** एससीसी **282 : [2014] 4** एससीआर **529;**टेक महिंद्रा लिमिटेड बनाम संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद और अन्य।**[**डब्ल्यूपी संख्या **17525/2014** पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **22.12.2014** को निर्णय लिया गया**];**गादी नागवेकट सत्यनारायण वी. उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय**(2017)** एससीसी ऑनलाइन एटीपीएमएलए **2;**अरुण कुमार मिश्रा बनाम प्रवर्तन निदेशालय**(2015)** एससीसी ऑनलाइन डेल **8658;**एमएस। अजंता मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय**(2015)** एससीसी ऑनलाइन डेल **8659;**एमएस। महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय**(2016)** एससीसी ऑनलाइन डेल **475;**मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य।**(2014) 9** एससीसी **737: [2014] 11** एससीआर **1009;**सुनील बत्रा बनाम दिल्ली

प्रशासन एवं अन्य।**(1978) 4** एससीसी **494 : [1979] 1** एससीआर **392;**मिट्ठू वि. पंजाब राज्य**(1983) 2** एससीसी **277 : [1983] 2** एससीआर **690;**मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम. महाराष्ट्र राज्य**(2012) 9** एससीसी **1: [2012] 8** एससीआर **295;**नाहर सिंह यादव एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2011) 1** एससीसी **307: [2010] 13** एससीआर **851;**हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य। वी मध्य प्रदेश राज्य,एआईआर **1952** एससी **343: [1952]** एससीआर **1091;**हिमांशू सिंह सभरवाल बनाम. राज्य

डी

और

एफ

393 ए

जी

बी

एच

सी

मध्य प्रदेश और अन्य के.**(2008) 3** एससीसी **602 : [2008]**

ए

4 एससीआर **783;**महाराष्ट्र राज्य बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य.,**(2018)** एससीसी ऑनलाइन बम **1199;**विनीत नारायण एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य,**(1998) 1** एससीसी **226 : [1997] 6** पूरक। एससीआर **595 ;**शशिकांत वि. केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य,**(2007) 1** एससीसीबी

630 : [2006] 8 पूरक। एससीआर **474;**केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल,**(2014) 14** एससीसी **295 : [2013] 14** एससीआर **983;**एसपी के माध्यम से झारखंड राज्य, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम लालू प्रसाद यादव उर्फ लालू

प्रसाद,**(2017) 8** एससीसी **1: [2017] 3** एससीआर **630;**राजस्थान राज्य, जयपुर वि. बालचंदलिया बलिया**(1977)**

सी

4 एससीसी **308 : [1978] 1** एससीआर **535;**संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो,**(2012) 1** एससीसी **40 : [2011] 13** एससीआर **309;**केरल राज्य बनाम रनीफ़**(2011) 1** एससीसी **784 : [2011] 1** एससीआर **590;***Romesh Chandra Mehta v. State of West Bengal* **[1969] 2** एससीआर **461:** एआईआर **1970**डी

एससी **940;***Balkishan A. Devidayal v. State of Maharashtra* **(1980) 4** एससीसी **600 : [1981] 1** एससीआर **175;**रमणलाल भोगीलाल शाह एवं अन्य। वी डी.के. गुहा एवं अन्य।**(1973) 1** एससीसी **696 : [1973] 3** एससीआर **438;**पूलपंडी और अन्य। वी. अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य.**(1992) 3** एससीसी **259 : [1992] 3** एससीआर **247;**गुजरात राज्य बनाम

और

श्यामलाल मोहनलाल चौकसीएआईआर **1965** एससी **1251: [1965] 2** एससीआर **457;**केशवन माधव मेनन बनाम. बम्बई राज्यएआईआर **1951** एससी **128: [1951]** एससीआर **228;**रितेश अग्रवाल एवं अन्य। वी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य.**(2008) 8** एससीसी **205 : [2008] 8** एससीआर **553;**एफ

हरजीत सिंह वि. पंजाब राज्य**(2011) 4** एससीसी **441: [2011] 5** एससीआर **691;**वरिंदर सिंह बनाम. पंजाब राज्य और अन्य.**(2014) 3** एससीसी **151: [2014] 1** एससीआर **496;**आयकर आयुक्त *(केंद्रीय)-I,* नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड**(2015) 1** एससीसी **1: [2014] 12** एससीआर **1037;**बिहटा सहकारिता विकास

जी

और केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड एवं अन्य। बनाम बैंक ऑफ बिहार एवं अन्य.एआईआर **1967** एससी **389: [1967] 1** एससीआर **848;**दत्तात्रेय गोविंद महाजन और अन्य। वी महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य.**(1977) 2** एससीसी **548 : [1977] 2** एससीआर **790;**एस. सुंदरम पिल्लई एवं अन्य। वी वी. आर. पट्टाभिरामन औरएच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

अन्य बनाम.,**(1985) 1** एससीसी **591 : [1985] 2** एससीआर **643;**जगन एम. शेषाद्री बनाम सरकार। टी.एन. राज्य,**(2002) 9** एससीसी **639;**हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट वी. मप्र राज्य एवं अन्य.**(2006) 8** एससीसी **613 : [2006] 7** पूरक। एससीआर **766;**ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड बनाम संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार,**ILR 2017 Kar 1846;** अजय कुमार गुप्ता एवं अन्य। वी निर्णायक प्राधिकारी *(*पीएमएलए*)* और अन्य.**(2017) 2**

एलडब्ल्यू (सीआरआई) **252;***State of Bihar v. Deokaran Nenshi & Anr.* **(1972) 2** एससीसी **890 : [1973] 1** एससीआर **1004;**धन कर आयुक्त, अमृतसर बनाम सुरेश सेठ,**(1981) 2** एससीसी **790 : [1981] 3** एससीआर **419;**श्रीमती माया रानी पुंज *(*श्रीमती*)* बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली**(1986) 1** एससीसी **445 : [1985] 3** पूरक। एससीआर **827;**ए.आर. अंतुले वि. आर.एस. नायक एवं अन्य.एआईआर **1988** एससी **1531: [1988] 1** पूरक। एससीआर **1 (**पैरा **59) : (1988) 2** एससीसी **602 : [1988] 1** पूरक। एससीआर **1;**प्रवर्तन निदेशालय बनाम सूरजपाल एवं अन्य।**(2018)** एससीसी ऑनलाइन डेल **10472;**पुलिस निरीक्षक, सीबीआई बनाम सहायक निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय *(*पीएमएलए*)* और अन्य।**(2019)** एससीसी ऑनलाइन केर **4546;**सौ. विजया अलियास बेबी बनाम. महाराष्ट्र राज्य,**(2003) 8** एससीसी **296 : [2003] 3** पूरक। एससीआर **340;**कर्नाटक राज्य बनाम मदेश और अन्य।**(2007) 7** एससीसी **35 : [2007] 8** एससीआर **757;**रे कुट्टयन उर्फ नंबी थेवर मैंएआईआर **1960** मैड **9;**नगर पालिका निगम वि. कृषि उपज मंडी समिति एवं अन्य.,एआईआर **2009** एससी **187: [2008] 14** एससीआर **419;**रोहिताश कुमार एवं अन्य। वी ओम प्रकाश शर्मा एवं अन्य.,एआईआर **2013** एससी **30: [2012] 13** एससीआर **47;**अब्दुल्ला अली बलशरफ और अन्य। वी प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य।**(2019)** एससीसी ऑनलाइन डेल **6428;**सीमा गर्ग बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय,**(2020)** एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच **738;**ए कमरुन्निसा गोरी बनाम अध्यक्ष, धन शोधन निवारण, भारत संघ,**2012 (4)** सीटीसी **608: 2012** रिट एलआर **719;**महेंद्र लाल जैनी वि. उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।,एआईआर **1963** एससी **1019: [1963] 1** पूरक। एससीआर **912;**जी. मोहन राव बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य।**(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **440;**गुजरात राज्य एवं अन्य. बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य।**(1974) 4** एससीसी **656 : [1974] 3** एससीआर **760;**के राज्य

395 ए

बी

सी

डी

और

एफ

जी

एच

मणिपुर एवं अन्य। वी सूरजकुमार ओकराम एवं अन्य।**(2022)**

ए

एससीसी ऑनलाइन एससी **130;**एम.के. अयूब और अन्य। वी. अधीक्षक, सीमा शुल्क खुफिया इकाई, कोचीन एवं अन्य।,**1984** सीआरएल.एल.जे**. 949;**वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, राजस्व निदेशालय, मद्रास बनाम एम.के.एस. अबू बकर,**1990** क्रि.एल.जे **704;**ए.आर. अंतुले वि. रामदास श्रीनिवासबी

नायक एवं अन्य.**(1984) 2** एससीसी **500 : [1984] 2** एससीआर **914;**प्रकाश और अन्य के बारे में बनाम भारत संघ और अन्य।**(2011) 14** एससीसी **1: [2011] 14** एससीआर **240;**भारत संघ बनाम थमिशारासी एवं अन्य।**(1995) 4** एससीसी **190 : [1995] 3** एससीआर **905;**गोरव कथूरिया बनाम. भारत संघ एवं अन्य।**(2016)** एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच **3428**डी.के. बसु बनाम राज्य

सी

डब्ल्यू.बी.**(1997) 1** एससीसी **416 : [1996] 10** पूरक। एससीआर **284;**भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य,**(2020)** एससीसी ऑनलाइन एससी **683;**कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त,**(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **200;**निर्णायक प्राधिकरण *(*पीएमएलए*)* और अन्य। वी. अजय कुमारडी

गुप्ता एवं अन्य.आपराधिक अपील संख्या **391-392/2018;**भारत और अन्य के लिए अटॉर्नी जनरल। वी. अमृतलाल प्रजीवनदास और अन्य।**(1994) 5** एससीसी **54 : [1994] 1** पूरक। एससीआर **1;**संजय दत्त बनाम राज्य, सी.बी.आई., बॉम्बे के माध्यम से**(1994) 6** एससीसी **86;**बॉम्बे राज्य बनाम एस.एल. आप्टे एवं अन्य.एआईआर **1961** एससी **578: [1961] 3** एससीआर **107;**थॉमस

और

दाना बनाम पंजाब राज्य,एआईआर **1959** एससी **375:** **[1959] 1** पूरक। एससीआर **274;**हीरा एच. आडवाणी आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य,**(1969) 2** एससीसी **662;**आर. दिनेशकुमार उर्फ दीना बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक एवं अन्य द्वारा किया गया।**(2015) 7** एससीसी **497: [2015] 5** एससीआर **605;**श्रीएफ

बालागणेसन मेटल्स वी. एम.एन. शनमुघम चेट्टी एवं अन्य।**(1987) 2** एससीसी **707 : [1987] 2** एससीआर **1173;**एमएस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(1988) 2** एससीसी **299 : [1988] 2** एससीआर **962;**ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम एवं अन्य। बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**(1991) 2** पूरक। एससीसी **18 : [1990]**

जी

3 पूरक. एससीआर **365;**क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम हाई लैंड कॉफी वर्क्स ऑफ पी.एफ.एक्स. सलदान्हा एंड संस एंड अन्य।,**(1991) 3** एससीसी **617 : [1991] 3** एससीआर **307;**वन रेंज अधिकारी एवं अन्य। वी. पी. मोहम्मद अली एवं अन्य।,**(1993) 3** पूरक। एससीसी **627 :**एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

[1993] 3 एससीआर **497;**वाणिज्यिक कराधान अधिकारी, उदयपुर बनाम राजस्थान टैक्सकेम लिमिटेड।,**(2007) 3** एससीसी **124 : [2007] 1** एससीआर **855;**एसोसिएटेड इंडेम मैकेनिकल *(*पी*)* लिमिटेड बनाम डब्ल्यू.बी. लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड.,एवं अन्य.**(2007) 3** एससीसी **607 : [2007] 1** एससीआर **174;**एन.डी.पी. नंबूदरीपाद *(*मृत*)* एलआर द्वारा। बनाम भारत संघ एवं अन्य।,**(2007) 4** एससीसी **502 : [2007] 3** एससीआर **769;**ओसवाल फैट्स एंड ऑयल्स लिमिटेड बनाम अपर आयुक्त *(*प्रशासन*),* बरेली मंडल,बरेली एवं अन्य।**(2010) 4** एससीसी **728: [2010] 5** एससीआर **927;**ममता सर्जिकल कॉटन इंडस्ट्रीज, राजस्थान बनाम सहायक आयुक्त *(*एंटी-इवेजन*),Bhilwara, Rajasthan,* **(2014) 4** एससीसी **87: [2014] 2** एससीआर **589;**रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय**(2018) 11** एससीसी **46: [2017] 13** एससीआर **156;**करतार सिंह वि. पंजाब राज्य**(1994) 3** एससीसी **569 : [1994] 2** एससीआर **375;**आर. साई भारती बनाम. जे. जयललिता और अन्य।**(2004) 2** एससीसी **9 : [2003] 6** पूरक। एससीआर **85;**सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, कानून मंत्रालय और अन्य।**(2016) 7** एससीसी **221 : [2016] 3** एससीआर **865;**संजय दत्त बनाम राज्य, सी.बी.आई. के माध्यम से, बॉम्बे *(*द्वितीय*)***(1994) 5** एससीसी **410 : [1994] 3** पूरक। एससीआर **263;**खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक बनाम मेसर्स तंदूर और नयनदगी स्टोन क्वारीज़ *(*पी*)* लिमिटेड।**(1987) 3** एससीसी **208: [1987] 2** एससीआर **800;**रेजिना बनाम ओक्स**1959 (2)** क्यूबी **350;**ईश्वर सिंह बिंद्रा और अन्य। वी यूपी राज्य**[1969] 1** एससीआर **219;***Gujarat Urja Vikas*

Nigam Ltd. v. Essar Power Ltd. **(2008) 4** एससीसी **755 : [2008] 4** एससीआर **822;**प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य।**(2005) 3** एससीसी **551: [2005] 1** एससीआर **1019;**राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2014) 5** एससीसी **438: [2014] 5** एससीआर **119;**पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2005) 2** एससीसी **436 : [2005] 1** एससीआर **494;***Githa Hariharan & Anr. v. Reserve Bank of India & Anr.* **(1999) 2** एससीसी **228 : [1999] 1** एससीआर **669;***Rohtas v. State of Haryana & Anr.* **(1979) 4** एससीसी **229 : [1980] 1** एससीआर **151;**अजमेर सिंह एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(1987) 3** एससीसी **340 : [1987] 3** एससीआर **84;**उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन और अन्य। बनाम गुजरात राज्य**(1988) 2** एससीसी **271 : [1988] 3** एससीआर **225;**केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम.

डी

और

एफ

जी

397 ए

एच

बी

सी

राजस्थान राज्य एवं अन्य।**(1996) 9** एससीसी **735 : [1996]**

ए

3 पूरक. एससीआर **127;**राज्य *(*भारत संघ*)* बनाम राम सरन**(2003) 12** एससीसी **578 : [2003] 6** पूरक। एससीआर **476;**महमधुसेन अब्दुलरहीम कलोटा शेख *(2)* बनाम. भारत संघ एवं अन्य।**(2009) 2** एससीसी **1: [2008] 14** एससीआर **889;**गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालयबी

*(*धन-शोधन निवारण अधिनियम*),* भारत सरकार**(2015) 16** एससीसी **1: [2015] 15** एससीआर **499;**भारत संघ एवं अन्य। वी. चंद्र भूषण यादव**(2020) 2** एससीसी **747;**अश्विनी कुमार घोष एवं अन्य। वी अरबिंद बोस और अन्य।एआईआर **1952** एससी **369: [1953]** एससीआर **1;**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य एवं अन्य।**(2009) 4** एससीसी **94 :**

सी

[2009] 3 एससीआर **735;**किशोरभाई खमनचंद गोयल वि. गुजरात राज्य एवं अन्य.**(2003) 12** एससीसी **274 : [2003] 5** पूरक। एससीआर **1;**इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य।**(2018) 1** एससीसी **407: [2017] 8** एससीआर **33;**पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम श्रीमती। लक्ष्मी देवी एवं अन्य।डी

[1963] 2 पूरक। एससीआर **812;**साउथ इंडिया कॉरपोरेशन *(*पी*)* लिमिटेड बनाम सचिव, राजस्व बोर्ड, त्रिवेन्द्रम एवं अन्य।**[1964] 4** एससीआर **280;***Anandji Haridas and Co. (P) Ltd. v. S.P. Kasture & Ors.* एआईआर **1968** एससी **565 : [1968] 1** एससीआर **661;**महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य। वी. परितोष

और

Bhupeshkumar Seth & Ors. **(1984) 4** एससीसी **27 : [1985] 1** एससीआर **29;**इथियोपियन एयरलाइंस बनाम इथियोपियन एयरलाइंस गणेश नारायण लोग**(2011) 8** एससीसी **539 : [2011] 9** एससीआर **936;**भागीरथ वि. दिल्ली प्रशासन,**(1985) 2** एससीसी **580 : [1985] 3** एससीआर **743;**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम संजयएफ

परिवहन एजेंसी एवं अन्य.,**(2009) 7** एससीसी **345 : [2009] 9** एससीआर **690;***Hari Narayan Rai v. Union of India & Anr.* **(2010) SCC OnLine Jhar 475;** करम सिंह एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य,**(2015)** एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच **19739;**छगन चंद्रकांत भुजबल बनाम. भारत संघ एवं अन्य।**(2016)** एससीसी ऑनलाइन बॉम **9938;**

जी

वकामुल्ला चन्द्रशेखर बनाम. प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य.**(2017)** एससीसी ऑनलाइन डेल **12810;**वीरभद्र सिंह एवं अन्य। वी प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य.**(2017)** एससीसी ऑनलाइन डेल **8930;**मोइन अख्तर कुरेशी बनाम भारत संघ एवं अन्य।आदेश दिनांक

01.12.2017 द्वारा डब्ल्यू.पी.एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

(सीआरएल.) क्रमांक **2465/2017**;प्रवर्तन निदेशालय वी. वकामुल्ला चन्द्रशेखरएसएलपी (सीआरएल) डायरी क्रमांक **36918/2017** में आदेश दिनांक **04.01.2018**;*Rajbhushan Omprakash Dixit v. Union of India & Anr.*,गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम राहुल मोदी और अन्य।**(2019) 5** एससीसी **266: [2019] 5** एससीआर **91**;के.आई. पावुन्नी बनाम सहायक कलेक्टर *(*मुख्यालय*),* केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टरेट*,* कोचीन**(1997) 3** एससीसी **721 : [1997] 1** एससीआर **797**;डालमिया सीमेंट *(*भारत*)* लिमिटेड एवं अन्य। प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक**(2016)** एससीसी ऑनलाइन हाइड **64**;जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य।**(2004) 8** एससीसी **1: [2004] 5** पूरक। एससीआर **272**;आयकर आयुक्त *I,* अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड**(2008) 9** एससीसी **622 : [2008] 12** एससीआर **179**;आयकर आयुक्त*,* भोपाल बनाम शेली प्रोडक्ट्स एवं अन्य।**(2003) 5** एससीसी **461 : [2003] 1** पूरक। एससीआर **79**;गुरचरण सिंह बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय**(2008) 17** एससीसी **28; [2008] 5** एससीआर **856**;सहायक विद्युत अभियंता वी. सत्येन्द्र राय एवं अन्य।**(2014) 4** एससीसी **513**;भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन एवं अन्य।**(2018) 17** एससीसी **394 : [2018] 10** एससीआर **974**;*Union of India & Ors. v. Mudrika Singh* **(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **1173**;*Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr.* **(2014) 8** एससीसी **273 : [2014] 8** एससीआर **128**;भारत संघ बनाम सरकार। पदम नारायण अग्रवाल एवं अन्य।**(2008) 13** एससीसी **305 : [2008] 14** एससीआर **179**;प्रीमियम ग्रेनाइट एवं अन्य। वी. टी.एन. राज्य एवं अन्य.**(1994) 2** एससीसी **691 : [1994] 1** एससीआर **579**;एमएस। सुखविंदर पाल बिपन कुमार एवं अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य।**(1982) 1** एससीसी **31 : [1982] 2** एससीआर **31**;अहमद नूरमोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य।**(2005) 3** एससीसी **647: [2005] 2** एससीआर **879**;मंज़ूर अली खान बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2015) 2** एससीसी **33: [2014] 7** एससीआर **569**;ए.के. रॉय बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(1982) 1** एससीसी **271 : [1982] 2** एससीआर **272**;गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल एवं अन्य.**(1987) 2** एससीसी **364 : [1987] 2** एससीआर **677**;वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो**(2013) 7** एससीसी **439 : [2013] 3** एससीआर **547**;निम्मगड्डा प्रसाद बनाम. केंद्रीय जांच ब्यूरो**(2013) 7** एससीसी **466 : [2013] 3** एससीआर **493;**

399 ए

बी

सी जी

डी एच

और

एफ

बिहार राज्य एवं अन्य. वी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय

ए

(2017) 13 एससीसी **751: [2017] 4** एससीआर **503;**मो. हनीफ़ कुरैशी एवं अन्य। बनाम बिहार राज्य और अन्य।एआईआर **1958** एससी **731: [1959]** एससीआर **629;***Talab Haji Hussain v. Madhukar Purshottam Mondkar & Anr.* **[1958]** एससीआर **1226;**काथी रानिंग रावत बनाम. सौराष्ट्र राज्यएआईआर **1952** एससी **123:**बी

[1952] एससीआर **435;**केदार नाथ बाजोरिया एवं अन्य। वी पश्चिम बंगाल राज्यएआईआर **1953** एससी **404: [1954]** एससीआर **30;***1978* का विशेष सन्दर्भ क्रमांक *1***(1979) 1** एससीसी **380 : [1979] 2** एससीआर **476;**असबरी अस्पताल बनाम कैस काउंटी**326** यूएस **207 [1945];**चिरंजीत लाल चौधरी बनाम. भारत संघ एवं अन्य।**[1950]** एससीआर **869;**की स्थिति

सी

बम्बई एवं अन्य. वी एफ.एन. बलसारा**[1951]** एससीआर

682;मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड और अन्य के कर्मचारी। बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड और अन्य।**(1992) 3** एससीसी **336; [1992] 3** एससीआर **409;**पापनासम लेबर यूनियन बनाम मदुरा कोट्स लिमिटेड और अन्य.**(1995) 1** एससीसी **501 : [1994] 6** पूरक। एससीआरडी

369;एम.आर.एफ. लिमिटेड बनाम इंस्पेक्टर केरल सरकार। एवं अन्य.**(1998) 8** एससीसी **227 : [1998] 2** पूरक। एससीआर **632;***State of Karnataka & Anr. v. Shri Ranganatha Reddy & Anr.***(1977) 4** एससीसी **471 : [1978] 1** एससीआर **641;**तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी एल अबू कवूर बाई और अन्य.**(1984) 1** एससीसी **515 : [1984] 1** एससीआर **725;***Ranjitsing*

और

ब्रह्मजीतसिंह शर्मा वि. महाराष्ट्र राज्य और अन्य.**(2005) 5** एससीसी **294 : [2005] 3** एससीआर **345;**सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली बनाम अहमदालीवा नोदिरा**(2004) 3** एससीसी **549 : [2004] 2** एससीआर **1092;**अधीक्षक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चेन्नई बनाम आर पॉलसामी**(2000) 9** एससीसीएफ

549;भारत संघ बनाम गुरुचरण सिंह**(2003) 11** एससीसी **764;**भारत संघ बनाम अब्दुल्ला**(2004) 13** एससीसी **504;**नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम कर्मा फुंटसोक और अन्य।**(2005) 12** एससीसी **480;**चेन्ना बोयन्ना कृष्णा यादव बनाम. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य.**(2007) 1** एससीसी **242 : [2006] 10** पूरक। एससीआर **381;**एन.आर. मेरा वी। मो.

जी

नसीमुद्दीन**(2008) 6** एससीसी **721 : [2008] 8** एससीआर **1159;**महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह और अन्य।**(2008) 13** एससीसी **5 : [2008] 12** एससीआर **1083;**भारत संघ बनाम रतन मल्लिक उर्फ हबुल**(2009) 2** एससीसी **624 : [2009] 1** एससीआर **533;**महाराष्ट्र राज्य बनाम.एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

विश्वनाथ मरन्ना शेट्टी**(2012) 10** एससीसी **561: [2012] 9** एससीआर **873;**भारत संघ बनाम नियाज़ुद्दीन एसके। और अन्य.**(2018) 13** एससीसी **738: [2017] 6** एससीआर **513;**सतपाल सिंह वि. पंजाब राज्य**(2018) 13** एससीसी **813 : [2018] 3** एससीआर **739;**राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम. जहूर अहमद शाह वताली**(2019) 5** एससीसी **1: [2019] 5** एससीआर **1060;**गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम. नितिन जौहरी और अन्य।**(2019) 9** एससीसी **165;**मॉडर्न डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।**(2016) 7** एससीसी **353: [2016] 3** एससीआर **579;**पटेल गोरधनदास हरगोविंदा और अन्य। *v.* नगर आयुक्त, अहमदाबाद एवं अन्य।एआईआर **1963** एससी **1742: [1964] 2** एससीआर **608;**श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड एवं अन्य। वी. ब्रोच बरो नगर पालिका और

अन्य।**(1969) 2** एससीसी **283 : [1970] 1** एससीआर **388;**भुवनेश्वर सिंह एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(1994) 6** एससीसी **77 : [1994] 1** पूरक। एससीआर **639;**कोमोरिन मैच इंडस्ट्रीज *(*पी*)* लिमिटेड बनाम टी.एन राज्य।**(1996) 4** एससीसी **281 : [1996] 1** पूरक। एससीआर **349;**इंडियन एल्युमीनियम कंपनी एवं अन्य। बनाम केरल राज्य और अन्य।**(1996) 7** एससीसी **637;**बख्तावर ट्रस्ट एवं अन्य। वी एम.डी. नारायण एवं अन्य।**(2003) 5** एससीसी **298 : [2003] 1** पूरक। एससीआर **1;**हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह**(2009) 13** एससीसी **165 : [2009] 10** एससीआर **821;**गोवा फाउंडेशन एवं अन्य. बनाम गोवा राज्य और अन्य।**(2016) 6** एससीसी **602: [2016] 1** एससीआर **1025;**चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम. तेलंगाना राज्य और अन्य।**(2017) 1** एससीसी **283: [2016] 7** एससीआर **689;***Behram Khurshed Pesikaka v. The State of Bombay* **[1955] 1** एससीआर **613;**म.प्र.वि. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।**[1958]** एससीआर **1422;**जगन्नाथ, आदि आदि बनाम प्राधिकृत अधिकारी, भूमि सुधार एवं अन्य। वगैरह।**(1971) 2** एससीसी **893 : [1972] 1** एससीआर **105;**सुशीला अग्रवाल एवं अन्य। वी राज्य *(*राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*)* एवं अन्य.**(2020) 5** एससीसी **1: [2020] 2** एससीआर **1;***Municipal Corporation of Delhi v. Gurnam Kaur* **(1989) 1** एससीसी **101 : [1988] 2** पूरक। एससीआर **929;**हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।**(2014) 4** एससीसी **453: [2014] 1** एससीआर **465;**मोहम्मद दस्तगीर बनाम मद्रास राज्यएआईआर **1960** एससी **756: [1960] 3** एससीआर **116;**राजा नारायणलाल बंसीलाल बनाम. मानेक फ़िरोज़ मिस्त्री 401 ए

बी

सी

डी

एफ

और

जी

और अन्य.एआईआर **1961** एससी **9: [1961] 3** एससीआर **592;**के. जोसेफ

ए

ऑगस्टी वि. एम.ए. नारायणनएआईआर **1964** एससी **1552: [1964]** एससीआर **137;***Collector of Customs, Madras v. Kotumal Bhirumal Pihlajani & Ors.* **(1966)** एससीसी ऑनलाइन मैड **145;**लक्ष्मण पद्मा भगत बनाम राज्य**(1964)** एससीसी ऑनलाइन बॉम **59;**कलकत्ता मोटर साइकिल कंपनी बनाम.बी

सीमा शुल्क एवं अन्य कलेक्टर।**(1955)** एससीसी ऑनलाइन कैल **275;**हरबनसिंह सरदार लेनासिंह एवं अन्य। वी महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।**(1972) 3** एससीसी **775;**सी. संपत कुमार बनाम प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास**(1997) 8** एससीसी **358 : [1997] 4** पूरक। एससीआर **142;**अघनू नगेसिया बनाम. बिहार राज्यएआईआर **1966** एससी **119 :**

सी

[1966] 1 एससीआर **134;**केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम वी.सी. शुक्ला एवं अन्य।**(1998) 3** एससीसी **410 : [1998] 1** एससीआर **1153;**बडाकू जोति स्वांत बनाम यूनाइटेड किंगडम मैसूर राज्यएआईआर **1966** एससी **1746: [1966] 3** एससीआर **698;**इलियास बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रासएआईआर **1970** एससी **1065;**राज्यडी

के ऊपर। वी. दुर्गा प्रसाद**(1975) 3** एससीसी **210 : [1975] 1** एससीआर **881;**आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड।एआईआर **1959** एससी **763: [1959] 2** पूरक। एससीआर **459;**लाजपत राय सहगल एवं अन्य। वी राज्य**1983 (5)** डीआरजे **1:23 (1983)** डीएलटी **314;**नारायण सिंह बनाम राज्य**1986 (10)** डीआरजे **109: 30**

और

(1986) डीएलटी **118;**परीना स्वरूप वि. भारत संघ**(2008) 14** एससीसी **107 : [2008] 13** एससीआर **1217;**बालेश्वर राय एवं अन्य। बिहार राज्य**[1963] 2** एससीआर **433;***Dipakbhai Jagdishchandra Patel v. State of Gujarat & Anr.* **(2019) 16** एससीसी **547: [2019] 6** एससीआर **701;**नरेंद्रएफ

सिंह एवं अन्य. वि. म.प्र. राज्य**(2004) 10** एससीसी **699 : [2004] 3** एससीआर **1148;***Hiten P. Dalal v. Bratindranath Banerjee* **(2001) 6** एससीसी **16 : [2001] 3** एससीआर **900;***Krishna Janardhan Bhat v. Dattatraya G. Hegde* **(2008) 4** एससीसी **54 : [2008] 1** एससीआर **605;**सुच्चा सिंह बनाम. पंजाब राज्य**(2001) 4** एससीसी **375 : [2001] 2** एससीआर **644;**पी.एन. कृष्णा

जी

लाल एवं अन्य। वी सरकार. केरल और अन्य के.**(1995) 2** पूरक। एससीसी **187: [1994] 5** पूरक। एससीआर **526;**मुकेश सिंह बनाम राज्य *(*दिल्ली की नारकोटिक शाखा*)***(2020) 10** एससीसी **120;**सीमा सिल्क एवं साड़ी एवं अन्य। प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य।**(2008) 5** एससीसी **580 : [2008]**एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

8 एससीआर **201;**परिवहन कंपनी एवं अन्य। उत्तर प्रदेश राज्य.एवं अन्य.**(1986) 2** एससीसी **486 : [1986] 1** एससीआर **939;***Union of India v. Prafulla Kumar Samal & Anr.* **(1979) 3** एससीसी **4 : [1979] 2** एससीआर **229;**दिलावर बालू कुराने बनाम. महाराष्ट्र राज्य,**(2002) 2** एससीसी **135 : [2002] 1** एससीआर **75;**योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य,**(2008) 10** एससीसी **394 : [2008] 6** एससीआर **1116;**पी. विजयन बनाम. केरल राज्य एवं अन्य,**(2010) 2** एससीसी **398: [2010] 2** एससीआर **78;**सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो,**(2010) 9** एससीसी **368: [2010] 11** एससीआर **669;**श्योराज सिंह अहलावत और अन्य। वी उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य.**(2013) 11** एससीसी **476 : [2012] 10** एससीआर **1034;**सर्बानंद सोनोवाल बनाम. भारत संघ एवं अन्य.**(2005) 5** एससीसी **665 : [2005] 1** पूरक। एससीआर **472;**मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ अय्यर,एआईआर **1958** एससी **61;**एम. नरसिंगा राव बनाम सरकार। एपी राज्य**(2001) 1** एससीसी **691 : [2000] 5** पूरक। एससीआर **584;**मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2021) 7** एससीसी **369;**राव शिव बहादुर सिंह एवं अन्य. वी विंध्य प्रदेश राज्यएआईआर **1953** एससीसी **394;**मोहन लाल वि. राजस्थान राज्य**(2015) 6** एससीसी **222 : [2015] 5** एससीआर **435;**गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड वी दुंदय्या गुरुशिद्दैया हिरेमथ और अन्य।**(1991) 2** एससीसी **141 : [1991] 1** एससीआर **396;**गुणवंतलाल वि. मध्य प्रदेश राज्य**(1972) 2** एससीसी **194 : [1973] 1** एससीआर **508;**एच.एन. रिशबड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य**[1955] 1** एससीआर **1150;**भारत संघ बनाम सरकार। प्रकाश पी. हिंदुजा एवं अन्य।**(2003) 6** एससीसी **195 : [2003] 1** पूरक। एससीआर **307;**उषाबेन बनाम गुजरात राज्य और अन्य के माध्यम से मनुभाई रतिलाल पटेल.**(2013) 1** एससीसी **314 : [2012] 8** एससीआर **993;**पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। वी स्वपन कुमार गुहा और अन्य.**(1982) 1**

एससीसी **561 : [1982] 3** एससीआर **121;**श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य। वी पंजाब राज्य**(1980) 2** एससीसी **565 : [1980] 3** एससीआर **383;**पुलिस अधीक्षक, सीबीआई एवं अन्य। वी. तपन कुमार सिंह**(2003) 6** एससीसी **175 : [2003] 3** एससीआर **485;**पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक *(*जांच*)*, नई दिल्ली एवं अन्य।**(1974) 1** एससीसी **345 : [1974] 2** एससीआर **704;**आर.एस. सेठ गोपीकृष्ण अग्रवाल बनाम आर.एन. सेन, सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क एवं अन्य.**[1967]**

और

एफ

403 ए

जी

बी

एच

सी

डी

2 एससीआर **340;**पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह**(1999) 6**

ए

एससीसी **172 : [1999] 3** एससीआर **977;**विशेष जांच सर्किल-बी, मेरठ बनाम मेसर्स सेठ ब्रदर्स एवं अन्य। वगैरह।**(1969) 2** एससीसी **324 : [1970] 1** एससीआर **601;**डॉ. प्रताप सिंह एवं अन्य। प्रवर्तन निदेशक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य.**(1985) 3** एससीसी **72 :**बी

[1985] 3 एससीआर **969;**भारत संघ एवं अन्य. वी पुरूषोत्तम**(2015) 3** एससीसी **779: [2015] 1** एससीआर **849;**रमन टेक. एवं प्रोसेस इंजी. कंपनी एवं अन्य. वी. सोलंकी ट्रेडर्स**(2008) 2** एससीसी **302 : [2007] 12** एससीआर **409;**राधा मोहन लखोटिया, भारतीय राष्ट्रीय और नागरिक बनाम उप निदेशक,पीएमएलए, प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रालय

सी

वित्त विभाग, राजस्व विभाग**(2010)** एससीसी ऑनलाइन बॉम **1116;**बी. रामा राजू बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2011)** एससीसी ऑनलाइन एपी **152;**अलाइव हॉस्पिटैलिटी एंड फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।**(2013) SCC OnLine Guj 3909;** के. सौबघ्या बनाम यूनियन ऑफडी

भारत और अन्य.**(2016) SCC OnLine Kar 282;** उषा अग्रवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2017)** एससीसी ऑनलाइन धारा **146;**जे. शेखर बनाम. भारत संघ एवं अन्य।**(2018)** एससीसी ऑनलाइन डेल **6523;**कमलापति त्रिवेदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**(1980) 2** एससीसी **91 : [1979] 2** एससीआर **717;**परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए.के. चोपड़ा

और

(1999) 1 एससीसी **759 : [1999] 1** एससीआर **117;**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य।**(2000) 8** एससीसी **382 : [2000] 2** पूरक। एससीआर **712;***Shambhu Nath Mehra v. The State of Ajmer* एआईआर **1956** एससी **404: [1956]** एससीआर **199;**राज्य *(*केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से*)* बनाम।एफ

कल्याण सिंह *(*उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री*)* और अन्य।**(2017) 7** एससीसी **444: [2017] 6** एससीआर **946;**राम जेठमलानी और अन्य। वी भारत संघ एवं अन्य।**(2011) 8** एससीसी **1;**सहायक. निदेशक प्रवर्तन निदेशालय बनाम डॉ. वी.सी. मोहन**2022** की आपराधिक अपील संख्या **21, 4.1.2022** को निर्णय लिया गया;राज्य प्रतिनिधि. सी.बी.आई. द्वारा वी. अनिल शर्मा,

जी

(1997) 7 एससीसी **187 : [2011] 8** एससीआर **725;**पी.चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो**(2019)** एससीसी ऑनलाइन डेल **9703;**हुसैनारा खातून एवं अन्य। गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना**(1980) 1** एससीसी **98 : [1979] 3** एससीआर **532;**सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायताएच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी करने वाली समिति बनाम भारत संघ भारत संघ एवं ओआरएस. और अन्य।**(1994) 6** एससीसी **731 : [1994] 4** पूरक। एससीआर **386 -** विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व संदर्भित।

Thakurain Balraj Kunwar & Anr. v. Rae Jagatpal Singh **(1904)** एससीसी ऑनलाइन पीसी **9: (1904) 1** सभी एलजे **384;**नलिनाख्य बायसैक बनाम. श्याम सुंदर हलधर और अन्य।एआईआर **1953** एससी **148: [1953]** एससीआर **533;**चंद्रोजी राव बनाम आयकर आयुक्त, म.प्र.,नागपुर**(1970) 2** एससीसी **23 : [1971] 1** एससीआर **422;**मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम राधा किशन और अन्य।**(1979) 2** एससीसी **468 : [1979] 2** एससीआर **148;**तारा प्रसाद सिंह एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(1980) 4** एससीसी **179 : [1980] 3** एससीआर **1042;**साक्षी बनाम भारत संघ एवं अन्य।**(2004) 5** एससीसी **518 : [2004] 2** पूरक। एससीआर **723;**गुंटैया और अन्य। वी हंबम्मा और अन्य।**(2005) 6** एससीसी **228 : [2005] 1** पूरक। एससीआर **770;**सी. गुप्ता बनाम. ग्लैक्सो-स्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.**(2007) 7** एससीसी **171 : [2007] 7** एससीआर **800;**डॉ। फ्रेज़र एंड कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजस्व मंत्री**(1948)** एससीसी ऑनलाइन पीसी **65 :** एआईआर **1949** पीसी **120;**तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य**(2020)** एससीसी ऑनलाइन एससी **882;**अशोक मुनिलाल जैन एवं अन्य। सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय,**(2018) 16** एससीसी **158;**प्रभागीय वन अधिकारी एवं अन्य. वी. जी.वी. सुधाकर राव एवं अन्य।**(1985) 4** एससीसी **573 : [1985] 3** पूरक। एससीआर **680;**बिस्वनाथ भट्टाचार्य बनाम भारत भारत संघ और अन्य।**(2014) 4** एससीसी **392: [2014] 1** एससीआर **885;** औरयोगेन्द्र कुमार जयसवाल एवं अन्य। वी बिहार राज्य एवं अन्य।**(2016) 3** एससीसी **183: [2015] 14** एससीआर **1037 -** अनुपयुक्त माना गया।

अट्टीगैल और अन्य. वी. राजाएआईआर **1936** पीसी **169;**संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम एंथोनी सालेर्नो**107** एस.सी.टी. **2095 (1987);**संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रेनी आर्मस्ट्रांग सैंडर्स,**929** एफ.**2**डी **1466 (10**वां सर्किल **1991);**संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम पॉल जॉनसन,**440** एफ.**3**डी **1286, 1293 (11**वीं सर्कुलर **2006);**संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रोजर फॉल्कनबेरी,**614** एफ.**3**डी **573 (6**वां सर्कुलर **2010);**छुपाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस कानून पर कुएलर का प्रभाव,**18** जे बस एल **255 (2015);**रेजिना बनाम कथबर्टसन और अन्य।**[1981]** ए.सी. **470;** 405 ए

बी

सी

डी

और एच

एफ

जी
406 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2022] 6 एस.सी.आर.

एलिजाबेथ वारबर्टन बनाम जेम्स लवलैंड**(1831) 2** डॉव

ए

& सीएल **480;**बेल, अटॉर्नी जनरल बनाम वोल्फिश शाल बनाम मार्टिन**467** यूएस **253 (1984);**गिफ़ोर्ड वी. कीलसोन**(1943) 51** आदमी। आर **120;**आर वी अहमद,**[2012] 2** सभी ईआर **1137;**आर बनाम जेम्स,**[2012] 2** करोड़ ऐप आर (एस) **253;**सैमुअल्स बनाम मैक्कर्डी, शेरिफ**(1925)** एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी **42;**शिकागो औरबी

एल्टन रेलरोड कंपनी बनाम हेनरी ए. ट्रानबर्गर**238** यू.एस. **67;**सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स एल.डी. वी. आशेर**[1949] 2** के.बी. **481;**जॉर्जिया रेलरोड और बैंकिंग कंपनी बनाम जेम्स एम. स्मिथ**128** यूएस **174 (1888);** औरस्टाम्प शुल्क आयुक्त बनाम एटविल एवं अन्य।**(1973) 1** सभी ईआर **576;**नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी**118** यूएस **425**

सी

(1886) - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2017] 12 एससीआर **358** पैरा **1**(ए) को संदर्भित करता है

(2021) 10 एससीसी **598** पैरा **2(i)** को संदर्भित करता हैडी

[2017] 12 एससीआर **118** पैरा **2(i)** को संदर्भित करता है **[2013]**

14 एससीआर **713** पैरा **2(ii)** को संदर्भित करता है **[1974] 2** एससीआर **348** पैरा **2(ii)** को संदर्भित करता है **[1967] 2** एससीआर **703** पैरा **2(ii)** को संदर्भित करता है **iii)**और

[1982] 1 एससीआर **629** पैरा **2(ix)** को संदर्भित करता है **[2009] 7** एससीआर **946** पैरा **2(ix)** को संदर्भित करता है **[2019] 12** एससीआर **172** पैरा **2(ix)** को संदर्भित करता हैएफ

(2018) 16 एससीसी **158** को पैरा **2(xii)** के लिए अनुपयुक्त माना गया **[1962] 3** एससीआर **338** को पैरा **2(xiii)** में संदर्भित किया गया **[1964] 2** एससीआर **752** को पैरा **2(xiv)** में संदर्भित किया गया

[1978] 3 एससीआर **608** पैरा **(xvii)** को संदर्भित करता हैजी
[1959] 2 पूरक। एससीआर **875** पैरा **2(xvii)** को संदर्भित करता है **[2015] 8** एससीआर **1** पैरा **2(xvii)** को संदर्भित करता है **(2020) 7** एससीसी **722** पैरा **2(xvii)** को संदर्भित करता है

[1981] 1 एससीआर **175** पैरा **2(xix)** को संदर्भित करता हैएच विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

[2010] 5 एससीआर **381** पैरा **2(xix)** को संदर्भित करता है **[1962] 3** एससीआर **10** को पैरा **2(xx)** को संदर्भित करता है **[1954]** एससीआर **1077** पैरा **2(xx)** को संदर्भित करता है

[1991] 1 एससीआर **126** को पैरा **2(xxii)** में संदर्भित किया गया है **[1978] 2** एससीआर **371** को पैरा **3** में संदर्भित किया गया है **[2005] 3** एससीआर **345** को पैरा **3** में संदर्भित किया गया है **[2008] 10** एससीआर **379** को पैरा **3** में संदर्भित किया गया है **[2010] 2** एससीआर **979** को संदर्भित किया गया है पैरा **3 [2007] 12** एससीआर **1100** को पैरा **3 [1996] 10** सप्लिमेंट का संदर्भ दिया गया। एससीआर **284** पैरा **3(i)** को संदर्भित करता है **[1994] 1** एससीआर **445** पैरा **3(i)** को संदर्भित करता है **[1956]** एससीआर **267** पैरा **3(i)** को संदर्भित करता है **[1957]** एससीआर **970** पैरा **3(i)** को संदर्भित करता है **[1967] 3** एससीआर **636** पैरा **3(i)** को संदर्भित करता है **[1986] 3** एससीआर **518** पैरा **3(ii)** को संदर्भित करता है **[2014] 6** एससीआर **873** पैरा **3(ii)** को संदर्भित करता है **[1955] 1** एससीआर **707** पैरा **3(iii)** को संदर्भित करता है **[1959] 2** पूरक. एससीआर **8** पैरा **3(iii)** को संदर्भित करता है **[2010]**

9 एससीआर **1039** पैरा **3(iii)** को
संदर्भित करता है **(2021) 10** एससीसी
773 पैरा **3(iii)** को संदर्भित करता है
[1988] 3 पूरक। एससीआर **967** पैरा
3(iii) (2021) 3 एससीसी **713** पैरा
3(iii) (2021) 5 एससीसी **435** पैरा
3(iii) को संदर्भित करता है **[2017] 9**
एससीआर **797** पैरा **3(iii)** को संदर्भित
करता है **[2018] 11** एससीआर **765**
पैरा **3(iii)** को संदर्भित करता है **[1976]**
1 एससीआर **277** पैरा **4(v)** को संदर्भित
करता है **[1997] 1** एससीआर **1038** पैरा
4(v) को संदर्भित करता है **(2020) 3**
एससीसी **637** पैरा **4(vii)** को संदर्भित
करता है
407 ए

बी

सी

डी

और

एफ

जी

एच

(2021) 2 एससीसी **427** पैरा **4(viii)** में संदर्भितए

[2019] 16 एससीआर **1** पैरा **4(viii)** को संदर्भित करता है **[1991] 3** एससीआर **812** पैरा **6(i)** को संदर्भित करता है **[2014] 4** एससीआर **529** पैरा **6(i)** को संदर्भित करता हैबी

[2014] 11 एससीआर पैरा **8** को संदर्भित करता है **[1979] 1** एससीआर **392** पैरा **8** को संदर्भित करता है **[1983] 2** एससीआर **690** पैरा **8** को संदर्भित करता है

[2012] 8 एससीआर **295** पैरा **8** को संदर्भित करता हैसी
[2010] 13 एससीआर **851** पैरा **8(i)** को संदर्भित करता है **[1952]** एससीआर **1091** पैरा **8(ii)** को संदर्भित करता है **[2008] 4** एससीआर **783** पैरा **8(ii)** को संदर्भित करता है

[1997] 6 पूरक। एससीआर **595** पैरा **8(iii)** में संदर्भितडी
[2006] 8 पूरक। एससीआर **474** पैरा **8(iii)** को संदर्भित करता है **[2013] 14** एससीआर **983** पैरा **8(iii)** को संदर्भित करता है **[2017] 3** एससीआर **630** पैरा **8(iii)** को संदर्भित करता है

[1978] 1 एससीआर **535** पैरा **8(iv)** को संदर्भित करता हैऔर
[2011] 13 एससीआर **309** पैरा **8(iv)** को संदर्भित करता है **[2011] 1** एससीआर **590** पैरा **8(iv)** को संदर्भित करता है **[1969] 2** एससीआर **461** पैरा **9** को संदर्भित करता है **[1981] 1** एससीआर **175** पैरा **9** को संदर्भित करता हैएफ

[1973] 3 एससीआर **438** पैरा **9(i)** को संदर्भित करता है **[1992] 3** एससीआर **247** पैरा **9(i)** को संदर्भित करता है **[1965] 2** एससीआर **457** पैरा **9(i)** को संदर्भित करता है **[1951]** एससीआर **228** पैरा **10 (i)** को संदर्भित करता है)

जी

[2008] 8 एससीआर **553** पैरा**10(i)** को संदर्भित करता है **[2011] 5** एससीआर **691** पैरा**10(i)** को संदर्भित करता है **[2014] 1** एससीआर **496** पैरा**10(i)** को संदर्भित करता हैएच

[2014] 12 एससीआर **1037** पैरा **10(i)** को संदर्भित करता है

संदर्भित करता है **(2002) 9** एससीसी **639** पैरा **10(ii)** को संदर्भित करता है **ii)** **[2006] 7** पूरक। एससीआर **766** पैरा **10(ii)** को संदर्भित करता है **[1973] 1** एससीआर **1004** पैरा **10(iii)** को संदर्भित करता है **[1967] 1** एससीआर **848** पैरा **10(ii)** को संदर्भित करता है **[1977] 2** एससीआर **790** पैरा **10(ii)** को संदर्भित करता है **[1985] 2** एससीआर **643** पैरा **10(ii)** को

[1981] 3 एससीआर **419** पैरा **10(iii)** को संदर्भित करता है **[1985] 3** पूरक। एससीआर **827** पैरा **10(iii) [1988] 1** पूरक को संदर्भित करता है। एससीआर **1** पैरा **11 [2003] 3** पूरक को संदर्भित करता है। एससीआर **340** पैरा **11(ii)** को संदर्भित करता है **[2007] 8** एससीआर **757** पैरा **11(ii)** को संदर्भित करता है **[2008] 14** एससीआर **419** पैरा **12(i)** को संदर्भित करता है **[2012] 13** एससीआर **47** पैरा **12(i)** को संदर्भित करता है **[1963] 1** पूरक. एससीआर **912** को पैरा **13** को संदर्भित किया गया है **[1974] 3** एससीआर **760** को पैरा **13** को संदर्भित किया गया है **[1984] 2** एससीआर **914** को पैरा **14(i)** को संदर्भित किया गया है **[2011] 14** एससीआर **240** को पैरा **14(i)** को संदर्भित किया गया है **[1995] 3** एससीआर **905** को संदर्भित किया गया है पैरा **14(iii))[1996] 10** पूरक। एससीआर **284** पैरा **14(iv) [1994] 1** पूरक को संदर्भित करता है। एससीआर **1** को पैरा **14(v) (1994) 6** एससीसी **86** को पैरा **15** को संदर्भित किया गया है **[1961] 3** एससीआर **107** को पैरा **15 [1959] 1** पूरक को संदर्भित किया गया है। एससीआर **274** पैरा **15 (1969) 2** एससीसी **662** पैरा **15** को संदर्भित करता है **[2015] 5** एससीआर **605** पैरा **15 15** को संदर्भित करता है **[1987] 2** एससीआर **1173** पैरा **16(xxxiv)** को संदर्भित करता है **[1988] 2** एससीआर **962** पैरा **16** को संदर्भित करता है **(xxxv) [1990] 3** पूरक। एससीआर **365** को पैरा **16(xxxv)** में संदर्भित किया गया है

409 ए

बी

सी

डी

और

एफ

जी

एच

[1991] 3 एससीआर **307** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता हैए

[1993] 3 एससीआर **497** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता है **[2007] 1** एससीआर **855** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता है **[2007] 1** एससीआर **174** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता हैबी

[2007] 3 एससीआर **769** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता है **[2010] 5** एससीआर **927** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता है **[2014] 2** एससीआर **589** पैरा **16(xxxv)** को संदर्भित करता है

[2017] 13 एससीआर **156** पैरा **16(xxxvi)** को संदर्भित करता हैसी
[1994] 2 एससीआर **375** पैरा **16(xxxvii)** को संदर्भित करता है **[2003] 6** पूरक। एससीआर **85** पैरा **16(xxxvii)** को संदर्भित करता है **[2016] 3** एससीआर **865** पैरा **16(xxxvii)** को संदर्भित करता है

[1994] 3 पूरक। एससीआर **263** पैरा **16(xxxviii)** को संदर्भित करता हैडी
[1987] 2 एससीआर **800** पैरा **16(xxxviii)** को संदर्भित करता है **[1969] 1** एससीआर **219** पैरा **16(xxxviii)** को संदर्भित करता है **[2008] 4** एससीआर **822** पैरा **16(xxxviii)** को संदर्भित करता है

[2005] 1 एससीआर **1019** पैरा **16(xxxix)** को संदर्भित करता हैऔर
[2014] 5 एससीआर **119** पैरा **16(xxxix)** को संदर्भित करता है **[2005] 1** एससीआर **494** पैरा **16(xxxix)** को संदर्भित करता है **[1999] 1** एससीआर **669** पैरा **16(xxxix)** को संदर्भित करता है **[1980] 1** एससीआर **151** पैरा **16(xxxix)** को संदर्भित करता है **xli)**

एफ

[1987] 3 एससीआर **84** पैरा **16(xli)** को संदर्भित करता है **[1988] 3** एससीआर **225** पैरा **16(xli)** को संदर्भित करता है **[1996] 3** पूरक। एससीआर **127** पैरा **16(**एक्सएलआई**) [2003] 6** सप्लिम को संदर्भित करता है। एससीआर **476** पैरा **16(xli)** में संदर्भितजी

[2008] 14 एससीआर **889** पैरा **16(xli)** को संदर्भित करता है **[2015] 15** एससीआर **499** पैरा **16(xli)** को संदर्भित करता है **(2020) 2 SCC 747** पैरा **16(xli)** को संदर्भित करता हैएच

[1953] एससीआर **1** को पैरा **16(xlii)** में संदर्भित किया गया है विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

[2009] 3 एससीआर **735** पैरा **16(xlii)** को संदर्भित करता है **[2003] 5** पूरक। एससीआर **1** को पैरा **16(xliiii) [2017] 8** एससीआर **33** को पैरा **16(xliv) [1963] 2** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है। एससीआर **812** पैरा **16(xliv)** को संदर्भित करता है **[1964] 4** एससीआर **280** पैरा **16(xliv)** को संदर्भित करता है **[1968] 1** एससीआर **661** पैरा **16(xliv)** को संदर्भित करता है **[1985] 1** एससीआर **29** पैरा **16(xliv)** को संदर्भित करता है **[2011] 9** एससीआर **936** पैरा **16(xliv)** को संदर्भित करता है **[1985] 3** एससीआर **743** पैरा **16 (xlvii)** को संदर्भित करता है

[2009] 9 एससीआर **690** पैरा **16 (xlvii)** को संदर्भित करता है **[2019] 5** एससीआर **91** पैरा **16 (xlvii)** को संदर्भित करता है **[1997] 1** एससीआर **797** पैरा **16 (xlix)** को संदर्भित करता है **[2004] 5** पूरक। एससीआर **272** को पैरा **16(**ली**) [2008] 12** एससीआर **179** को पैरा **16(**ली**) [2003] 1** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है। एससीआर **79** पैरा **16 (**एलआईआई**)** को संदर्भित करता है **[2008] 5** एससीआर **856** पैरा **16 (**एलआईआई**)** को संदर्भित करता है **(2014) 4** एससीसी **513** पैरा **16 (**एलआईआई**)** को संदर्भित करता है **[2018] 10** एससीआर **974** पैरा **16 (**एलआईआई**)** को संदर्भित करता है **[2014] 8** एससीआर **128** पैरा **16(**एलवी**)** को संदर्भित करता है **[2008] 14** एससीआर **179** पैरा **16(**एलएक्स**)** को संदर्भित करता है **[1994] 1** एससीआर **579** पैरा **16(**एलएक्स**)** को संदर्भित करता है **[1982] 2** एससीआर **31** पैरा **16(**एलएक्स**)** को संदर्भित करता है **[2005] 2** एससीआर **879** पैरा **16(**एलएक्स**)** को संदर्भित करता है **[2014] 7** एससीआर **569** पैरा

16(एलएक्स) को संदर्भित करता है
[1982] 2 एससीआर **272** पैरा
16(एल**xiii**) को संदर्भित करता है
[1987] 2 एससीआर **677** पैरा
16(एलएक्स) को संदर्भित करता है **lxiii)**
[2013] 3 एससीआर **547** पैरा **16(lxiii)**
को संदर्भित करता है **[2013] 3**
एससीआर **493** पैरा **16(lxiii)** को
संदर्भित करता है
411 ए

और

एफ

जी

बी

एच

सी

डी

[2017] 4 एससीआर **503** पैरा **16(lxiii)** को संदर्भित करता है।ए

[1959] एससीआर **629** पैरा **16(lxiii)** को संदर्भित करता है **[1958]** एससीआर **1226** पैरा **16(lxiv)** को संदर्भित करता है **[1952]** एससीआर **435** पैरा **16(lxvii)** को संदर्भित करता हैबी

[1954] एससीआर **30** पैरा **16**(एल**xvii**) को संदर्भित करता है **[1979] 2** एससीआर **476** पैरा **16**(एल**xvii**) को संदर्भित करता है **[1950]**

एससीआर **869** पैरा **16**(एलएक्स**viii**) को संदर्भित करता है

[1951] एससीआर **682** को पैरा **16**(**lxviii**) में संदर्भित किया गया हैसी **[1992] 3** एससीआर **409** पैरा **16**(एलएक्सआईएक्स) को संदर्भित करता है **[1994] 6** पूरक। एससीआर **369** पैरा **16**(एलएक्सआईएक्स) **[1998] 2** पूरक का संदर्भ देता है। एससीआर **632** को पैरा **16**(**lxix**) में संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर **641** पैरा **16**(**lxix**) को संदर्भित करता हैडी **[1984] 1** एससीआर **725** पैरा **16**(एलएक्सआईएक्स) को संदर्भित करता है **[2005] 3** एससीआर **345** पैरा **16**(एलएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2004] 2** एससीआर **1092** पैरा **16**(एलएक्सआई) को संदर्भित करता है

(2000) 9 एससीसी **549** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) में संदर्भितऔर **(2004) 13** एससीसी **504** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **(2005) 12** एससीसी **480** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2006] 10** पूरक। एससीआर **381** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2008] 8** एससीआर **1159** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता हैएफ

[2008] 12 एससीआर **1083** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2009] 1** एससीआर **533** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2012] 9** एससीआर **873** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2017] 6** एससीआर **513** पैरा **16** को संदर्भित करता है**(xxiii)**जी

[2018] 3 एससीआर **739** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **[2019] 5** एससीआर **1060** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता है **(2019) 9** एससीसी **165** पैरा **16**(एलएक्सएक्सआई) को संदर्भित करता हैएच

[2016] 3 एससीआर **579** पैरा **16**(**lxxii**) को संदर्भित करता है

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

[1964] 2 एससीआर **608** पैरा **16**(**lxxiv**) को संदर्भित करता है **[1970] 1** एससीआर **388** पैरा **16**(**lxxiv**) को संदर्भित करता है **[1994] 1** पूरक। एससीआर **639** पैरा **16**(**lxxiv**) **[1996] 1** पूरक का संदर्भ देता है। एससीआर **349** पैरा **16**(**lxxiv**) **(1996) 7** एससीसी **637** पैरा **16**(**lxxiv**) को संदर्भित करता है

[2003] 1 पूरक। एससीआर **1** पैरा **16(lxxiv)** को संदर्भित करता है **[2009] 10** एससीआर **821** पैरा **16(lxxiv)** को संदर्भित करता है **[2016] 1** एससीआर **1025** पैरा **16(lxxiv)** को संदर्भित करता है **[2016] 7** एससीआर **689** पैरा **16(lxxiv)** को संदर्भित करता है **[1955] 1** एससीआर **613** पैरा **16(**एलएक्सएक्सवी**)** को संदर्भित करता है **[1958]** एससीआर **1422** पैरा **16(**एलएक्सएक्सवी**)** को संदर्भित करता है

[1972] 1 एससीआर **105** पैरा **16(lxxv)** को संदर्भित करता है **[2020] 2** एससीआर **1** पैरा **16(lxxvii)** को संदर्भित करता है **[1988] 2** पूरक। एससीआर **929** पैरा **16(lxxvii)** को संदर्भित करता है **[2014] 1** एससीआर **465** पैरा **6(lxxix)** को संदर्भित करता है **[1960] 3** एससीआर **116** पैरा **17(i)** को संदर्भित करता है **[1961] 3** एससीआर **592** पैरा **17(i)** को संदर्भित करता है **[1964] 7** एससीआर **137** पैरा **17(i) (1972)** को संदर्भित करता है **3** एससीसी **775** पैरा **17(ii)** को संदर्भित करता है **[1997] 4** पूरक। एससीआर **142** पैरा **17(iv)** को संदर्भित करता है **[1966] 1** एससीआर **134** पैरा **17(v)** को संदर्भित करता है **[1998] 1** एससीआर **1153** पैरा **17(v)** को संदर्भित करता है **[1966] 3** एससीआर **698** पैरा **17(ix)** एआईआर **1970** को संदर्भित करता है एससी **1065** को पैरा **17(ix) [1975] 1** एससीआर **881** को पैरा **17(ix) [1959] 2** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है। एससीआर **459** पैरा **17(xi)** को संदर्भित करता है **[2008] 13** एससीआर **1217** पैरा **17(xii)** को संदर्भित करता है

413 ए

बी

सी

डी

और

एफ

जी

एच

[1963] 2 एससीआर **433** पैरा **17(xiv)** को संदर्भित करता हैए

[2019] 6 एससीआर **701** पैरा **17(xiv)** को संदर्भित करता है **[2004] 3** एससीआर **1148** पैरा **17(xxiv)** को संदर्भित करता है **[2001] 3** एससीआर **900** पैरा **17(xxiv)** को संदर्भित करता हैबी

[2008] 1 एससीआर **605** पैरा **17(xxiv)** को संदर्भित करता है **[2001] 2** एससीआर **644** पैरा **17(xxiv)** को संदर्भित करता है **[1994] 5** पूरक। एससीआर **526** पैरा **17(xxiv)** में संदर्भित

(2020) 10 एससीसी **120** पैरा **17(xxiv)** में संदर्भितसी

[2008] 8 एससीआर **201** पैरा **17(xxv)** को संदर्भित करता है **[1986] 1** एससीआर **939** पैरा **17(xxv)** को संदर्भित करता है **[1979] 2** एससीआर **229** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता है

[2002] 1 एससीआर **75** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता हैडी

[2008] 6 एससीआर **1116** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता है **[2010] 2** एससीआर **78** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता है **[2010] 11** एससीआर **669** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता है

[2012] 10 एससीआर **1034** पैरा **17(xxvii)** को संदर्भित करता हैऔर

[2005] 1 पूरक। एससीआर **472** पैरा **17(xxviii)** एआईआर **1958** एससी **61** को पैरा **17(xxx) [2000] 5** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है। एससीआर **584** पैरा **17(xxx) (2021) 7** एससीसी **369** पैरा **17(xxxii)** को संदर्भित करता हैएफ

एआईआर **1953** एससीसी **394** पैरा **17(xxxiii)** को संदर्भित करता है

[2015] 5 एससीआर **435** पैरा **17(xxxv)** को संदर्भित करता है **[1991] 1** एससीआर **396** पैरा **17(xxxv)** को संदर्भित करता है **[1973] 1** एससीआर **508** पैरा **17(xxxvi)** को संदर्भित करता हैजी

[1955] 1 एससीआर **1150** पैरा **17(xxxvii)** को संदर्भित करता है **[2003] 1** पूरक। एससीआर **307** पैरा **17(xxxvii)** को संदर्भित करता है **[2012] 8** एससीआर **993** पैरा **17(xxxvii)** को संदर्भित करता हैएच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

[1982] 3 एससीआर **121** पैरा **17(xxxvii)** को संदर्भित करता है **[1980] 3** एससीआर **383** पैरा **17 (xxxix)** को संदर्भित करता है **[2003] 3** एससीआर **485** पैरा **17 (xxxix)** को संदर्भित करता है **[1974] 2** एससीआर **704** पैरा **17(** एक्सएल)

[1967] 2 एससीआर **340** पैरा **17(xli)** को संदर्भित करता है **[1999] 3** एससीआर **977** पैरा **17(xlii)** को संदर्भित करता है **[1970] 1** एससीआर **601** पैरा **17(xliv)** को संदर्भित करता है **[1985] 3** एससीआर **969** पैरा **17(xlii)** को संदर्भित करता है **xliv) [2015] 1** एससीआर **849** पैरा **17(xlvi)** को संदर्भित करता है **[2007] 12** एससीआर **409** पैरा**17(liiii)** को संदर्भित करता है **[2014] 1** एससीआर **885** को पैरा **17**(एलएक्सआई) **[1985] 3** पूरक के रूप में अनुपयुक्त माना जाता है। एससीआर **680** को पैरा **17**(एलएक्सआई) के लिए अनुपयुक्त माना गया **[1953]** एससीआर **533** को पैरा **17**(एलएक्सआई) के लिए अनुपयुक्त माना गया **[2015] 14** एससीआर **1037** को पैरा **17**(एलएक्सआई) के लिए अनुपयुक्त माना गया **[1979] 2** एससीआर **717** को पैरा **17**(एलएक्सवी) के संदर्भ में रखा गया **[1999] 1** एससीआर **117** को पैरा **38** में संदर्भित किया गया **[1971] 1** एससीआर **422** को पैरा **49** में अनुपयुक्त ठहराया गया **[1979] 2** एससीआर **148** को पैरा **49** में अनुपयुक्त ठहराया गया **[1980] 3** एससीआर **1042** को पैरा **49** में अनुपयुक्त ठहराया गया **[2004] 2** पूरक। एससीआर **723** को अनुपयुक्त पैरा **49 [2005] 1** पूरक माना गया। एससीआर **770** को पैरा **49** में अनुपयुक्त ठहराया गया **[2007] 7** एससीआर **800** को पैरा **49** में अनुपयुक्त ठहराया गया **[2000] 2** पूरक। एससीआर **712** पैरा **95** को संदर्भित करता है **[1956]** एससीआर **199** पैरा **95** को संदर्भित करता है **[2017] 6** एससीआर **946** पैरा **111 (2011)** को संदर्भित करता है **8** एससीसी

1 पैरा**129** को संदर्भित करता है **[2011]**

8 एससीआर **725** पैरा **138** को संदर्भित करता है

415 ए और

बी एफ

सी जी

डी एच

[1979] 3 एससीआर **532** पैरा **143** को संदर्भित करता हैए

[1994] 4 पूरक। एससीआर **386** पैरा **143** को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4634।

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.04.2014 से

बी

2012 के आपराधिक आवेदन संख्या 1132 में बॉम्बे में न्यायपालिका

के साथ

एसएलपी (सी) एनओएस। 2011 के 28394, 28922, 29273, एसएलपी (सीआरएल) डायरी नं. 2015 के 41063, एसएलपी (सीआरएल) एनओएस। 9987, 10018, 10019 OF 2015, सी

एसएलपी (सीआरएल) नहीं. 993 OF 2016, टी.पी. (सीआरएल.) एनओएस. 150, 151-157 ऑफ 2016, डब्ल्यूपी(सीआरएल.) संख्या। 2016 का 152, एसएलपी (सीआरएल) संख्या। 2019 का 11839, एसएलपी (सीआरएल) एनओएस। 2890, 5487 ऑफ 2017, सीआरएल। अपील संख्या

1269, 2017 का 1270, 2017 का 1271-1272, डब्ल्यूपी(सीआरएल.) संख्या। 2017 का 202, एसएलपी (सीआरएल) डायरी नंबर। 9360, 9365, 17000, 17462, 20250, 22529 ऑफ 2018, एसएलपी (सीआरएल) एनओएस। 1534, 1701-1703, 1705, 2971, 4078, 5444, 6922, डी

7408, 8156, 11049 ऑफ 2018, सीआरएल। अपील संख्या 223, 391-392, 793- 794, 1114, 1115, 1210 OF 2018, WP (CRL.) NOS। 2018 का 26, 33, 75, 117, 173, 175, 184, 226, 251, 309, 333, 336, स्थानांतरित मामला (आपराधिक) संख्या। 2018 के 3, 4, 5, स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या। 2018 के 1583, एसएलपी (सीआरएल) एनओएस। 244, 3647, 4322-4324, 4546, ई

5153, 5350, 6834, 8111, 8174, 9541, 9652, 10627 ऑफ 2019, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) एनओएस. 9 , 16, 49, 118, 119, 122, 127, 139, 147, 173, 205, 212, 217, 239, 244, 253, 261, 263, 266, 267, 272, 273, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 298, 299, 300, 303, 305, 306, 308, 309, 313, 326, 346, 365, 367 OF 2019, एसएलपी (सीआरएल) एनओएस। 647, 260, 618, 1732, 2023, 2814, 3366, 3474, 5536, 6128, 6172, 6303, 6456, 6660 ऑफ 2020, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) एनओएस. 5, 9, 28, 35, 36, 39, 49, 52, एफ

60, 61, 89, 90, 91, 93, 124, 137, 140, 142, 145, 169, 184, 221, 223, 228, 239, 240, 259, 267, 285, 286, 311, 329, 366, 2020 का 380, 385, 387, 404, 410, 411, 429, डब्ल्यू.पी. (सी) नहीं. 2020 का 1401, एसएलपी (सीआरएल) डायरी नं. 8626, 31616, 11605 ऑफ 2021, एसएलपी (सीआरएल.) एनओएस। 609, 734, 1031, 1072, 1073, 1107, 1355, 1440, 1403, 1586, 1855, 1920, 2050-2054, 2237, 2250, जी

2435, 2818, 3228, 3274, 3439, 3514, 3629, 3769, 3813, 3921, 4024, 4834, 5156, 5174, 5252, 5457, 5652, 5696-5697, 6189, 6338 , 6847, 7021-7023, 8429 ओ.एफ 2021, एसएलपी(सी) एनओएस। 8764-8767, 20310 ऑफ 2021, ट्रांसफर पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 435 ऑफ 2021, डब्ल्यूपी (सी) नंबर 56 ऑफ 2021, डब्ल्यूपी (क्रिमिनल) नंबर। 4, 6, 11, 18, 19, 21, 27, 33, 40, 47, 66, 69, 144, 179, 199, 207, 239, 263, 268, 282, 301, 323, 359, 370, 303, 305, 453, 454, एच

2021 के 475, 520, 532।

ए

तुषार मेहता, एसजी, सूर्यप्रकाश वी. राजू, अमन लेखी, के एम नटराज, एस.वी. राजू, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जयन्त क्र. सूद, विक्रमजीत बनर्जी, एस. वी. राजू, संजय जैन, एएसजी, बी.के. सतीजा, समर विजय सिंह, सुश्री रुचि कोहली, विशाल महाजन, एएजी, कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा, मुकुल रोहतगी, विवेक रेड्डी, विक्रम चौधरी, सूर्यनारायण सिंह, ए. मारियारपुथम, मनिंदर सिंह, एस.बी.

उपाध्याय,

बी

एस. निरंजन रेड्डी, सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रमोद के. दुबे, जगमोहन बंसल, अमित के. देसाई, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, आबाद पोंडा, महेश जेठमलानी, विकास सिंह, एन. हरिहरन, सीनियर अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, अंशुमान श्रीवास्तव, प्रासुक जविन, सुश्री राबिया ठाकुर, निशांत राव, ई.सी. अग्रवाल, अर्शदीप सिंह खुराना, प्रतीक चड्ढा, आदित एस. पुजारी,

सी

अमित भंडारी, अक्षत गुप्ता, सुश्री माधवी अग्रवाल, सुश्री अंबिका माथुर, श्रीधर काले, राघव तन्खा, हर्ष मित्तल, श्रीमती। शैली भसीन, बालाजी सुब्रमण्यन, सुश्री इशानी बनर्जी, एससीवी विमल पानी, सुश्री एल महेश्वरी, ए. लक्ष्मीनारायणन, तरूण दुआ, अनंत गर्ग, आसिफ अहमद, आदित्य राजू, सुहान मुखर्जी, श्री सिंह, आदित्य दीवान, विशाल प्रसाद, डी

Ms.Chitralekha Das, Nikhil Parikshith, Dewang Singh Chauhan, Abhishek Manchanda, Chirag Madan, Ms.Shubhangini Jain, Sayandeep Pahari, Ms.Padma Venkataraman, M/S. Plr Chambers And Co., Pratik Reddy, Victor Das, Ms.Anwesha Padhi, Mohit Rai, Atul Agarwal, Sourabh Kumar Mishra, Kumar Dushyant Singh, Keshavam Chaudhari, Amit K. E

Nain, Harshit Sethi, Rishi Sehgal, Ms.Ria Khanna, Devanshu Yadav, Kapil Dahiya, Raktim Gogoi, Varun Shekhar, Kartikeya Singh, Samarth Shandilya, Gautam Awasthi, Ms.Anzu K. Varkey, Nikhil Jain, Hemant Shah, Sangram S. Saron, Vinod Kumar Jain, Satya Prakash, Ms. Pragati Neekhra, Avadh Bihari Kaushik, Anand Dilip Dagga, Rajat Nair, Sairica F

राजू, सुश्री शरदा देशमुख, नीला केदार गोखले, ऋत्विज ऋषभ, शरथ नांबियार, ए के शर्मा, सुश्री निशा बागची, बीनू टम्टा, अरविंद कुमार शर्मा, के.एम. नटराज, सुश्री जोहेब हुसैन, सुश्री सायरिका राजू, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री नीला केदार गोखले, शरथ नांबियार, मुकेश कुमार मरोरिया, राज बहादुर यादव, अंशुमान सिंह, अंकित भाटिया, अर्पित गोयल, ओम प्रकाश शुक्ला, संजय कुमार त्यागी , कनु

जी

अग्रवाल, ज़ोहेब हुसैन, कु. आस्था मेहता, सुश्री दीपान्विता प्रियंका, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुघोष सुब्रमण्यम, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. वी. बलराम दास, जी.एस. मक्कर, अवनीश अर्पुथम, एम/एस। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, सैयद अब्दुल हसीब, अदित खुराना, मयंक पांडे, दीपबली दत्ता, राजन क्र. चौरसिया, सुश्री दीपबली एच

ए

Duttai, M.K. Maroria, B. Vinodh Kanna, Vansaja Shukla, Gurmeet Singh Makker, Ms.Monika Gusain, Varun Shankar, Lakshman RS, Atharva Koppal, Divyanshu Jain, Arnav Narain, Pawan R. Upadhyay, Mrs. Sharmila Upadhyay, Ms.Anisha Upadhyay, Sarvjit Pratap Singh, Gaurav Prakash Pathak, Nishant Kumar, Raghenth Basant, Yogesh Raavi, Anirudh Reddy, Ms. Liz Mathew, Shishir Mathur, Shohit Chaudhry,

बी

मुकुल सिंह, डी.एल. चिदनानद, अमित शर्मा, सुश्री रुखिमनी बोबडे, ए.के. शर्मा, विवेक जैन, सुश्री सुचित्रा कुंभट, पृथ्वीश एमके, गुरप्रीत एस. परवांडा, निशांत पाटिल, सुश्री मालविका काला, आदर्श अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अमन गर्ग, मोहिंदर सिंह, सुरेश झुंथरा, राजन नारायण, सुश्री दीपाबली दत्ता , एस हरि हरन, सुश्री सायरिका एस राजू, नवीन

सी

मल्होत्रा, एस. महेश सहस्रनाम, गोपालकृष्ण शेनॉय, सुश्री प्राप्ति अल्लाघ, प्रतीक के चड्ढा, सुश्री आयुषी राजपूत, सुश्री राधिका धनोतिया, यश एस. विजय, शफी माथेर, परमात्मा सिंह, मयंक जैन, मधुर जैन, सुश्री। नेहा शर्मा, सुश्री बीनू टम्टा, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, नीरज कुमार शर्मा, सुभाष जाधव, चंदन सिंह शेखावत, प्रणव डी

सारथी, सुश्री नटब्रता भट्टाचार्य, सुश्री। अवंतिका मनोहर, सुश्री नताशा विनायक, सुश्री। जयकृति एस.जडेजा, राजीव शंकर द्विवेदी, ऋषभ जैन, सुशांत क्र. सरकार, सुश्री आरती द्विवेदी, सौरभ मिश्रा, सुनील फर्नांडीस, स्वरूप आनंद, सुश्री नूपुर कुमार, प्रस्तुत दलवी, नागेंद्र आर. नाइक, पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सुश्री भावना दुहून, सुश्री। क्रिस्टी जैन, ई

हितेश जैन, सुश्री गुंजन मंगला, चदन सिंह शेखावत, निखिल आहूजा, तवनजी शुक्ला, सुश्री. मालविका कपिला, कु. अंजलि झा, सुश्री अंजलि झा मनीष, प्रियदर्शी मनीष, सुश्री दिव्यांशी सिंह, शिवम शर्मा, राज किशोर चौधरी, वरुण राघवन, शकील अहमद, सुश्री मालविका राघवन, सतीश पांडे, सलीम अंसारी, राजेश पांडे, अकबर अली, विकास एफ

गुप्ता, एस.के. वर्मा, नरेन्द्र हुडा, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुडा, कु. प्रीती सिंह, श्रीमती मालबिका सरकार, देवांशु यादव, डॉ. जी.के. सरकार, प्रशांत श्रीवातव, आयुष चौधरी, समीर पांडे, उमर अहमद, मलक मनीष भट्ट, कु. नेहा नागपाल, आदित्य गुप्ता, जसपाल सिंह, विजय अग्रवाल, मुदित जैन, युगांत शर्मा, कु. आस्था शर्मा, कु. मंतिका हरयानी, अजीत शर्मा, पृथ्वीस एमके, निशांत पाटिल,

जी

Ms. Shubhika Saluja, Vivek Jain, Zulfiquar Memom, Mrinal Bharti, Parvez Memom, Chirag Naik, Ms.Vaijayanti Sharma, Nirvikar Singh, Manish Shekhari, Palash Bhatkoti, Nitin Sharma, Karan Bharihoke, Kunal Verma, E. M. S. Anam, Vishnu Shanker, Ms. Ranjana Roy Gawai, Ms. Vasudha Sen, Ujjawal Jain, Ms.

ए

Irshad Ahmad, Shailesh Madiyal, Sudhanshu Prakash, Vaibhav Sabhrawal, Ms.Rakhi M., Ms.Neha Jain, Sruthi Iyer, Neha Jain, Ms.Kanishka Prasad, Abbula kalam, Ibad Mushtaq, Ms.Akanksha Rai, Pawan Upadhyay, S. S. Sastry, Rajender Vats, Vipul Srivastav, M/S. Unuc Legal Llp, M/S. Ap & J Chambers, Bharadwaj S., Ranjit Kumar Sharma, Mrs. Priya Puri, Arshdeep, Sharad Puri, Ranjay Dubey, Yati Sharma,

बी

G.Sivabalamurugan, Aljo K. Joseph, Ranjan Kumar, Mrs. Shelna K., Nikilesh Ramachandran, Manish Pratap Singh, Ms. Mahima Bhardwaj, Vivek Narayan Sharma, Tushar Kumar, Rajeev Kumar Jha, Pranshu Kaushal, Shubham Awasthi, Ajay Singh, Braj K. Mishara, Vijay Kumar, Arun Raghavender, Ms.Bharti Tyagi, Shantanu M. Adkar,

सी

R. Lakshmishankar, S. Udaya Kumar Sagar, Ms.Bina Madhavan, Sanjay Indukuri, R. Narayan Kumar, Ms.Akansha Mehra, M/S. Lawyer's S Knit & Co., Akshay Nagarajan, Rishi Malhotra, Ms.Sonia Dube, Shatadru Chakraborty, Ms.Kanchan Yadav, Surbhi Anand, M/S. Legal Options, Tanveer Ahmed Mir, Arjun Singh Bhati, Dhruv Gupta, Vaibhav Suri, D Prabhav Ralli, Ms.Urja Pandey, Amit Gupta, Akhilesh Dubey, Dharmesh Joshi, Uttam Dubey, Hari Sankar Mahaptra, Bhavini Sribastava, M/S. Mitter & Mitter Co., Gursharan S. Virk, Nakul Mohta, Ms. Misha Rohatgi, Devansh Shrivastava, Johnson Subba, Deepak Prakash, Abhishek A. Rastogi, Pratushpava Saha, Mahir Chablani, Rohit Ghosh, E

सुश्री कनिका शर्मा, मैसर्स। खेतान एंड कंपनी, एम. टी. जॉर्ज, सुश्री सूसी, जॉन्स जॉर्ज, सुश्री। राशि बंसल, शेखर जी देवासा, मनीष तिवारी, शशि भूषण नागर, रमेश जाधव, एम/एस। देवासा एंड कंपनी, नमित सक्सेना, अवनीश मैथानी, सुश्री आरुषि धवन, एम.के. सुब्रमण्यम, विनोद कन्ना बी., रितेश पाटिल, शमिक शिरीषभाई संजनवाला, सुश्री दीक्षा राय, एफ.

अंकित अग्रवाल, प्रतीक भारद्वाज, महफूज अहसान नाजकी, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजया भास्कर रेड्डी, के.वी. गिरीश चौधरी, कु. राजेश्वरी मुखर्जी, देवेन्द्र कुमार सिंह, करुणाकर महालिक, श्रीमती। अनिल कटियार, सैयद अहमद सऊद, दानिश अहमद सैयद, मो.

परवेज़ डबास, उज़्मी जमील हुसैन, आकिब बेग, मो. शाहिब, सुनील सरोगी, एम/एस. शकील अहमद सैयद, डॉ. सुजय

जी

कांतावाला, अजमत हयात अमानुल्लाह, निशांत अवाना, सागर चौहान, सुश्री नित्या शर्मा, देवांश मल्होत्रा, सुजीत साहू, आदित्य तलपड़े, दिव्येश प्रताप सिंह, सुश्री सृष्टि सिंह, गौतम तालुकदार, ए.पी. सिंह, श्रेयांश राठी, एम/एस. एम. वी. किनी एंड एसोसिएट्स, सर्वेश सिंह बघेल, मुख्तार आलम, सुश्री नताशा, बी. कृष्णा प्रसाद, बालाजी श्रीनिवासन, एम बी एच

ए

आर एस राजू, श्रीमती लक्ष्मी राव, प्रतीक यादव, मोहम्मद शाहरुख, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री गरिमा जैन, सुश्री आकृति प्रिया, सुहैल अहमद, वी.श्यामोहन, सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, ओ. पी. गग्गर, अशोक कुमार ठाकुर, इमरान खान, अनिल के. चोपड़ा, श्रीयश यू. ललित, महेश कुमार, विशाल शर्मा, सुश्री देविका खन्ना, श्रीमती। वी. डी. खन्ना, अनिरुद्ध पी.

बी

मायी, चिराग एम. श्रॉफ, अमनदीप मेहता, गौरव मल्होत्रा, समीर अली खान, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शैपल, वी. एन. रघुपति, निशे राजेन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, आकाश काकड़े, सोमनाथ पधान, श्वेताब कुमार, सुखदा काकड़े, डॉ. मोनिका गुसाईं, दिनेश कुमार सभरवाल, समीर

सी

भटनागर, सैयद मेहदी इमाम, वी. वासुदेवन, अश्वथी एम.के., बिरज कांत मिश्रा, हितेश कुमार शर्मा, एस.के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, सुश्री मनीषा कोंगोवी, आर. सुधींद्र, सुश्री प्रेरणा अमिताभ, शिवभूषण हट्टी, शशांक दीक्षित, आर गोपालकृष्ण, वी. वासुदेव, अवस्थी एम.के., गौतम खजांची, अंशुमन सिन्हा, विजय पांडे, डी.

सुश्री जयकृति एस.जडेजा, सुश्री प्रज्ञा शर्मा, विनय प्रकाश, अमित, मनीष सक्सैना, विपीन कुमार सक्सैना, सुश्री काजल रानी, कु. नताशा डालमिया, आनंद वर्मा, मयंक जैन, मधुर जैन, ए. सेल्विन राजा, ध्रुव गुप्ता, प्रभाव रैली, सुश्री कार्तिका शर्मा, श्रेयांश अग्रवाल, सुश्री रूह-ए हिना दुआ, राजीव भल्ला, राजीव मल्होत्रा, यजुर भल्ला, दीपक समोटा , इ

सुमीर आहूजा, शुभम भल्ला, वी. पुरूषोत्तम रेड्डी, सुश्री मिशा रोहतगी मोहता, जॉनसन सुब्बा, सोमनाथ पधान, स्वेताब कुमार, ऋषभ जैन, ज्योति कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, सचिन जॉली, अक्षय आनंद, सुश्री मनीषा कोंगोवी, आर सुधींद्र, सुश्री प्रेरणा अमिताभ, शिवभूषण हट्टी, आर गोपालकृष्णन, विशाल गोसाईं, नागरकट्टी कार्तिक एफ

Uday, Ms.Deepika Kalia, Ms.Adya Rajkotia Luthra, Sandeep Sharma, Sunny Choudhary, E. C. Agrawala, Raj Kamal, Abhimanyu Bhandari, Ms.Kartika Sharma, Arav Pandit, Shreyansh Agrawal, Ms.Roohe Hina Dua, Wills Mathews, Mathen Joseph, Devendra Kumar Tiwari, Paul John Edison, Rakesh Garg, Ashish Gopal Garg, Ms.Shweta Garg, Navanjay Mahapatra, S.A. Haseeb, Adit Khorana, Ankur Chawla,

जी

V.K.Biju, Ms.Ria Sachthey, Chetanya Singh, Amlendu Kumar Akhilesh Kumar Jha, Abhay Pratap Singh, Shaji George, Ms.Vijay Laxmi, T. G. Narayanan Nair, Ms. Shweta Garg, G. Prakash, D.Kumanan, Narender Kumar Verma, Pranav Sachdeva, K. Paari Vendhan, Ms. Uma Devi. M, Advs. for the appearing parties.

एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए. एम. खानविलकर, जे.एस.

विषयसूची

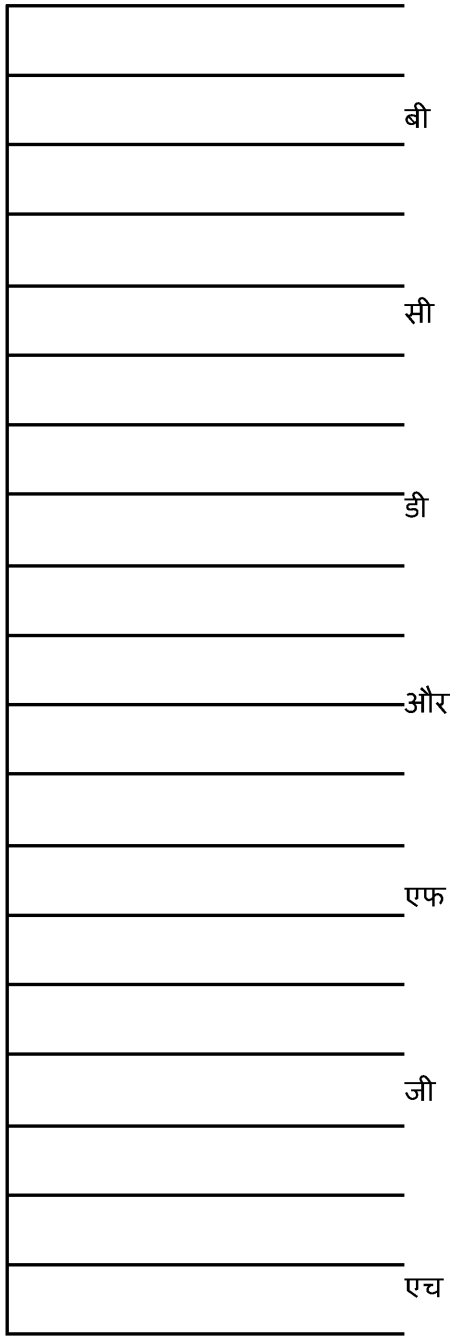

421 ए

प्रस्तावना

ए

1. याचिका(ओं)/अपील(ओं)/मामलों के वर्तमान बैच में, हमें धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कुछ प्रावधानों की वैधता और व्याख्या से संबंधित दलीलों से निपटने के लिए कहा गया है।[1] और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया[2] पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच/पूछताछ करते समय, इसका उल्लंघन किया जा रहा है

बी

संवैधानिक आदेश.

(ए)प्रारंभ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय के निर्णय के बादनिकेश ताराचंद शाह बनाम. भारत संघ एवं अन्य.[3],संसद ने 2018 के अधिनियम 13 के माध्यम से 2002 अधिनियम की धारा 45 में संशोधन किया, ताकि उक्त निर्णय में उल्लिखित दोष को दूर किया जा सके और इसे पुनर्जीवित किया जा सके।

सी

2002 अधिनियम के तहत अपराधों पर धारा 45 में निर्दिष्ट जुड़वां शर्तों का प्रभाव। इस संशोधन को रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई। कुछ मामलों में जहां जमानत की राहत की प्रार्थना की गई थी, 2002 अधिनियम की संशोधित धारा 45 की प्रभावकारिता को प्रश्न में रखा गया था और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा जवाब दिया गया था। डी

उन निर्णयों पर इस न्यायालय के समक्ष आलोचना की गई है और वही इस मामले का हिस्सा बन रहा है। साथ ही, 2002 अधिनियम के कई अन्य प्रावधानों को चुनौती देने के लिए अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई हैं और उन सभी मामलों को एक साथ टैग किया गया है और सुना गया है क्योंकि पार्टियों द्वारा ओवरलैपिंग मुद्दे उठाए गए हैं।

और

(बी)हमारे पास कई अन्य सिविल और आपराधिक रिट याचिकाएं, अपीलें, विशेष अनुमति याचिकाएं, स्थानांतरित याचिकाएं और स्थानांतरित मामले हैं, जो संवैधानिक वैधता और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 सहित अन्य कानूनों के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कानून के समान प्रश्न उठाते हैं।[4], केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017[5], कंपनी अधिनियम, 2013[6], भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988[7], द

एफ

भारतीय दंड संहिता, 1860[8] और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[9] जो चुनौती के अधीन भी हैं। हालाँकि, हम खुद को केवल पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने तक ही सीमित रख रहे हैं।

[1]संक्षेप में, "पीएमएलए" या "2002 अधिनियम"
[2]संक्षेप में, "ईडी"
जी
[3](2018) 11 एससीसी 1
[4]संक्षेप में, "1962 अधिनियम" या "सीमा शुल्क अधिनियम"
[5]संक्षेप में, "सीजीएसटी अधिनियम"
[6]संक्षेप में, "कंपनी अधिनियम"
[7]संक्षेप में, "पीसी अधिनियम"
[8]संक्षेप में, "आईपीसी"
[9]संक्षेप में, "सी.आर.पी.सी. या "1973 कोड"
एच

(सी)जैसा कि ऊपर बताया गया है, संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के अलावा
ए
और पीएमएलए के तहत प्रावधानों की व्याख्या, देश भर में उच्च न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों के विभिन्न आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसके तहत जमानत/रद्द करने/मुक्ति देने की प्रार्थना खारिज कर दी गई, साथ ही, अन्य मुद्दों से संबंधित विशेष अनुमति याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। संवैधानिक वैधता और व्याख्या की तुलना में। भारत संघ ने बी
अपील/विशेष अनुमति याचिकाएँ भी दायर कीं; और भारत के संविधान के अनुच्छेद 139ए(1) के तहत कुछ स्थानांतरण याचिकाएँ दायर की गई हैं।

(डी)प्रत्येक मामले में तथ्यों और मुद्दों से निपटने के बजाय, हम खुद को पार्टियों द्वारा उठाए गए कानून के सवाल, पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधानों की चुनौती की जांच करने तक ही सीमित रखेंगे। सी

<u>निजी पार्टियों की प्रस्तुतियाँ</u>

2. संबंधित मामले में निजी पक्षों/याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में ईडी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया[10] अपारदर्शी, मनमाना और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है
डी
एक आरोपी. यह प्रस्तुत किया गया था कि पीएमएलए के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कठोर है क्योंकि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों और भारत के संविधान के भाग III, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 20 और 21 में निहित अधिकारों का उल्लंघन करती है।

(मैं)सवाल उठाया गया कि क्या कोई प्रक्रिया हो सकती है
और

कानून में, जहां किसी व्यक्ति को आरोपों की जानकारी दिए बिना उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है? यह तर्क दिया गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, ईडी किसी व्यक्ति को उसकी सामग्री की जानकारी दिए बिना ईसीआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, जो कि है*per se* किसी अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों का मनमाना और उल्लंघन। एक एफ का अधिकार

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने हेतु अभियुक्त[10:00 पूर्वाह्न] प्रारंभिक चरण में और अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित भाग के रूप में आरोपों को जानने का अधिकार भी। का संदर्भ दिया गया थायूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य।[11]इस दलील के समर्थन में. इसके अलावा, कानून के अनुसार, अपराधों की जांच करने वाली एजेंसियों को आरोपी को जब्त किए गए सभी दस्तावेजों और सामग्रियों की एक सूची प्रदान करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुसंगत हो सके।

जी

[10]संक्षेप में, "ईसीआईआर"

[10:00 पूर्वाह्न] संक्षेप में, "एफआईआर"

[11](2016) 9 एससीसी 473 (पैरा 11.1); औरन्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम राज्य पर, 2010 एससीसी ऑनलाइन डेल 4309 (पैरा 39 और 54)

एच

पारदर्शिता और खुलेपन के सिद्धांत[12]. यह भी प्रस्तुत किया गया

ए

सीआरपीसी के तहत, किसी अधिकारी द्वारा धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रत्येक एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है। हालाँकि, ईसीआईआर मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 157 का उल्लंघन। यह भी आरोप लगाया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि इससे बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है

कानून (सी.आर.पी.सी.) और निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। यह जोरदार तर्क दिया गया कि कुछ मामलों में ईसीआईआर स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य में ऐसा नहीं किया जाता है, जो पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

(ii)यह तर्क दिया गया कि पीएमएलए की धारा 3 की परिभाषा के अनुसार, सी

यदि आरोपी किसी प्रक्रिया या गतिविधि के माध्यम से अपराध की आय से जुड़ा है और उसने ऐसी आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया है या दावा किया है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग कर सकता है। इसके आलोक में, यह सुझाव दिया गया कि जांच अपराध की ऐसी कथित

आय पर कुछ प्रकाश डाल सकती है, जिसके लिए, पहले तथ्य एकत्र किए जाने चाहिए और एक निश्चित निर्धारण होना चाहिए कि क्या ऐसा

डी

अपराध की आय वास्तव में अनुसूचित अपराध से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार, कम से कम एक तो होना ही चाहिएप्रथम दृष्टयायह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएलए की सीमा पूरी हो गई है और यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है। इसलिए, सीआर.पी.सी. की आवश्यकताओं के पालन के अभाव में। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया,

ई

इनका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है[13].

(iii)एक विषम स्थिति पैदा हो जाती है जहां ऐसे ईसीआईआर के आधार पर, ईडी आरोपी व्यक्तियों को बुला सकता है और वित्तीय लेनदेन का विवरण मांग सकता है। आरोपी को पीएमएलए की धारा 50 के तहत ऐसे बयान देने के लिए बुलाया जाता है जिन्हें साक्ष्य में स्वीकार्य माना जाता है। एफ

पूरी प्रक्रिया के दौरान, अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोपों से अनभिज्ञ हो सकता है। स्पष्ट है कि सी.आर.पी.सी. धारा 41ए के तहत अभियुक्तों को और धारा 160 के तहत गवाहों को बुलाने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। पीएमएलए के तहत समान अंतर अनुपस्थित है। इसके अलावा, सीआर.पी.सी. का अध्याय XII। ईडी द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार, जांच के कोई शासकीय सिद्धांत नहीं हैं, कोई कानूनी मानदंड नहीं हैं

जी

[12]अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देश, पुनः,बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य,(2021) 10 एससीसी 598 (पैरा 11); यह भी देखें:नित्या धर्मानंद एवं अन्य। बनाम गोपाल शीलम रेड्डी एवं अन्य।, (2018) 2 SCC 93 (Para 8).

[13]ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य., (2014) 2 SCC 1 (Para 120.1)

एच

और मार्गदर्शक सिद्धांत जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। ऐसे में,

ए

ईडी द्वारा जांच शुरू करना, जो संभावित रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से ग्रस्त होगा।[14].

(iv)श्री सिब्बल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत "मनी लॉन्ड्रिंग" की परिभाषा का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी को

बी

स्वयं को संतुष्ट करें कि अपराध की आय को ईसीआईआर के पंजीकरण या पीएमएलए के आवेदन के लिए बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया गया है। यह

जोरदार तर्क दिया गया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अपराध की आय को अनिवार्य रूप से 'बेदाग संपत्ति' के रूप में 'प्रक्षेपित या दावा' किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि धारा 3 सी लागू होती है केवल अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए, ऐसी आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया जा रहा है या दावा किया जा रहा है। यह कहा गया है कि वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के तहत किए गए संशोधन के माध्यम से लाए गए स्पष्टीकरण द्वारा 'और' प्रोजेक्ट करने या दावा करने की प्रासंगिक स्थिति को खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे 'या' के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। .यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा अधिनियम असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि यह विस्तार करेगा

डी

एक स्पष्टीकरण जोड़कर एक प्रमुख अनुभाग का दायरा।

(में)यह भी कहा गया है कि सामान्य प्रथा यह है कि ईडी किसी अपराध की एफआईआर दर्ज होने पर तुरंत ईसीआईआर दर्ज करता है। कार्रवाई का कारण विधेय अपराध से पूरी तरह से अलग होने के कारण, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां कोई अंतर नहीं है

और

विधेय अपराध और मनी-लॉन्ड्रिंग के बीच। उक्त तर्क के समर्थन में, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 पर भरोसा रखा गया था[15], जहां "संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण", "संपत्ति की अवैध उत्पत्ति को छिपाने या छिपाने या ऐसे एफ के कमीशन में शामिल किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से" जैसे शब्द हैं।

अपराध या उसके कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने के लिए अपराध", का उपयोग किया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि जिसे अपराध घोषित करने की मांग की गई थी, वह केवल अपराध की आय का अधिग्रहण और उपयोग नहीं था, बल्कि यह किसी के कानूनी परिणामों से बचने के लिए संपत्ति की अवैध उत्पत्ति को छिपाने या छिपाने के उद्देश्य से रूपांतरण या हस्तांतरण था। कार्रवाई. पीएमएलए की प्रस्तावना का भी संदर्भ दिया गया

जी

[14]ई.पी. रोयप्पा बनाम. तमिलनाडु राज्य और अन्य।, (1974) 4 एससीसी 3; यह भी देखें:एस.जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य, (1967) 2 एससीआर 703 औरनिकेश ताराचंद शाह,(उपरोक्त फुटनोट संख्या 3 पर) (पैरा 21-23)।

[15]संयुक्त राष्ट्र ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया और हस्ताक्षर किया (इसके बाद इसे "वियना कन्वेंशन" कहा जाएगा)एच "1988 कन्वेंशन" या "यूएन ड्रग्स कन्वेंशन", जैसा भी मामला हो)

यह पैसे की समस्या से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को संदर्भित करता है

ए

लॉन्ड्रिंग. विद्वान वकील ने धन-शोधन निवारण विधेयक, 1999 के

अनुसार "मनी लॉन्ड्रिंग" की परिभाषा का उल्लेख किया है[16] यह दिखाने के लिए कि कैसे राज्य सभा की चयन समिति के संदर्भ में, कुछ टिप्पणियाँ की गईं और इसलिए, संशोधन प्रभावी हुआ, जिसमें शब्द "और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना" बी

परिभाषा में जोड़ा गया जिसे अंततः पीएमएलए के रूप में पारित किया गया। हमने यहां नीचे उचित स्थान पर प्रासंगिक अनुभागों/प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत किया है। के फैसले पर भी भरोसा जताया गया हैनिकेश ताराचंद शाह[17].

(हम)सीआरपीसी की धारा 173 द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा उपाय सी है

तर्क दिया गया, 2002 के मूल अधिनियम (पीएमएलए) में मौजूद था। माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न संशोधनों द्वारा इसे कम कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2009 में संशोधनों के माध्यम से, धारा 5 और 17 में प्रावधान जोड़ा गया है, जिसने कुछ सुरक्षा उपायों को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि 2019 में किए गए संशोधन में धारा 17(1) के तहत सुरक्षा को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

डी

इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि एक घातीय अपराध के संबंध में आरोप पत्र दाखिल करना पीएमएलए की धारा 19 में निहित था, क्योंकि एक आवश्यकता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता हैबिनाएक जांच, यह विश्वास करने के कारणों को दर्ज करने के लिए कि 'कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है'। ई के संबंध में

धारा 50 में, यह आग्रह किया गया है कि यद्यपि अधिनियम में कोई सीमा उल्लिखित नहीं है, फिर भी संबंधित व्यक्तियों को ईसीआईआर के पंजीकरण के बाद ही बुलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि बिना पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने का कोई भी प्रयास किया जाएप्रथम दृष्टयारिकॉर्डिंग स्वयं अधिनियम के साथ असंगत होगी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी।

एफ

(vii)यह आग्रह किया जाता है कि व्युत्पन्न अधिनियम मूल से अधिक कठिन नहीं हो सकता। यह सुझाव दिया गया है कि अपराध की आय और विधेय अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, अपराध की आय उत्पन्न करने की सज़ा अंतर्निहित विधेय अपराध के लिए सज़ा से असंगत नहीं हो सकती। यही सादृश्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर भी लागू होना चाहिए, जैसे कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई सुरक्षा पर

जी

सीआरपीसी की धारा 41ए, जो अन्यथा अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा।

[16]संक्षेप में, "1999 बिल"

[17]सुप्रा और फ़ुटनोट नंबर 3 (पैरा 11)

एच

(viii)विद्वान वकील ने भी इस पहलू को चुनौती दी है

ए

अनुसूची का अत्यधिक व्यापक होना और पीएमएलए तथा विधेय अपराधों के साथ असंगत होना। यह तर्क दिया गया है कि 1999 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी, यह कहा गया है कि यह अधिनियम नशीले पदार्थों के व्यापार और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से होने वाली लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाया गया था। विभिन्न सम्मेलनों का भी संदर्भ दिया गया है जो बी पीएमएलए के पीछे न्यायशास्त्र का हिस्सा हैं[18]. इसे चोरी जैसे कम जघन्य अपराधों के लिए आज के आवेदन के विपरीत, संगठित अपराध के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए के तहत अपराधों को इतने व्यापक रूप से कवर करने का कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से कम गंभीर और जघन्य हैं और ऐसे अपराधों को अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

सी

इसका पीएमएलए के उद्देश्यों और कारणों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है और यह अनुचित, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

(ix)यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए एक स्टैंडअलोन क़ानून नहीं हो सकता है। इस दावे को मजबूत करने के लिए दिए गए भाषणों पर भरोसा किया गया है

डी

संसद में मंत्रियों द्वारा. पर और भी भरोसा किया गया हैके.पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम एवं अन्य।[19],भारत संघ एवं अन्य. बनाम मार्टिन लॉटरी एजेंसीज़ लिमिटेड[20] औरपी.चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय[21].

(एक्स**)**अभी जो प्रावधान हैं, उन पर भी हमारा ध्यान गया है

और

क़ानून में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2013 के संशोधन से पहले, पीएमएलए की धारा 8(5) निम्नलिखित प्रभाव वाली थी: -

"**8.** न्यायनिर्णयन**-**

....

एफ

(5)जहां किसी अनुसूचित अपराध के मुकदमे के समापन पर,

संबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है,का लगाव

[18]नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 (संक्षेप में, "वियना कन्वेंशन"); सिद्धांतों का बेसल कथन,जी 1989; मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990; 23.02.1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम; और विश्व नशीली दवाओं की समस्या का एक साथ मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया - 8 से 10 जून 1998।

[19](1981) 4 SCC 173 (Para 8)

[20](2009) 12 SCC 209 (Para 38)

[21](2019) 9 SCC 24 (Para 25)

एच

संपत्ति या जब्त की गई संपत्ति का प्रतिधारण या उप के तहत रिकॉर्ड

ए

धारा (3) और शुद्ध आय, यदि कोई हो, का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।"

हालाँकि, 2013 में संशोधन के माध्यम से, 'किसी अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा' शब्द को 'इस अधिनियम के तहत अपराध का मुकदमा' शब्दों से बदल दिया गया था। यह आग्रह किया जाता है कि संपत्ति को अपराध की आय के रूप में योग्य बनाने के लिए, इसे किसी तरह से संबंधित गतिविधि से जोड़ा जाना चाहिए

बी

अनुसूचित अपराध. इसका मतलब यह है कि यदि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की जा सकती है; इस प्रकार, यह एक अकाट्य निष्कर्ष है कि अनुसूचित अपराध अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

(xi)आगे यह तर्क दिया गया है कि इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है

सी

वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से पीएमएलए की धारा 44(1)(डी), जो बताती है कि पीएमएलए के तहत एक मुकदमा अनुसूचित अपराध के मुकदमे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्पष्टीकरण की शरारतपूर्ण व्याख्या की जा रही है जबकि इसे स्पष्ट और सरलता से पढ़ा जाना चाहिए। कहा गया है कि स्पष्टीकरण केवल स्पेशल डी से संबंधित है

न्यायालय और अनुसूचित अपराध का मुकदमा नहीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक विशेष अदालत कभी भी पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकाले बिना दोषी नहीं ठहरा सकती कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है।

(बारह**)**यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआर.पी.सी. का आवेदन। यह

आवश्यक है क्योंकि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और इसमें कोई ई नहीं हो सकता

सीआरपीसी की धारा 154 या 155 के दायरे से बाहर जांच। तर्कसंगतता और निष्पक्षता के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का संदर्भ दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम स्वयं, धारा 65 के तहत, सीआर.पी.सी. की प्रयोज्यता का प्रावधान करता है।[22] यह बताया गया है कि प्रक्रियात्मक प्रकृति के कई सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कुछ - एफआईआर का पंजीकरण न होना, केस डायरी की कमी, ईसीआईआर तक सीमित पहुंच,

एफ

सीआरपीसी की धारा 161 का उल्लंघन, सीआरपीसी की धारा 41ए, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति का अभाव। किसी भी व्यक्ति की जांच और मुकदमा चलाने के लिए शक्ति का इस तरह का अनियंत्रित उपयोग संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।

(xiii)विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह है कि

जी

ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसका निर्धारण इस पर निर्भर करता है: (1) विशेष क़ानून का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है और (2) ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति क्या है? पहला

[22]अशोक मुनिलाल जैन एवं अन्य। बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 16 एससीसी 158 (सर्वश्रेष्ठ 3-5)

एच

इस संबंध में तर्क यह है कि यदि इसे हासिल करने के लिए दिखाया जा सकता है

ए

विशेष क़ानून के उद्देश्य - अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निवारक और पता लगाने के कदमों की अनुमति है और बलपूर्वक शक्तियां निहित हैं, तो ऐसा अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है। इसके अलावा, ऐसा अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 के दायरे में आता है।[23]. क़ानून के उद्देश्य को मापने के लिए परीक्षण के समर्थन में, संदर्भ बी दिया गया है से बनापंजाब राज्य बनाम. बरकत राम[24], जिसमें यह माना गया था - 1872 अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के तहत एक सीमा शुल्क अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं है। यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को संकीर्ण अर्थ में नहीं बल्कि व्यापक और लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए। पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 17 और 18 का संदर्भ दिया गया है[25]जिसके तहत विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती

है. इस प्रकार, यह कहा गया है

सी

1861 अधिनियम के तहत नामांकित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि किसी के पास समान शक्तियां हैं, यानी अपराध की रोकथाम और पता लगाने की शक्तियां हैं, तो वह एक पुलिस अधिकारी होगा। फिर, पीएमएलए को 1962 अधिनियम, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 से अलग किया गया है[26], केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944[27] और सीजीएसटी अधिनियम। सुब्बा राव, जे.डी. की असहमतिपूर्ण राय मेंबरकत राम[28] पर भी भरोसा किया जाता है. इसके बाद, यह कहा गया है कि पीएमएलए, एक पूरी तरह से दंडात्मक क़ानून है, किसी को 1999 विधेयक और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखने की ज़रूरत है[29] सिफ़ारिशें.

(xiv)भरोसा भी रखा गयाराजा राम जयसवाल बनाम. राज्यऔर बिहार का[30].आगे कहा गया है कि यहां तक कितोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य[31],के मामले मेंराजा राम जयसवाल[32] पर भरोसा किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब किसी व्यक्ति को जांच की शक्तियां निहित होती हैं, तो उसे पुलिस अधिकारी कहा जाता है, क्योंकि वह अपराध को रोकता है और उसका पता लगाता है। इसके अलावा, जांच के उद्देश्य के लिए पीएमएलए की धारा 50 के तहत शक्तियां जो रही हैं उसके अनुरूप हैं

एफ

[23]संक्षेप में, "1872 अधिनियम" या "साक्ष्य अधिनियम"
[24](1962) 3 एससीआर 338; यह भी देखें:तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 882 (पैरा 88)
[25]संक्षेप में, "1861 अधिनियम"
[26]संक्षेप में, "1878 अधिनियम" या "समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम"

जी

[27]संक्षेप में, "1944 अधिनियम" या "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम"
[28]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 24 पर
[29]संक्षेप में, "एफएटीएफ" - एक अंतर-सरकारी निकाय, जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था है।
[30]एआईआर 1964 एससी 828
[31]2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 882 (पैरा 88) (फुटनोट संख्या 24 पर भी)

एच

[32]सुप्रा फ़ुटनोट संख्या 30 पर

में आयोजिततूफान सिंह[33] और से सीधा संबंध स्थापित करता है

ए

1872 अधिनियम की धारा 25 के तहत निषेध। उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अधिकांश कानून जहां अधिकारियों ने कानून की नजर में 'पुलिस अधिकारियों' की मस्टर को पारित नहीं किया है, उनमें

पीएमएलए की धारा 50 में इस्तेमाल किए गए शब्द "जांच" के विपरीत "जांच" शब्द शामिल है। बी के तहत "जांच" की परिभाषा के बीच एक समानता भी खींची गई है

सीआरपीसी की धारा 2(1)(एनए) और धारा 2(एच) में पीएमएलए। इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि 'चार्जशीट' दाखिल करने की शक्ति का परीक्षण एक पुलिस अधिकारी होने का निर्धारक नहीं है।

(xv)फिर यह आग्रह किया जाता है कि पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) में कहा गया है कि संज्ञान केवल सी द्वारा की गई शिकायत पर ही लिया जा सकता है।

पीएमएलए के तहत प्राधिकरण। जबकि, मूल रूप से अधिनियमित धारा 44(1)(बी) में, दोनों शर्तें यानी, 'पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना', साथ ही, 'किसी प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत' शामिल थीं। विद्वान वकील धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 पर तत्कालीन वित्त मंत्री के भाषण की भी याद दिलाते हैं।[34] 06.05.2005 को लोकसभा में। हालाँकि, यह भी स्वीकार किया गया कि संशोधन

डी

पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) ने इन शब्दों को हटा दिया, "तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर जो इस अधिनियम के तहत अपराध बनता है या"। अगला संशोधन धारा 45(1ए) और धारा 73(2)(यूए) का सम्मिलन था, जिसके द्वारा धारा 3 के तहत अपराध की जांच करने का पुलिस अधिकारियों का अधिकार तब तक प्रतिबंधित था जब तक कि केंद्रीय ई द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था।

सामान्य या विशेष प्राधिकरण के माध्यम से सरकार। इसके अलावा संशोधन में पीएमएलए की धारा 45(1)(ए) को हटा दिया गया, जिससे पीएमएलए के तहत धन-शोधन का अपराध गैर-संज्ञेय अपराध बन गया। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए के तहत अपराध को गैर संज्ञेय बनाने के परिणामस्वरूप धारा 44(1)(बी) में संशोधन किया गया है। कहा कि आज भी यदि जांच पुलिस द्वारा की जाती है

एफ

अधिकारी हो या कोई अन्य, वह केवल शिकायत दर्ज कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं। अतः उपर्युक्त परीक्षण अप्रासंगिक एवं अनुपयुक्त है। जो बेतुकापन उत्पन्न होता है वह दो जांचों के कारण होता है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा और दूसरा धारा 48 के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा। एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया गया है कि जी के बीच का अंतर

पीएमएलए के तहत शिकायत और सीआरपीसी के तहत आरोपपत्र। यह केवल एक नामकरण मानदंड है और वे मूलतः एक ही चीज़ हैं। इस प्रकार, कोई पुलिस अधिकारी है या नहीं, इसका निर्धारण नामकरण के आधार पर करना उचित नहीं है।

[33]सुप्रा फुटनोट संख्या 31 पर (फुटनोट संख्या 24 पर भी)

एच

[34]संक्षेप में, "2005 संशोधन विधेयक"

(xvi)धारा की व्याख्या एवं संवैधानिकता के संबंध में ए पीएमएलए के 50 में, हमारा ध्यान धारा 50(2) की ओर आकर्षित होता है जो जांच के दौरान बुलाए गए व्यक्ति का बयान दर्ज करने से संबंधित है। उसमें, धारा 50(3) में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सच बताना होगा। इसके अलावा, उसे ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करना होगा और धारा 63(2)(बी) के तहत गलत संस्करण के लिए परिणाम भुगतना होगा; और खतरा बी धारा 63(2) के तहत जुर्माना या धारा 19 के तहत गिरफ्तारी।

(xvii)आग्रह है कि संवैधानिक कानून की तुलना में सी.आर.पी.सी. और 1872 अधिनियम, पीएमएलए के तहत प्रावधान कठोर हैं और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन हैं। हमारा ध्यान सीआरपीसी की धारा 160 की ओर आकर्षित होता है। जब व्यक्ति को बुलाया जाता है C गवाह के रूप में या धारा 41ए के तहत आरोपी या संदिग्ध के रूप में। किसी भी मामले में, बयान सीआरपीसी की धारा 161 के अनुसार दर्ज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैंनंदिनी सत्पथी बनाम. पी.एल. दानी और अन्य.[35], जबकि धारा 161(2) के तहत सुरक्षा पर भी भरोसा किया जाता है। इस प्रकार, धारा 161 और 162 के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे साक्ष्य किसी अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य हैं, जब तक कि इसका उपयोग केवल डी 1872 अधिनियम की धारा 145 में निर्धारित विरोधाभास के प्रयोजन के लिए। इसके अलावा, यह कहा गया है कि विरोधाभास का प्रमाण भौतिक रूप से भिन्न है और दावे किए गए मामले के प्रमाण के बराबर नहीं है[36] और इसका उपयोग केवल उस गवाह पर संदेह पैदा करने या उसकी गवाही को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है जो न्यायालय के समक्ष गवाही दे रहा है[37]. ई की धारा 162 के पीछे विधायी मंशा सी.आर.पी.सी. पर भी भरोसा किया जाता है, जैसा कि माना गया हैतहसीलदार सिंह एवं अन्य. बनाम यूपी राज्य[38].

(xviii)इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि ईडी की वर्तमान प्रथा ऐसी है कि वह एफ की धमकी के तहत हस्ताक्षरित बयान प्राप्त करके किसी आरोपी को फंसाकर इन सभी वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करती है। कानूनी दंड. 1872 अधिनियम की धारा 25 के तहत सुरक्षा को भी सेवा में लगाया गया है।

(xix)बात को स्पष्ट करने के लिए, विद्वान वकील 1872 अधिनियम की धारा 25 के विधायी इतिहास को चित्रित करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रेफर किया जी

[35](1978) 2 एससीसी 424
[36]तहसीलदार सिंह एवं अन्य. बनाम यूपी राज्य,एआईआर 1959 एससी 1012 (पैरा 16-17, 42); यह भी देखें:वी.के. मिश्रा एवं अन्य. बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य।, (2015) 9 एससीसी 588 (सर्वोत्तम 15-20)
[37]सोमसुंदरम उर्फ सोमू बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस उपायुक्त ने किया, (2020) 7 SCC 722 (para 24)
[38]एआईआर 1959 एससी 1012 (फुटनोट संख्या 36 पर भी)

भारत के विधि आयोग और सी.आर.पी.सी. की पहली रिपोर्ट के लिए,

ए

जो अपराध स्वीकार करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा सत्ता के घोर दुरुपयोग पर आधारित था।[39] इसके अलावा, इस सुरक्षा को 1872 के अधिनियम में प्रत्यारोपित किया गया[40], जहां इस धारणा पर कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान बलपूर्वक या जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, को मजबूत किया गया था[41]. बताया गया कि तीन विधि आयोगों की सिफ़ारिशें - 14वां, बी

48वां और 69वां जो इस तरह की स्वीकारोक्तियों को स्वीकार्य बनाने की वकालत करते थे, उन्हें 185 में सख्ती से खारिज कर दिया गया।वां विधि आयोग की रिपोर्ट. इस प्रकार, पर भरोसा करनाराजा राम जयसवाल[42] जहां 1872 अधिनियम की धारा 25, पुलिस अधिकारी और स्वीकारोक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया गया है। इसलिए, वर्तमान स्थिति में कहा जाता है कि ऐसी स्वीकारोक्ति देने में विफल रहने पर धारा 63 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है

सी

अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से जुड़े कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत हो। इस पर भी भरोसा किया गया हैसेल्वी और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य[43], 180वां विधि आयोग की रिपोर्ट और सीआरपीसी की धारा 313 आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार और मौन रहने के अधिकार के सहायक होने के नाते, उसके विरुद्ध नहीं पढ़ा जा रहा है।

डी

(xx)इसके बाद विद्वान वकील ने अनुच्छेद 20(3) की सुरक्षा के लिए पूर्व शर्तों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले, जैसा कि निर्धारित है, अभियुक्त के चरित्र में खड़ा व्यक्तिबम्बई राज्य बनाम. काठी कालू ओघड़[44], का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस शब्द को व्यापक अर्थ दिया जा सकता है और एफआईआर, ईसीआईआर, आरोप पत्र ई में शामिल किया जा सकता है।

या शिकायत आवश्यक नहीं है और पूछताछ के समय संदिग्धों द्वारा भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। आग्रह है कि दोनों में कानून की स्थिति स्पष्ट की जाए***Nandini Satpathy***[45] औरसरो[46] - यहां तक कि उस हद तक

जहां कुछ सवालों के जवाब देने से किसी व्यक्ति को अन्य अपराधों में दोषी ठहराया जा सकता है या जहां अभियोजन के लिए आवश्यक सबूतों की श्रृंखला में लिंक प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर यह आग्रह किया जाता है कि 'मजबूर किया जाएगा' अभिव्यक्ति प्रतिबंधित नहीं है

एफ

शारीरिक स्थिति के साथ-साथ मन की मानसिक स्थिति भी और यह तर्क दिया जाता है कि फिर भी उन परिस्थितियों की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए जिनमें किसी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 'साक्षी होना' शब्द 'को' के दायरे में आएगा

[39]185वां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (2003) पर विधि आयोग की रिपोर्ट

जी

[40]यह सभी देखें:बरकत राम(उपरोक्त फुटनोट क्रमांक 24 पर)
[41]*Balkishan A. Devidayal vs. State of Maharashtra*, (1980) 4 SCC 600 (para 14) [42]सुप्रा फ़ुटनोट संख्या 30 पर
[43](2010) 7 एससीसी 263 (सर्वोत्तम 87-89)
[44]एआईआर 1961 एससी 1808
[45]फुटनोट संख्या 35 पर सुप्रा

एच

[46]फुटनोट संख्या 43 पर सुप्रा

गवाह के रूप में उपस्थित हों' और यह कहा गया है कि इसमें सुरक्षा शामिल होनी चाहिए

ए

यहां तक कि ईडी जैसे अधिकारियों द्वारा की गई जांच में अदालत के बाहर भी[47]. यह भी तर्क दिया गया कि यह सुरक्षा उन बयानों से आगे बढ़नी चाहिए जो स्वीकारोक्ति हैं, जैसे कि अभियोगात्मक बयान जो व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य की श्रृंखला में एक लिंक प्रस्तुत करेंगे।

(xxi)यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस परीक्षण पर इस न्यायालय को विचार करना चाहिए

बी

पीएमएलए की धारा 50 की शक्तियों के निर्धारण के लिए: क्या कोई पुलिस अधिकारी कानूनी मंजूरी और गिरफ्तारी की धमकी के तहत किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए मजबूर करने की स्थिति में है? यह आगे बताया गया है कि ईडी निश्चित रूप से तब भी बयान दर्ज करता है जब आरोपी व्यक्ति हिरासत में होता है। सी

कुछ परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति को यह भी सूचित नहीं किया जाता है कि उसे किस क्षमता में बुलाया जा रहा है। इसे और भी बदतर बनाने वाला तथ्य यह है कि ईडी सीआरपीसी के अध्याय XII के लागू न होने का दावा करता है। यह एफआईआर दर्ज नहीं करता है और ईसीआईआर को आंतरिक

दस्तावेज के रूप में रखता है। कहा जाता है कि उपर्युक्त सभी परिस्थितियाँ ईडी द्वारा पूछताछ को प्रस्तुत करती हैं, जो मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध तक सीमित नहीं हो सकती हैं

डी

अकेले, एक प्रशंसापत्र मजबूरी के रूप में[48]. इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 20(3) की सुरक्षा की वकालत करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी सुरक्षा उपाय और सुरक्षा भ्रमपूर्ण हैं।

(xxii)अंत में, एक तर्क उठाया गया है कि पीएमएलए की धारा 50, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक की धारा 67 से बहुत खराब है।

और

पदार्थ अधिनियम, 1985[49]. इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम पीएमएलए और इस न्यायालय के लिए अंतर्निहित कारण हैतूफान सिंह[50]ने बिना किसी अनिश्चित शर्त के एनडीपीएस अधिनियम में भी इकबालिया बयान के संबंध में सुरक्षा प्रदान की है। एनडीपीएस अधिनियम में मौत की बहुत सख्त और कड़ी सजा की तुलना पीएमएलए से भी की जाती है। इसे एफ भी प्रस्तुत किया गया है 'न्यायिक कार्यवाही' शब्द के प्रयोग से संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं किया जा सकता है। इस शब्द को सीआरपीसी की धारा 2(i) में परिभाषित किया गया है। जिसमें साक्ष्य के दौरान कोई भी कार्यवाही शामिल है

[47]एमपी। शर्मा एवं अन्य। बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य., (1954)जी एससीआर 1077 (10 के लिए)।

[48]यहां तक कि मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (फॉर्म, खोज और जब्ती या फ्रीजिंग और निर्णय प्राधिकारी को कारणों और सामग्री को अग्रेषित करने का तरीका, रिकॉर्ड को जब्त करना और हिरासत में रखना और प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 की प्रयोज्यता।

[49]संक्षेप में, "एनडीपीएस अधिनियम"

[50]सुप्रा फुटनोट संख्या 31 पर (फुटनोट संख्या 24 पर भी)

एच

कानूनी तौर पर 'शपथ ली गई है' या ली जा सकती है[51]. धारा 50(1) किया गया है ए

केवल पीएमएलए की धारा 13 के संबंध में प्रतिष्ठित होने के कारण। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रवर्तन प्राधिकारी को सिविल न्यायालय नहीं माना जाता है; यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा की गई जांच न्यायिक कार्यवाही नहीं है और पीएमएलए की धारा 50 संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

बी

(xxiii)प्रासंगिक रूप से, धन विधेयक से संबंधित कानूनों के निहितार्थ और पीएमएलए में संशोधन अधिनियमों पर उनके आवेदन के संबंध

में भी तर्क दिए गए हैं। हालाँकि, शुरुआत में, हमने उल्लेख किया था कि यह मुद्दा इस मामले में चल रही चर्चा का हिस्सा नहीं है और हम उस सी में उठाए गए तर्कों का उल्लेख करने से बचते हैं।

संबद्ध।

3. अगली दलीलें उसी तर्ज पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत की गईं। उन्होंने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत परिकल्पित वर्तमान प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया डी में होनी चाहिए

एक क़ानून या प्रत्यायोजित कानून का रूप और संवैधानिक सुरक्षा के मस्टर को पारित करना।[52]सी.आर.पी.सी. गिरफ्तार जांच के संबंध में कई सुरक्षा उपाय हैं; वे भी सी.आर.पी.सी. में निहित हैं। 1898 के। वे संवैधानिक सुरक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ईडी के मैनुअल, परिपत्र, दिशानिर्देश प्रकृति में कार्यकारी हैं और इस प्रकार, किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीएमएलए के तहत, नहीं है

और

पुलिस की तलाशी और गिरफ़्तारी की शक्ति के विरुद्ध इन सुरक्षाओं का स्पष्ट संकेत; यह पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के चरण में निर्दोषता के खिलाफ दी गई संवैधानिक सुरक्षा के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा, धारा 22, 23 और 45 के तहत निर्दोषता की धारणा का विनाश भी पूर्व एफ में परीक्षण को पूरा नहीं कर सकता है

शिकायत और पूर्व-संज्ञान चरण[53] और सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार आरोपी हिरासत की कठोरता से बच नहीं सकता है। ऐसे में रिवर्स बर्डन की ये शर्तें संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हैं। संविधान-पूर्व युग में भी निर्दोषता का अनुमान निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक हिस्सा रहा है।[54] संविधान के बाद जो

[51]केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, गुंटूर बनाम रामदेव तंबाकू कंपनी, (1991) 2 SCC 119 (para 6)

[52]गुडिकांती नरसिम्हुलु और अन्य। बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय,(1978) 1 एससीसी 240 (सर्वश्रेष्ठ 1, 2, 10)

[53]रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य,(2005) 5 एससीसी 294 (पैरा 10, 11 और 21)।

[54]अट्टीगैल और अन्य. बनाम राजा,एआईआर 1936 पीसी 169

एच

अस्तित्व में आने के बाद यह मानव अधिकार और प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है

ए

कानून द्वारा स्थापित.[55] पीएमएलए के तहत जांच में निगरानी की कमी को

न्याय, निष्पक्षता और तर्कसंगतता का घोर उल्लंघन माना जाता है। यह भी बताया गया है कि हालांकि सीआरपीसी की आड़ में संरक्षित अपराध की जांच की जा सकती है, लेकिन पीएमएलए के तहत ऐसे सुरक्षा उपायों को लागू न करना पूरी तरह से अनुचित है।[56] बी

पीएमएलए के तहत परिकल्पित प्रक्रिया, विशेष रूप से धारा 17 के तहत, कार्यकारी को जांच में पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करती है। यह कानून के शासन के लिए अभिशाप है और किसी जांच का मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण एक अभिन्न अंग है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता है।[57]

सी

(मैं)आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी को ईसीआईआर की आपूर्ति नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है, ईसीआईआर ईडी द्वारा स्थापित एफआईआर के बराबर है। इसमें गिरफ्तारी के आधार, अपराधों का विवरण शामिल है; और इस तरह, ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री की जानकारी के बिना जमानत के चरण में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है। इसमें बाधा भी आ सकती है

डी

बाद के चरण में परीक्षण के लिए तैयारी करने की क्षमता[58]. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि 1962 अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत भी[59], सी.आर.पी.सी की धारा 167. लागू माना गया है और मानव अधिकार भी पाया गया है[60]. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि किसी तलाशी या जब्ती की सूचना निर्णायक ई को देने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है

प्राधिकारी, क्योंकि उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा, पीएमएलए के पास कुर्की और जब्ती के लिए प्रक्रियाओं के दो सेट हैं जो अंतिम निर्धारण के अधीन हैं। इसलिए, न्यायिक निरीक्षण की कमी अतार्किक है, क्योंकि कुर्की अंतिम निर्णय के लिए एक कदम-सहायता है। सुरक्षा उपायों और ईसीआईआर की आपूर्ति के अभाव में, निष्पक्ष जांच वैधानिक दायित्व नहीं है। यह संविधान और सीआरपीसी के विपरीत है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्तिगत

एफ

अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती क्योंकि ईडी मैनुअल, परिपत्र और दिशानिर्देश प्रशासनिक निर्देश हैं और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जा सकता है। प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इस तरह के प्रतिबंध उचित नहीं हैं

[55]नूर आगा बनाम नूर आगा पंजाब राज्य और अन्य., (2008) 16 एससीसी 417

जी

[56]पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य,(2010) 3 SCC 571 (Para 68)

[57]साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,(2008) 2 एससीसी 409 (सर्वोत्तम 15-17)[58]यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया(फुटनोट नं.11 पर पूर्व); यह भी देखें:डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,(1997) 1 एससीसी 416

[59]संक्षेप में, "फेरा"

[60]प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन एवं अन्य,(1994) 3 एससीसी 440एच

संविधान के अनुच्छेद 13 और 19(2) के तहत प्रतिबंध और न ही कानून।

ए

जैसे अनेक मामलों पर निर्भरता रखी गई हैबीड़ी आपूर्ति कंपनी बनाम भारत संघ एवं अन्य।[61],मालाबार के कलेक्टर एवं अन्य. बनाम एरिम्मल इब्राहिम हाजी[62],जी.जे. फर्नांडीस बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य।[63] औरबिजो इमैनुएल और अन्य। बनाम केरल राज्य और अन्य।[64] यह दिखाने के लिए कि सीआरपीसी के अध्याय XII की अनुपयुक्तता। बी नहीं हो सकता

मुखाकृति

(ii)यह भी तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की गारंटी के लिए पीएमएलए के पास अपर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। क्योंकि, सीआरपीसी की धारा 41 से 41डी, 46, 49, 50, 51, 55, 55ए, 58, 60ए के समान कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं। पीएमएलए के अध्याय V और VII के तहत, सुरक्षा उपाय सी तक सीमित हैं

धारा 16 से 19 और 50। धारा 45 के तहत कठिन जमानत की शर्तें संदेह के क्षेत्राधिकार की प्रकृति में हैं जो कि अनुच्छेद 22(3) से 22(7) के तहत निवारक हिरासत हैं, जिसमें स्वयं विभिन्न सुरक्षा उपाय हैं जो पीएमएलए में अनुपस्थित हैं। . इसके अलावा, 2019 के संशोधन के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बना दिया गया, विवेक के प्रयोग के खिलाफ कोई और नियंत्रण और संतुलन मौजूद नहीं है।

डी

ईडी। मजिस्ट्रियल निरीक्षण रद्द कर दिया गया है; इसके अलावा, धारा 17 के तहत परिकल्पित पर्यवेक्षण कार्यपालिका का है जो कानून के नियम और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है[65]. यह भी कहा गया है कि मौजूदा योजना के तहत, एक आरोपी दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के अधीन होगा जो कि विधेय अपराध के तहत और पीएमएलए के तहत है। उदाहरण के लिए, धारा 410 और ई

आईपीसी की धारा 411 पीएमएलए की धारा 3 और 4 के साथ ओवरलैप होने वाले अनुसूचित अपराध हैं। हालाँकि, प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय कहीं भी एक समान नहीं हैं। यह अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना है[66]. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीएमएलए सीआरपीसी के अध्याय XII के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है। और इस प्रकार, अस्पष्टता की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके[67].

एफ

(iii)तर्क का अगला चरण इस आशय का है कि बाद का संशोधन धारा 45 को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, जिसे रद्द कर दिया गया था

[61]एआईआर 1956 एससी 479 (9 के लिए)

जी

[62]एआईआर 1957 एससी 688 (पैरा 8,9)
[63]एआईआर 1967 एससी 1753 (12 के लिए)
[64](1986) 3 एससीसी 615 (9, 10, 13-19 पर)
[65]साकिरी वासु(फुटनोट क्रमांक 57 पर) (पैरा 15-17)
[66]सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य,(2014) 8 एससीसी 682 (सर्वश्रेष्ठ 49, 70)।
[67]तूफान सिंह(सुप्रा और फुटनोट संख्या 24 और 31) (पैरा 4.10)

एच

में निर्णय असंवैधानिक हैनिकेश ताराचंद शाह[68]. जो उसी

ए

2018 और 2019 के संशोधनों द्वारा इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। किसी प्रावधान या क़ानून को असंवैधानिक माना जाना चाहिए, उसे मृत और शून्य माना जाना चाहिए, और इसे बाद के संशोधन द्वारा वापस जीवन में नहीं लाया जा सकता है जो संवैधानिक आपत्ति को दूर करने का प्रयास करता है। इसे अनिवार्य रूप से पुनः अधिनियमित किया जाना चाहिए[69]. . . . इसके अलावा, तर्क-वितर्क में भी, जुड़वां स्थितियाँ बी

स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से हैं क्योंकि यह निर्दोषता की धारणा के अधिकार के बुनियादी आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के खिलाफ है। इस अधिकार को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत मान्यता दी गई है[70], साथ ही, इस न्यायालय द्वाराबाबू बनाम केरल राज्य[71]. यह भी तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए किसी आरोपी व्यक्ति को धारा 45 के तहत कठिन जमानत शर्तों के अधीन करना इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है।[72].

सी

यह आग्रह किया गया कि अन्य कानूनों में भी जमानत के लिए ऐसी दोहरी शर्तें हैं जैसे कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987[73], महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999[74] और एनडीपीएस अधिनियम। हालाँकि, यह बताया गया है कि यह माना गया है कि ऐसी कठिन स्थितियाँ केवल कुछ प्रकार के मामलों में ही आवश्यक थीं - उदाहरण के लिए, डी

आतंकवादी अपराध, जो स्पष्ट रूप से पीएमएलए के सामने एक विशिष्ट और असंगत अपराध हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत भी[75], न्यायालय को केवल यह जांचना है कि क्या आरोप हैप्रथम दृष्टयाजमानत देते समय यह सच है, लेकिन पीएमएलए के मामले में, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जमानत देने से पहले यह मानने के लिए उचित आधार हैं

कि आरोपी दोषी नहीं है। इस प्रकार, जैसे

और

जैसे ही आरोप तय हो जाते हैं, व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं रह जाता हैप्रथम दृष्टयामामला बनता है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना निवारक हिरासत के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है[76]. इसके अलावा, यूएपीए और एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी ये गहरी प्रतिबंधात्मक शर्तें केवल इन अधिनियमों के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हैं, न कि संपूर्ण कानून

तक।

उन्हें। हालाँकि, पीएमएलए के तहत ऐसा मामला नहीं है, जैसा कि यह है

[68]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

[69]संगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य., एआईआर 1954 एससी 728 (पैरा 23); यह भी देखें:दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,(1959) सप्प. 2 एससीआर 8 (पैरा 21)[70]संक्षेप में, "आईसीसीपीआर"

जी

[71](2010) 9 एससीसी 189 (पैरा 27 और 28)

[72]सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य,(2021) 10 एससीसी 773 और एमए संख्या 1849/2021 में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16.12.2021

[73]संक्षेप में, "टाडा अधिनियम"

[74]संक्षेप में, "मकोका"

[75]संक्षेप में, "यूएपीए"

[76]अय्या उर्फ अयूब बनाम अय्या उर्फ अयूब यूपी राज्य.और अन्य., (1989) 1 एससीसी 374

(

स

र्व

श्रे

ष्ठ

1

1-

1

7)

ए

च

सभी विधेय अपराधों पर लागू। ऐसा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण को अनदेखा करता है

ए

पीएमएलए की अनुसूची में विभिन्न अपराधों की प्रकृति, गंभीरता और दंड जैसे भेद और असमानों को समान माना जाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. भरोसा भी रखा गया हैसंयुक्त राज्य अमेरिका

बनाम एंथोनी सालेर्नो[77], जहां विस्तृत बी की उपस्थिति के कारण पूर्व परीक्षण हिरासत में प्रतिबंधात्मक जमानत प्रावधानों की अनुमति है

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय. फिर भी, यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे प्रतिबंधात्मक जमानत प्रावधान संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की संवैधानिक न्यायालय की क्षमता को खत्म नहीं कर सकते हैं।[78]. इसके अलावा, यह माना गया है कि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निरर्थक अभियोजन को खत्म किया जाए। पीएमएलए की धारा 21, 22, 23 और 45 जैसे प्रावधान मनमाने ढंग से उल्लंघन करते हुए बोझ को पलट देते हैं और ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम कर देते हैं।

सी

इस न्यायालय के निष्कर्षों के बारे में[79]. इस प्रकार, यहां जिन विभिन्न तर्कों पर तर्क दिया गया है, वे बताते हैं कि पीएमएलए स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त हैशायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य।[80]औरजोसेफ शाइन बनाम भारत संघ[81].

4. निजी पक्षों की ओर से प्रस्तुतीकरण की कतार में अगला है

डी

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील। उन्होंने सबसे पहले पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत के बोझ के बिंदु पर तर्क दिया। उन्होंने बताया है कि संशोधन से पहले जांच से लेकर फैसले तक सबूत का पूरा भार आरोपी पर था। हालांकि 2013 के संशोधन के बाद इसमें बदलाव आया है और कुछ शेष ई हो गया है

बहाल, इसने इस खंड को इसकी असंवैधानिक प्रकृति से पूरी तरह ठीक नहीं किया है। उन्होंने अधिनियम के विधायी इतिहास में जाकर कहा है कि मूल रूप से यह अनुमान मुकदमे और आरोप की स्थिति से पहले भी उठाया गया था, इसे 2013 के संशोधन द्वारा कमजोर कर दिया गया था, उसके बाद यह अनुमान केवल आरोप तय होने के बाद ही लागू होगा।

एफ

(मैं)विद्वान वरिष्ठ वकील का मानना है कि धारा 24 की शब्दावली सीआरपीसी की धारा 211 के तहत औपचारिक आरोप तय करने को संदर्भित करती है। इस प्रस्तुतिकरण के लिए, वह संसद में संशोधन प्रस्तुत करने वाले मंत्री के भाषण पर निर्भर करते हैं। यह कहा गया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग के तथ्य के संबंध में अनुमान लगाया गया है। किसी अपराध के आवश्यक घटक के संबंध में ऐसी धारणा नहीं बनाई जा सकती।

जी

[77]107 एस.सी.टी. 2095 (1987)

[78]भारत संघ बनाम के.ए. नजीब,(2021) 3 एससीसी 713: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 50 (पैरा 18)[79]कृष्ण लाल चावला एवं अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।, (2021) 5 एससीसी 435[80](2017) 9 एससीसी 1 (सर्वश्रेष्ठ 87, 101)

[81](2019) 3 एससीसी 39 (सर्वश्रेष्ठ 61, 103, 105)

एच

ऐसे में किसी अपराध के घटित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। के संदर्भ में
ए
1872 अधिनियम की धारा 4, धारा 24 की उप-धाराओं (ए) और (बी) के बीच अंतर पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पूर्व राज्य - 'धारणा करेंगे' और बाद वाले राज्य - 'धारणा कर सकते हैं'।

(ii)यह आग्रह किया गया है कि संशोधन के बाद भी आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष को किसी भी तथ्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बी
जैसा कि शिकायत में बताया गया है, मामले को ग़लत साबित करने का पूरा भार अभियुक्त पर पड़ता है। इसलिए, यह मूलभूत तथ्यों के प्रमाण की आवश्यकता के विपरीत है, जैसा कि अन्य कानूनों में देखा जाता है। ऐसा उलटाव किसी अन्य क़ानून में मौजूद नहीं है। यह कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम में भी, जहां मूलभूत तथ्यों की कोई आवश्यकता प्रदान नहीं की गई थी, सी इस न्यायालय ने अधिनियम में ऐसी आवश्यकता पढ़ी है। उप-धारा (बी) के लिए, यह बताया गया है कि 'अनुमान लगाया जा सकता है' प्रावधान उप-धारा (ए) के सुरक्षा उपायों को समाप्त कर देता है और यह कोई मार्गदर्शन नहीं देता है कि अनुमान कब लागू किया जाना है। विद्वान वकील इस विसंगति की ओर भी इशारा करते हैं कि धारा 24 में आने वाला शब्द 'प्राधिकरण', जो धारा 48 में भी आता है, प्रकृति में विशिष्ट है और धारा 24 बेतुके ढंग से एक की अनुमति देता है

डी
अन्वेषक किसी अपराध के घटित होने का अनुमान लगाता है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है औरबाहरतर्क। उसी के आलोक में संवैधानिकअधीनइस धारा को चुनौती दी जाती है या संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए इसे पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता है।

(iii)डॉ. सिंघवी के लिए हमले का अगला बिंदु, विद्वान वरिष्ठ वकील
और
धारा 17 और 18 की संवैधानिकता है। तलाशी और जब्ती के बदले सुरक्षा उपायों के अभाव को प्रचारित किया जाता है। यह बताया गया है कि ऐसी तलाशी या जब्ती एफआईआर दर्ज किए बिना या सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज किए बिना भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, इन दो अनुभागों के विधायी इतिहास की ओर इशारा किया गया है। यह एफ दिखाया गया है कि मूल रूप से तलाशी और जब्ती विधेय अपराध में आरोप पत्र या शिकायत दर्ज करने के बाद की जानी थी। इसके बाद, 2009 के संशोधन द्वारा सुरक्षा को कमजोर कर दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने के बाद ही तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जाएगा। 2019 में ही

ये अंतिम सुरक्षा उपाय भी थे

जी

वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रभाव ऐसा है कि ईडी के पास विधेय अपराध में बिना किसी जांच के तलाशी और जब्ती करने की निरंकुश शक्तियां हैं, और कभी-कभी बिना किसी जांच के भी एफआईआर दर्ज की जा रही है. कोई पूर्वापेक्षाएँ या सुरक्षा उपाय नहीं हैं क्योंकि ईडी अब केवल एच में जा सकता है

एक परिसर. यहां तक कि गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए भी ईडी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है

ए

न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करना। इस तरह, जांच के लिए किसी विश्वसनीय जानकारी के अभाव में ईडी को इस तरह की अनियंत्रित शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मजिस्ट्रियल निरीक्षण को निर्णायक प्राधिकरण की सीमित निगरानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका ईडी पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, खासकर आपराधिक जांच के मामले में। बी

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रभावी जांच और संतुलन की ऐसी कमी अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

(iv)हमारा ध्यान मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (फॉर्म, खोज और जब्ती या फ्रीजिंग और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कारणों और सामग्री को अग्रेषित करने के तरीके, सी) पर भी आकर्षित किया जाता है।

अभिलेखों को ज़ब्त करना और उनकी अभिरक्षा और प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005[82], और यह प्रार्थना की जाती है कि इस न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये नियम नहीं हैंअधिकारातीतपीएमएलए की धारा 17 और 18। प्रासंगिक रूप से, वे सीआर.पी.सी. के प्रावधानों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत खोजों पर लागू होना।

(में**)**प्रस्तुतियाँ का अगला चरण चुनौती देता हैअधीनदूसरे डी का धारा 5(1) का प्रावधान, क्योंकि यह एक विधेय अपराध के अस्तित्व से स्वतंत्र कुर्की की अनुमति देता है, यह देखते हुए कि ऐसी संपत्ति अपराध की आय भी नहीं हो सकती है। हालाँकि यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी सीमा को पूरा नहीं करना पड़ता है और पहले प्रावधान का कोई उपयोग नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रावधान मुख्य प्रावधान के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा ध्यान विधायी इतिहास की ओर आकर्षित होता है; यह कहा गया है

और

कि पीएमएलए में मूल रूप से दूसरा प्रावधान शामिल नहीं था। घात लगाए अपराध में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही कुर्की की जानी थी। कार्यवाही में निराशा से बचने के लिए पहली बार 2009 में यह प्रावधान जोड़ा गया था। यह

प्रस्तुत किया गया है कि इस परंतुक का अनुसूचित अपराध या अपराध की आय पर कोई आधार नहीं है। यह मात्र F पर है

अधिकारी की संतुष्टि. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की बिना किसी बंधन के की जा सकती है। हमारा ध्यान व्यक्ति और संपत्ति के लिए 'कोई भी' शब्द के उपयोग और 'अपराध की आय' शब्द से इसके अंतर की ओर भी आकर्षित होता है, जिसका मुख्य धारा के दायरे से सीधा संबंध है। यह तर्क दिया जाता है कि इसे किसी अपराध के साथ नहीं बल्कि केवल अनुसूचित अपराधों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ईडी पर नौकरी लगाने का आरोप है

जी

अनुसूचित अपराध के घटित होने से बहुत पहले खरीदी गई संपत्ति को इस हद तक कुर्क करने में इस भाषा का उपयोग किया जाता है कि इसमें कोई सांठगांठ न हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे परंतुक के बीच एक लिंक होना चाहिए

[82]संक्षेप में, "जब्ती नियम, 2005"

एच

अपराध और अनुसूचित अपराध की आय की जांच एक के तहत की जा रही है

ए

ईडी के समक्ष विशिष्ट ईसीआईआर।[83]

(हम)पीएमएलए की धारा 8 के संबंध में प्रस्तुतियाँ यह कहती हैं कि धारा 8(4) ईडी को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई अनंतिम कुर्की की पुष्टि के चरण में संलग्न संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह किसी व्यक्ति का अभाव है

बी

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना इतनी प्रारंभिक अवस्था में संपत्ति का अधिकार असंवैधानिक है। इसके अलावा पीएमएलए की धारा 8(3)(ए) के तहत कुर्की की अवधि भी मनमानी और अनुचित है। मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए, प्रासंगिक विधायी इतिहास की ओर इशारा किया गया है। मूल अधिनियम जहां सी के लंबित रहने के दौरान अनंतिम कुर्की जारी रहेगी 'किसी अनुसूचित अपराध' से संबंधित कार्यवाही। इसके बाद 2012 में, इसे 'पीएमएलए के तहत किसी भी अपराध' में बदल दिया गया, इसके बाद 2018 में संशोधन किया गया - 'अपराध की जांच के दौरान या पीएमएलए के तहत कार्यवाही की लंबितता के दौरान नब्बे दिनों की अवधि', और अंत में 2019 के संशोधन द्वारा वृद्धि हुई 'नब्बे दिन' से 'तीन सौ पैंसठ दिन' तक। हमें भी विस्तृत प्रक्रिया से गुजारा जाता है

डी

संपत्ति की कुर्की. जिससे यह उजागर होता है कि ईडी एकल न्यायिक प्रक्रिया के बाद संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकता है, जिसमें ईडी पर कोई निगरानी नहीं होती है। यह कहा गया है कि बिना किसी कार्यवाही के न्यायालय के समक्ष लाए गए संपत्ति का इस तरह हस्तांतरण निस्संदेह एक असंवैधानिक कार्य है। धारा 8(3)(ए) स्पष्टीकरण ई के लिए इस भ्रम के आलोक में मांग की गई है कि यह तीन सौ पैंसठ दिनों तक या पीएमएलए के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पुष्टि की गई अनंतिम कुर्की को जारी रखने की अनुमति देता है। इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि ईडी के पास अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए तीन सौ पैंसठ दिनों की अवधि है।

एफ

(vii)इसके बाद विद्वान वकील ने धन शोधन निवारण (निर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई कुर्क या जमी हुई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेना) नियम, 2013 का हवाला दिया।[84] जिसमें नियम 4(4), 5(3), 5(4) और 5(6) के खिलाफ विशिष्ट चुनौती उठाई गई है। चुनौती का मुख्य आधार असमानता है, कुर्की के मुद्दे के समान, संलग्न शेयरों और म्यूचुअल फंडों का स्थानांतरण, मूल्य में गिरावट

जी

संपत्ति, चल संपत्ति के मालिकों की बेदखली, सकल आय के साथ उत्पादक संपत्तियों का कब्ज़ा, सभी मौद्रिक लाभ बताए गए हैं

[83]*Dwarka Prasad vs. Dwarka Das Saraf*, (1976) 1 एससीसी 128, यह भी देखें:सतनाम सिंह एवं अन्य। बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य., (1997) 3 एससीसी 353[84]संक्षेप में, "कब्जा लेना नियम, 2013"

एच

मनमाना, उचित, बेतुका और अनुपातहीन होना। यहाँ, यह है

ए

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विभिन्न विसंगतियाँ सामने आ सकती हैं, जैसे शेयरों को लेना और ईडी का निगमों में बहुमत शेयरधारक बनना, अपराध की आय के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य की संपत्तियों की कुर्की। धारा 2(1)(जेडबी) के तहत, अभिव्यक्ति "मूल्य" को अधिग्रहण की तिथि पर उचित बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि तिथि बी पर उचित बाजार मूल्य के रूप में।

लगाव का. यकीनन, वर्षों पहले खरीदी गई संपत्ति का ईडी द्वारा कम मूल्यांकन किया गया है। अचल संपत्ति की कुर्की और अपंजीकृत पट्टों के मामले में बेदखली को भी चुनौती दी गई है। इस असंगत थोपे गए और प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए निर्भरता पर जोर दिया गया है***Shayara Bano***[85]और अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य।[86].

सी

(viii)तब विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया कि पीएमएलए की धारा 45(1), एक आरोपी के रूप में जमानत के चरण में निर्दोषता की धारणा को उलट देती है। उनके मुताबिक, इस स्तर पर आरोपी कभी यह नहीं दिखा सकता कि वह दोषी नहीं है. यह भी कहा गया है कि ये जमानत के लिए अनुपातहीन और अत्यधिक शर्तें हैं। का भी उल्लेख किया गया हैनिकेश ताराचंद शाह[87] 2018 तक सीमित सीमा तक

डी

संशोधन ने अमान्यता को दूर नहीं किया है, जैसा कि इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय में बताया गया है। यह भी कहा गया है कि संशोधन के बावजूद, पीएमएलए के तहत अपराध की प्रकृति के आधार पर दोहरी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह कहा गया है कि निर्दोषता का अनुमान भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है।[88] और

का भी उल्लेख किया गया हैकिरण प्रकाश कुलकर्णी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य.[89] धन विधेयक के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन करने वाले संशोधन के खिलाफ भी तर्क उठाए गए हैं। द्वारा व्याख्या की आवश्यकतारोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य.[90] भी दावा किया गया है. 2018 के संशोधन को भी नोट्स का हवाला देकर चुनौती दी गई है

एफ

वित्त विधेयक, 2018 के खंड। यह भी बताया गया है कि वर्ष 2012 में 1962 अधिनियम के लिए इसी तरह के संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और फिर भी, संसद के सदस्यों के आग्रह पर इसे हटा दिया गया था।[91].

[85]फुटनोट संख्या 80 पर सुप्रा (पैरा 101-102)

जी

[86]2020 (3) एससीसी 637

[87]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

[88]*Arnab Manoranjan Goswami vs. State of Maharashtra & Ors.*, (2021) 2 SCC 427 (para 70)

[89]एस.एल.पी. में आदेश दिनांक 11.4.2019 (आपराधिक) 2019 का क्रमांक 1698

[90](2020) 6 एससीसी 1

[91]श्री का भाषण. अरुण जेटली दिनांक 26.3.2012 को राज्यसभा में

एच

(ix)इसके अलावा, अधिकतम सात (7) वर्ष की सज़ा दी गई

ए

पीएमएलए के तहत, यह तर्क दिया गया कि आईपीसी के तहत अन्य अपराधों की तुलना करने पर यह अनुपातहीन है, जो प्रकृति में कहीं अधिक गंभीर हैं और मौत की सजा का प्रावधान है। उसी के आलोक में, यह बेहद संदेहास्पद है कि किसी आरोपी पर इतनी कठिन शर्त कैसे लगाई जा सकती है। यह भी बताया

गया है कि कई अनुसूचित अपराध जमानती हैं। बी
इसके अलावा, इस विसंगति को भी उजागर किया गया है कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के समय कुछ मामलों में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यह भी कहा गया कि यूएपीए, टाडा अधिनियम या आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत जमानत मिलना लगभग असंभव है।[92].

5. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील सी पर बहस करने वाले थे निजी पार्टियों की ओर से. उन्होंने आग्रह किया कि धारा 44 का स्पष्टीकरण धारा 2(1)(यू) के साथ पढ़ी गई धारा 3 के विपरीत है, इसलिए, यह कानून की नजर में अस्थिर और मनमाना है। इस अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया गया कि "अनुसूचित अपराध में ट्रायल कोर्ट के किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होना चाहिए"। यह तर्क दिया गया कि दोनों मुकदमों की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ऐसे में धारा 3 का अपराध नहीं हो सकता

डी

इसे प्रमुखता दी गई है, क्योंकि यह धारा 3 के विपरीत चलेगा और स्पष्ट रूप से मनमाना होगा, इस तथ्य को देखते हुए कि अनुसूचित अपराध में बरी होने से किसी को मनी-लॉन्ड्रिंग के व्युत्पन्न अपराध के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है। अपराध की आय और धारा 3 अपराध के बीच एक सीधा संबंध भी उजागर किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि विशेष ई
एक बार विधेय अपराध में बरी हो जाने के बाद अदालत धारा 3 अपराध के लिए मुकदमा जारी नहीं रख सकती है। धारा 44 स्पष्ट रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग के विशेष न्यायालय के मुकदमे का प्रावधान करती है। यह बताया गया कि यह सामान्य है कि यदि किसी को विधेय अपराध के लिए बरी कर दिया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया अभी भी जारी रह सकती है। यह धारा 3 के तहत परिभाषा के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अटूट संबंध है

एफ

विधेय अपराध के लिए.

(मैं)यह भी बताया गया कि सामान्य प्रथा एफआईआर दर्ज होने के ठीक बाद उसी दिन या उसके ठीक बाद ईसीआईआर दर्ज करने की है, जिसे लगभग शब्दशः दोहराया जाता है। ईसीआईआर दाखिल करने और पीएमएलए के तहत प्रक्रिया शुरू करने से पहले उचित प्रक्रिया और जांच के लिए प्रचार करना,

जी

अन्य अधिनियमों का भी संदर्भ दिया गया, जैसे तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम, 1976[93], FERA या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974[94] और यह

[92]संक्षेप में, "पोटा"
[93]संक्षेप में, "SAFEMA"

एच

[94]संक्षेप में, "COFEPOSA"

1962 अधिनियम, ऐसे अधिनियम हैं जो अकेले या स्वयं अस्तित्व में नहीं रहेंगे
ए
विधेय अपराधों के बिना[95].

(ii)यह भी तर्क दिया गया कि अक्सर ईडी जांच को आरोप पत्र में शामिल बातों से आगे बढ़ा देता है। यह अधिनियम की मंशा के विपरीत है। पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषा के सही अर्थ को तीन घटकों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया था
बी
अपराध, अपराध की आय और बेदाग के रूप में पेश करना/दावा करना। यह माना गया कि उकसाना भी अपराध का एक हिस्सा बनेगा और इसके परिणामस्वरूप, जो कोई भी प्रयास करता है, सहायता करता है, उकसाता है, उकसाता है - वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। विधेय अपराध और धारा 3 के लिए, यह कहा गया था कि यदि पूर्व चला गया है, तो बाद वाला अस्तित्व में नहीं रह सकता है।
सी
(iii)अगला तर्क धारा 3 के दायरे और अर्थ से संबंधित था। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल अपराध की आय को कब्जे में लेना या छिपाना
धन-शोधन नहीं होगा और इसे 'बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना' वाक्यांश द्वारा बल दिया गया था। "और" को एक जलरोधी कम्पार्टमेंट कहा गया था। वित्त डी
मंत्री के 2012 के राज्यसभा भाषण पर भी यह दिखाने के लिए भरोसा किया गया था कि कैसे "और प्रोजेक्ट करना" एक आवश्यक तत्व था।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमित देसाई ने भी निजी पक्षों की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने हमें कन्वेंशन से लेकर एफएटीएफ ई तक
मनी-लॉन्ड्रिंग के इतिहास से भी अवगत कराया
और संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प[96], जिसके कारण 1999 में मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने और रोकने में मदद के लिए विधेयक लाया गया। वह अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भरोसा करता है[97], इसके बाद धारा 2(1)(पी), 2(1)(यू) और 3 का प्रारंभिक दायरा आया, जिसे 2013 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। यह कहा गया है कि अधिनियम एक अपराध के कमीशन को मानता है जो कि विधेय अपराध है; इसलिए प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए
एफ
इस न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापीता से संबंधित हैं। सबसे पहले - क्या अधिकारी विधेय के कमीशन होने पर किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं

[95]बरेन्द्र कुमार घोष बनाम द किंग एम्परर,1924 एससीसी ऑनलाइन पीसी 49: एआईआर

1925 पीसी 1

[96]विश्व नशीली दवाओं की समस्या का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष सत्र आयोजित किया गयाजी

'टूगेदर' जून 1998 में आयोजित हुआ।

[97]"उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित गतिविधियों को रोकने, अपराध की आय को जब्त करने, मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना आदि के लिए एक व्यापक कानून बनाना था"। यह भी संकेत दिया गया था कि प्रस्तावित अधिनियम "मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम था"।

एच

445

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.
[एक। एम. खानविलकर, जे.].

अपराध उक्त अपराधों को अनुसूची में शामिल करने से पहले का है

ए

पीएमएलए? दूसरे - क्या अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराध करने से पहले प्राप्त या अनुमानित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? तीसरा - क्या अधिकारी तब आगे बढ़ सकते हैं जब विधेय अपराध और प्रक्षेपण इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हो? चौथा - क्या अधिकार क्षेत्र अधिनियम के तहत अस्तित्व में है जब कोई बी नहीं संज्ञान ले लिया गया है, अभियुक्त को बरी कर दिया गया है या बरी कर दिया गया है या अपराध को कम कर दिया गया है? अंत में, विद्वान वकील सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत सामान्य जमानत प्रावधानों के साथ असंगत होने के लिए दोहरी शर्तों की कठोरता को भी चुनौती देते हैं। होने के नातेअधिकारातीत.

सी

(मैं)विद्वान वकील इस बैच के एक मामले का हवाला देते हैं, जिसमें ईडी द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली संपत्तियां याचिकाकर्ता द्वारा 2009 से पहले प्राप्त की गई थीं, जबकि अपराध 2013 में हुआ था और पीसी अधिनियम की धारा 13 को इसमें शामिल किया गया था। 2009 में पहली बार पीएमएलए अनुसूची। यह कहा गया है कि यह धारा 2(1)(यू) के तहत "अपराध की आय" शब्द में फिट नहीं हो सकता है, वही किया गया है

डी

2009 से पहले। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 या किसी अन्य प्रावधान के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के निर्धारण के लिए, प्रासंगिक समय अनुसूचित अपराध के कमीशन का समय होना चाहिए। तर्क यह है कि केवल एक अनुसूचित अपराध की उपस्थिति ही अपराध की आय उत्पन्न कर सकती है और, इसलिए, बदले में ई मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जा सकता है। इस प्रकार, एक तरह से यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 3 के लिए दोषसिद्धि का प्रारंभिक बिंदु एक अनुसूचित अपराध का कमीशन हो सकता है। अनुच्छेद 20(1) के तहत

संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में तर्क, जिसके अनुसार अपराध के लिए सामग्री उस दिन मौजूद होनी चाहिए जिस दिन अपराध किया जाता है या पता चला है, किसी भी पूर्वव्यापी के विरोध में भी प्रभावित किया गया है

एफ

या अधिनियम का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग। तर्कों को मजबूत करने के लिए, इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है***Soni Devrajbhai Babubhai vs. State of Gujarat and Ors.***[98],महिपाल सिंह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य।[99],टेक महिंद्रा लिमिटेड बनाम संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद और अन्य।[100],और जी गादी नागवेकट सत्यनारायण बनाम। उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय[101] और वह दिल्ली उच्च न्यायालय में***Arun Kumar Mishra***

[98](1991) 4 एससीसी 298 (फुटनोट संख्या 131 पर भी)

[99](2014) 11 एससीसी 282

[100]WP संख्या 17525/2014 पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 22.12.2014 को निर्णय लिया

ग

या

ए

च

[101]2017 एससीसी ऑनलाइन एटीपीएमएलए 2

बनाम प्रवर्तन निदेशालय[102],एमएस। अजंता मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड

ए

बनाम प्रवर्तन निदेशालय[103]औरएमएस। महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय[104].

(ii)यह तर्क कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, 'प्रक्षेपण' या 'बेदाग संपत्ति' के रूप में 'दावा' करना अनिवार्य है, को भी सेवा में लाया गया है। यह

बी

यह भी आग्रह किया जाता है कि अपराध की आय केवल एक विधेय अपराध के कमीशन से ही उत्पन्न की जा सकती है और जांच की शुरुआत केवल तभी होती है जब एक विधेय अपराध ने अपराध की ऐसी आय उत्पन्न की हो, केवल पीएमएलए की अनुसूची में विधेय अपराध को शामिल करने के बाद। . एक और बिंदु जो रहा है सी

इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रक्षेपण, यदि अपराध को अनुसूची में शामिल करने की तारीख से पहले किया जाता है, तो इसे जारी नहीं रखा जा सकता है और इस तरह, पीएमएलए के प्रयोजनों के लिए इसे मृत माना जाता है।

(iii)यह आग्रह किया जाता है कि जमानत के प्रयोजनों के लिए, यह

स्थापित कानून है कि सात साल से कम की सजा वाले अपराध किसी व्यक्ति को डी होने की अनुमति देते हैं।

जमानत पर मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता को ऐसे अधिनियम द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45(2) जमानत के सामान्य सिद्धांतों और भारत के संविधान के विपरीत है। यह भी बताया गया है कि सीआर.पी.सी. की धारा 437. धारा 45(2) के समान शर्तें लगाते हुए इसे आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों तक सीमित रखा गया है। ऐसा किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता

और

पीएमएलए के तहत अधिकतम सात साल की सजा वाली जमानत की शर्तें उचित हैं। उपरोक्त तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह कहा गया कि धारा 45(2) केवल विशेष न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदनों पर लागू हो सकती है और धारा 439 सीआरपीसी के तहत विशेष शक्तियां हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उसी के आलोक में, एफ को विशेष शक्तियां दी जाएं

पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय, क्योंकि ये प्रावधान, प्रकृति में कठोर, केवल टाडा अधिनियम, पोटा, मकोका और एनडीपीएस अधिनियम जैसे अधिनियमों में विचार किए गए थे, क्योंकि उपरोक्त सभी में उपस्थिति सुरक्षित करना मुश्किल था। इसके अलावा, जब तक कि धारा 3 को संगठित अपराध सिंडिकेट तक सीमित नहीं किया जाना था, जो वास्तव में वास्तविक इरादा था, जमानत प्रावधानों को खत्म किया जा सकता है।

जी

[102]2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 8658

[103]2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 8659। ईडी द्वारा एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18478/2015 में इस न्यायालय के समक्ष निर्णय का विरोध किया गया था, जिसमें यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था।[104]2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 475। हालांकि इस फैसले को ईडी ने एलपीए में डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें यह माना गया था कि इसे मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

एच

7. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी का तर्क है कि यह

ए

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या मनी-लॉन्ड्रिंग एक स्टैंडअलोन अपराध है या अनुसूचित अपराध पर निर्भर है? वह बताते हैं कि ईडी ने पूर्व रुख बरकरार रखा है. यह बताया गया है कि इस दृष्टिकोण को दिल्ली, इलाहाबाद और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों ने खारिज कर दिया है। इसके विपरीत, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय बी

इस तरह के विचार को स्वीकार कर लिया है. यह जोड़ा गया है कि ईडी का तर्क 2019 संशोधन द्वारा धारा 44(1)(डी) में जोड़े गए स्पष्टीकरण पर आधारित है। यह स्वीकार करते हुए कि धारा 8(7) में कुछ छूटें हैं, यह तर्क

दिया जाता है कि वे केवल विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। विद्वान वकील तब मामलों के संचालन के क्रम को संदर्भित करता है और धारा 43(2) और 44(1) को इंगित करता है, जिससे विशेष न्यायालय कर सकता है

सी

अनुसूचित अपराध के साथ-साथ मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध का भी प्रयास करें। उनका कहना है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग निष्कर्षों के कारण, उक्त दोनों मामलों के संचालन के क्रम को लेकर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड और केरल के उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है; कोई आवश्यकता नहीं है D निर्धारित अपराध की सुनवाई होने तक मनी-लॉन्ड्रिंग के मुकदमे को रोकना। यह प्रस्तुत किया गया है कि केरल उच्च न्यायालय ने पाया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध अनुसूचित अपराध पर निर्भर है। दूसरी ओर, राज्य तेलंगाना का उच्च न्यायालय मनी-लॉन्ड्रिंग को अनुसूचित अपराध से पूरी तरह से स्वतंत्र पाता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, धारा 212 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है

और

आईपीसी, जहां उच्च न्यायालयों का मानना है कि जब तक मूल अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपी को शरण देने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। हालाँकि, यह भी बताया गया है कि धारा 212 का मुकदमा मूल अपराध के साथ एक साथ चलाया जा सकता है।

(मैं)इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 2(1)(यू) और

एफ

पीएमएलए की धारा 3 को बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है जिनके पास ज्ञान नहीं है या जिन्होंने भाग नहीं लिया है, जो पूरी तरह से असंबद्ध तीसरे पक्ष हैं। दोषसिद्धि को कायम रखना होगा. अपराध से प्राप्त आय को जी द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई किसी भी संपत्ति के रूप में गलत व्याख्या दी गई है परोक्ष रूप से। धारा 24 की धारणा के आधार पर, जिन व्यक्तियों ने बिना जानकारी के भी कुछ अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित अपराध नहीं किया है, उन्हें धन शोधन का दोषी माना जाता है।

(ii)इसके अलावा, पूर्वव्यापीता के प्रश्न को भी संबोधित किया गया है, जिसके तहत 2019 के संशोधन के बाद, मनी-लॉन्ड्रिंग को अब एच कहा जाता है।

अपराध की आय से जुड़ा एक निरंतर अपराध। यह आग्रह किया गया है

ए

ईडी का तर्क है कि अभियोजन या कुर्की इस बात पर ध्यान दिए बिना हो सकती है कि क्या कथित अपराध 2002 में अधिनियमित होने से पहले भी किया गया था, भले ही पीएमएलए अनुसूची में विधेय अपराध को शामिल किया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे कई संशोधन हैं जो मूल प्रकृति के हैं, जिन्हें

पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा रहा है, जैसे बी

धारा 2(1)(यू), 3, 8, 24, 44, आदि के रूप में। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि धारा 8 के संदर्भ में 2013 के संशोधन से पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि कुर्की जब्ती के नागरिक परिणामों का कारण बनती है। मतलब यह है कि यदि कोई अनुसूचित अपराध पीएमएलए के अधिनियमन या कुछ अपराधों को शामिल करने से पहले किया गया है

सी

इसका शेड्यूल, कुर्की या जब्ती तक चल सकती है. हालाँकि, तब से, संशोधन एक नया कानूनी प्रश्न लेकर आया है। आज, नागरिक और आपराधिक परिणामों के बीच की रेखा बदल गई है, क्योंकि धारा 8 अब धन-शोधन के लिए दोषी ठहराए जाने पर निर्भर है। इसलिए, इसे विधेय अपराधों या डी के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है

पीएमएलए अधिनियमन से पहले किए गए अनुसूचित अपराध। हैदराबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का भी संदर्भ दिया गया है जहां धारा 8(5) को अर्ध आपराधिक होने के कारण संभावित पाया गया है।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने आग्रह किया कि वास्तविक उचित प्रक्रिया ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्थान ले लिया है।[105]. और

विद्वान वकील ने वास्तविक उचित प्रक्रिया और अनिवार्य खुली अदालत की समीक्षा की प्रक्रिया के पहलुओं को भी बताया है। पूछताछ के दौरान आरोपी के अधिकार के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि यह न्यायालय 'उचित प्रक्रिया' अधिकारों से निपटता हैमोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम. महाराष्ट्र राज्य[106], का उपयोग कहां होता हैमिरांडाअधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया है. विद्वान वकील ने भी किया है

एफ

मामले के तथ्यों पर गौर किया गया है, जहां यह कहा गया है कि भागीदारी के सीमित अधिकार और सबूत के विपरीत बोझ के साथ विधेय अपराध और लॉन्ड्रिंग अपराध दोनों में छह साल लंबी प्री-ट्रायल प्रक्रिया हुई है।

(मैं)यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 50 अधिकार का उल्लंघन करती है

जी

अधिनियम के तहत बुलाए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करता है। धारा 53 का अनुपालन न करना है

[105]मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य,(2014) 9 एससीसी 737 (पैरा 28); यह भी देखें:सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य।, (1978) 4 एससीसी 494;मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य,(1983) 2 एससीसी 277।

एच

[106](2012) 9 एससीसी 1

[एक। एम. खानविलकर, जे.].

पीएमएलए की धारा 63 के माध्यम से दंडित किया गया। विद्वान वकील ने कहा है

ए

के सन्दर्भ में अन्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों को अपनायातूफान सिंह[107]. यह तर्क दिया गया है कि धारा 50 के तहत आरोपी को बाहर किए बिना "किसी भी व्यक्ति" शब्द का उपयोग उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। सीआरपीसी के तहत कोई सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं कराए गए। और 1872 अधिनियम का विस्तार पीएमएलए अपराध के लिए कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों तक किया जाता है। बताया गया है कि बी

जिस चरण में किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 20(3) के तहत संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी जाती है, उसे कानून के माध्यम से लचीला नहीं बनाया जा सकता है। यह कहा गया है कि भले ही पीएमएलए एक शिकायत-आधारित प्रक्रिया है, धारा 50 के अनुसार, कोई भी शिकायत-पूर्व चरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस प्रकार, धारा 50 को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि ईडी प्रथा संवैधानिक उल्लंघन के लिए एक विकृत प्रोत्साहन संरचना है

सी

जहां एक आरोपी को फंसाया जाता है और जारी किए गए समन को सही ठहराने के उद्देश्य से व्यापक पूछताछ की जाती है। धारा 44(1)(डी) के संबंध में, यह कहा गया है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया है और यह प्रावधान विधेय अपराध का फैसला करने वाले मुकदमे में आरोपी पर अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है।[108]

डी

(ii)इसके अलावा, धारा 44(1)(डी) के स्पष्टीकरण में दोनों परीक्षणों को विशेष न्यायालय के समक्ष आयोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन अलग-अलग परीक्षणों के रूप में, निष्पक्ष परीक्षण की आवश्यकता को असंभव बना दिया गया है। इस आधार को मजबूत करने के लिए, यह कहा जाता है कि जब एक न्यायाधीश को मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वह ई नहीं रह सकता है। उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर विधेय अपराध का निर्णय करते समय स्वतंत्र प्राधिकारी। इस प्रकार, यह विरोधाभासी प्रावधान एक न्यायाधीश के लिए संबंधित तथ्यों के संबंध में एक ही आरोपी के अधिकारों के दो अलग-अलग सेटों से निपटने के लिए पूरी तरह से बेतुकापन बनाता है। यह हर उस अपराध के लिए है जिसकी सुनवाई अन्यथा मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती, ईडी द्वारा की गई जांच न्यायाधीश के दिमाग को प्रभावित करेगी[109].

एफ

इसके अलावा, आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए 2017 के सुओ मोटो रिट (सीआरएल) नंबर 1 पर भी भरोसा किया गया है।[110]. न्यायालय ने

आपराधिक अभ्यास, 2021 के मसौदा नियमों को शामिल किया है जिन्हें अपनाने के लिए परिचालित किया गया है

जी

[107]सुप्रा फुटनोट संख्या 31 पर (फुटनोट संख्या 24 पर भी)
[108] नाहर सिंह यादव एवं अन्य. बनाम भारत संघ एवं अन्य,(2011) 1 एससीसी 307[109]हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य,एआईआर 1952 एससी 343 (10 के लिए)
[110]अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देश, पुनः,बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य,(उपरोक्त फुटनोट क्रमांक 12 पर)

एच

सभी उच्च न्यायालयों द्वारा। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 44 अधिकार छीन लेती है

ए

मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय विधेय अपराधों से अपील की[111].

(iii)यह आग्रह किया जाता है कि पीएमएलए एक व्यापक ढांचा तैयार करे जिसमें जांच पर कोई बंधन न हो। ईडी मैनुअल के उपयोग को लेकर अस्पष्टता पैदा करते हुए ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान करने से इनकार भी चुनौती के अधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(बी)(v).[112]

बी

यह दिखाने के लिए सेवा में लगाया गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके या उसके कर्मचारियों द्वारा रखे गए नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और रिकॉर्ड को प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत, ईडी मैनुअल को आम जनता के लिए एक रहस्य कहा जाता है। सन्दर्भ भी C है

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को एक आरटीआई आवेदन के जवाब में पुलिस मैनुअल की एक प्रति प्रदान करने के लिए कहा गया था[113]. यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी मैनुअल का ऐसा गैर-प्रकटीकरण कानून में टिकाऊ नहीं है। यह किसी अभियुक्त के परीक्षण-पूर्व अधिकारों को सुरक्षित करना कठिन बना देता है। यहां तक कि सी.बी.आई. मैनुअल जो कि सीआरपीसी के वैधानिक प्रावधान पर आधारित है, को भी इस न्यायालय ने आवश्यक पाया है

डी

और सी.बी.आई. द्वारा इसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए[114]इसी तरह, अन्य प्राधिकरण, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, आयकर अधिकारी, 1962 अधिनियम के तहत प्राधिकरण, पुलिस प्राधिकरण, जेल प्राधिकरण, सभी उनके द्वारा प्रकाशित मैनुअल द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार, यह केवल ईडी है जो गैर-प्रकटीकरण के एक विशिष्ट दृष्टिकोण का

पालन करता है।

और

(iv)यह भी तर्क दिया गया है कि पीएमएलए की अनुसूची कई जमानती अपराधों को गैर-जमानती बना देती है, जबकि इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।[115]. उन अपराधों का वर्णन करें जो उनके मूल अधिनियम जैसे कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत हैं[116], जमानती हैं लेकिन पीएमएलए के आवेदन पर एफ

[111]हिमांशु सिंह सभरवाल बनाम. मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य।, (2008) 3 एससीसी 602[112]संक्षेप में, "आरटीआई अधिनियम"

[113]महाराष्ट्र राज्य बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य., 2018 एससीसी ऑनलाइन बम 1199

[114]विनीत नारायण एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य,(1998) 1 एससीसी 226; यह भी देखें:शशिकांत बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य,(2007) 1 एससीसी 630;केंद्रीयजी

जांच ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल,(2014) 14 एससीसी 295; औरएसपी के माध्यम से झारखंड राज्य, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम लालू प्रसाद यादव उर्फ लालू प्रसाद,(2017) 8 एससीसी 1.

[115]राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम. बालचंद उर्फ बलिया,(1977) 4 एससीसी 308; यह भी देखें:संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो,(2012) 1 एससीसी 40;केरल राज्य बनाम रनीफ,(2011) 1 SCC 784 (para 15).

एच

[116]संक्षेप में, "1976 अधिनियम"

गैर जमानती हो गए. अंतर्निहित विशेष का इरादा और प्रावधान

ए

इसलिए, पीएमएलए के व्यापक प्रावधानों से यह अधिनियम निरर्थक हो जाता है। दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया है कि पीएमएलए के तहत कुर्की प्रक्रिया विधेय अपराध में निहित प्रावधानों के विपरीत चलती है। यह हैरान करने वाला भी है, क्योंकि अंतर्निहित क़ानून में ही अपराध की अवैध आय को कुर्क करने की प्रक्रिया शामिल है। यूएपीए और प्रतिभूतियों की सहायता और बी भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992[117] इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि जबकि विधेय अपराध के तहत, कुर्की केवल दोषसिद्धि के बाद ही हो सकती है, पीएमएलए की धारा 5 दोषसिद्धि से पहले संपत्ति की कुर्की को सक्षम बनाती है। यह अनिवार्य रूप से एक ही अपराध के लिए दो अलग-अलग मानक और दो अलग-अलग आपराधिक कुर्की कार्यवाही बनाता है। यहां तक कि सी.आर.पी.सी. अपराधियों को अपराध के फल से वंचित करने का प्रावधान करता है और

सी

धारा 452(5) के माध्यम से संपत्ति के असली मालिक को उसकी स्थिति के साथ बहाल करने की अनुमति मिलती है।

(में)अगला तर्क अपीलीय न्यायाधिकरण में न्यायिक पक्षाघात के संबंध में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी प्रदान करना इस कठोर कानून में एकमात्र सुरक्षा उपायों में से एक है

डी

लगाव के तंत्र का. यहां तक कि यह निरीक्षण भी निरर्थक हो गया है क्योंकि 21.09.2019 के बाद से उक्त ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल को निरर्थक बना दिया गया है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि उस चरण में कब्ज़ा लेना जब केवल एक अनंतिम कुर्की की गई हो, महान ई का कारण बन सकता है कठिनाई और वित्तीय बर्बादी, वस्तुतः किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने के समान है और इसे टाला जा सकता है। इसके अलावा, असंवैधानिक कानूनों की अप्रभावीता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आधिकारिक आंकड़े हमारे ध्यान में लाए गए हैं, जहां प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छापे बढ़े हैं और फिर भी, 2005 के बाद से 2015-16 तक दोषसिद्धि की संख्या शून्य रही है और उसके बाद, एक तक पहुंच गई है 2018-19 में अधिकतम चार.

एफ

9. फिर, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि सभी प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीएमएलए की धारा 50(3) और धारा 63(2)(ए) और (सी), जहां तक वे अभियुक्तों से संबंधित हैं व्यक्ति, हैंअधिकारातीतभारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने इसे वर्तमान योजना के तहत प्रस्तुत किया

जी

अधिनियम, एक अनुसूचित अपराध के लिए पूर्व एफआईआर की आवश्यकता होती है। एफआईआर में नामित व्यक्ति एक आरोपी व्यक्ति के चरित्र में खड़ा होगा, और इस तरह, उसे पीएमएलए की धारा 50 (3) के तहत खुद को दोषी ठहराने या खुद को दोषी ठहराने वाले दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। का अगला चरण

[117]संक्षेप में, "सेबी अधिनियम"

एच

तर्क इस हद तक है कि धारा 63(2)(सी), जो अनिवार्य है

ए

धारा 50 की अवज्ञा के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करना, अनुच्छेद 20(3) और 21 की संवैधानिक सुरक्षा के तहत आरोपी व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता है, जिसके तहत उसे चुप रहने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। हमें अन्य क़ानूनों में भी पीएमएलए की धारा 50(3) और 50(4) के समान प्रावधान दिखाए गए हैं, जैसे बी की धारा 171ए

1878 अधिनियम, समुद्री सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1955 की

धारा 12 द्वारा डाला गया; 1962 अधिनियम की धारा 108; केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 14[118] और FERA की धारा 40। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया और कस्टम अधिकारियों और अन्य उपर्युक्त अधिकारियों को ईडी अधिकारियों से इस आशय से अलग किया कि वे केवल शुल्क की वसूली करते हैं और ईडी अधिकारियों की तरह अपराधों की जांच नहीं करते हैं। अन्यथा भी, यह है

सी

ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही पीएमएलए की धारा 50, 1962 अधिनियम की धारा 18 और अन्य उपर्युक्त क़ानूनों के तहत जारी किए गए समन के समान प्रतीत हो सकती है, तथापि, इसमें गहरा अंतर है। क्योंकि, जब किसी व्यक्ति को उपर्युक्त अधिनियमों, जैसे कि 1962 अधिनियम, के तहत बुलाया जाता है, तो वह आरोपी की स्थिति में नहीं होता है। वह ही आरोपी डी बनता है

एक बार मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर या शिकायत दर्ज की गई है। हालाँकि, उनका कहना है कि यह पीएमएलए के तहत मामला नहीं है। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कि आरोपी के चरित्र में कौन खड़ा है, इस न्यायालय की कुछ संविधान पीठ के फैसलों का संदर्भ दिया गया है, जिन्हें पहले ही पिछले विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया जा चुका है। अर्थात,रोमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[119],बालकिशन ए.

और

Devidayal vs. State of Maharashtra [120] औरसरो[121].

(मैं)इसी तरह, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पोंडा ने भी फैसले पर भरोसा कियारमणलाल भोगीलाल शाह एवं अन्य। बनाम डी.के. गुहा एवं अन्य।[122] और बताया कि फेरा के मामलों में भी, एक व्यक्ति एक ही लेनदेन के लिए एक अलग एफआईआर में आरोपी के चरित्र में खड़ा होता है। वह

एफ

खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें ईडी ने खुद FERA के तहत आरोपियों की जांच की थी। यह पाया गया कि भले ही आम तौर पर FERA के तहत कोई व्यक्ति आरोपी नहीं होता है, तथापि, इस विशेष मामले में, उक्त व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोपी होने के नाते उसे मजबूर नहीं किया जा सकता था।

[118]संक्षेप में, "सीईएसए 1944 अधिनियम"

[119](1969) 2 एससीआर 461: एआईआर 1970 एससी 940

[120](1980) 4 एससीसी 600 (फुटनोट संख्या 41 पर भी)

[121]फुटनोट संख्या 43 पर सुप्रा

[122](1973) 1 एससीसी 696 (सर्वोत्तम 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18-25)

एच

उन सवालों का जवाब देने के लिए जो उसे दोषी ठहराएंगे। यही दलील भी है

ए

में बरकरार रखा गया हैपूलपंडी और अन्य। बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य.[123]. यह आग्रह किया गया कि किसी आरोपी को ऐसे किसी भी आपत्तिजनक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसे वह प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। पर भरोसा रखा गयागुजरात राज्य बनाम. श्यामलाल मोहनलाल चौकसी[124].इसके अलावा, यह दोहराया गया है कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा बी यह न केवल अदालती कार्यवाही में, बल्कि जांच के चरण में भी लागू होता है[125].

(ii)इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि पीएमएलए की धारा 2(1)(एनए) "जांच" को परिभाषित करती है। इस प्रकार, धारा 50 के तहत कार्यवाही स्पष्ट रूप से साक्ष्य एकत्र करने के लिए जांच का एक हिस्सा है। धारा सी के तहत समन

50(2) अधिनियम के तहत जांच के दौरान साक्ष्य देना या रिकॉर्ड तैयार करना है, इस प्रकार, अनुच्छेद 20(3) द्वारा संरक्षित है। पीएमएलए की धारा 50(4) यह भी निर्धारित करती है कि ये न्यायिक कार्यवाही हैं, इसलिए, आरोपी व्यक्ति को अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षित किया जाएगा। धारा 63(2)(ए) और 63(2)(सी) आरोपी पर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करती है, क्योंकि जानकारी देने में विफलता के लिए उस पर आगे मुकदमा चलाया जा सकता है और

डी

ऐसे दस्तावेज़ प्रदान करें जो उसे दोषी ठहराएँ। हमारा ध्यान उस सामान्य प्रथा की ओर भी आकर्षित होता है जिसमें न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही के दौरान व्यक्तियों को असहयोगी करार दिया जाता है और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी या रिमांड बढ़ाने के बहाने के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मौलिक अधिकारों का सीधा अपमान और न्याय का मखौल है।

और

10. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ अग्रवाल भी निजी पक्षों की ओर से उपस्थित हुए। उनका मुख्य विरोध पीएमएलए के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग को लेकर है। इस संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति है यदि अनुसूचित अपराध का कमीशन और अपराध की आय एफ से पहले होती है। पीएमएलए लागू हो रहा है; और, इसी तरह, ऐसी स्थिति में जब यह अपराध पीएमएलए की अनुसूची का हिस्सा बनने से पहले किया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि महत्वपूर्ण आपराधिक क़ानूनों के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ निषेध एक संवैधानिक अनिवार्यता है जिसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से इसकी पूर्ण व्याख्या देने की आवश्यकता है। उन्होंने श्री जी पर प्रकाश डाला

[123](1992) 3 एससीसी 259

[124]एआईआर 1965 एससी 1251 (और पैरा 23 से आगे, प्रासंगिक पैरा 32, 34 और 41 से बहुमत का दृष्टिकोण)

[125]पर भरोसाकाठी कालू ओघड़(उपरोक्त फुटनोट संख्या 44 पर),*Nandini Satpathy* (उपरोक्त फुटनोट संख्या 35 पर),सरो(उपरोक्त फुटनोट संख्या 43 पर) औरतूफान सिंह(फुटनोट संख्या 24 और 31 पर पूर्व)

एच

ऐसी स्थितियाँ जहाँ व्याख्या आवश्यक है। एक, जहां लेन-देन

ए

पीएमएलए के प्रवर्तन से पहले निष्कर्ष निकाला गया था; दो, अपराधों को पीएमएलए की अनुसूची में जोड़े जाने से पहले; और तीन, क्या संशोधन 2019 संशोधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आड़ में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है।

(मैं)यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता

बी

जब तक कि इसे विशेष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया हो, ऐसी कार्रवाई करने और खुद को आपराधिक दायित्व के लिए उजागर करने के लिए व्यक्ति के 'ज्ञान' के आवश्यक घटक को देखते हुए। अनुच्छेद 20(1) के तहत सुरक्षा और सिद्धांत के अनुरूपनए संविधान को अतीत पर नहीं, बल्कि भविष्य पर अपना स्वरूप थोपना चाहिए'[126], इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था सी

यह आग्रह करने के लिए कि सामान्य नियम तब लागू होता है जब प्रश्न में क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना/नया बोझ थोपना/मौजूदा दायित्वों को ख़राब करना है[127].

(ii)पूर्वव्यापी आधार पर प्रस्तुतिकरण को सही बनाने के लिए, यह बताया गया है कि परिभाषा के अनुसार, मनी-लॉन्ड्रिंग आय पर निर्भर है डी

अपराध का, जो बदले में एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि पर निर्भर करता है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि जब तक पीएमएलए लागू नहीं होता तब तक किसी आपराधिक गतिविधि से अपराध की कोई आय उत्पन्न नहीं हो सकती है। वह भी उस तारीख से जुड़ा होना चाहिए जब अनुसूची ने नये विधेय अपराध को स्वीकार किया हो। इसका मतलब केवल यह है कि जो संपत्ति "अपराध की आय" नहीं है, वह पूर्वव्यापी रूप से पीएमएलए के आधार पर नहीं हो सकती

और

सच्चे अर्थों में इसकी विशेषता है। इसके अलावा, पीएमएलए के अधिनियमन से पहले, अपराध की आय या आपराधिक अपराधों से प्राप्त आर्थिक लाभों से संबंधित कोई समान अपराध नहीं था। वह बताते हैं कि ऐसे कई अधिनियम थे जो आपराधिक गतिविधि के अवैध फलों से निपटते थे। इस प्रकार, पीएमएलए को कानून एफ में विकलांगताओं की सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है

अवैध धन को पूर्वव्यापी तरीके से। वह पिछले कुछ वर्षों में हुए कई संशोधनों

के बारे में आलोचनात्मक थे और विशेष रूप से इस तथ्य के बारे में कि धारा 3 के वास्तविक आयात को 2019 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर विस्तारित किया जा रहा है। इस प्रकार, मुख्य का तात्पर्य बहुत संकीर्ण है

जी

[126]केशवन माधव मेनन बनाम. बम्बई राज्य,एआईआर 1951 एससी 128 (15 के लिए)[127]देखना :*Soni Devrajbhai Babubhai* (उपरोक्त फुटनोट संख्या 98 पर) (पैरा 8-10);रितेश अग्रवाल एवं अन्य। बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य., (2008) 8 SCC 205 (para 25]; हरजीत सिंह बनाम. पंजाब राज्य,(2011) 4 एससीसी 441 (ऑप्ट 13-14);वरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य., (2014) 3 एससीसी 151 (पैरा 10); औरआयकर आयुक्त *(केंद्रीय)-I,* नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, (2015) 1 एससीसी 1 (सर्वोत्तम 27-31)

एच

प्रावधान, बदला नहीं जा सकता[128]. धारा 3 में कोई भी संशोधन नहीं

ए

या अनुसूची में परिवर्तन का भाषा पर पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। धारा 3 का संशोधन केवल "संदेहों को दूर करने के लिए" था, जबकि धारा 45 का संशोधन "हमेशा से ही माना जाता था"। उच्च न्यायालयों के कई फैसले, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, यह मानते हुए कि पीएमएलए को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, बी थे

भी संदर्भित[129].

(iii)इसके अतिरिक्त, 2019 के संशोधन के माध्यम से धारा 3 में स्पष्टीकरण के खंड (ii) को शामिल करने के प्रभाव पर भी सवाल उठाया गया है। यह कहा गया है कि किसी भी क़ानून में निरंतर अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ अपराधों का वर्णन इस प्रकार किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराधी सी

गतिविधि निरंतर जारी है, कुछ उदाहरण छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 281 में हैं[130]; फार्मेसी अधिनियम, 1948 में धारा 36(1)(iii)(डी)।[131] और कंपनी अधिनियम में धारा 162(1) और 220(3)। इसलिए, निरंतर अपराध वह है जिसे उस अपराध से अलग किया जा सकता है जो एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह एक अपराध है जहां तक नियम या आवश्यकता का पालन या अनुपालन नहीं होता है

डी

प्रभावी, प्रत्येक बाद के गैर-अनुपालन के कारण बार-बार अपराध घटित होता है[132]. मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में, यह है

[128]बिहटा सहकारी विकास एवं गन्ना विपणन संघ लिमिटेड एवं अन्य। बनाम बैंक ऑफ बिहार एवं अन्य., एआईआर 1967 एससी 389 (पैरा 5 एवं 7-8];दत्तात्रेय गोविंद महाजन और अन्य। बनाम

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य., (1977) 2 SCC 548 (para 9); एस. सुंदरम पिल्लई एवं अन्य।और *vs. V.R. Pattabiraman & Ors.*, (1985) 1 एससीसी 591 (ऑप्ट. 27 एवं 45-53);जगन एम. शेषाद्रि बनाम जगन एम. शेषाद्रि टी.एन. राज्य,(2002) 9 एससीसी 639; औरहरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य., (2006) 8 SCC 613 (para 31)

[129]टेक महिंद्रा लिमिटेड(फुटनोट नं.100 पर सुप्रा) (तेलंगाना और एपी उच्च न्यायालय, 22.12.2014 को निर्णय - पैरा 12, 33, 65-67 और 68-71) आदेश दिनांक के साथ पढ़ें। 08.12.2017 को इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) डायरी संख्या 34143/2017 में पारित किया गया;एमएस। अजंता मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड(फुटनोट संख्या 103 पर - पैरा 20-22 और 29);*Arun Kumar Mishra* (सुप्रा एट

एफ

फ़ुटनोट संख्या 102 - पैरा 19-21 और 27-28);महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स प्रा. लिमिटेड(फुटनोट संख्या 104 पर - पैरा 25-27, 33-35, 37 और 38-39];ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड बनाम संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार,ILR 2017 Kar 1846 (paras 5 & 10-12); अजय कुमार गुप्ता एवं अन्य। बनाम निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) और अन्य., (2017) 2 एलडब्ल्यू (सीआरआई) 252 (पैरा 7, 10 और 13-22) औरमधु कोनेरू बनाम प्रवर्तन निदेशक,सी.आर.एल. पेट.सं. 4130/2019 दिनांक 02.06.2021 को निर्णय लिया गयाजी तेलंगाना उच्च न्यायालय (पैरा 31-32)।

[130]संक्षेप में, "2006 अधिनियम"

[131]संक्षेप में, "1948 अधिनियम"

[132]बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी एवं अन्य।, (1972) 2 SCC 890 (para 5); धन कर आयुक्त, अमृतसर बनाम सुरेश सेठ,(1981) 2 एससीसी 790 (पैरा 11-17)। [नोट: 'लगातार अपराध' पर इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की पुष्टि की गई हैश्रीमती माया रानी पुंज (श्रीमती) बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, (1986) 1 एससीसी 445 (ऑप्ट. 15-20)]

एच

आग्रह किया कि इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु है,

ए

जहां अपराध की आय का सृजन शुरू होता है और अपराध की आय के वित्तीय प्रवाह में बेदाग धन के रूप में एकीकरण के साथ समाप्त होता है। इस प्रकार, हालांकि यह समय के साथ हो सकता है लेकिन इसे निरंतर अपराध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, वास्तविक व्याख्या के उद्देश्य से, बी द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण का कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है

2019 का संशोधन, क्योंकि यह एक मात्र स्पष्टीकरण है जो मुख्य खंड के दायरे को विस्तृत नहीं कर सकता है[133].

11. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी निजी पक्षों की ओर से दलीलें पेश करने के लिए कतार में अगले थे। उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 44(1)(ए) असंवैधानिक है और सी का उल्लंघन है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21. उनका तर्क है कि उक्त धारा का पीएमएलए के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। यह धारा धारा 3 के तहत अपराध और अनुसूचित अपराध के संयुक्त परीक्षण पर विचार नहीं करती है। इसके अलावा, वह धारा 44(1)(ए) की व्याख्या इस अर्थ में करते हैं कि विशेष न्यायालय केवल अनुसूचित अपराध की सुनवाई कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं; सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार इस पर अलग से

मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये भी

डी

कहा कि इस बदलाव के पीछे का तर्क समझ पाना मुश्किल है। दूसरी ओर, यह बताया गया है कि अनुसूचित अपराध के लिए सीआरपीसी के अनुसार मुकदमा चलाने के आरोपी के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, कम से कम अनुसूची में उल्लिखित आईपीसी के 58 अनुसूचित अपराधों में से 37 के संबंध में 2002 अधिनियम, विशेष रूप से प्रथम श्रेणी या ई के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है

कोई भी मजिस्ट्रेट. इस तर्क के समर्थन में इस पर भरोसा जताया गया हैए.आर. अंतुले बनाम. आर.एस. नायक एवं अन्य.[134]. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस धारा की वर्तमान व्याख्या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाने के अधिकार, धारा 374(3) के तहत सत्र न्यायालय में प्रथम अपील के अधिकार और उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के अधिकार का उल्लंघन करती है। सीआरपीसी की धारा 401 के तहत. सत्र के अपीलीय निर्णय से

एफ

अदालत। यह एक दमनकारी व्याख्या की ओर ले जाता है जहां एक आरोपी जिस पर पीएमएलए अपराध के तहत आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन केवल विधेय अपराध के तहत आरोप लगाया गया है, उस पर भी विशेष अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। यह इस तथ्य से भी प्रभावित है कि पीएमएलए के भीतर कई अनुसूचित अपराध स्वयं विशेष क़ानून का हिस्सा हैं जो निर्धारित करते हैं कि उनकी सुनवाई विशेष जी द्वारा की जाएगी।

न्यायालय विशेष रूप से उन विशेष क़ानूनों के तहत स्थापित किया गया। उदाहरण के लिए, पीसी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008[135]. इस प्रकार, ऐसे मामले में पीएमएलए विशेष अदालत नहीं कर सकती

[133]एमएस। अजंता मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड(सुप्रा और फ़ुटनोट नंबर 103) (पैरा 37)[134]एआईआर 1988 एससी 1531 (पैरा 59): (1988) 2 एससीसी 602

एच

[135]संक्षेप में, "एनआईए अधिनियम"

उन अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों की कोशिश करने की शक्ति। वाक्यांश 'कोई भी

ए

पीएमएलए की धारा 44(1)(ए) के तहत विचार किए गए अनुसूचित अपराध इन तीन क़ानूनों के साथ स्पष्ट रूप से संघर्ष में हैं और इसलिए, रद्द किए जाने योग्य हैं। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि यह धारा एक कानूनी बेतुकी बात है कि कैसे एक विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले एक अनुसूचित अपराध की सुनवाई कर सकता है, जिसके बिना बी का प्रारंभ होता है।

विशेष न्यायालय का कोई अस्तित्व नहीं है. यह भी कहा गया है कि विशेष न्यायालय के समक्ष किस मुद्दे या अनुसूचित अपराध की सुनवाई की जाए, यह चुनने का विवेक केवल पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास है, जो एक विवेकाधीन और निरंकुश मनमानी शक्ति है।

(मैं)जहां तक धारा 44(1)(सी) का संबंध है, यह आग्रह किया जाता है कि यह सीन हीं है आवेदन दाखिल करने के लिए किसी भी कारण का अनिवार्य प्रकटीकरण। इसके अलावा, इस तरह के आवेदन को किसी अनुसूचित अपराध की जांच या सुनवाई के लिए कार्यवाही के किसी भी चरण में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान को उस चरण में प्रतिबद्धता की अनुमति देने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जब मुकदमा समाप्त हो चुका है और केवल निर्णय सुनाया जाना बाकी है। यह विषय वस्तु के संबंध में प्रशासनिक आदेश के प्रयोग को अधिकृत करने के समान है, जो वास्तव में एक अर्ध है डी न्यायिक अधिनियम. इसी तरह, यहां तक कि मजिस्ट्रेट भी आवेदन पर निर्णय करते समय कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और इस तरह उसका आदेश, यदि तर्कपूर्ण नहीं है, अमान्य होगा। धारा 44(1)(सी) के तहत 'प्रतिबद्ध' और 'प्रतिबद्ध' शब्दों की व्याख्या को गलत बताया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि 'कमिटल' शब्द का उपयोग अनुचित है और ई का वास्तविक इरादा है वर्तमान धारा मामले को पीएमएलए विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करना मात्र है। ऐसे में, यह अनुरोध किया गया है कि मामले को विशेष अदालत में भेजा जाए जिसने पहले ही पीएमएलए के तहत शिकायत पर संज्ञान ले लिया है, न कि किसी अन्य विशेष अदालत में। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया हैप्रवर्तन निदेशालय बनाम सूरजपाल एवं अन्य।[136] वहीं दूसरी ओर केरल हाई कोर्ट का फैसला एफ मेंपुलिस निरीक्षक, सीबीआई बनाम सहायक निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय (पीएमएलए) और अन्य।[137], जिसमें यह देखा गया है कि प्रत्येक मामले में विशेष न्यायालय में समर्पण के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं है और इसी तरह, न्यायालय के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदन को बिना दिमाग लगाए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है औरबाहरजी की खूबियाँ मामला। इसलिए, दोनों उच्च न्यायालयों के बीच दृष्टिकोण के टकराव को हल करने की आवश्यकता है।

[136]2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 10472 (पैरा 15-16)
[137]2019 एससीसी ऑनलाइन केर 4546

(ii)धारा 45 का हवाला देते हुए यह तर्क दिया जाता है कि धारा 201 और 212
ए

आईपीसी में श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान है या तथ्य के बाद एक सहायक के सिद्धांत के अनुरूप है। यह दिखाने के लिए कुछ मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि ये धाराएं मुख्य अपराधी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर सजा का क्रम निर्धारित करती हैं।[138]. यह कहा गया है कि पीएमएलए अपराध की धारा 3 भी एक प्रकार का बी है

> तथ्य अपराध के बाद सहायक। यह भी माना जाता है कि कुछ मामलों में अपराध की आय या अनुसूचित अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से अलग व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ऐसे मामले में, जहां मनी-लॉन्ड्रिंग सीधे तौर पर अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, लॉन्ड्रिंग तथ्य के बाद महज एक सहायक है। भले ही वह अपराध करता हो, वह इसे प्रस्तुत करता है

सी

मनी-लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है, हालाँकि, सबसे कड़ी सज़ा केवल सात साल है। इस प्रकार, धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तें पीएमएलए के तहत प्रदान किए गए अपराधों के लिए बेहद असंगत और अतार्किक हैं। यह भी कहा गया है कि पीएमएलए के तहत जमानत प्रावधानों का समीकरण एनडीपीएस अधिनियम या यूएपीए से नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा, यहां तक कि एक धारावाहिक डी

> हत्यारा जो मृत्युदंड के लिए उत्तरदायी हो सकता है, उस पर पीएमएलए की धारा 45 जैसी कठोर शर्त नहीं लगाई जाती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर चाहे जो भी हानिकारक प्रभाव पड़े, यह समाज की अंतरात्मा को उतना नहीं झकझोरता जितना सिलसिलेवार हत्यारे का आचरण। भरोसा भी रखा गया हैनिकेश ताराचंद शाह[139]इस तर्क के समर्थन में कि भले ही धारा 45 में संशोधन (जो

और

उपरोक्त मामले में हटा दिया गया था) उन स्थितियों को उन बुराइयों से बचाता है जिन पर इसे मारा गया था, अनुच्छेद 21 का दोष निर्दोषता के अनुमान को उसके सिर पर रख दिए जाने के कारण बना रहता है। यह भी कहा गया है कि मौजूदा प्रावधान में गंभीर अपराध से निपटने के लिए कोई बाध्यकारी राज्य हित नहीं है और हमें इस तरह की एफ की अनुमति देने के लिए दोगुना आश्वस्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हमला।

(iii)जहां तक धारा 24 और सबूत के बोझ का सवाल है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत उलट दिया गया है, यह कहा गया है कि धारा 24 (ए) विशेष न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद ही लागू होती है। धारा 24(बी) उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिन पर धारा 3 और जी के तहत धन-शोधन के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है

आगे यह तर्क दिया गया है कि धारा 24(ए) और (बी) का जमानत की कार्यवाही में कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि की धारणा

[138]सौ. विजया उर्फ बेबी बनाम महाराष्ट्र राज्य,(2003) 8 एससीसी 296 (पैरा 6); यह भी देखें:कर्नाटक राज्य बनाम मदेश और अन्य,(2007) 7 एससीसी 35 औररे कुट्टयन उर्फ नंबी थेवर में,एआईआर 1960 मैड 9

एच

[139]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

459

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.
[एक। एम. खानविलकर, जे.].

निर्दोषता सभी आपराधिक कार्यवाहियों में चलने वाला एक सुनहरा धागा है।

ए

यह केवल बाध्यकारी राज्य हित के आधार पर अत्यंत गंभीर अपराधों के मामलों में ही लागू हो सकता है। दलील दी गई है कि ऐसे मामले में जहां अधिकतम सजा सात साल की है, ऐसा प्रावधान हैअधिकारातीतसंविधान का अनुच्छेद 21. यह तर्क दिया जाता है कि यूएपीए, मकोका और पीसी अधिनियम जैसे विशेष कानूनों में, सबूत का उल्टा बोझ केवल बी है

सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे बाध्यकारी राज्य हित के कारण इसे बरकरार रखा गया है। इस प्रकार, इस बात पर सहमति है कि नार्को आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, गिरोहों के मामलों में निस्संदेह बुराइयाँ पनप सकती हैं; इसलिए, धारा 24(ए) को तदनुसार पढ़ा जा सकता है ताकि लॉन्डरिंग के मामलों पर लागू किया जा सके जहां विधेय अपराध नापाक गतिविधियों को दंडित करना चाहता है।

सी

12. विद्वान वकील श्री अभिमन्यु भंडारी ने भी निजी पक्षों की ओर से बहस की। उनकी सबसे बड़ी चुनौती 2019 के संशोधन के माध्यम से स्पष्टीकरण जोड़ने के बाद धारा 3 की व्याख्या करना है। उन्होंने कमोबेश वही तर्क दोहराए हैं जो पिछले विद्वान वकील ने दिए थे कि स्पष्टीकरण के माध्यम से, धारा 3 के तहत अपराध के घटक को "और" को "या" पढ़कर बदलने की मांग की गई है। उसके पास है

डी

संसद में मंत्री की रिपोर्टों और भाषणों पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विएना कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम, 2000 पर भी भरोसा जताया है।[140], जिसमें कहा गया है कि

मनी-लॉन्ड्रिंग केवल तभी की जाती है जब 'इस्तेमाल' और/या 'छिपाना' 'अवैध ई
को छुपाने या छिपाने के उद्देश्य से होता है।
संपत्ति की उत्पत्ति' या 'किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो अपने कृत्य के कानूनी परिणामों से बचने के लिए विधेय अपराध में शामिल रहा हो'[141]. भरोसा भी रखा गया हैनिकेश ताराचंद शाह[142], जिसमें यह माना गया है कि दागदार धन को बेदाग धन के रूप में प्रदर्शित करके छिपाना या छिपाना निषिद्ध है, न कि उनका खर्च।

एफ

(मैं)इस प्रकार, अपवाद यह है कि 2019 के संशोधन द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण ने मुख्य प्रावधान के दायरे को पूरी तरह से बदल दिया है जो कि परिभाषा है। यह चयन समिति की चिंताओं के विपरीत है और इस स्पष्टीकरण के बाद, एक व्यक्ति अब अपराध की मिनट की आय के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध करेगा

जी

उत्पन्न होते हैं. युनाइटेड स्टेट्स कोड की धारा 1956 के साथ एक समानता खींची गई है[143] जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध को छुपाना है

[140]संक्षेप में, "पालेर्मो कन्वेंशन" या "2000 संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन"

[141]पलेर्मो कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 देखें

[142]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

एच

[143]शीर्षक 18 यूएस कोड एस. 1956- मौद्रिक उपकरणों की लॉन्डरिंग

धन के स्रोत की पृष्ठभूमि. इसके अलावा, निर्भरता भी रखी गई है

ए

अमेरिकी निर्णयों पर जहां सर्किट न्यायालयों ने माना है कि अपराध की आय का खर्च या उपयोग करना मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के बराबर नहीं है, बल्कि अपराध की ऐसी आय का शोधन है[144]. इसके अलावा, यह कहा गया है कि इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में यह माना कि नए जोड़े गए स्पष्टीकरणों को पढ़ा जाना चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित हो सके और अस्पष्टता दूर हो सके।

मुख्य अनुभाग में और इसे अनुभाग की पिछली स्थिति के दायरे को विस्तारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है[145].

(ii)अगला विवाद पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित "अपराध की आय" की परिभाषा और उसके मूल्य के उपयोग के संबंध में है। यह तर्क दिया जाता है कि इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सी

एक - अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति; या, दो - ऐसी संपत्ति का मूल्य जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी

व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति है; और तीसरा - जहां ऐसी संपत्ति को देश के बाहर खेत में ले जाया जाता है, तो उसके मूल्य के बराबर संपत्ति देश के भीतर ही रखी जाती है

डी

देश हो या विदेश.

(iii)यह प्रस्तुत किया गया है कि 2019 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के कारण, इसकी व्याख्या न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति को शामिल करने के लिए की जा सकती है, बल्कि कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। आपराधिक

और

अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधि। इसके अलावा, "संपत्ति" शब्द की व्याख्या में अब "अपराध के कमीशन में प्रयुक्त" संपत्ति भी शामिल होगी। इसके लिए, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 और 5 और पलेर्मो कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 का संदर्भ दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि यदि आपराधिक गतिविधि से कोई आय उत्पन्न नहीं होती है, तो एफ

कोई भी 'अपराध की आय' नहीं हो सकती। इसके अलावा, कहा जाता है कि संपत्ति का दायरा भी अनुपातहीन रूप से बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, अपराध की आय केवल अनुसूचित अपराध से उत्पन्न होनी चाहिए, न कि किसी आपराधिक गतिविधि से। इस बुराई को प्रदर्शित करने के लिए हमें विभिन्न दृष्टांत भी बताए गए। यह जरूरी है कि अदालतें जी में अंतर कर सकें

[144]संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रेनी आर्मस्ट्रांग सैंडर्स,929 एफ.2डी 1466 (10वां सर्किल 1991);संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम पॉल जॉनसन, 440 एफ.3डी 1286, 1293 (11वीं सर्कुलर 2006);संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रोजर फॉल्कनबेरी, 614 एफ.3डी 573 (6वां सर्कुलर 2010); औरजेनिफ़र वांग, हाँ, यह मनी लॉन्ड्रिंग है। ओह रुको, यह नहीं है: छुपाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस कानून पर कुएलर का प्रभाव, 18 जे बस एल 255 (2015)।

[145]नगर पालिका निगम बनाम. कृषि उपज मंडी समिति एवं अन्य., एआईआर 2009 एससी 187 औररोहिताश कुमार एवं अन्य। बनाम ओम प्रकाश शर्मा एवं अन्य., एआईआर 2013 एससी 30।

एच

अपराध करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति और प्राप्त की गई संपत्ति के बीच

ए

किसी अपराध के कमीशन से, जैसा कि अन्य सामान्य कानून वाले देशों में पहले से ही स्वीकार किया जाता है[146]. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसा संशोधन किसी अनुभाग के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता है। इस तथ्य का भी संदर्भ दिया गया है कि समतुल्य मूल्य की संपत्ति की कुर्की जहां वास्तविक आय अब उपलब्ध नहीं है, बी के समान है अन्य अधिनियम, जैसे यूएपीए, एनडीपीएस अधिनियम, बेनामी संपत्ति

लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988[147] और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018[148], सभी में अपराध की आय की समान परिभाषा है। "मूल्य के समतुल्य संपत्ति" शब्द पर आपत्ति की गई है, जहां ऐसी संपत्तियां संलग्न की जाती हैं जो अपराध की आय से प्राप्त की गई हैं, भले ही वे आय उत्पन्न होने पर मूल रूप से भिन्न हों[149].

सी

इसके अलावा, 'उसके मूल्य' की व्याख्या के लिए, यह कहा गया है कि एक व्यापक व्याख्या पीएमएलए की धारा 8(5) और 8(6) के विपरीत होगी। इसलिए, उदाहरण के माध्यम से, जहां अपराध की मूल आय को आपस में बदल दिया जाता है और वैध धन के साथ मिलाया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि 'उसके मूल्य' की व्यापक व्याख्या करना अनुचित होगा[150].

डी

(iv)धारा 8 के संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 8(4) के तहत संपत्ति का "कब्जा लेना" शब्द का सही अर्थ भौतिक कब्जे के बजाय रचनात्मक कब्जा होना चाहिए क्योंकि यह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है। . रिलायंस को उस फैसले पर रखा गया है जिस पर ई की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है मद्रास उच्च न्यायालय ने मूल रूप से इसे वास्तविक के बजाय प्रतीकात्मक कब्ज़ा माना था[151]. आग्रह किया गया है कि अनुच्छेद 300ए न केवल एक संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है। इसके अलावा, जब्ती केवल दोषसिद्धि के अधीन है और सभी व्यावहारिक अर्थों में ऐसा स्वभाव, ऐसी सजा से पहले ही जब्ती की ओर ले जाता है। इसके अलावा, चूँकि किसी व्यक्ति के अंततः बरी होने की स्थिति में कोई मुआवज़ा नहीं है, यह एक असंगत कार्रवाई होगी।

एफ

इस प्रकार, यह तर्क कि किसी को बेचने या अतिक्रमण करने से रोका जाना चाहिए, वैध है, बेदखली नहीं है।

[146]आर वी अहमद, [2012] 2 सभी ईआर 1137; यह भी देखें:आर वी जेम्स, [2012] 2 करोड़ ऐप आर (एस) 253[147]संक्षेप में, "1988 अधिनियम"

जी

[148]संक्षेप में, "2018 अधिनियम"

[149]अब्दुल्ला अली बलशरफ और अन्य। बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य,2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 6428; औरसीमा गर्ग बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, 2020 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 738

[150]सीमा गर्ग(उपरोक्त फुटनोट संख्या 149 पर)

[151]ए कमरुन्निसा गोरी बनाम अध्यक्ष, धन शोधन निवारण,एच भारत संघ, 2012 (4) सीटीसी 608: 2012 रिट एलआर 719

थका हुआ। मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध या पर निर्भर नहीं है
ए
उस तारीख से जुड़ा हुआ है जिस दिन अनुसूचित अपराध या यदि हम ऐसा कह सकते हैं कि विधेय अपराध किया गया है। प्रासंगिक तारीख वह तारीख है जिस दिन व्यक्ति अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। ये सामग्रियां मूल प्रावधान (धारा 3, 2013 तक संशोधित और बी तक लागू थीं) में अंतर्निहित हैं

31.7.2019); और इसे केवल वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार समझा जाता है, 2019 में डाले गए स्पष्टीकरण में खंड (ii) को शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह परिवर्तन या विस्तार नहीं करता है धारा 3 का दायरा बिल्कुल।

44. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सी की प्रारंभिक समझ 'मनी-लॉन्ड्रिंग' यह है कि मनी-लॉन्ड्रिंग के तीन आम तौर पर स्वीकृत चरण हैं, वे हैं:

(ए) प्लेसमेंट: जो अपराध के प्रत्यक्ष सहयोग से धन को स्थानांतरित करना है।

(बी) लेयरिंग: जो पीछा विफल करने के लिए मार्ग को छिपा रहा है।
डी
(सी) एकीकरण: जो अपराधी को वैध स्रोतों से धन उपलब्ध करा रहा है।

45. दुनिया भर में यह आम अनुभव है कि मनी-लॉन्ड्रिंग वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए खतरा हो सकती है। हालाँकि, ई
यह अपराधियों के लिए ऐसे पैसे के लेन-देन का सबसे उपयुक्त तरीका भी है। यह ड्रग डीलरों, आतंकवादियों, सफेदपोश अपराधियों आदि की आजीविका का साधन है। दूषित धन किसी भी समाज में असंतोष पैदा करता है और बदले में अधिक अपराध और नागरिक अशांति को जन्म देता है। इस प्रकार, सरकार और लोगों पर ऐसे धन की पहचान करने और उसे जब्त करने की भारी जिम्मेदारी है। यदि ऐसे किसी उद्देश्य के लिए कोई सक्रिय कदम उठाया जाता है, तो हम एफ को सुविधाजनक बनाए बिना नहीं रह सकते

अच्छे कदम. हालाँकि, भावनाओं को एक तरफ रखकर हमें इस देश के मौलिक अधिकारों और कानूनों के मूल सिद्धांतों को बचाने में सक्षम होने के लिए पहले कानून को संतुलित करना होगा। आख़िरकार, किसी निर्दोष व्यक्ति की निंदा करना किसी अपराधी को छोड़ देने से भी बड़ा दुर्भाग्य है।

46. धारा 3 को पढ़ने पर, हमें जी में कोई कठिनाई नहीं मिलती

विभिन्न तर्कों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक दायरे को समेटना। इस

प्रकार, चीजों की रूपरेखा में यह पालन करना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा दी गई व्याख्या 2002 अधिनियम के पीछे के उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी और संवैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय निकाय की सिफारिशों और संदेहों को भी पर्याप्त रूप से संबोधित करेगी। इसलिए, यह केवल इस तर्क को बनाए रखने के लिए होगा कि

एच

स्पष्टीकरण के माध्यम से संशोधन केवल के लिए लाया गया है

ए

पहले से मौजूद शब्दों, "कोई भी" और "सहित" को स्पष्ट करें जो परिभाषा के सही अर्थ को प्रकट करता है और इसके वास्तविक स्वरूप के आसपास के धुंध को स्पष्ट करता है।

47. हम लाभप्रद रूप से फैसले का विज्ञापन कर सकते हैंसीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स एल.डी.[469], कौन सा राज्य:

बी

> "इस मामले में निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या हम "बोझ" के सामान्य अर्थ का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि मेरे द्वारा वर्णित प्रकार के आकस्मिक बोझ को शामिल किया जा सके। अब यह अदालत पहले ही यह मान चुकी है कि इस उप-धारा को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए ताकि इसमें सन्निहित शासी सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके।

सी

> विधान (विनचेस्टर कोर्ट एल.डी. वी. मिलर[470]); और मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।जब भी कोई क़ानून विचार के लिए आता है तो यह याद रखना चाहिए कि सामने आने वाले विविध तथ्यों का पूर्वाभास करना मानवीय शक्तियों के अंतर्गत नहीं है, और यदि ऐसा होता भी है, तो उसे प्रदान करना संभव नहीं है।डी
>
> उनके लिए सभी अस्पष्टता से मुक्त संदर्भ में। अंग्रेजी भाषा गणितीय परिशुद्धता का साधन नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारा साहित्य बहुत अधिक गरीब होता। यहीं पर संसद के अधिनियमों के प्रारूपकारों की अक्सर अनुचित आलोचना की गई है। एक न्यायाधीश, खुद को इस कथित नियम से बंधा हुआ मानता है कि उसे भाषा को देखना होगा और

और

> और कुछ नहीं, अफसोस है कि ड्राफ्ट्समैन ने इसके लिए या उस चीज के लिए प्रावधान नहीं किया है, या कुछ या अन्य अस्पष्टता के दोषी हैं। यदि संसद के अधिनियमों को दैवीय विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया गया तो यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों की परेशानी से बचाएगा।

इसके अभाव में जब कोई दोष प्रकट होता हैएफ

> न्यायाधीश केवल हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोषी नहीं ठहरा सकता। उसे संसद की मंशा जानने के रचनात्मक कार्य पर काम करना चाहिए, और उसे यह काम न केवल क़ानून की भाषा से करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया, और जो शरारतें हुईं यह उपाय करने के लिए पारित किया गया था, और फिर उसे अवश्य करना चाहिए

जी

> विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" देने के लिए लिखित शब्द को पूरक करें। यह हेडन के मामले में न्यायाधीशों के प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था[471], और यह

[469]फुटनोट संख्या 185 पर सुप्रा
[470][1944] के.बी. 734

एच

[471](1584) 3 कं. प्रतिनिधि. 7

आज का सबसे सुरक्षित मार्गदर्शक है। पर अच्छी व्यावहारिक सलाह

ए

यह विषय लगभग उसी समय प्लॉडेन ने अपने दूसरे खंड में दिया थाईस्टन वि. का समर्थन किया[472]. घरेलू रूपक में कहें तो यह इस प्रकार है: एक न्यायाधीश को खुद से सवाल पूछना चाहिए: यदि अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसे कैसे सीधा किया होगाबी

> बाहर? फिर उसे वैसा ही करना होगा जैसा उन्होंने किया होगा। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे इसे बुना गया है, लेकिन वह सिलवटों को इस्त्री कर सकता है और उसे सुलझाना भी चाहिए।

(जोर दिया गया)

48. आइए अब हम उन विभिन्न मामलों का भी उल्लेख करें

सी

याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया गया। यही बात किसी स्पष्टीकरण के दायरे और उसकी सीमा तक प्रस्ताव से भी संबंधित है। फिर भी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, हम 2002 अधिनियम की धारा 3 को कम करके आंकने में उस पर भरोसा करने के लिए एक मजबूत आधार नहीं पा सकते हैं जैसा कि यह आज है। का उल्लेख किया गया हैके.पी. वर्गीज[473] जिसमें कोर्ट ने कहा कि डी

> हेयडन केस और इस तथ्य से कि विधेयक के प्रस्तावक का भाषण विधेयक को पेश करने का कारण बता सकता है और निवारण की जाने वाली शरारत, कानून की वस्तुओं और उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इसी प्रकार का उल्लेख किया गया हैहरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र.

राज्य एवं अन्य.[474] औरमार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड[475], जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की अनुसूची में स्पष्टीकरण की भूमिका नहीं हो सकती

और

अधिनियम के मुख्य प्रावधान को विफल करें। अन्यथा भी, कोई स्पष्टीकरण किसी प्रावधान के दायरे और प्रभाव को नहीं बढ़ा सकता। का भी उल्लेख किया गया हैएस. सुंदरम पिल्लई एवं अन्य। बनाम वी.आर. पट्टाभिरामन और अन्य।[476], जो इस प्रकार पढ़ता है:

"**50**. मेंबिहटा सहकारी विकास गन्ना विपणन

एफ

यूनियन लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बिहार[477] इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

> स्पष्टीकरण को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए ताकि मुख्य भाग के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके और किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।इसका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अनुभाग का दायरा बढ़ जाए.

जी

*** *** ***

[472](1574) 2 प्लोडेन, 465
[473]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 19 पर
[474](2006) 8 एससीसी 613 (फुटनोट संख्या 128 पर भी)
[475]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 20 पर
[476](1985) 1 एससीसी 591 (फुटनोट संख्या 128 पर भी)
[477](1967) 1 एससीआर 848 : एआईआर 1967 एससी 389 : 37 कॉम कैस 98 (फुटनोट संख्या 128 पर भी)एच

53. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की एक रूपरेखा से,

ए

यह स्पष्ट है कि वैधानिक प्रावधान के स्पष्टीकरण का उद्देश्य है-

(ए) समझाने के लिएअधिनियम का अर्थ और इरादा,

(बी)जहाँ मुख्य में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता होबी अधिनियमन, इसे स्पष्ट करने के लिए ताकि इसे सुसंगत बनाया जा सकेउस प्रमुख वस्तु के साथ जिसकी वह सेवा करता प्रतीत होता है,

(सी) क्रम में अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान करनाइसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए,

(डी) स्पष्टीकरण किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है
सी
अधिनियम या उसके किसी भाग को बदलें, लेकिन जहां कुछ कमी रह गई है जो स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, शरारत को दबाने और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सही उद्देश्य और इरादे की व्याख्या करने में न्यायालय की सहायता या सहायता कर सकता है।डी
अधिनियम का, और

(ई) हालाँकि, यह उस वैधानिक अधिकार को नहीं छीन सकता है जिसके तहत किसी क़ानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी अधिनियम की व्याख्या में बाधा बनकर उसे प्रभावित किया गया है या उसके कामकाज को शून्य कर दिया गया है।

और
(जोर दिया गया)

हालाँकि, वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि स्पष्टीकरण केवल मुख्य परिभाषा, यदि कोई हो, के चारों ओर धुंध को साफ़ करने के लिए गति प्रदान करता है। यह 2002 अधिनियम की धारा 3 के दायरे को विस्तृत करने के लिए नहीं है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति "और" को "या" के रूप में पढ़ा जाने वाला अर्थ एफ में है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समकालीन सोच के अनुरूप और वियना और पलेर्मो सम्मेलनों के अनुरूप।

49. उन निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया है जो किसी क़ानून की व्याख्या में साइड नोट्स के अभिप्राय को संदर्भित करते हैं***Thakurain Balraj Kunwar & Anr. vs. Rae Jagatpal Singh***[478],***Nalinakhya*** जी ***Bysack vs. Shyam Sunder Haldar & Ors.***[479],चंद्रोजी राव बनाम आयकर आयुक्त, म.प्र.,नागपुर[480],मुसलमानों का बोर्ड

[478]1904 एससीसी ऑनलाइन पीसी 9: (1904) 1 सभी एलजे 384
[479]एआईआर 1953 एससी 148

एच

[480](1970) 2 एससीसी 23

वक्फ, राजस्थान बनाम. राधा किशन एवं अन्य।[481],तारा प्रसाद सिंह
ए
एवं अन्य. बनाम भारत संघ एवं अन्य।[482],साक्षी बनाम भारत संघ एवं अन्य।[483], गुंटैया और अन्य। बनाम हंबम्मा और अन्य।[484] औरसी. गुप्ता बनाम ग्लैक्सो-स्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.[485]. हालाँकि, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में उनका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि स्पष्टीकरण केवल मुख्य या मूल प्रावधान को स्पष्ट करता है। अन्य मामले,

जो बी

वर्तमान मुद्दे पर कोई मदद नहीं मिल रही है, के मामले हैंडॉ। फ़्रेज़र एंड कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजस्व मंत्री[486],तूफान सिंह[487] और***Ashok Munilal Jain***[488]. का भी उल्लेख किया गया हैनिकेश ताराचंद शाह[489]. हालाँकि, वहाँ उठाए गए प्रश्न मनी-लॉन्ड्रिंग के अर्थ के संबंध में नहीं थे और प्रासंगिक रूप से संशोधन निर्णय के बाद आया है, इसलिए, इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

सी

जब तक यह न दिखाया जा सके कि संशोधन किसी अन्य तरीके से भारतीय कानून के विपरीत है।

50. हम निर्दोष व्यक्तियों के संभावित उत्पीड़न के आलोक में दिए गए तर्क का भी समर्थन नहीं कर सकते। ज्ञातव्य है कि 1999 के विधेयक पर राज्य सभा की प्रवर समिति ने ध्यान दिलाया था कि यदि भी

डी

तब अपराध की आय से धन/संपत्ति पर कब्ज़ा मात्र दंडनीय था:

"समिति का मानना है कि उप-खंड (ए) और (सी) को विधेयक के खंड 23 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में देखा गया हैइससे निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न हो सकता है जो ईमानदार हैं औरऔर

> अनजाने में उन व्यक्तियों से निपटना जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और उनके साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं. ऐसे व्यक्ति जो अपराध की कमाई से पैदा हुई संपत्ति खरीदते हैं और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है यदि विधेयक में उप-खंड (ए) और (सी) मौजूदा स्वरूप में बने रहते हैं।

एफ

> मामले का तथ्य यह है कि ये उप-खंड इस श्रेणी के व्यक्तियों को कोई सुरक्षा या बचाव प्रदान नहीं करते हैं।

(जोर दिया गया)

[481](1979) 2 एससीसी 468
[482](1980) 4 एससीसी 179

जी

[483](2004) 5 एससीसी 518
[484](2005) 6 एससीसी 228
[485](2007) 7 एससीसी 171
[486]1948 एससीसी ऑनलाइन पीसी 65: एआईआर 1949 पीसी 120
[487]सुप्रा फुटनोट संख्या 31 पर (फुटनोट संख्या 24 पर भी)
[488]सुप्रा फुटनोट संख्या 163 पर (फुटनोट संख्या 22 पर भी)
[489]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

एच

तदनुसार, वाक्यांश "और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना"

ए

2002 के अधिनियम में प्रारंभिक परिभाषा जोड़ी गई थी। हालाँकि, यहाँ से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिनियम का मसौदा तैयार करने के शुरुआती दौर से ही, इरादा हमेशा एक निवारक अधिनियम बनाने का था, न कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग (दंडात्मक) अधिनियम। आज, अगर कोई दुनिया में कहीं भी, वित्तीय प्रणालियों में गहराई से उतरता है, तो यह देखा जाता है कि एक बार वित्तीय मास्टरमाइंड बी

किसी अर्थव्यवस्था के रक्त प्रवाह में नाजायज़ धन को एकीकृत करना लगभग अप्रभेद्य है। वास्तव में, माउस के एक क्लिक पर पैसा आसानी से विदेश भेजा जा सकता है। यह भी सर्वविदित है कि एक बार जब यह पैसा देश से बाहर चला जाता है, तो इसे वापस पाना लगभग असंभव होता है। इसलिए, एक सरल तर्क या यह दृष्टिकोण कि धारा 3 को तभी लागू किया जाना चाहिए जब धन का शोधन हो चुका हो, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ

सी

न तो संसद का इरादा था और न ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का।

51. हम उस तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं कि परिभाषा से प्रक्षेपण की आवश्यकता को हटाने से विधेय अपराध और मनी-लॉन्ड्रिंग अप्रभेद्य हो जाएगा। हमारे विचार से यह गलत और भ्रामक है। यह दलील इस साधारण कारण से खारिज नहीं की जा सकती कि

डी

2002 अधिनियम में अनुसूचित अपराध (आज तक संशोधित) स्वतंत्र आपराधिक कृत्य हैं। ऐसा तभी होता है जब ऐसे कृत्यों के परिणामस्वरूप धन उत्पन्न होता है, जैसे ही अपराध की आय किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होती है, 2002 का अधिनियम लागू होता है। अपराध की ऐसी आय से निपटना किसी भी रूप में हो सकता है - प्रक्रिया या गतिविधि। इस प्रकार, ई में भी सहायता करना

प्रक्रिया या गतिविधि मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का एक हिस्सा है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने के कानूनी परिणामों को भुगतने के लिए उत्तरदायी होना पर्याप्त है, न कि केवल गलत तरीके से अर्जित धन को बेदाग धन के रूप में पेश करने पर। एक अपराध सिंडिकेट के कई सदस्य आने वाले वर्षों तक पैसा अपने पास रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में कानून के हाथ ऐसा नहीं कर सकते।

एफ

यदि किसी अज्ञात स्रोत से भी ऐसे नाजायज धन की जानकारी सामने आती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से बाध्य किया जाएगा और रोका जाएगा।

52. अगला सवाल यह है कि क्या धारा 3 के तहत अपराध एक एकल अपराध है? दरअसल, यह किसी अनुसूचित से संबंधित आपराधिक

गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के गलत और अवैध लाभ पर निर्भर है

जी

अपराध। फिर भी, यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध है। संपत्ति को 2002 अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा के योग्य होना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया है, अनुसूचित अपराध से जुड़ी पूरी या संपूर्ण अपराध संपत्ति को आय

एच के रूप में नहीं माना जाना चाहिए

अपराध की, लेकिन सभी संपत्तियां "अपराध की आय" की परिभाषा के योग्य हैं

ए

धारा 2(1)(यू) के तहत आवश्यक रूप से अपराध संपत्तियां होंगी। वास्तव में, संबंधित व्यक्ति के बरी होने या अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के आरोप से मुक्त होने की स्थिति में, और यदि यह कानून की अदालत में स्थापित हो जाता है कि संबंधित मामले में अपराध संपत्ति का सही स्वामित्व और अधिकार उसके पास है , ऐसी संपत्ति बी

किसी भी तरह से इसे अपराध संपत्ति नहीं कहा जा सकतापरिणाम सेधारा 2(1)(यू) के अर्थ के अंतर्गत अपराध की आय, जैसा कि आज है। दूसरी ओर, अनुसूचित अपराध के संबंध में मुकदमे में, न्यायालय उसकी ऐसी संपत्ति को वापस करने का निर्देश देने के लिए बाध्य होगा। न्यायालय द्वारा ऐसे निर्णय के बावजूद ऐसी संपत्ति को अपराध की आय के रूप में मानना विरोधाभासी होगा

सी

सक्षम क्षेत्राधिकार का. उस मामले पर फैसला सुनाना अनुसूचित अपराध की सुनवाई कर रहे संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

53. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी का किसी भी व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार तभी शुरू होता है जब अर्थ के भीतर अपराध की आय मौजूद हो

डी

2002 अधिनियम की धारा 2(1)(यू) और इसके अलावा यह किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। अघोषित आय के अस्तित्व के मामले में भी और इसकी मात्रा के बावजूद, धारा 2(1)(यू) के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा लागू नहीं होगी, जब तक कि संपत्ति आपराधिक के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त न की गई हो। किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधि. इ

यह संभव है कि किसी दिए गए मामले में बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति की खोज के बाद, अधिकृत अधिकारी को समसामयिक रूप से एक अनुसूचित अपराध के पंजीकरण के लिए क्षेत्राधिकार पुलिस (2002 अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत) को जानकारी भेजने की सलाह दी जा सकती है। , जिसमें किसी लंबित मामले में आगे की जांच, यदि कोई हो, भी शामिल है। ऐसी सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी पुलिस मामला दर्ज करने के लिए बाध्य

होगी

एफ

यदि यह संज्ञेय अपराध है या गैर-संज्ञेय अपराध (एनसी केस), जैसा भी मामला हो, एफआईआर के माध्यम से। यदि रिपोर्ट किया गया अपराध एक अनुसूचित अपराध है, तो केवल उस स्थिति में, अधिकृत अधिकारी द्वारा बरामद की गई संपत्ति 2002 अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय में शामिल होगी, जिससे वह आगे की कार्रवाई कर सकेगा। जी के तहत उस संबंध में कार्रवाई करें.

54. भले ही, 2002 अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, यह केवल धन-शोधन के अपराध से जुड़े मामलों के संबंध में है, और इसके लिए, धारा 2(1)(यू) के अर्थ के भीतर अपराध की आय का अस्तित्व) अधिनियम सर्वोत्कृष्ट है। एच की आय का अनुपस्थित अस्तित्व

अपराध, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2002 अधिनियम के तहत अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते

ए

कोई भी अभियोजन आरंभ करें.

55. दूसरे शब्दों में, 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकरण, किसी व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मुकदमा तभी चला सकता है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास "की आय" है। अपराध"। केवल तभी जब वह विश्वास मूर्त रूप से समर्थित हो

बी

और अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता का संकेत देने वाले विश्वसनीय साक्ष्य, अधिनियम के तहत कार्रवाई को अपराध की आय की कुर्की और जब्ती के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और जब तक कि इसे केंद्र सरकार में निहित नहीं किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एक स्टैंडअलोन प्रक्रिया होगी.

सी

2002 अधिनियम की धारा **5**

56. धारा 5 कुर्की, न्यायनिर्णयन और जब्ती से संबंधित अध्याय III का हिस्सा है। यह प्रावधान मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की के प्रयोजनों के लिए निदेशक या अधिकारी को, जो निदेशक द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे का नहीं हो, अधिकार देता है।

डी

ऐसे अधिकृत अधिकारी से केवल तभी कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की आय है। यह विश्वास उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर बनाया जाना

चाहिए और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, उसे आश्वस्त होना चाहिए कि अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने की संभावना है, ई किसी भी तरीके से स्थानांतरित या निपटाया गया जिसके परिणामस्वरूप 2002 अधिनियम के तहत उसकी जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही में निराशा होने की संभावना है। संशोधित धारा 5 इस प्रकार है:

"अध्याय III

कुर्की, निर्णय और जब्तीएफ

5. मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की.—[490][(1) जहां निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो रैंक से नीचे का न हो

[490]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 5, उपधारा (1) के लिए (15-2-2013 से एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 द्वारा)। पहले उप-धारा (1) को 2009 के अधिनियम 21 की धारा द्वारा संशोधित किया गया था। 3(ए) (1-6-2009 से)। उप-धारा (1), 2013 के अधिनियम 2 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले, के रूप में खड़ा था

जी

अंतर्गत:

"(1) जहां निदेशक, या इस धारा के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए), के आधार पर उसके कब्जे में सामग्री, वह-

(ए) किसी भी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है;

(बी) ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगाया गया है; औरएच

के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की

ए

इस धारा के पास उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए), कि-

(ए) किसी भी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है; और बी

(बी) अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या किसी भी तरीके से निपटाए जाने की संभावना है

जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के तहत अपराध की ऐसी आय की जब्ती से संबंधित कोई भी कार्यवाही विफल हो सकती है,

वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है

सी

आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि नहीं, ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा

जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में डी संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेज दी गई हो।

आपराधिक प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), या उस अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है।

(सी) अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना हैऔर

किसी भी तरीके से जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के तहत अपराध की ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है,

वह, लिखित आदेश द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए तरीके से, आदेश की तारीख से एक सौ पचास दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न कर सकता है। और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यालय, जैसा भी मामला हो, उस अनुसूची के नियम 1 के उप-नियम (ई) के तहत एक अधिकारी माना जाएगा:

एफ

बशर्ते कि कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई हो, या एक शिकायत दर्ज नहीं की गई हो। अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष:

बशर्ते कि, खंड में किसी बात के होते हुए भीजी

(बी), इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति कुर्क की जा सकती है यदि निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के कारण हैं) लिखित रूप में दर्ज), उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर, कि यदि मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल ऐसी संपत्ति को इस अध्याय के तहत तुरंत संलग्न नहीं किया जाता है, तो संपत्ति की गैर-कुर्की इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल करने की संभावना है।

एच

जैसा भी मामला हो, अनुसूचित अपराध का संज्ञान, या ए

ए

इसी तरह की रिपोर्ट या शिकायत किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत की गई या दायर की गई है:

बशर्ते कि, इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद[491][पहला प्रावधान], इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है यदि निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो इससे नीचे न हो

बी

इस धारा के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद के पास उनके कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना

चाहिए), कि यदि ऐसी संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है इस अध्याय के अंतर्गत तुरंत कुर्की नहीं की गई, संपत्ति की कुर्की न होना सी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल करने की संभावना है।]

[492][बशर्ते यह भी कि एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके दौरान इस धारा के तहत कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है, को बाहर रखा जाएगा और तीस दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि नहीं दी जाएगी। ऐसे स्थगन आदेश को रिक्त करने के आदेश की तारीख से गिना जाएगा।]

(2) निदेशक, या कोई अन्य अधिकारी जो उप निदेशक के पद से नीचे न हो, उप-धारा (1) के तहत कुर्की के तुरंत बाद, अपने ई में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा। उस उप-धारा में निर्दिष्ट कब्जे को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उस तरीके से सौंप दिया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है और ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के तहत किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश एफ उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद या उसके तहत दिए गए आदेश की तारीख पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा[493][उपधारा (3)] धारा 8 की, जो भी पहले हो।

[491]उप. सेवित अधिनियम,**2015 (2015** का **20)**, सेक. 146, "खंड (बी)" के लिए (14-5-2015 से)।

जी

[492]इन्स. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208(बी)(i) (19-4-2018 से जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] अप्रैल, 2018)।

[493]उप. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208(बी)(ii), "उप-धारा (2)" के लिए (19-4-2018 से जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] अप्रैल, 2018)।

धारा **5** जैसा कि यह मूल रूप से था**,** इस प्रकार पढ़ता है:

"**5.** मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की. – (1) जहां निदेशक, या कोई अन्य अधिकारी जो उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, अधिकृत है

एच

(4) इस अनुभाग की कोई भी बात इसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति को नहीं रोकेगी ए

ऐसे आनंद से उपधारा (1) के तहत जुड़ी अचल संपत्ति का आनंद।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उसके पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया

जाना चाहिए), कि-

बी

(ए) किसी भी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है;
(बी) ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगाया गया है; और
(सी) अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या किसी भी तरीके से निपटाए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के तहत अपराध की ऐसी आय को जब्त करने से संबंधित कोई भी कार्यवाही विफल हो सकती है,

सी

वह, लिखित आदेश द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में दिए गए तरीके से आदेश की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न कर सकता है और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उस अनुसूची के नियम 1 के उप-नियम (ई) के तहत एक अधिकारी माना जाएगा:

बशर्ते कि कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि किसी अपराध के संबंध में-

डी

(i) अनुसूची के भाग ए और भाग बी के पैराग्राफ 1, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है; या
(ii) अनुसूची के भाग ए के पैराग्राफ 2 में, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक पुलिस रिपोर्ट या शिकायत दर्ज की गई है। , 1985 (1985 का 61)।

और

(2) निदेशक, या कोई अन्य अधिकारी जो उप निदेशक के पद से नीचे न हो, उप-धारा (1) के तहत कुर्की के तुरंत बाद, आदेश की एक प्रति, अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ अग्रेषित करेगा। उप-धारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, एक सीलबंद लिफाफे में, जिस तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

एफ

(3) उप-धारा (1) के तहत किया गया प्रत्येक कुर्की आदेश उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद या धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत किए गए आदेश की तारीख पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा। , इनमें से जो भी पहले हो।

(4) इस धारा की कोई भी बात आनंद में रुचि रखने वाले व्यक्ति को नहीं रोकेगीजी ऐसे उपभोग से उपधारा (1) के तहत कुर्क की गई अचल संपत्ति की। स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में "हितबद्ध व्यक्ति" में संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति शामिल हैं।

(5) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जो उप-धारा (1) के तहत किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से तीस दिनों की अवधि के भीतर,एच निर्णय प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते हुए शिकायत दर्ज करें।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “व्यक्ति

ए

हितबद्ध", किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में, संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति शामिल हैं।

(5) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उप-धारा (1) के तहत किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से तीस दिनों की अवधि के भीतर, तथ्यों को बताते हुए एक शिकायत दर्ज करेगा।

बी

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कुर्की।"

इस प्रावधान की स्पष्ट भाषा से, यह स्पष्ट है कि 2002 अधिनियम को लागू करते समय संसद द्वारा कई अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इस प्रावधान को मजबूत करने के लिए 2009 के अधिनियम 21, 2013 के अधिनियम 2, वित्त अधिनियम, 2015 और 2018 के अधिनियम 13 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

सी

2002 अधिनियम की योजना और मनी-लॉन्ड्रिंग की गतिविधि को रोकने और विनियमित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तंत्र। जहां तक 2009 के अधिनियम 21 और 2013 के अधिनियम 2 के तहत किए गए संशोधनों का संबंध है, इन मामलों में ये कोई मुद्दा नहीं हैं। चुनौती मूलतः वित्त डी के तहत उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में किए गए संशोधन को लेकर है अधिनियम, 2015.

57. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपधारा (1) अपराध की आय के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने से पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले पर्याप्त सुरक्षा उपायों को चित्रित करती है। यह केवल जुड़वां आवश्यकताओं ई के संबंध में संतुष्टि दर्ज करने पर है उपधारा (1) में निर्दिष्ट, प्राधिकृत अधिकारी अपराध की ऐसी आय की अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है। औपचारिक आदेश जारी करने से पहले, अधिकृत अधिकारी को अपनी राय बनानी होती है और ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है, जो वास्तव में धारणा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर होता है। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की का आदेश इसी का परिणाम है

एफ

संतुष्टि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहले ही दर्ज की जा चुकी है। विशेष रूप से, कुर्की का अनंतिम आदेश आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं की निश्चित अवधि के लिए लागू होता है। यह 2002 के अधिनियम में ही प्रावधानित एक और सुरक्षा उपाय है।

58. प्रथम परन्तुक के अनुसार सामान्य स्थिति में कोई आदेश नहीं

जी

अनंतिम कुर्की तब तक जारी की जा सकती है जब तक कि अनुसूचित अपराध के

संबंध में 1973 संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेज दी गई हो, या उस अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की गई हो। या अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय, जैसा मामला एच

शायद। इसमें आगे बताया गया है कि ऐसी ही एक रिपोर्ट या शिकायत रही है

ए

किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत बनाया या दायर किया गया। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित अपराध के संबंध में पुलिस रिपोर्ट या निजी शिकायत दर्ज करना अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त बना दिया गया था।

59. दूसरा प्रावधान, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2015 से पहले मौजूद था,

बी

भविष्यवाणी की थी कि उप-धारा (1) के खंड (बी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति को उसी तरीके से कुर्क किया जा सकता है और संतुष्टि दर्ज की जा सकती है कि संपत्ति की कुर्की न करने से 2002 के अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। . वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधन द्वारा, शब्द "खंड (बी)" दूसरे सी में आते हैं

"प्रथम परंतुक" शब्दों को पढ़ने के लिए प्रावधान का प्रयोग किया जाने लगा। यह सीमित परिवर्तन है, लेकिन मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि की रोकथाम और विनियमन के संबंध में विधायी इरादे को पूरा करने के लिए एक प्रभावी परिवर्तन है। संशोधन से पहले, पहले प्रावधान को एक बाधा के रूप में माना गया था। उसमें प्रोविजनल कुर्की तक की कार्रवाई की जा सकती है

डी

आदेश, अनुसूचित अपराध का पंजीकरण और उसकी जांच को पूरा करना या पर्याप्त प्रगति को आवश्यक बना दिया गया। यह अपराध की आय को अंततः जब्त करने और केंद्र सरकार में निहित करने के लिए सुनिश्चित करने में शामिल तात्कालिकता के बावजूद था। समय अंतराल और ई को उपलब्ध लाभ या अवसरों के कारण

अपराध की आय में हेरफेर करने के लिए संबंधित व्यक्ति, 2015 का संशोधन बाधा को दूर करने और निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, जो उप निदेशक के पद से नीचे न हो और अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़े। दूसरे परंतुक के संदर्भ में, प्राधिकृत अधिकारी को सामग्री के आधार पर लिखित रूप में अपने विश्वास के लिए संतुष्टि और कारण दर्ज करना होगा

एफ

उनका दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति (अपराध से प्राप्त आय) को अगर "तुरंत" कुर्क नहीं किया गया तो 2002 अधिनियम के तहत कार्यवाही

विफल हो जाएगी। मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध को प्रभावी ढंग से रोकने और विनियमित करने के लिए संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा महसूस की गई तात्कालिकता को देखते हुए यह एक और सुरक्षा प्रदान की गई है। जी में

> दूसरे शब्दों में, प्राधिकृत अधिकारी यांत्रिक रूप से संपत्ति (अपराध की आय) की अनंतिम कुर्की की कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकता है। इस प्रकार, इस तरह की तत्काल या "तत्काल" कार्रवाई शुरू करने से पहले, मुख्य प्रावधान के साथ-साथ दूसरे प्रावधान में भी अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सर्वोच्च रैंकिंग वाले ईडी अधिकारी तक पूरा किया जाना चाहिए। हम यह समझने में असफल हैं कि इस तरह के प्रावधान को अप्रासंगिक और स्पष्ट रूप से मनमाना कैसे कहा जा सकता है,

एच

के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्यों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में

ए

2002 अधिनियम. इस तरह के प्रावधान से मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के परिणामस्वरूप होने वाली प्रक्रिया या गतिविधि की रोकथाम और विनियमन के तंत्र को मजबूत किया जाएगा; और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध की आय को 2002 के अधिनियम के अनुसार ठीक से निपटाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार में निहित करना भी शामिल है।

बी

60. वास्तव में, 2015 के संशोधन से पहले, पहला प्रावधान अधिकृत अधिकारी द्वारा भी ऐसे तत्काल उपाय करने में बाधा के रूप में कार्य करता था, जो उप निदेशक के पद से कम नहीं है। हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि अधिनियम सी की धारा 3 के तहत अपराध के लिए "अभियोजन" शुरू करने के लिए सूक्ष्म अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुसूचित अपराध का पंजीकरण एक पूर्व शर्त है, लेकिन धारा 5 के तहत "अनंतिम कुर्की" की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुसूचित अपराध के संबंध में पूर्व पंजीकृत आपराधिक मामला होना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशीनरी प्रावधानों को इस तरह से नहीं समझा जा सकता है जो अंततः 2002 अधिनियम के तहत कार्यवाही को विफल कर देगा। ऐसी व्यवस्था अकेले ही रोकथाम सहित अपराध से होने वाली आय को सुरक्षित कर सकती है

डी

और मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के कमीशन को विनियमित करें। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी से अपेक्षा की जाएगी और किसी दिए गए मामले में भी, यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत शीघ्रता से कार्य करना उचित होगा कि अपराध/संपत्ति की आय 2002 अधिनियम के तहत उचित रूप से आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध है ताकि किसी को निराशा न हो। 2002 ई. द्वारा परिकल्पित

कार्यवाही

कार्यवाही करना। यदि अनुसूचित अपराध पहले से ही क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो प्राधिकृत अधिकारी के पास अभी भी 2002 अधिनियम की धारा 5 के तहत आगे बढ़ने का अधिकार है, साथ ही धारा 66(2) के तहत क्षेत्राधिकार पुलिस को जानकारी भेजने का अधिकार भी है।) संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने या गैर-संज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 2002 अधिनियम के तहत

एफ

अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस ऐसी जानकारी पर उचित रूप से प्रतिक्रिया देने में विफल रहती है, 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी उचित उपाय का सहारा ले सकता है, जैसा कि कानून में स्वीकार्य हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी दंडित न हों और अपराध की आय सुरक्षित रहे और निपटाया जा सके। 2002 अधिनियम में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार। जी का निरीक्षण करना पर्याप्त है दूसरे परंतुक में 2015 में किए गए संशोधन का 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित संबंध है।

61. 2002 के अधिनियम की धारा 5(1) में तीसरा प्रावधान 2018 के अधिनियम 13 के तहत पेश किया गया एक और सुरक्षा उपाय है, जिसमें एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की गणना करने की आवश्यकता है।

अनंतिम कुर्की आदेश की निश्चित अवधि प्रदान करना। पहले

ए

अनंतिम कुर्की आदेश से संबंधित वैधानिक अवधि की समाप्ति पर, उप-धारा (1) के तहत कुर्की के तुरंत बाद निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उप निदेशक के पद से नीचे न हो, अनंतिम कुर्की आदेश की एक प्रति तीनों को अग्रेषित करने के लिए बाध्य है। सदस्य निर्णायक प्राधिकारी (बी की धारा 6(1) के तहत नियुक्त)।

2002 अधिनियम, जिसकी अध्यक्षता, अन्य लोगों के अलावा, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति द्वारा की जाती है), धारा 5 (2) के तहत एक सीलबंद लिफाफे में, जिसे उसमें बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अवधि के लिए निर्णायक प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। संबद्ध। यह कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और अनंतिम कुर्की आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, धारा 5(3) के संदर्भ में, अनंतिम

सी

कुर्की आदेश धारा 8(3) के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, पर लागू होना बंद हो जाता है। इसके अलावा, धारा 5(5) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अनंतिम डी से तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन

प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य है।

लगाव। 2002 अधिनियम की योजना और विशेष रूप से उसकी धारा 5 को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनंतिम कुर्की के रूप में आपातकालीन कुर्की की शक्तियों को लागू करने के लिए पूर्व शर्तों के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

62. 2013 का संशोधन जिस पृष्ठभूमि में ई बना

दिनांक 25.6.2010 को "धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला" शीर्षक वाली रिपोर्ट से आवश्यक बातें निकाली जा सकती हैं। उक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

"143. यह कोई औपचारिक और स्पष्ट कानूनी शर्त नहीं है कि एफ पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में विधेय अपराध के लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता है

मनी लॉन्ड्रिंग, हालांकि मूल्यांकन टीम ने जिन कुछ चिकित्सकों से मुलाकात की, उन्हें लगा कि केवल एक दोषसिद्धि ही साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करेगी। हालाँकि, पीएमएलए (सुप्रा देखें) में संपत्ति की परिभाषा के लिए संपत्ति का अनुसूचित अपराध से संबंधित होना आवश्यक है। नतीजतन, केस कानून के अभाव में धारा 3 एमएल अपराध सभी अपराधों में से एक नहीं है

जी

आम तौर पर इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले विशिष्ट विधेय अपराध के न्यूनतम सकारात्मक प्रमाण की आवश्यकता के रूप में समझा जाता है, चाहे वह तीसरे पक्ष के लिए हो या स्वयं लॉन्डरिंग के लिए।

एच

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस. [एक। एम. खानविलकर, जे.].

144.इसी तरह, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8ए के तहत, हालांकि यह बहस का मुद्दा है कि जिस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, उसे एक विधेय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के साथ सांठगांठ का सकारात्मक और औपचारिक प्रमाण आवश्यक है।

*** *** ***

168. भारतीय एएमएल शासन में एमएल अपराध का एक विशिष्ट विधेय आपराधिकता के साथ जुड़ाव और अंतःक्रिया ऐतिहासिक रूप से बहुत सख्त है। स्टैंड-अलोन मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा उन अभ्यासकर्ताओं के लिए काफी अजीब है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को एक सामान्य स्वायत्त अपराध के रूप में अपनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ वार्ताकारों की यह भी (यकीनन गलत) राय थी कि केवल विधेय आपराधिकता के लिए दोषसिद्धि ही प्रभावी रूप से साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। जैसा कि कहा गया है, यह रवैया काफी

हद तक भारत में केवल विधेय अपराध मामले के आधार पर एमएल जांच शुरू करने की सामान्य प्रथा के कारण है।

बी भले ही हाल ही में एमएल जांच विधेय अपराध जांच के साथ-साथ चल सकती है, विधेय और एमएल अपराधों की जांच में विभिन्न एजेंसियों के बीच साक्ष्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कोई अंतर-एजेंसी एमओयू या व्यवस्था

सी नहीं है। इसके अलावा, जिस तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बातचीत वर्तमान में संरचित है, उसमें यह जोखिम है कि एमएल अभियोजन में देरी हो सकती है जबकि अन्य

डी समर्पित अपराध जांच एजेंसियां दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।

*** *** ***

175.हालाँकि हाल ही में एमएल पहलू

और और एमएल प्रावधानों के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण और अक्सर लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मुद्दों को हल किया जाना बाकी है। इसके लिए

एफ निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

- अनुसूची भाग बी विधेय अपराधों के लिए 3 मिलियन रुपये की मौद्रिक सीमा सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए।

जी

- एमएल अपराध की धारा 3 पीएमएलए परिभाषा को वियना और पलेर्मो कन्वेंशन के अनुरूप लाया जाना चाहिए ताकि भौतिक छिपाव और अपराध की सभी प्रासंगिक आय के

एच एकमात्र अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग को भी पूरी तरह से कवर किया जा सके।

- साक्ष्य की वर्तमान सख्त और औपचारिक व्याख्या

ए

केस कानून विकसित करने और इस मौलिक कानूनी मुद्दे पर दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए विधेय अपराध के सबूत के संबंध में आवश्यकताओं को अदालतों के परीक्षण में रखा जाना चाहिए।

- अधिक सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले अधिकतम जुर्माने का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए या अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए

बी

निराशाजनक प्रभाव.

- कानूनी व्यक्तियों की दोषसिद्धि को किसी (जिम्मेदार) प्राकृतिक व्यक्ति के समवर्ती अभियोजन/दोषी ठहराने पर आधारित करने की प्रथा को छोड़ दिया जाना चाहिए।

सी

- निरर्थक धारा 8ए एनडीपीएस अधिनियम नशीली दवाओं से संबंधित एमएल अपराध को समाप्त करने पर विचार करें या, यदि बनाए रखा जाता है, तो प्रतिबंधों को पीएमएलए अपराध के तुलनीय स्तर पर लाएं।

*** *** ***

233.पीएमएलए के अध्याय III के तहत जब्ती केवल डी. संभव है

जब यह धारा में परिभाषित अपराध की आय से संबंधित हो। 2(1)(यू), यानी एक अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप, और जब ऐसे अनुसूचित (विधेयक) अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, केवल विधेय अपराध की आय को जब्त किया जा सकता है, न कि एमएल अपराध की आय को।

और

234. विशेष रूप से एक स्टैंड-अलोन एमएल मामले में, जहां लॉन्डर की गई संपत्ति कॉर्पस डेलिक्टी बन जाती है और जब्त की जानी चाहिए, किसी विशेष अपराध की सजा के अभाव में अपराध की आय को जब्त करने की कोशिश करते समय विधेय अपराध दोषसिद्धि की स्थिति मौलिक कठिनाइयां पैदा करती है। इस प्रकार। एफ में

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, विधेय दोषसिद्धि की आवश्यकता आपराधिक संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता को भी गंभीरता से प्रभावित करती है, जहां विधेय अपराध भारत के बाहर हुआ है और आय को बाद में भारत में लॉन्डर किया गया है (उपरोक्त धारा 2.1 में टिप्पणियाँ भी देखें)।

235. पीएमएलए में अपराध और संपत्ति की आय की परिभाषा
जी

एक अनुसूचित (विधेयक) अपराध से संबंधित अपराध की आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, जिसमें अपराध की आय से आय, लाभ और अन्य लाभ शामिल हैं। ये परिभाषाएँ मूल्य ज़ब्ती की भी अनुमति देती हैं, भले ही संपत्ति धारित हो या स्वामित्व वाली हो

किसी अपराधी या तीसरे पक्ष द्वारा. जैसा कि पीएमएलए की धारा 65 में बताया गया है

ए

सीआरपीसी के नियमों के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 102 और 451 के अनुसार उपकरण और इच्छित उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में कोई केस कानून नहीं है।

236. इसके अलावा, अध्याय III के प्रक्रियात्मक प्रावधान अपराध की आय की जब्ती को पूर्व जब्ती पर निर्भर करते हैं

बी

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की कुर्की, और परिणामस्वरूप पीएमएलए के तहत जब्ती की संभावनाओं को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है।"

*** *** ***

सी

"सामान्य टिप्पणियां"

244. चूँकि ज़ब्ती दोषसिद्धि से जुड़ी होती है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर आपराधिक आय को ज़ब्त करना संभव नहीं है। हालाँकि, किसी घोषित अपराधी की किसी भी संपत्ति को कुर्क करना और उसका निपटान करना संभव है, जब वह व्यक्ति डी

फरार हो गया है. जब प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो विनियमन की अनुपस्थिति भारत में जब्ती व्यवस्था की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

63. उक्त रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, एफएटीएफ ने निम्नानुसार सिफारिशें कीं:

और

"2.3.3 सिफ़ारिशों का अनुपालन 3

	रेटिंग	समग्र रेटिंग में अंतर्निहित धारा **2.3** से संबंधित

		कारकों का सारांश
आर. **3**	पीसी	लूटी गई संपत्ति की जब्ती संबंधित कानून में शामिल नहीं है और यह एक अनुसूचित अपराध के लिए सजा पर निर्भर करता है। यूएपीए आतंकवादी कृत्यों में इस्तेमाल किए गए इच्छित उपकरणों या आतंकवादी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एकत्र किए गए धन को जब्त करने की अनुमति नहीं देता है। यूएपीए और एनडीपीएस अधिनियम संबंधित मूल्य की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। संदिग्ध की मृत्यु होने पर आपराधिक कार्यवाही के मामले में संपत्ति से कैसे निपटना है, इस पर कोई स्पष्ट प्रावधान और प्रक्रियाएं नहीं हैं। एमएल/एफटी अपराधों के संबंध में जब्ती की सीमित संख्या पर आधारित चिंताएं।"

एफ

जी

64. एफएटीएफ की इन सिफारिशों और कथित रिपोर्ट में टिप्पणियों की अगली कड़ी के रूप में, धारा 5 को 2013 के अधिनियम 2 के माध्यम से संशोधित किया गया। इस संबंध में, फिफ्टी का संदर्भ लेना उपयोगी हो सकता है।

एच

2011 से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट

ए

बिल, जो इस प्रकार पढ़ता है:

"5. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लागू प्रावधानों में संशोधन:

(i)संपत्ति की कुर्की:धारा **5** में वर्तमान अधिनियमबी
यह निर्धारित करता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की गई है, उस पर "अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगाया गया होगा"। इसे हटाने का प्रस्ताव है क्योंकि संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ सकती है, जिसका अनुसूचित अपराध या यहां तक कि मनी-लॉन्ड्रिंग

अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।. कुर्की की प्रक्रिया वर्तमान में प्रावधान के अनुसार की जाती है

सी

आयकर अधिनियम, 196 की दूसरी अनुसूची। अब धारा 5(1) में यह प्रस्तावित है कि प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जाएगी। ईडी द्वारा संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के लिए समय को 150 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है।

डी

(ii) ****

(iii) ज़ब्ती को दोषसिद्धि से स्वतंत्र बनाना: वर्तमान में संपत्ति की कुर्की धारा **8(3)** के तहत अंतिम हो जाती है "ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति का अपराध साबित होने के बाद और ऐसे ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतिम हो जाता है"। समस्याएँ हैं

और

ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है जहां मनी-लॉन्ड्रिंग ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिसने अनुसूचित अपराध नहीं किया है या जहां संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ गई है जिसने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए, कुर्की और का प्रावधान करने के लिए धारा **8(5)** में संशोधन करने का प्रस्ताव हैएफ

अपराध की आय को जब्त करना, भले ही कोई दोषसिद्धि न हो, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि विधेय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हुआ है और विचाराधीन संपत्ति (यानी अपराध की आय) मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

जी

*** *** ***

हालाँकि, एमईआर **2010** ने एएमएल कानून में कुछ कमियों को उजागर किया, जिसने एफएटीएफ की कुछ सिफारिशों पर रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।. क्षेत्रों का मोटे तौर पर सारांश नीचे दिया गया है:-

एच

a) कमोडिटी बाजार PMLA के दायरे से बाहर।

ए

बी) डीएनएफबीपी सेक्टर पीएमएलए के अधीन नहीं है (कैसीनो को छोड़कर)। ग) एमएल दृढ़ विश्वास की अनुपस्थिति के कारण

प्रभावशीलता संबंधी चिंताएँ।

घ) कानूनी व्यक्तियों के लाभकारी स्वामित्व की पहचान और सत्यापन।

बी

ई) गैर-अनुपालन के लिए अप्रभावी प्रतिबंध व्यवस्था। भारत ने एमईआर 2010 में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ एक कार्य योजना का सुझाव दिया है जिसमें पीएमएलए में प्रस्तावित संशोधन शामिल हैं।

सी

(जोर दिया गया)

65. जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, इस पृष्ठभूमि में 2013 का संशोधन अधिनियम 2 अस्तित्व में आया। संशोधित प्रावधानों के उद्देश्य और कार्यान्वयन/प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, रोकथाम के संबंध में तंत्र को मजबूत करने के लिए और बदलाव आवश्यक हो गए। मनी-लॉन्ड्रिंग का. यह मानना सही नहीं है कि संशोधित दूसरे प्रावधान के तहत संपत्ति की कुर्की (अनंतिम) का अनुसूचित अपराध से कोई संबंध नहीं है। चूँकि धारा 5(1) में परिकल्पना की गई है कि ऐसी कार्रवाई केवल अधिकृत अधिकारी के कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर ही शुरू की जा सकती है, जो किसी भी व्यक्ति के अपराध की आय के कब्जे में होने का संकेत देती है। अपराध की आय होने की पूर्व शर्त यह है कि ई संपत्ति किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त की गई हो। धारा 5(1) का दायरा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित अभियुक्तों तक सीमित नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा (जरूरी नहीं कि वह अनुसूचित अपराध में आरोपी हो), यदि वह एफ है अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना। ऐसे व्यक्ति को अनंतिम कुर्की आदेश के परिणाम का सामना करने के अलावा, 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत में आरोपी के रूप में नामित किया जा सकता है।

66. यह ध्यान रहे कि कुर्की केवल के संबंध में ही होनी चाहिए

जी

संपत्ति जो अपराध की आय प्रतीत होती है, न कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित सभी संपत्तियां, जिन्हें अंततः धन-शोधन के अपराध के लिए अभियोजन सहित अपराध की आय की जब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2002 अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने की प्रासंगिक तारीख - चाहे वह कुर्की और जब्ती की हो या एच.

अभियोजन, अपराध को अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल करने से जुड़ा है
ए

और ऐसी तारीख के बाद अपराध की आय के संबंध में प्रक्रिया या गतिविधि को जारी रखना। धुरी अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि को आगे बढ़ाने की तारीख के आसपास घूमती है; और वह तारीख नहीं जिस दिन संपत्ति बी से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई है

अनुसूचित अपराध के लिए.

67. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दूसरा प्रावधान रिपोर्ट (चार्जशीट) दाखिल करने के संबंध में पहले प्रावधान में प्रदान किए गए सुरक्षा की उपेक्षा में आपातकालीन कुर्की की अनुमति देता है, यह स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करता है कि दूसरे प्रावधान में शामिल हैतथापिखंड और, एक सी होने के नाते

असाधारण स्थिति में, "तत्काल" कार्रवाई की आवश्यकता होती है ताकि संपत्ति 2002 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल करने की संभावना न हो। निस्संदेह, प्राधिकृत अधिकारी पर यह शर्त लगाई गई है कि वह अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर अपने विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा कि ऐसी "तत्काल" कार्रवाई अपरिहार्य है। इस शर्त का 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है।

डी

68. हमारे सामने यह भी आग्रह किया गया था कि संपत्ति की कुर्की अपराध की आय के मूल्य के बराबर होनी चाहिए, यदि अपराध की आय भारत के बाहर स्थित हो। हमारी राय में यह तर्क कमजोर है। क्योंकि, "अपराध की आय" की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसका तात्पर्य केवल आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त संपत्ति से नहीं है।

और

किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधि, बल्कि ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य की भी। यदि संपत्ति देश के बाहर ली गई है या रखी गई है, तो ऐसे मामले में भी, देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के मूल्य के बराबर संपत्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 2(1)(v) के अनुसार "संपत्ति" की परिभाषा संपत्ति एफ के मूल्य को शामिल करने के लिए समान रूप से पर्याप्त है

अपराध की आय का. इस तरह की व्याख्या अपराध की आय की वसूली और धन-शोधन की प्रभावी रोकथाम के लिए इसे केंद्र सरकार में निहित करने के विधायी इरादे को आगे बढ़ाएगी।

69. हम भारत संघ द्वारा अपनाए गए इस रुख में बल पाते हैं कि 2002 अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य कुर्की और जब्ती था।

अपराध की आय का जो सर्वोत्कृष्ट है ताकि मनी-लॉन्ड्रिंग की बुराई से निपटा जा सके। इसलिए, दूसरा प्रावधान, 2002 के अधिनियम के व्यापक उद्देश्यों को संबोधित करता है ताकि अपराध की आय को जिसके भी नाम

पर रखा गया हो या जिसके द्वारा भी रखा गया हो, उस तक पहुंचा जा सके। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, उक्ति पर भरोसा किया गया हैमहान्यायवादी

एच

583

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.
[एक। एम. खानविलकर, जे.].

भारत के लिए[494]औररमन टेक. एवं प्रोसेस इंजी. कंपनी एवं अन्य. बनाम सोलंकी

ए

ट्रेडर्स[495].

70. अनंतिम कुर्की के संबंध में प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय संबंधित व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय हैं, जिनके खिलाफ 2002 अधिनियम के तहत निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि भारत संघ द्वारा उचित रूप से इंगित किया गया है:

बी

मैं। दूसरे प्रावधान को लागू करने के लिए, निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने से पहले रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर अपना दिमाग लगाना होगा, यह मानने के लिए कि निश्चित रूप से शक्तियों के आह्वान के लिए पर्याप्त सुरक्षा है। धारा 5(1) का दूसरा परंतुक

सी

2002 अधिनियम के.

द्वितीय. इस बात पर संतुष्टि होनी चाहिए कि यदि मनी-लॉन्ड्रिंग या 'अपराध की आय' में शामिल संपत्ति को "तुरंत" संलग्न नहीं किया जाता है, तो ऐसी गैर-कुर्की 2002 अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही को विफल कर सकती है।

डी

iii. 2002 अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पारित आदेश केवल अनंतिम प्रकृति का है। 2002 अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पारित इस अनंतिम कुर्की आदेश की अवधि केवल 180 दिनों के लिए है, जो एक स्वतंत्र निर्णय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है।

और

iv. धारा 5(2) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश पारित करने वाले अधिकारी को तुरंत इस आदेश की एक प्रति एक सीलबंद लिफाफे में निर्णायक प्राधिकारी को भेजनी होगी।

2002 अधिनियम की धारा 5(5) के तहत, ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी को एफ के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करनी होगी।

अनंतिम कुर्की का आदेश जारी होने के 30 दिन.

vi. 2002 अधिनियम की धारा 5(3) में प्रावधान है कि अनंतिम कुर्की आदेश धारा 5(1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर यानी 180 दिन या उस तारीख पर प्रभावी नहीं होगा जब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 8 के तहत आदेश देता है। (2), जो भी पहले हो.

जी

सातवीं. धारा 8(1) के तहत, एक बार अनंतिम कुर्की आदेश देने वाला अधिकारी शिकायत दर्ज करता है और यदि निर्णायक प्राधिकारी

[494]सुप्रा फुटनोट संख्या 428 पर (फुटनोट संख्या 175 पर भी)
[495](2008) 2 एससीसी 302 (फुटनोट संख्या 430 पर भी)

एच

"यह विश्वास करने का एक कारण है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है

ए

धारा 3 के तहत या अपराध की आय के कब्जे में है", न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को कम से कम 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस दे सकता है, जिसमें उसे अपनी आय, कमाई या संपत्ति के स्रोतों को इंगित करने के लिए कहा जा सकता है। जिसे उन्होंने 2002 बी की धारा 5(1) के तहत कुर्क की गई संपत्ति अर्जित की है

कार्यवाही करना।

viii. उपरोक्त एससीएन के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिस पर वह भरोसा करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण यह दिखाने के लिए कि क्यों सभी या किसी भी संपत्ति को मनी-लॉन्ड्रिंग और सी में शामिल संपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया"।

नौ. धारा 8(2) के अनुसार निर्णायक प्राधिकारी को 2002 अधिनियम की धारा 8(1) के तहत जारी एससीएन के उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। यह धारा पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को भी सुनने का प्रावधान करती है और "पहले रिकॉर्ड पर रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों" को भी ध्यान में रखती है।

डी

निर्णायक प्राधिकारी"। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, निर्णायक प्राधिकरण अपना निष्कर्ष दर्ज करेगा कि एससीएन में संदर्भित सभी संपत्तियां मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं।

एक्स। धारा 8(2) के तहत आदेश पारित करते समय धारा 8(3) ई के

साथ पढ़ें

ऐसी दो संभावनाएँ हैं जो घटित हो सकती हैं:

एक। निर्णायक प्राधिकारी अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि कर सकता है, जिस स्थिति में भी, पुष्टि केवल यहीं तक जारी रहेगी

मैं। जांच की अवधि 365 दिन से अधिक नहीं, या

एफ

द्वितीय. 2002 अधिनियम के तहत या किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के लंबित होने तक भारत के बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष।

बी। निर्णायक प्राधिकारी असहमत हो सकते हैं और जी की पुष्टि नहीं कर सकते

अनंतिम कुर्की, जिस स्थिति में संपत्ति पर कुर्की बंद हो जाती है।

xi. 2002 अधिनियम की धारा 8(4) के तहत, अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि होने पर, निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा ले लेंगे।

एच

xii. 2002 अधिनियम की धारा 8(5) के तहत, के निष्कर्ष पर

ए

2002 अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमा यदि विशेष न्यायालय को पता चलता है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है तो यह आदेश देगा कि मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति या वह संपत्ति जो मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल रही है- लॉन्ड्रिंग को केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

बी

xiii. हालाँकि, धारा 8(6) के तहत यदि विशेष अदालत मुकदमे के निष्कर्ष पर पाती है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं हुआ है या संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, तो वह उस संपत्ति को मुक्त कर देगी जो संलग्न की गई है। इसे प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति.

सी

xiv. धारा 8(7) के तहत, यदि अभियुक्त की मृत्यु के कारण या अभियुक्त को घोषित अपराधी घोषित किए जाने के कारण विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो निदेशक या हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर विशेष न्यायालय किसी संपत्ति का कब्ज़ा जिसके संबंध में धारा 8(3) के तहत आदेश पारित किया गया है या तो डी समक्ष सामग्री पर विचार करने के बाद, संपत्ति को जब्त करना या दावेदार को संपत्ति जारी करना।

xv. धारा 8(8) के तहत, जब कोई संपत्ति जब्त की जाती है, तो विशेष

अदालत केंद्र सरकार को संपत्ति में वैध हित रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति बहाल करने का निर्देश दे सकती है, जो ई.
मनी-लॉन्ड्रिंग के परिणामस्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ है। बशर्ते कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं रहा हो और उसने अच्छे विश्वास के साथ काम किया हो और सभी उचित सावधानियां बरतने के बावजूद उसे काफी नुकसान हुआ हो।

xvi. निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश भी विषय एफ है
अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने के लिए जो 2002 अधिनियम की धारा 25 के तहत गठित है। इस प्रकार, जहां तक अपराध की आय या मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की का सवाल है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 2002 अधिनियम के तहत अंतिम प्राधिकारी नहीं है।

जी

xvii. अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि करने वाले आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 2002 अधिनियम की धारा 26(1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण एक आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझेगा या तो पुष्टि करेगा या

एच

अनंतिम कुर्की आदेश को संशोधित करना या अलग करना

ए

के विरुद्ध अपील की गई।

xviii. इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न तथ्य के किसी भी प्रश्न या कानून के प्रश्न पर 2002 अधिनियम की धारा 42 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है।

बी

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 5 के रूप में प्रावधान व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि अपराध की आय 2002 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए उपलब्ध रहे। कार्यवाही करना। हमारी राय में, इस प्रावधान का उन उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है जिन्हें हासिल किया जाना है

सी

मनी-लॉन्ड्रिंग को प्रभावी ढंग से रोकने और विनियमित करने में 2002 अधिनियम। धारा 5 की व्याख्या सहित संवैधानिक वैधता पर विभिन्न

उच्च न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले ही जवाब दिया जा चुका है[496]. अब तक पहले ही व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के आधार पर हम उन निर्णयों पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

डी

2002 अधिनियम की धारा **8**

71. यह धारा कुर्की, न्यायनिर्णयन और जब्ती से संबंधित अध्याय III का हिस्सा है। यह धारा 48 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों और विशेष रूप से केंद्रीय द्वारा नियुक्त निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।

और

2002 अधिनियम की धारा 5(5) के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की गई शिकायत या 2002 अधिनियम की धारा 17(4) या 18(10) के तहत किए गए आवेदनों से निपटने के लिए धारा 6 के तहत सरकार। यह एक संपूर्ण प्रावधान है, जो न केवल संबंधित व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है, बल्कि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के दौरान उसे उचित अवसर भी प्रदान करता है। लानत होना

अनुभाग, समय-समय पर संशोधित और वर्तमान मामलों पर लागू होने पर, इस प्रकार पढ़ता है:

"**8.** निर्णय.—(1) धारा 5 की उपधारा (5) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, या धारा 17 की उपधारा (4) के तहत या धारा 18 की उपधारा (10) के तहत किए गए आवेदनों पर, यदि जी

निर्णायक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी व्यक्ति के पास है

[496](1) बम्बई उच्च न्यायालय मेंराधा मोहन लखोटिया(फुटनोट संख्या 431 पर पूर्व); (2) आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालयबी. राम राजू(उपरोक्त फुटनोट संख्या 433 पर); (3) गुजरात उच्च न्यायालय मेंजे अलाइव हॉस्पिटैलिटी एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड(उपरोक्त फुटनोट संख्या 434 पर); (4) कर्नाटक उच्च न्यायालयके. सौबघ्या(फुटनोट संख्या 435 पर पूर्व); (5) गंगटोक में सिक्किम का उच्च न्यायालयउषा अग्रवाल(फुटनोट संख्या 436 पर पूर्व); औरएच
दिल्ली उच्च न्यायालय में*J. Sekar* (फुटनोट संख्या 437 पर)।

एक प्रतिबद्ध[497][धारा 3 के तहत अपराध या कब्जे में है

ए

अपराध की आय], वह ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीस दिन का नोटिस दे सकता है, जिसमें उसे अपनी आय, कमाई या संपत्ति के स्रोतों को इंगित करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने उप के तहत संलग्न संपत्ति अर्जित की है। - धारा 5 की धारा (1), या, जब्त[498][या जमे हुए] धारा 17 या धारा 18, बी के तहत वह साक्ष्य जिस पर वह भरोसा करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण बताए कि क्यों ऐसी सभी या

किसी संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए:

बशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत एक नोटिस सी निर्दिष्ट

क
र
ता
है

किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से धारित किया जाना चाहिए, ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी:

बशर्ते कि जहां ऐसी संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई हो, ऐसा नोटिस सभी व्यक्तियों को भेजा जाएगा ऐसी संपत्ति रखना.

(2) निर्णायक प्राधिकारी, इसके बाद-

(ए) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए नोटिस के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करना;

और

(बी) पीड़ित व्यक्ति और निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सुनना; और

(सी) उसके समक्ष रिकॉर्ड पर रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए,

एक आदेश द्वारा, एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करें कि क्या सभी या किसी भी

सं
प
त्ति
ए
फ

उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस में संदर्भित मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं:

बशर्ते कि यदि संपत्ति पर उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, जिसे नोटिस जारी किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को यह साबित करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि

जी

संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है।

(3) जहां निर्णायक प्राधिकारी उप-धारा (2) के तहत निर्णय लेता है कि कोई संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है, वह,

[497]उप. 2009 के अधिनियम 21 की धारा द्वारा। 5, "धारा 3 के तहत अपराध" के लिए

(1-6-2009 से)।[498]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(i) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 द्वारा)।

लिखित में एक आदेश, की गई संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करें

ए

धारा 5 की उपधारा (1) के तहत या संपत्ति का प्रतिधारण या[499][धारा 17 या धारा 18 के तहत जब्त या फ्रीज किए गए रिकॉर्ड और उस आशय का एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करें, जिसके बाद जब्त या फ्रीज की गई संपत्ति की ऐसी कुर्की या प्रतिधारण या फ्रीजिंग] या रिकॉर्ड -

बी

(ए) के दौरान जारी रखें[500][अधिकतम अवधि के लिए जांच[501][तीन सौ पैंसठ दिन] या] किसी से संबंधित कार्यवाही की लम्बित अवधि[502][इस अधिनियम के तहत किसी अदालत के समक्ष या किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत, भारत के बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष अपराध, सी

के रूप में मामला हो सकता है; और]

[503][(बी) धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 60 की धारा 58बी या उपधारा (2ए) के तहत जब्ती का आदेश पारित होने के बाद अंतिम हो जाता है।[504][विशेष न्यायालय];]

[505][स्पष्टीकरण.-की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए

डी

खंड (ए) के तहत तीन सौ पैंसठ दिन, वह अवधि जिसके दौरान किसी भी अदालत द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत जांच रोक दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।]

(4) जहां धारा 5 की उपधारा (1) के तहत किए गए कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि उपधारा (3) के तहत की गई है,

और

निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी

[499]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(ii)(ए), "धारा 17 या धारा 18 के तहत जब्त किए गए रिकॉर्ड और उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करें, जब्त की गई संपत्ति की ऐसी कुर्की या प्रतिधारण" (15-2-2013 से), एस.ओ. के तहत। 343(ई), दिनांक 8-2-2013.

एफ

[500]इन्स. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208(सी)(i) (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] अप्रैल, 2018)।

[501]उप. 2019 के अधिनियम 7 द्वारा, धारा। 22(i), "नब्बे दिन" के लिए (20-3-2019 से, जी.एस.आर. 225(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] मार्च, 2019)।

[502]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(ii)(बी), "न्यायालय के समक्ष अनुसूचित अपराध" के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

[503]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(ii)(सी), खंड (बी) के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. के तहत)

जी

343(ई), दिनांक 8-2-2013)। प्रतिस्थापन से पहले खंड (बी) इस प्रकार था: "(बी) ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति का अपराध साबित होने के बाद अंतिम हो जाता है और ऐसे ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतिम हो जाता है"।

[504]उप. सेवित अधिनियम, **2015**(2015 का 20), सेकंड। 147(i), "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" के लिए (14-5-2015 से)।

[505]इन्स. 2019 के अधिनियम 7 द्वारा, धारा। 22(ii) (20-3-2019 से, जी.एस.आर. 225(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] एच

मार्च, 2019)।

तुरंत ले लेंगे[506][संपत्ति का कब्ज़ा कुर्क किया गया

ए

धारा 5 के तहत या धारा 17 की उपधारा (1ए) के तहत जमे हुए, ऐसी रीति से जो निर्धारित की जा सकती है:

बशर्ते कि यदि धारा 17 की उपधारा (1ए) के तहत जब्त की गई संपत्ति पर कब्जा करना व्यावहारिक नहीं है, तो जब्ती के आदेश का वही प्रभाव होगा जैसे कि संपत्ति पर था।

बी

कब्ज़ा कर लिया गया है।]

[507][(5) जहां इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे के समापन पर, विशेष न्यायालय को पता चलता है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है, वह आदेश देगा कि ऐसी संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है या जिसका उपयोग किया गया है का कमीशन

सी

मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

(6) जहां इस अधिनियम के तहत मुकदमे के समापन पर, विशेष न्यायालय को पता चलता है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ है या संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, तो वह

डी

ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को जारी करने का आदेश दें।

(7) जहां इस अधिनियम के तहत मुकदमा अभियुक्त की मृत्यु के कारण या अभियुक्त के उद्घोषित अपराधी घोषित होने या किसी अन्य कारण से नहीं चलाया जा सकता है या शुरू हो गया है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सका है, विशेष न्यायालय एक आवेदन पर

और

निदेशक या किसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा, जिसके संबंध में धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत एक आदेश पारित किया गया है, संपत्ति को जब्त करने या जारी करने के संबंध में उचित आदेश पारित करें, जैसा भी मामला हो एफ के संबंध में होने के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हो सकता है इससे पहले की सामग्री के लिए।]

[506]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(iii), "कुर्क की गई संपत्ति का कब्ज़ा" के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

[507]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 6(iv), उपधारा (5) और (6) के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)। प्रतिस्थापन से पहले उपधारा (5) और (6) इस प्रकार थीं:

जी

"(5) जहां किसी अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमे के समापन पर, संबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, उप-धारा (3) के तहत संपत्ति की कुर्की या जब्त की गई संपत्ति या रिकॉर्ड का प्रतिधारण और शुद्ध आय, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएगी प्रभाव डालना.

(6) जहां उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत किसी संपत्ति की कुर्की या जब्त की गई संपत्ति या रिकॉर्ड का प्रतिधारण अंतिम हो जाता है, निर्णय प्राधिकारी, व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बादएच

संबंधित, ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दें।"

[508][(8) जहां कोई संपत्ति केंद्र द्वारा जब्त कर ली जाती है

ए

उप-धारा (5) के तहत सरकार, विशेष न्यायालय, निर्धारित तरीके से, केंद्र सरकार को ऐसी जब्त की गई संपत्ति या संपत्ति में वैध हित वाले दावेदार की उसके हिस्से को बहाल करने का निर्देश दे सकती है, जिसे नुकसान हुआ हो। बी के अपराध के परिणामस्वरूप मात्रात्मक हानि

काले धन को वैध बनाना:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय ऐसे दावे पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि दावेदार ने अच्छे विश्वास में काम किया है और सभी उचित सावधानियां बरतने के बावजूद नुकसान उठाया है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल नहीं है:] सी

[509][परंतु यह भी कि विशेष न्यायालय, यदि उचित समझे, तो मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी संपत्तियों की बहाली के प्रयोजनों के लिए दावेदार के दावे पर ऐसे तरीके से विचार कर सकता है, जो निर्धारित किया जा सकता है।]"

72. इस प्रावधान के संबंध में याचिकाकर्ताओं की शिकायत है

डी

मोटे तौर पर धारा 8(3)(ए) के तहत निर्दिष्ट कुर्की की अवधि और 2002 अधिनियम की धारा 8(4) के तहत संपत्ति पर कब्जा करने के तौर-तरीके के बारे में। परिणामस्वरूप, हम अपनी चर्चा को उल्लिखित उप-अनुभागों में प्रदान की

गई व्यवस्था तक ही सीमित रखेंगे। उप-धारा (3) पर लौटते हुए, यह बताता है कि जहां निर्णायक प्राधिकारी एक निष्कर्ष ई दर्ज करता है

क्या किसी शिकायत/आवेदन की प्राप्ति के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस में संदर्भित सभी या कोई संपत्तियां मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, वह, लिखित आदेश में धारा 5(1) के तहत की गई संपत्ति की कुर्की (अनंतिम) या धारा 17 के तहत जब्त या जब्त की गई संपत्ति या रिकॉर्ड को अपने पास रखने की पुष्टि की जाए या

एफ

धारा 18, और तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए संबंधित संपत्ति की कुर्की या प्रतिधारण या फ्रीजिंग को जारी रखने या 2002 अधिनियम के तहत किसी न्यायालय के समक्ष या संबंधित किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने का निर्देश। भारत के बाहर किसी भी देश का कानून G के बाद अंतिम होता है

विशेष न्यायालय द्वारा धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58बी या धारा 60(2ए) के तहत जब्ती का आदेश पारित किया जाता है। 2019 के अधिनियम 7 के तहत इसमें जोड़ा गया स्पष्टीकरण विधि निर्धारित करता है

[508]इन्स. सेवित्त अधिनियम**, 2015**(2015 का 20), सेकंड। 147(ii) (14-5-2015 से)।[509]इन्स. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208(सी)(ii) (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक द्वाराएच

19[वां] अप्रैल, 2018)।

इसके बाद तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि की गणना करना

ए

न्यायालय के स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो। तर्क आगे बढ़ता है कि 2002 अधिनियम की धारा 8(3)(ए) में उल्लिखित कुर्की की अवधि कुर्की की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिनों के भीतर शिकायत दर्ज न करने के परिणाम के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करती है (अनंतिम)। यह तर्क स्पष्ट रूप से दायित्व बी की अनदेखी करता है

निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को, जो धारा 5(1) के तहत किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करता है, उसे 2002 अधिनियम की धारा 5(5) के संदर्भ में तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्य बताते हुए शिकायत दर्ज करनी होगी। स्वीकार्य रूप से, ऐसे आदेश की पुष्टि के लिए अनंतिम संलग्नक से तीस दिनों के भीतर धारा 5(5) के संदर्भ में निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करना

सी

अनंतिम कुर्की 2002 अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय धन-शोधन के अपराध के संबंध में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए धारा 44(1)(बी) के

तहत विशेष अदालत के समक्ष दायर की जाने वाली शिकायत से अलग है। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की आदेश डी की तारीख से केवल एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए लागू होगी

उस प्रावधान के संदर्भ में 2002 अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पारित किया गया। जबकि, धारा 8(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित करने और अनंतिम कुर्की आदेश और पुष्टि के आदेश की पुष्टि करने से तीन सौ पैंसठ दिनों की अवधि को संदर्भित करता है। कुर्की तब तक लागू रहती है जब तक कि जब्ती आदेश पारित नहीं हो जाता या पारित आदेश के संदर्भ में अंतिम नहीं हो जाता

और

विशेष न्यायालय द्वारा धारा 8(5) या 8(7) या 58बी या 60(2ए) के तहत। कुर्की की पुष्टि का आदेश 2002 अधिनियम के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या भारत के बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष, जैसा भी मामला हो, चल सकता है। हमें इस पहलू पर किसी एफ को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है आगे और पार्टियों को उचित कार्यवाही में इस पहलू पर आंदोलन करने के लिए छोड़ दें क्योंकि यह प्रावधान की संवैधानिक वैधता के बारे में नहीं है।

73. याचिकाकर्ताओं की अन्य शिकायत धारा 8 की उप-धारा (4) में कब्जा लेने के प्रावधान के संदर्भ में है। संपत्ति का. मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को केवल असाधारण स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिए। उसमें, केवल इसलिए कि धारा 5(1) के तहत पारित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि हो गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति जब्त कर ली गई है; और जब तक औपचारिक रूप से जब्ती का आदेश पारित नहीं हो जाता, ऐसी संपत्ति पर कब्जा लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का कोई कारण नहीं है। सिद्धांत

एच

2002 अधिनियम की धारा 5(4) में निर्धारित को इसके बाद भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है

ए

औपचारिक ज़ब्ती आदेश पारित होने तक अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि। धारा 5(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनंतिम कुर्की के आदेश सहित धारा 5 में कुछ भी उपधारा (1) के तहत संलग्न अचल संपत्ति के आनंद में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ऐसे आनंद से नहीं रोकेगा। बी पर कब्ज़ा करने की ज़रूरत है कुर्क की गई संपत्ति केवल जब्ती के आदेश को प्रभावी करने के लिए उत्पन्न होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि धारा 8 की उपधारा (6) यह बताती है कि जहां 2002 अधिनियम के तहत एक मुकदमे के समापन पर, जो स्पष्ट रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में है, विशेष न्यायालय पाता है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ है। हुआ है या संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, तो वह ऐसी संपत्ति को जारी करने का आदेश देगा

सी

इसे प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति। एक बार संपत्ति का कब्ज़ा उप-धारा (4) के अनुसार ले लिया जाता है और व्यक्ति के पक्ष में निष्कर्ष विशेष न्यायालय द्वारा दिया जाता है और अंतराल के दौरान यदि संपत्ति हाथों में बदल जाती है और शीर्षक किसी तीसरे पक्ष में निहित हो जाता है, तो यह तीसरे पक्ष को भी नागरिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वह है डी

निश्चित रूप से टाला जा सकता है जब तक कि किसी विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों में धारा 8 की उपधारा (4) के तहत उपलब्ध विकल्प को लागू करना बिल्कुल आवश्यक न हो।

74. निर्विवाद रूप से, वैधानिक नियम 2002 अधिनियम ई की धारा 73 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं।

2013 में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई संलग्न या जमी हुई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के तरीके के संबंध में, और 2019 में जब्त की गई संपत्ति की बहाली के संबंध में। पहले विचाराधीन संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए धारा 8(4) के तहत उस निर्देश का पालन करना पर्याप्त है। ज़ब्ती का औपचारिक आदेश केवल अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के आधार पर पारित किया जाना चाहिए

एफ

अपवाद और नियम नहीं. उस मुद्दे पर केस-टू-केस आधार पर विचार करना होगा। प्रासंगिक प्रावधानों के ऐसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, 2002 अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) की वैधता को चुनौती देना संभव नहीं है।

75. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा

जी

विचाराधीन प्रावधान को उचित ठहराने के लिए 2003 और 2012 में एफएटीएफ द्वारा की गई सिफारिशों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तथ्य यह है कि गैर दोषसिद्धि आधारित ज़ब्ती मॉडल स्वीकार्य है, यह हर मामले में व्यक्ति को संपत्ति से भौतिक रूप से बेदखल करने की अत्यधिक और कठोर कार्रवाई की गारंटी नहीं देता है - जो औद्योगिक/वाणिज्यिक/एच हो सकता है।

जब्ती के औपचारिक आदेश तक, व्यावसायिक और आवासीय संपत्ति भी

ए

2002 अधिनियम की धारा 8(5) या 8(7) के तहत पारित किया गया है। जैसा कि पहले दिखाया गया है, यह संभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से संबंधित मुकदमे में विशेष अदालत अंततः संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में इस मुद्दे का फैसला कर सकती है क्योंकि यह अपराध की आय नहीं है या किसी अन्य वैध आधार पर है। विशेष न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करने से पहले, यह बी

यदि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है, तो यह न्याय की गंभीर हानि का मामला होगा। इसके अलावा, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार संपत्ति पर कब्ज़ा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और फिर उसे बाद की तारीख में उसी व्यक्ति को वापस लौटाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा, व्याख्या करते समय हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए

सी

मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में 2002 अधिनियम की धारा 3, यह केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब यह स्थापित हो कि व्यक्ति ने किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय प्राप्त की है या प्राप्त की है। अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था।

डी

76. यह समझ से परे है कि अनुसूचित अपराध के संबंध में उसके बरी होने या आरोपमुक्त होने की स्थिति में संपत्ति के संबंध में जब्ती की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। परिणामस्वरूप, हम यह देखकर निष्कर्ष निकालेंगे कि धारा 8(4) के रूप में प्रावधान का सहारा केवल अपवाद के रूप में लिया जा सकता है, नियम के रूप में नहीं। ई द्वारा तैयार की गई सादृश्यता इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर भारत संघप्रभागीय वन अधिकारी एवं अन्य. बनाम जी.वी. सुधाकर राव एवं अन्य।[510], ***Biswanath Bhattacharya***[511],योगेन्द्र कुमार जयसवाल एवं अन्य। बनाम बिहार राज्य और अन्य।[512], 2002 अधिनियम में प्रदान की गई अपराध की आय की कुर्की, जब्ती और केंद्र सरकार में निहित करने की योजना के संदर्भ में कोई फायदा नहीं होगा।

एफ

<u>तलाशी और बरामदगी</u>

77. अध्याय I से III के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, अब हम 2002 अधिनियम के अध्याय V में सम्मन, तलाशी और जब्ती आदि से संबंधित अन्य विवादास्पद प्रावधानों की ओर रुख कर सकते हैं। धारा 16 जी 2002 अधिनियम के तहत अधिकारियों को सर्वेक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। उन्हें सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर या जिसके संबंध में, किसी भी स्थान पर प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है

[510](1985) 4 एससीसी 573 (फुटनोट संख्या 439 पर भी)
[511]फुटनोट संख्या 438 पर सुप्रा
[512](2016) 3 एससीसी 183 (फुटनोट संख्या 448 पर भी)

एच

सक्षम द्वारा धारा 16 के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से अधिकृत

ए

प्राधिकरण, रिकॉर्ड या अन्य मामलों के निरीक्षण के लिए, ऐसी स्थिति में, कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध किया गया है। हालाँकि, जब खोज और जब्ती की बात आती है, तो 2002 अधिनियम की धारा 17 केवल निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को अनुमति देती है जो उप निदेशक बी के पद से नीचे न हो।

उसे अपने अधिकार में मौजूद जानकारी के आधार पर उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है और यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो मनी-लॉन्ड्रिंग का गठन करता है या रिकॉर्ड और सहित मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय के कब्जे में है। मनी-लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति। 2002 अधिनियम की धारा 17, यथासंशोधित, इस प्रकार है:

सी

> "**17.** तलाशी और जब्ती.-(1) कहां[513][निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उप निदेशक के पद से नीचे का न हो], उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर, विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई भी व्यक्ति-
>
> डी
>
> (i) कोई ऐसा कार्य किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग बनता है, या
>
> (ii) मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की किसी भी आय के कब्जे में है, या
>
> और
>
> (iii) मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड उसके कब्जे में है,[514][या]
>
> [515][(iv) अपराध से संबंधित किसी भी संपत्ति के कब्जे में है,]
>
> फिर, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, वह एफ को अधिकृत कर सकता है
>
> उसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी-
>
> (ए) किसी भी इमारत, स्थान, जहाज, वाहन या विमान में प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा जहां उसके पास संदेह करने का कारण है कि ऐसे रिकॉर्ड या अपराध की आय रखी गई है;

जी

[513]उप. 2009 के अधिनियम 21 की धारा द्वारा। 7(i), "निदेशक" के लिए (1-6-2009 से)[514]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(i)(ए) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)

[515]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(i)(बी) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)

एच

(बी) किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी का ताला तोड़ दें

ए

या खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अन्य पात्र जहां उसकी चाबियाँ उपलब्ध नहीं हैं;

(सी) ऐसी खोज के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त कर लेगा;

(डी) ऐसे रिकॉर्ड पर पहचान के निशान लगाएं या[516][संपत्ति, बी यदि आवश्यक हो या] उसके उद्धरण या प्रतिलिपियाँ बनाना या बनवाना;

(ई) ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति का एक नोट या सूची बनाएं;

(एफ) सभी मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की शपथ पर जांच करना, जिसके पास किसी रिकॉर्ड या संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण पाया जाता है।

सी

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक:[517][***]

[518][(1ए) जहां ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करना संभव नहीं है, उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी डी बना सकता है ऐसी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश, जिसके बाद ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, संपत्ति को हस्तांतरित या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी:

और

[516]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(i)(सी) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)

[517]परंतुक द्वारा छोड़ा गयावित्त **(**नंबर **2)** अधिनियम**, 2019**, सेक. 197 (1-8-2019 से) इससे पहले प्रावधान को 2013 के अधिनियम 2, धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 14(i)(डी) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत) और 2009 के अधिनियम 21, धारा द्वारा। 7(ii) (1-6-2009 से)। प्रावधान, लोप से पहले, इस प्रकार था:

एफ

"बशर्ते कोई तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई हो , जैसा भी मामला हो, अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत है, या ऐसे मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, प्राप्त जानकारी की एक समान रिपोर्ट या अन्यथा एक द्वारा प्रस्तुत किया गया है

जी

किसी अनुसूचित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी, जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी से कम न हो, जो भी मामला हो, कार्यालय या मंत्रालय या विभाग या इकाई का प्रमुख हो, या कोई अन्य अधिकारी जो प्राधिकृत हो। केंद्र सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए"

[518]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(ii) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

एच

बशर्ते कि, इसके तहत जब्ती से पहले किसी भी समय

ए

धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 60 की धारा 58बी या उपधारा (2ए), जमी हुई संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक हो जाता है, उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी कर सकता है ऐसी संपत्ति जब्त करें।]

(2) वह प्राधिकारी, जिसे उपधारा (1) के तहत अधिकृत किया गया है

बी

तलाशी और जब्ती के तुरंत बाद किया जाएगा[519][या फ्रीज़िंग ऑर्डर जारी होने पर], उस उप-धारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को, उस तरीके से अग्रेषित करें, जैसा निर्धारित किया जा सकता है। और ऐसा निर्णायक प्राधिकारी सी रखेगा

ऐसी अवधि के लिए ऐसे कारण और सामग्री, जो निर्धारित की जा सकती हैं। (3) जहां कोई प्राधिकारी, धारा 16 के तहत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी पर संतुष्ट है कि कोई सबूत छिपाया जाएगा या उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इमारत में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है या वह स्थान जहां ऐसे साक्ष्य स्थित हैं और उस साक्ष्य को जब्त करें:

डी

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत खोज के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

[520][(4) उपधारा (1) के तहत किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने या उपधारा (1ए) के तहत किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को फ्रीज

करने वाला प्राधिकारी, ऐसी जब्ती से तीस दिनों की अवधि के भीतर या

और

फ्रीजिंग, जैसा भी मामला हो, एक आवेदन दायर करें, जिसमें उप-धारा (1) के तहत जब्त किए गए ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को बनाए रखने या उप-धारा (1 ए) के तहत दिए गए फ्रीजिंग के आदेश को जारी रखने का अनुरोध न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष किया जाए।] "

जैसा कि संशोधित प्रावधान से देखा गया, इसमें एफ संशोधन किया गया है

2009 के अधिनियम 21, 2013 के अधिनियम 2 और अंत में वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 द्वारा। चुनौती अनिवार्य रूप से वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को हटाने के संबंध में है - जो यह प्रदान करता है कि कोई खोज नहीं की जाएगी तब तक आयोजित किया जाएगा जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में 1973 संहिता की धारा 157 या जी के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेज दी गई हो।

[519]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(iii) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

[520]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 14(iv), उपधारा (14) के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8.2.2013 द्वारा)। प्रतिस्थापन से पहले उप-धारा (14), इस प्रकार थी: "(4) इस धारा के तहत किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने वाला प्राधिकारी, ऐसी जब्ती से तीस दिनों की अवधि के भीतर, एक आवेदन दायर करेगा, जिसमें ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को बनाए रखने का अनुरोध किया जाएगा। निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड या संपत्ति।

एच

शिकायत एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई है, जो अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत है

ए

अनुसूची में उल्लिखित, अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष, जैसा भी मामला हो, या ऐसे मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, प्राप्त जानकारी की एक समान रिपोर्ट या अन्यथा किसी द्वारा प्रस्तुत की गई है बी से नीचे के अधिकारी को किसी अनुसूचित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव का पद या समकक्ष, कार्यालय या मंत्रालय या विभाग या इकाई का प्रमुख, जैसा भी मामला हो, या कोई अन्य अधिकारी जिसे इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, चुनौती यह है कि तलाशी और जब्ती के संबंध में 1973 संहिता के तहत प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षा उपाय की परिकल्पना नहीं की गई है और इस तरह की कठोर शक्ति का

प्रयोग किया जा रहा है।

सी

अनुसूचित अपराध के संबंध में औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना या शिकायत दर्ज किए बिना प्रयोग किया गया। इसलिए यह प्रावधान असंवैधानिक है। 78. भारत संघ द्वारा इन चुनौतियों का इस तर्क के साथ सही खंडन किया गया है कि 2002 अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है और इसके अंतर्गत परिकल्पित व्यवस्था, धारा 71 के संदर्भ में लागू होनी चाहिए।[520ए]

डी

2002 अधिनियम का, जो बताता है कि 2002 अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे, जिसमें 1973 संहिता के प्रावधान शामिल हैं। यहां तक कि धारा 65 भी[520बी] 2002 का अधिनियम बताता है कि 1973 की संहिता के प्रावधान लागू होंगे, जहां तक वे ई नहीं हैं 2002 अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती, जांच, अभियोजन और अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में 2002 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत। इस सबमिशन को मजबूत करने के लिए, धारा 4 पर भी निर्भरता रखी गई है[521] और 5[522] 1973 संहिता का. अनुभाग

[520ए]**71.** अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे

एफ

समय प्रभावी है.

[520बी]**65.** दण्ड प्रक्रिया संहिता**, 1973** लागू करना।- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती जांच, अभियोजन और अन्य सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। यह कार्य।

[521]**4.** भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा।-(1) भारत दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी,

जी

कोशिश की गई, और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया। (2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा समान प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन जांच, पूछताछ के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी समय के लिए लागू किसी भी अधिनियम के अधीन होगा। ऐसे अपराधों से निपटने का प्रयास करना या अन्यथा निपटना।

[522]**5.** बचत.-इस संहिता में निहित कोई भी बात, इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेगी, याएच किसी भी समय लागू किसी भी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त कोई विशेष क्षेत्राधिकार या शक्ति, या निर्धारित प्रक्रिया से कोई विशेष।

4(2) अन्य कानूनों (आईपीसी के अलावा) के तहत अपराधों से संबंधित है

ए

समान प्रावधानों के अनुसार जांच, पूछताछ, प्रयास और अन्यथा निपटा

जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी समय के लिए लागू अधिनियम के अधीन। इसी प्रकार, 1973 संहिता की धारा 5 में परिकल्पना की गई है कि 1973 संहिता में कुछ भी, बी में नहीं होगा।

इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति, उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून, या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या प्रदत्त शक्ति, या किसी अन्य लागू कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को प्रभावित करती है।

79. निस्संदेह, 2002 अधिनियम एक विशेष स्व-निहित कानून है;

सी

और धारा 17 एक प्रावधान है, जो विशेष रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में तलाशी और जब्ती से संबंधित मामलों से संबंधित है और 2002 अधिनियम के तहत अपराध से प्राप्त आय की जांच की जानी है। हम इस फैसले के पहले भाग में पहले ही नोट कर चुके हैं कि अनंतिम कुर्की की कार्रवाई का सहारा लेने से पहले, अनुसूचित अपराध का पंजीकरण या उस संबंध में दायर शिकायत दर्ज नहीं की जाती है।

डी

एक पूर्व शर्त. प्राधिकृत अधिकारी अभी भी अनंतिम कुर्की के आदेश जारी करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है और किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अनुसूचित अपराध और संपत्ति के सृजन के बारे में क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को समसामयिक रूप से जानकारी भेज सकता है, जिसे विषय वस्तु बनाया जा रहा है। अनंतिम ई

लगाव। यहां तक कि 2002 अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती के मामले में भी, उस शक्ति का प्रयोग केवल निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। वे न केवल उच्च-रैंकिंग अधिकारी हैं, बल्कि उन्हें इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होना होगा कि मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के कमीशन या संपत्ति के कब्जे के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर विश्वास करने का कारण है।

एफ

मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय। विश्वास करने के लिए ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है और समसामयिक रूप से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ एक सीलबंद लिफाफे में अग्रेषित किया जाना चाहिए, जिसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उस अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा जैसा कि इसमें बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित है। जी

संबद्ध। 2002 के अधिनियम में ऐसे अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। यह प्रावधान, जैसा कि 2019 से पहले अस्तित्व में था, स्पष्ट रूप से धारा 5 में पहले प्रावधान की शर्तों के अनुरूप था। हालाँकि, धन-शोधन की रोकथाम सहित तंत्र को मजबूत करने के लिए, संसद ने अपने विवेक से इस प्रावधान को हटाना उचित समझा। 2002 अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1), जिससे मुक्ति मिलती है

शर्त यह है कि कोई भी तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसके संबंध में न हो

ए

अनुसूचित अपराध की रिपोर्ट 1973 संहिता की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है या ऐसे अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। चूंकि यह निर्विवाद है कि 2002 अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और धन बी के अपराध के संबंध में खोजों और जब्ती के विषय के संबंध में एक स्व-निहित संहिता है। 2002 अधिनियम के तहत लॉन्ड्रिंग, इस तथ्य के साथ कि 2002 अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है; और मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि से संबंधित एक स्वतंत्र अपराध है, पहले प्रावधान को हटाने से रोकथाम के तंत्र को मजबूत करने के लिए 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ उचित संबंध है।

सी

मनी-लॉन्ड्रिंग और 2002 अधिनियम के तहत उचित रूप से निपटने के लिए अपराध की आय को सुरक्षित करना।

80. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 17 अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है, न केवल निदेशक रैंक (अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) के उच्च रैंकिंग अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को अनिवार्य बनाती है।

डी

भारत सरकार जिसे सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है) या उस संबंध में निदेशक द्वारा अधिकृत उप निदेशक, लेकिन विश्वास के संबंध में कारणों की रिकॉर्डिंग की अन्य शर्तों का भी पालन करना होता है। आयोग ई के बारे में उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर गठित किया गया मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध और मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय पर कब्ज़ा। इसके अलावा, सामग्री के साथ ऐसे दर्ज किए गए कारणों को निर्दिष्ट के लिए संरक्षित करने के लिए एक सीलबंद लिफाफे में तीन सदस्यीय निर्णायक प्राधिकरण (2002 अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की अध्यक्षता में नियुक्त) को भेजा जाना आवश्यक है। अवधि, इस प्रकार, निष्पक्षता, पारदर्शिता की गारंटी देती है

एफ

और तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया के संबंध में जवाबदेही। यह 1973 संहिता के प्रावधान के विपरीत है जहां हेड कांस्टेबल सहित कोई भी पुलिस

अधिकारी किसी अनुसूचित अपराध के आरोप या संदेह के आधार पर रिकॉर्ड या संपत्ति की खोज और जब्ती के लिए आगे बढ़ सकता है।

जी

81. निस्संदेह, 2002 का अधिनियम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच का प्रावधान करता है और अपराध की आय वाली संपत्तियों के संबंध में अधिकारियों द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि पर विचार करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। अपराध में शामिल एच

मनी-लॉन्ड्रिंग का. उस अर्थ में, 2002 अधिनियम में प्रावधान नहीं हैं

ए

केवल मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने के लिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकना और मनी-लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति की जब्ती और उससे जुड़े मामलों और उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना।

82. 2002 अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया इस प्रकार है,

बी

इसलिए, न केवल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने के प्रयोजनों के लिए, बल्कि मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के उद्देश्यों के लिए भी। यह किसी अनुसूचित अपराध की जांच की प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

83. यह ध्यान देने योग्य है कि यदि प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है

सी

2002 अधिनियम के तहत, जिसमें तलाशी और जब्ती भी शामिल है, अंततः लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के बिना पाया जाता है, तो 2002 अधिनियम की धारा 62 के तहत कष्टप्रद तलाशी के लिए सजा दी जाएगी। 2002 अधिनियम की धारा 17 और तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए नियमों के तहत प्रदान किए गए कड़े सुरक्षा उपाय हैं।

मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में और अपराध की आय की कुर्की सहित मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, यह समझ से परे है कि विचाराधीन चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है। हम इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को उपयोगी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं***Pooran Mal***[523],जिसने निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को सौंपी गई समान शक्ति से निपटा था

और

आयकर अधिनियम, 1961 (यह भी देखें)।आयकर अधिकारी, विशेष जांच मण्डल-बी, मेरठ[524]). उसी अंत तक निर्णय हैआर.एस. सेठ गोपीकृष्ण अग्रवाल बनाम आर.एन. सेन, सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क एवं अन्य।[525], सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 और 136 से निपटना। के मामले में***Dr. Partap Singh***[526], इस न्यायालय ने एफ को बरकरार रखा

FERA की धारा 37 में विधायी मंशा को पूरा करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाकर और उस धारा में कलम और स्याही द्वारा 1973 संहिता के प्रावधानों को शामिल करने के बारे में तर्क को नकारते हुए व्यवस्था प्रदान की गई है, जैसा कि हमारे सामने दिया गया तर्क है।

84. जैसा कि पहले देखा गया, 2002 अधिनियम जी की धारा 17(2) के संदर्भ में
तलाशी और जब्ती के तुरंत बाद, तलाशी लेने वाला प्राधिकारी दर्ज किए गए कारणों और सामग्रियों की एक प्रति अग्रेषित करने के लिए बाध्य है

[523]फुटनोट संख्या 416 पर सुप्रा
[524]फुटनोट संख्या 424 पर सुप्रा
[525](1967) 2 एससीआर 340 (फुटनोट संख्या 417 पर भी)
[526]फुटनोट संख्या 425 पर सुप्रा

एच

601

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। वी भारत संघ एवं ओआरएस.
[एक। एम. खानविलकर, जे.]

एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उसके कब्जे में।

ए

इस सीलबंद लिफाफे को उस संबंध में बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि इसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ न हो और प्राधिकरण की जवाबदेही सहित प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं, 2002 अधिनियम की धारा 17(4) के अनुसार रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने वाला प्राधिकरण बी के लिए बाध्य है उक्त रिकार्ड को अपने पास रखने के लिए तीस दिन की अवधि के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बदले में रिकार्ड या संपत्ति को अपने पास रखने का आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देता है। जैसा भी मामला हो, 2002 अधिनियम और उसके लिए बनाए गए नियमों के तहत। अधिकारी खोज कर रहे हैं और

सी

उत्पीड़नात्मक तलाशी और गलत जानकारी देने के लिए 2002 अधिनियम की धारा 62 के तहत सजा का प्रावधान करके जब्ती को भी जवाबदेह बनाया गया है। ये सभी अंतर्निहित सुरक्षा उपाय 2002 अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अभ्यास या शक्ति के दुरुपयोग को रोकते हैं।

85. 1973 संहिता की धारा 102 पर जोर दिया गया

डी

याचिकाकर्ताओं द्वारा जब्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई फायदा नहीं हुआ। वह प्रावधान जब्ती से पहले कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 17 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान

किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह एक हेड कांस्टेबल द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी पुलिस अधिकारी" है, वह भी केवल एक आरोप के आधार पर या किसी अपराध के घटित होने का संदेह। तलाशी के मामले में, 1973 संहिता की धारा 165 पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को उस स्थिति में इसका सहारा लेने का अधिकार देती है, जब उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हो कि ऐसा करना आवश्यक होगा। किसी भी अपराध की जांच के लिए. इस शक्ति का प्रयोग किसी भी पुलिस अधिकारी (चाहे वह किसी भी रैंक का हो) द्वारा किसी मामले की जांच करने पर किया जा सकता है

एफ

अपराध। यह देखना पर्याप्त है कि 2002 अधिनियम की धारा 17 के तहत अधिकारियों को सौंपी गई तलाशी और जब्ती की शक्ति एक विशेष स्व-निहित प्रावधान है और 1973 संहिता में सामान्य प्रावधानों से अलग है, इसलिए, इसे लागू किया जाना चाहिए। 2002 अधिनियम की धारा 71 की शर्तें। इसके अलावा, अंतर्निहित सुरक्षा उपायों और कड़े जी को ध्यान में रखते हुए 2002 अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों को 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और वस्तुओं के साथ संबंध रखने वाले उचित प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से कोई मनमानी शक्ति नहीं है।

एच

86. यह आग्रह किया गया कि 2005 के नियमों में नियम 3(2) का प्रावधान है

ए

2002 अधिनियम की धारा 17(1) में परंतुक को हटाए जाने के बावजूद प्रपत्रों, तलाशी और जब्ती या फ्रीजिंग और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कारणों और सामग्री को अग्रेषित करने के तरीके, अभिलेखों को जब्त करने और हिरासत में रखने और प्रतिधारण की अवधि के संबंध में संशोधन नहीं किया गया है। वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से। सबसे पहले, यह अथाह है बी कि असंशोधित नियम के आधार पर अधिनियम में संशोधन के प्रभाव पर सवाल उठाया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि यदि नियम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो अधिनियम में संशोधित प्रावधान लागू होने चाहिए। क़ानून घोषित नहीं किया जा सकताअधिकारातीतक़ानून के तहत बनाए गए नियम के आधार पर। नियम 3(2) के परंतुक की पूर्व शर्त को 2002 के अधिनियम की धारा 17 में नहीं पढ़ा जा सकता है, जो कि विधायी के विपरीत है।

सी

2002 अधिनियम की धारा 17(1) में परंतुक को हटाने का इरादा। किसी भी मामले में, विषय प्रावधान के कारण उत्पन्न भ्रम, यदि कोई हो, को दूर

करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र है।

व्यक्तियों की खोज

डी

87. व्यक्तियों की खोज का विषय 2002 अधिनियम की धारा 18 में निपटाया गया है जो अध्याय V का हिस्सा है। इस प्रावधान के संबंध में भी, चुनौती अनिवार्य रूप से धारा 18 की उपधारा (1) में परंतुक को हटाने पर आधारित है। वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के तहत जो थाबराबर बात2002 अधिनियम की धारा 17(1) में प्रावधान के साथ - निर्धारित

और

किसी भी व्यक्ति की कोई तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में 1973 संहिता की धारा 157 आदि के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट न भेज दी गई हो। संशोधित धारा 18 इस प्रकार है:

"**18.** व्यक्तियों की तलाश.—(1) यदि कोई प्राधिकारी, इसमें अधिकृत है

एफ

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार की ओर से, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्ति के बारे में या उसके कब्जे, स्वामित्व या नियंत्रण के तहत किसी भी रिकॉर्ड या आय को गुप्त रखा है अपराध का जो किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है जी

इस अधिनियम के तहत, वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है:

[527][***]

[527]परंतुक द्वारा छोड़ा गयावित्त **(**नंबर **2)** अधिनियम**, 2019**, सेक. 198 (1-8-2019 से)।एच इससे पहले यह प्रावधान 2009 के अधिनियम 21 की धारा द्वारा शामिल किया गया था। 8(i) (1-6-2009 से) और

(2) वह प्राधिकारी, जिसे उपधारा (1) के तहत अधिकृत किया गया है

ए

तलाशी और जब्ती के तुरंत बाद, उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उस तरीके से अग्रेषित करेगा, जो निर्धारित किया जा सकता है और इस तरह निर्णायक प्राधिकारी बी के लिए ऐसे कारण और सामग्री रखेगा ऐसी अवधि, जो निर्धारित की जाए।

(3) जहां कोई प्राधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो वह ऐसे व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी, उससे वरिष्ठ रैंक के, या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा:

सी

बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में ऐसे व्यक्ति को अपने से वरिष्ठ निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की अदालत तक ले जाने के लिए की गई यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा।

(4) यदि उप-धारा (3) के तहत मांग की जाती है, तो प्राधिकारी

डी

व्यक्ति को उससे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, या उस उपधारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने से पहले चौबीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा:

बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में हिरासत के स्थान से वहां तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा

और

राजपत्रित अधिकारी का कार्यालय, उससे वरिष्ठ पद, या मजिस्ट्रेट का न्यायालय।

(5) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति लाया जाता है, यदि उसे इसके लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है

एफ

2013 के अधिनियम 2, धारा द्वारा प्रतिस्थापित। 15 (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)। लोप से पहले परंतुक इस प्रकार था:

"बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति की कोई तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई हो या शिकायत दर्ज न की गई हो किसी व्यक्ति द्वारा, अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष अनुसूचित का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है

जी

अपराध, जैसा भी मामला हो, या ऐसे मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, एक अनुसूचित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त या अन्यथा प्राप्त जानकारी की एक समान रिपोर्ट एक ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत की गई है जो अतिरिक्त रैंक से कम नहीं है भारत सरकार के सचिव या समकक्ष कार्यालय या मंत्रालय या विभाग या इकाई के प्रमुख, जैसा भी मामला हो, या कोई अन्य अधिकारी जिसे इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

एच

तलाशी लें, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें, लेकिन अन्यथा निर्देशित करेंगे
ए

वह खोज की जाए.

(6) उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने से पहले, प्राधिकारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को तलाशी में भाग लेने और देखने के लिए बुलाएगा, और तलाशी ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में की जाएगी। .

बी

(7) प्राधिकरण तलाशी के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड या संपत्ति की एक सूची तैयार करेगा और सूची पर गवाहों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(8) एक महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली
जाएगी। सी

(9) प्राधिकारी तलाशी के दौरान पाए गए या जब्त किए गए अपराध के रिकॉर्ड या आय के संबंध में उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत खोजे गए व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा:

[528][***]

डी

(10) उप-धारा (1) के तहत किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने वाला प्राधिकरण, ऐसी जब्ती से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को बनाए रखने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करेगा।

2002 अधिनियम की धारा 17(1) में परंतुक को हटाने की चुनौती को अस्वीकार करने के कारणों के लिए, यह पूर्ण रूप से लागू होगा
और

2002 अधिनियम की धारा 18(1) में परंतुक को हटाने के संबंध में उसी तर्क को खारिज करने के लिए बल। यह देखना पर्याप्त है कि 2002 अधिनियम की धारा 18 के तहत भी, व्यक्ति की तलाशी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण 2002 अधिनियम की धारा 17 के तहत शक्ति के प्रयोग के मामले में समान अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए बाध्य है।
एफ में

[528]2009 के अधिनियम 21 की धारा द्वारा प्रावधान हटा दिया गया। 8(ii) (1-6-2009 से)। लोप से पहले प्रावधान इस प्रकार था:

"बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति की कोई तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि वह निम्नलिखित अपराध के संबंध में न हो:

(ए) भाग ए का पैराग्राफ 1 या पैराग्राफ 1 या पैराग्राफ 2 या पैराग्राफ 3 याजी अनुसूची के भाग बी के पैराग्राफ 4 या पैराग्राफ 5 में, एक रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत एक मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है; या

(बी) अनुसूची के भाग ए के पैराग्राफ 2, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक पुलिस रिपोर्ट या शिकायत दर्ज की गई है। , 1985 (1985 का 61)।"

एच

2002 की धारा 18(3) के संदर्भ में समान सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त

ए

अधिनियम के अनुसार, प्राधिकरण उस व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए बाध्य है जिसकी तलाशी ली जाने वाली है। इस न्यायालय की संविधान पीठ एनडीपीएस अधिनियम के समान प्रावधानों से निपटते हुएपंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह[529] व्यक्ति की खोज की प्रक्रिया को निष्पक्ष और उचित ठहराया प्रक्रिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 25 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"**25.**यदि संदिग्ध को इसकी आवश्यकता हो तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिया जाना एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है जो विधायिका ने सी को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यक्ति को दिया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध वस्तुओं को रखने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे अधिनियम में शामिल किया गया है। प्रावधान के पीछे का तर्क अन्यथा भी स्पष्ट है। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी तलाशी और जब्ती को अधिक प्रामाणिकता और साख प्रदान करेगी

डी

कार्यवाही. यह वास्तव में अभियोजन पक्ष को भी मजबूत करेगा। इस प्रकार, उस अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए कोई औचित्य नहीं है, जो पूर्व सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति की तलाशी लेने जाता है, तलाशी को प्रभावित करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी तलाशी लेने के अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित नहीं करता है या एक ई

मजिस्ट्रेट, ताकि वह उस अधिकार का लाभ उठा सके। हालाँकि, जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसे उसके अधिकार के बारे में लिखित में जानकारी देना ज़रूरी नहीं है। यह पर्याप्त है यदि ऐसी जानकारी संबंधित व्यक्ति को मौखिक रूप से और जहां तक संभव हो गिरफ्तारी और तलाशी देखने वाले कुछ स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में दी जाए। अभियोजन अवश्य चलेगा,

एफ

हालाँकि, मुकदमे में, यह स्थापित करें कि अधिकार प्राप्त अधिकारी ने

इच्छित तलाशी के समय मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी के अपने अधिकार के बारे में संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालतों को जी के उचित अनुपालन के बारे में संतुष्ट होना होगा

धारा 50 में प्रदान की गई आवश्यकताएं। अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि अभियोजन पक्ष अदालत की संतुष्टि के लिए यह स्थापित नहीं कर देता कि धारा 50 की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया था।

एच

[529](1999) 6 एससीसी 172 (फुटनोट संख्या 418 पर भी)

इसके अतिरिक्त, 2002 अधिनियम की धारा 18(5) के तहत, यदि व्यक्ति

ए

तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, तो ऐसा अधिकारी या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है यदि तलाशी के लिए कोई आधार नहीं है और धारा 18(6) के तहत, प्राधिकरण गवाही के लिए कम से कम दो गवाहों को बुलाने के लिए बाध्य है। खोज, जिसकी उपस्थिति में खोज की जानी है। धारा 18(7) के संदर्भ में, प्राधिकरण बी

ऐसे व्यक्ति की तलाशी के दौरान किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए रिकॉर्ड या जब्त की गई संपत्ति की एक सूची तैयार करनी होती है, जिस पर गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद में कोई छेड़छाड़ न हो। यदि किसी महिला की तलाश की जानी है, तो धारा 18(8) के अनुसार, यह केवल एक महिला द्वारा ही किया जा सकता है। गौरतलब है कि व्यक्ति की तलाशी के दौरान कोई भी रिकार्ड या संपत्ति जब्त करने के लिए प्राधिकरण बाध्य है

सी

रिकॉर्ड या संपत्ति को बनाए रखने की अनुमति के लिए तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदन पर, निर्णायक प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देता है कि धारा 18(10) के अनुसार रिकॉर्ड या संपत्ति को क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। डी को सुरक्षित करने के लिए ऐसे अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं

तलाशी के अधीन व्यक्ति का हित, साथ ही धन-शोधन की रोकथाम और अपराध की आय की कुर्की के संबंध में तंत्र को मजबूत करना। केवल इसलिए कि 1973 संहिता की धारा 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के संबंध में एक अलग तंत्र प्रदान करती है, जिसका 2002 के तहत अभियोजन सहित पूछताछ/जांच और न्यायनिर्णयन से निपटने के लिए कोई परिणाम नहीं होगा।

और

कार्यवाही करना। यह देखना पर्याप्त है कि धारा 18 के रूप में प्रावधान, संशोधित रूप में, एक विशेष प्रावधान है और निश्चित रूप से मनमाना नहीं है और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है। इसके बजाय, हम मानते हैं कि धारा 18 में संशोधित प्रावधान का 2002 के मनी-लॉन्ड्रिंग और एफ रोकथाम अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है।

मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति (अपराध की आय) की कुर्की और जब्ती, साथ ही 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना।

<u>गिरफ़्तार करना</u>

88. 2002 अधिनियम की धारा 19 उस तरीके को बताती है जी

मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है. धारा 19 की उपधारा (1) में परिकल्पना की गई है कि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि उसके पास ऐसी सामग्री है जो यह मानने का कारण बनती है कि कोई व्यक्ति दोषी है एच के तहत दंडनीय अपराध

2002 अधिनियम के तहत, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा बिजली का निवेश किया जा रहा है

ए

उच्च-रैंकिंग अधिकारियों में, धारा 19 अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में विश्वास के कारणों को दर्ज करना। इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय, उस व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। बी

इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी को आदेश की एक प्रति, अपने पास मौजूद सामग्री के साथ, एक सीलबंद लिफाफे में निर्णायक प्राधिकारी को भेजनी होगी, जो नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए इसे संरक्षित करने के लिए बाध्य है। यह सुरक्षा इसमें शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के संबंध में लिखित रूप में दर्ज की गई राय बनाने में अधिकृत अधिकारी की निष्पक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।

सी

मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध. इतना ही नहीं, अधिकृत अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर विशेष अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के समक्ष पेश करे। यह उत्पादन 1973 संहिता की धारा 167 की आवश्यकता का

अनुपालन करने के लिए भी है। डी में कुछ भी नहीं है धारा 19, जो 1973 संहिता की धारा 167 के तहत उत्पादन की आवश्यकता के विपरीत है, लेकिन धारा 19(3) के संदर्भ में 2002 अधिनियम के तहत एक स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता होने के कारण, इसका अनुपालन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। धारा 19, समय-समय पर संशोधित, इस प्रकार है:

और

"**19.** गिरफ्तार करने की शक्ति.—(1) यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर, विश्वास करने का कारण (ऐसे कारण) लिखित रूप में दर्ज किया जाने वाला विश्वास) कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकता है

एफ

व्यक्ति और, यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।

(2) निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उपधारा (1) के तहत ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा।

जी

उसका कब्ज़ा, उस उप-धारा में निर्दिष्ट है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक सीलबंद लिफाफे में, उस तरीके से, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा, जो निर्धारित किया जा सकता है।

एच

(3) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, भीतर

ए

चौबीस घंटे, एक पर ले जाया जाए[530][विशेष न्यायालय या] न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र रखता है:

बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से गिरफ्तारी के स्थान तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा

बी

[531][विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट न्यायालय।"

इस प्रावधान के संदर्भ में चुनौती यह है कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने पर धारा 19 के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। जबकि, 1973 संहिता की धारा 167 का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है

सी

संज्ञेय अपराध के संबंध में या न्यायालय के आदेश के अनुसार, 1973 संहिता की धारा 41 के तहत बिना वारंट के क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा केवल 1973 संहिता की धारा 154 के तहत शिकायत दर्ज होने पर। यहां तक कि, न्यायालय के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी के मामले में, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत डी

उस पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगाना आवश्यक है। इसके अलावा, अदालत के समक्ष पेश किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में पता नहीं होगा, जब तक कि उस पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगाते हुए औपचारिक एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। यदि प्रावधान की व्याख्या अधिकृत अधिकारी को इसमें शामिल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देने के लिए की जाती है

और

उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत के बिना मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जाएगाचेहरे सेस्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक।

89. यह तर्क 2002 अधिनियम की समग्र योजना को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करता है। जैसा कि पहले देखा गया, यह एक व्यापक कानून है, सीमित नहीं

एफ

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान करने के लिए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधि को रोकना और मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय को जब्त करना है। यह ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध मानकर मुकदमा चलाने का भी प्रावधान करता है। दूसरे शब्दों में, यह विधान एक जी है मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना सहित विभिन्न पहलुओं का मिश्रण।

[530]इन्स. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208 (डी)(आई) (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] अप्रैल, 2018)।

[531]इन्स. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208 (डी)(ii) (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारा[वां] अप्रैल, 2018)।

एच

अध्याय III इन उद्देश्यों और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का प्रावधान है

ए

कुर्की, न्यायनिर्णयन और जब्ती. मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय के संबंध में अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अध्याय VIII के तहत नियुक्त अधिकारियों को बी के माध्यम से सभी मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है

अभिलेखों और संपत्ति का सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती। ये प्रावधान किसी भी तरह से कानून और व्यवस्था बनाए रखने या उस मामले के लिए, विशुद्ध रूप से एक आपराधिक अपराध की जांच करने के लिए 2002 अधिनियम के अध्याय VIII में निर्दिष्ट अधिकारियों में शक्ति का निवेश नहीं करते हैं। 2002 अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने से पहले की जांच, उनके द्वारा की गई जांच की झलक हो सकती है। हालाँकि, यह मूलतः एक पूछताछ है

सी

जब्ती के आदेश पारित करने सहित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना, जिसके परिणामस्वरूप, अपराध की आय 2002 अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में केंद्र सरकार में निहित होगी। . दूसरे शब्दों में, डी के अध्याय VIII के तहत नियुक्त प्राधिकारियों की भूमिका

2002 अधिनियम ऐसा है कि उन्हें 2002 अधिनियम के अध्याय III और V के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष न्यायिक कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जांच करने और साक्ष्य एकत्र करने की दोहरी भूमिका सौंपी गई है और साथ ही उन्हें मजबूत करने के लिए समान सामग्री का उपयोग करने का भी काम सौंपा गया है। 2002 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए औपचारिक शिकायत के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप दर्ज किया जाना है

और

यदि तथ्यात्मक स्थिति उचित हो तो विशेष न्यायालय के समक्ष कार्य करें। ऐसा नहीं है कि हर जांच के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। कथित आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए शिकायत दर्ज करने से पहले ऐसी पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान करना भी असामान्य नहीं है। एफ

प्रतिवादी ने अन्य कानूनों में कुछ हद तक इसी तरह के प्रावधानों की वकालत की है, जैसे कि एफईआरए की धारा 35 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 102, जिसमें संबंधित कानूनों में अधिकारियों को दी गई जांच चरण में गिरफ्तारी की ऐसी शक्ति को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के फैसले भी शामिल हैं। में***Romesh Chandra Mehta***[532]इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 शक्ति प्रदान करती है

जी

यदि कस्टम अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में या भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति उस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर से, के मामले मेंपदम नारायण अग्रवाल[533]के प्रावधानों से निपटते समय[532]फुटनोट संख्या 119 पर सुप्रा

एच

[533]फुटनोट संख्या 246 पर सुप्रा

सीमा शुल्क अधिनियम में, यह नोट किया गया कि "गिरफ्तारी" शब्द को न तो परिभाषित किया गया है

ए

1973 संहिता में, न ही भारतीय दंड संहिता, 1860 में और न ही अपराधों से संबंधित किसी अन्य अधिनियम में। यह शब्द फ्रेंच शब्द "" से लिया गया हैदूर करना" जिसका अर्थ है "रुकना या रुकना"। यह व्यक्ति के संयम का प्रतीक है। इस प्रकार, यह व्यक्ति को कानून के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, गिरफ्तारी को "बी की अदालत के आदेश के निष्पादन" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

कानून या किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी का"। यहां तक कि, यह निर्णय संबंधित कानूनों के तहत की जाने वाली जांच के दौरान गिरफ्तारी करने की अधिकृत अधिकारी की शक्ति को भी मान्यता देता है। ऐसी गिरफ्तारी से पहले उस कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की वकालत करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

सी

"सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा

36.उपरोक्त चर्चा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति वैधानिक है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी की ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां सीमा शुल्कडी

अधिकारी के पास **"विश्वास करने का कारण"** है कि एक व्यक्ति अधिनियम की धारा **132, 133, 135, 135-**ए या **136** के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। इस प्रकार, शक्ति का प्रयोग किसी अपराध के घटित होने के वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर किया जाना चाहिए और सीमा शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति इस तरह के अपराध के लिए दोषी है।

और

अपराध। इस प्रकार गिरफ्तार करने की शक्ति वस्तुनिष्ठ विचारों से सीमित है और इसका प्रयोग अधिकारी की सनक, मनमर्जी या कल्पना पर नहीं किया जा सकता है।

37. अनुभाग[534] सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए भी बाध्य किया गया है।

एफ

कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है.

38.इस प्रकार, कानून, एक ओर, सीमा शुल्क अधिकारी को कुछ अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देता है, और दूसरी ओर, उचित देखभाल भी करता है।

जी

मानदंड निर्धारित करके और सुरक्षा उपाय प्रदान करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करें ताकि अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग न हो. ...."

(जोर दिया गया)

[534]एड.: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104।

एच

2002 अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय और पूर्व शर्तें

ए

गिरफ्तारी से पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें, जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 19 में निहित है, समान रूप से कठोर और उच्च मानक की हैं। वे सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकृत अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बी के अपराध में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में अपने फैसले के लिए जवाबदेह बनाते हैं।

उस संबंध में 2002 अधिनियम की धारा 44(1)(बी) के तहत विशेष अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने से पहले ही मनी-लॉन्ड्रिंग। यदि अधिकृत अधिकारी की कार्रवाई कष्टप्रद पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और 2002 अधिनियम की धारा 62 के तहत निर्दिष्ट दंड दिया जा सकता है। 1973 संहिता में निर्धारित अनुसार गिरफ्तारी से पहले क्षेत्राधिकारी पुलिस अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपाय निश्चित रूप से हैं

सी

तुलनीय नहीं। यह देखना पर्याप्त है कि यह शक्ति उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को अतिरिक्त शर्तों के साथ दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धारा 44(1)(के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले ही किसी व्यक्ति की

गिरफ्तारी का सहारा लेने में निष्पक्षता और उनकी अपनी जवाबदेही हो। बी) 2002 अधिनियम के। इस संबंध में उच्च पदस्थ अधिकारियों में शक्ति का निवेश डी

तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरा हैप्रीमियम ग्रेनाइट[535],जिसमें न्यायालय ने उस स्थिति को दोहराया कि शक्ति के प्रयोग के लिए कारण बताने की आवश्यकता स्वयं मनमानी की संभावना को बाहर करती है। मे आगे***M/s. Sukhwinder Pal Bipan Kumar***[536], न्यायालय ने इस स्थिति को दोहराया कि जहां किसी विशेष क़ानून के प्रावधानों को लागू करने का विवेक सरकार या सर्वोच्च अधिकारियों में से किसी एक के पास छोड़ दिया गया है, वहां यह माना जाएगा

और

ऐसे सर्वोच्च प्राधिकारी में निहित विवेक का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 2005 में धारा 73 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति को न्यायिक प्राधिकारी को सामग्री के साथ अग्रेषित करने के तरीके और उसके प्रतिधारण की अवधि के संबंध में नियम बनाए हैं। एक और निर्णय मेंअहमदएफ

नूरमोहम्मद भट्टी[537], इस न्यायालय ने राय दी कि प्रावधान को अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है और इसलिए, असंवैधानिक केवल इसलिए कि सत्ता में निहित प्राधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। (यह भी देखेंमंजूर अली खान[538]).

90. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें जी को कायम रखने में कोई

हिचकिचाहट नहीं है

2002 अधिनियम की धारा 19 की वैधता। हम 2002 अधिनियम की धारा 19 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए लागू किए गए आधारों को अस्वीकार करते हैं।

[535]फुटनोट संख्या 248 पर सुप्रा
[536]फुटनोट संख्या 249 पर सुप्रा
[537]फुटनोट संख्या 250 पर सुप्रा
[538]फुटनोट संख्या 251 पर सुप्रा

एच

दूसरी ओर, हमारा मानना है कि इस तरह के प्रावधान में उचित सांठगांठ है

ए

मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय को जब्त करने के 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ, जिसमें अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना शामिल है ताकि सुनिश्चित करें कि अपराध की आय का किसी भी तरीके से निपटान नहीं किया जाता है

जिसके परिणामस्वरूप उसकी जब्ती से संबंधित कोई भी कार्यवाही विफल हो सकती है।

<u>सबूत का बोझ</u>

91. 2002 अधिनियम की धारा 24 की वैधता पर हमला किया गया है। इस धारा को 2013 के अधिनियम 2 के तहत 2013 में संशोधित किया गया है

सी

संशोधन, इसे इस प्रकार पढ़ा गया:

"**24.** सबूत का बोझ**.-**जब किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह साबित करने का भार कि अपराध की आय बेदाग संपत्ति है, आरोपी पर होगी।

डी

एफएटीएफ द्वारा 2012 में की गई सिफारिशों के कारण 2013 का संशोधन आवश्यक हो गया था, जिसमें यह नोट किया गया था कि देशों को वियना कन्वेंशन, पलेर्मो कन्वेंशन और आतंकवादी वित्तपोषण कन्वेंशन में निर्धारित उपायों के समान उपाय अपनाने चाहिए। संशोधन को प्रभावी करने के उद्देश्य और कारण, जैसा कि इसमें संलग्न है

और

संशोधन विधेयक इस प्रकार पढ़ें:

"मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 को मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े मामलों या आकस्मिक एफ के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

तत्संबंधी. उपरोक्त अधिनियम मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को भी संबोधित करता है। जी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष 2005 और 2009 में अधिनियम में संशोधन किया गया था

अधिनियम का.

मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या अब किसी भी देश की भू-राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक ख़तरा है जिसे कोई भी देश अकेले नहीं रोक सकता। इसे देखते हुए भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सएच का सदस्य बन गया है

और मनी-लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो प्रतिबद्ध हैं ए मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए। भारत के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने और बी के लिए वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स को एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुभव की गई अधिनियम में कुछ कमियों को दूर करने के लिए, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करना आवश्यक हो गया।

संशोधन विधेयक में धारा 24 को सी के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था अंतर्गत:

"24. इस अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, जब तक कि विपरीत साबित न हो, यह माना जाएगा कि अपराध की ऐसी आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

तब वित्त की स्थायी समिति ने कुछ बनाये डी सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

"समिति सिफारिश करती है कि यह साबित करने का निर्धारित दायित्व कि संबंधित संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की आय से बाहर नहीं है, न केवल आरोपी पर बल्कि अपराध की आय पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भी, यह विषय होना चाहिए और निर्दोषों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय।"

अंततः, प्रावधान को 2013 के अधिनियम 2 द्वारा संशोधित किया गया जो 15.2.2013 से लागू हुआ और इस प्रकार पढ़ा गया:

"[539][**24.** सबूत का बोझ.-एफ से संबंधित किसी भी कार्यवाही में इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की आय,-

(ए) धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि विपरीत साबित न हो, यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है; और

जी

(बी) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध की ऐसी आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।]"

[539]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 19, धारा 24 के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 द्वारा)।

एच

संशोधित प्रावधान की स्पष्ट भाषा से, जो विषय है

ए

इन मामलों में हमले का मामला असंवैधानिक है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह 2002 अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित (सभी) कार्यवाही से संबंधित है। अभिव्यक्ति "कार्यवाही" को 2002 अधिनियम या 1973 संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, जिस सेटिंग में इसे इस प्रावधान में रखा गया है, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर बी ने सही तर्क दिया है

भारत संघ के लिए सामान्य, इसे निर्णय प्राधिकारी या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से संबंधित होना चाहिए। अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही (अध्याय VIII में संदर्भित) मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की रोकथाम के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश दिया गया है।

सी

अनुसूचित अपराध; और इससे जुड़े सभी मामलों की जांच करना और 2002 अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के संबंध में आवेदन पर विचार करने के लिए निर्णय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य एकत्र करना। हालाँकि, यह प्रावधान (धारा 24) निर्णायक प्राधिकारी डी के समक्ष कार्यवाही पर लागू होना चाहिए

अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के संबंध में और अंततः 2002 अधिनियम की धारा 9 के तहत केंद्र सरकार में निहित करने के लिए कुर्क की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने के संबंध में। यह 2002 अधिनियम की धारा 23 के आशय से प्रबलित है। इसके अलावा, यह 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की सुनवाई के लिए सशक्त विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू होगा।

और

2002 अधिनियम की धारा 44(1)(बी) के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी द्वारा एक शिकायत।

92. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में सबूत के बोझ के संबंध में यह विशेष प्रावधान निर्णय प्राधिकारी के समक्ष बताई गई कार्यवाही पर लागू होगा और एफ

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही तक सीमित नहीं है। यह स्पष्ट भाषा से स्पष्ट है, जो "प्राधिकरण" या "न्यायालय" के समक्ष "किसी भी" कार्यवाही के लिए प्रावधान की प्रयोज्यता का संकेत है। इस प्रावधान में होने वाली अभिव्यक्ति "प्राधिकरण" को जी की धारा 6 के तहत नियुक्त निर्णायक प्राधिकरण का उचित अर्थ दिया जाना चाहिए।

2002 अधिनियम अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि और अंततः संपत्ति की जब्ती और स्वामित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए है, यदि तथ्यात्मक स्थिति ऐसी हो। यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है[540]. इसे नागरिक पहलुओं से निपटने के लिए नियुक्त किया गया है

[540]परीना स्वरूप देखें(उपरोक्त फुटनोट संख्या 366 पर)

एच

अपराध से प्राप्त आय की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई और नहीं

ए

2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध की आपराधिकता के बारे में। जब यह प्रावधान प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू किया जाता है, तो उचित संदेह से परे सबूत के मानक के सख्त सिद्धांत का पालन करना आवश्यक नहीं होगा, जैसा कि आपराधिक परीक्षणों में लागू होता है। उस सिद्धांत का बी के समक्ष कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अधिकार। हालाँकि, जब 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत धन-शोधन के अपराध के मुकदमे के संबंध में विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही में समान साक्ष्य और प्रावधान पर भरोसा किया जाता है, तो आपराधिक मुकदमे के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ होगा।

93. जो भी हो, यह धारा 24 दो स्थितियों से संबंधित है। सी पहला भाग उस व्यक्ति से संबंधित है जिस पर धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाया गया है। दूसरा भाग [खंड (बी)] किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। दूसरे भाग को पहले लेते हुए, ऐसे अन्य व्यक्ति का मतलब स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। दोनों भाग, एक अर्थ में, परस्पर अनन्य हैं। यदि किसी

व्यक्ति पर धन के अपराध का आरोप लगाया गया है

डी

विशेष न्यायालय के समक्ष अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के कारण 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत लॉन्डरिंग, खंड (ए) शुरू हो जाएगा। जहां तक व्यक्ति की दूसरी श्रेणी [खंड (बी)] का संबंध है, इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति है "हो सकता है" अनुमान लगाओ"। जबकि,के जरिएपहली श्रेणी [खंड (ए) के अंतर्गत शामिल] में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति है "करेगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, ई" अनुमान लगाओ"। इस श्रेणी में, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए पहले से ही आरोप तय किया गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि अदालत ने उसके खिलाफ आरोप तय कर दिया है।प्रथम दृष्टयाआश्वस्त है कि उसके सामने रखी गई सामग्रियों से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर संदेह का पता चला है। ऐसे मामले में, संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह के तथ्य का समर्थन करने वाली सामग्रियों की स्वीकार्यता का मुद्दा एक बार उठ खड़ा हुआ

एफ

2002 अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति की स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है, कानून में, उस संदेह को दूर करने के लिए जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर स्थानांतरित होनी चाहिए। तब यह सबूत के बोझ को उलटने का मामला नहीं होगा, बल्कि यह दिखाने के लिए उस पर बोझ डालने का मामला होगा कि मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं किया गया था और, किसी भी मामले में, संपत्ति जी (अपराध की आय) मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी।

94. इससे पहले कि हम 2002 अधिनियम की धारा 24 की प्रभावकारिता का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, किसी भी कार्यवाही में सबूत के मानक के मुद्दे का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य अधिनियम में अभिव्यक्तियों की परिभाषा पर गौर करना उचित हो सकता है। व्याख्या खंड में, साक्ष्य एच की धारा 3

अधिनियम, अभिव्यक्ति "तथ्य" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"**3.** व्याख्या खंड.-इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्द और

ए

अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो:-

....

"तथ्य".--"तथ्य" का अर्थ है और इसमें शामिल है--

बी

(1) कोई भी चीज़, चीज़ों की स्थिति, या चीज़ों का संबंध, इंद्रियों द्वारा महसूस किए जाने में सक्षम;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत हो।"

हमें "प्रासंगिक", "मुद्दे में तथ्य" सी की अभिव्यक्ति पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है

और "दस्तावेज़"। हम उपयोगी रूप से "साक्ष्य" की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

"**3.** व्याख्या खंड.-इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो:-

डी

.....

"प्रमाण". —"साक्ष्य" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं–

(1) जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में सभी बयान जो न्यायालय गवाहों द्वारा उसके समक्ष दिए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षित करता है,

और

ऐसे कथनों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है;

(2)[541][न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज़],

ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।"

एफ

अन्य प्रासंगिक परिभाषाएँ हैं:

"**3.** व्याख्या खंड.-इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो:-

जी

.....

"साबित".—किसी तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब, उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय उस पर विश्वास करता है

[541]उप. 2000 के अधिनियम 21 द्वारा, धारा. 92 और अनुसूची II-1(ए), "न्यायालय के निरीक्षण के लिए उत्पादित सभी दस्तावेज़" के लिए (17-10-2000 से)

एच

मौजूद है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील

व्यक्ति

ए

विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह अस्तित्व में है।

"अप्रमाणित".—किसी तथ्य को असत्यापित तब कहा जाता है जब, उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह मानता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, या इसके गैर-अस्तित्व को इतना संभावित मानता है

बी

एक विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि इसका अस्तित्व नहीं है।

"साबित नहीं". —किसी तथ्य को तब सिद्ध नहीं कहा जाता जब वह न तो सिद्ध हो और न ही असिद्ध।

सी

*** *** ***

4. "मान सकते हैं"।-जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रदान किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान सकता है, तो वह या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है, जब तक कि वह अस्वीकृत न हो जाए, या डी की मांग कर सकता है।

इसका प्रमाण.

"मान लूंगा।"-जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान लेगा, तो वह ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा, जब तक कि वह असिद्ध न हो जाए।

"निर्णायक प्रमाण"।—जब इस ई द्वारा एक तथ्य घोषित किया जाता है

अधिनियम दूसरे का निर्णायक सबूत है, न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे को साबित मानेगा और उसे गलत साबित करने के उद्देश्य से सबूत देने की अनुमति नहीं देगा।"

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सबूत का मानक कार्यवाही की प्रकृति के आधार पर भिन्न होता है। नागरिक कार्यों में एफ की प्रधानता हो सकती है संभावना लेकिन आपराधिक कार्रवाइयों में, जब तक कि कानून इसके विपरीत प्रावधान न करे, आरोपों और तथ्यों को उचित संदेह से परे स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। इसके अलावा, मुद्दे में तथ्यों को स्थापित करने का बोझ या दायित्व बदलता रहता है और उस पक्ष पर होता है जो किसी विशेष तथ्य पर जोर देता है।

जी

95. वास्तव में, एक आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त/अपराधी की बेगुनाही के सिद्धांत को एक मानव अधिकार माना जाता है - जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया हैनरेंद्र सिंह एवं अन्य. बनाम म.प्र.

राज्य[542]. हालाँकि, उस धारणा को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है/

[542](2004) 10 एससीसी 699 (फुटनोट संख्या 377 पर भी)

एच

विधान मंडल। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक प्रावधान

ए

अनुमान साक्ष्य के नियम के अलावा और कुछ नहीं हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गयापश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य।[543], प्राचीन नियम है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है, इसे एक जीवाश्म सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जैसे कि यह बुद्धिमान तर्क की किसी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है। न्यायालय ने कहा कि बी

> अनुमान का सिद्धांत ऐसे नियम से अलग नहीं है, न ही यह नियम के स्वभाव को ख़राब करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन के सबूत के बोझ से संबंधित पारंपरिक नियम को पांडित्यपूर्ण कवरेज में लपेटने की अनुमति दी जाती है, तो गंभीर अपराधों में अपराधी प्रमुख लाभार्थी होंगे और समाज हताहत होगा। इस अवलोकन को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया हैसुच्चा सिंह[544]. बाद के फैसले में,

सी

सहित अन्य निर्णयों पर निर्भर न्यायालयशंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य[545], नोट किया गया कि धारा 106 जैसे प्रावधान[546] साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के बोझ से राहत देना नहीं है, बल्कि यह धारा उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन सफल हो गया है।

> उन तथ्यों को साबित करने में जिनके लिए कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल न हो जाए जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके। न्यायालय ने निर्णय के अनुमोदन पैराग्राफ 33 को उद्धृत किया***Shambhu Nath Mehra***[547], जो इस प्रकार पढ़ता है:

और

> "**33.** तथ्य की धारणा कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है**,** जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई का खंडन नहीं किया जाता है। तथ्य की धारणा साक्ष्य के कानून में एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। कब

एफ

> सिद्ध तथ्यों के अन्य सेट से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान

लगाते हुए, अदालत तर्क की प्रक्रिया अपनाती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता प्राप्त है

जी

[543](2000) 8 एससीसी 382

[544]फुटनोट संख्या 381 पर सुप्रा

[545]एआईआर 1956 एससी 404

[546]**106.** विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का बोझ. —जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।

एच

[547]फुटनोट संख्या 545 पर सुप्रा

जब धारा **114** को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है। यह

ए

न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना उसे लगती है। उस प्रक्रिया में अदालत को मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य पाठ्यक्रम का ध्यान रखना होगा।"

बी

(जोर दिया गया)

इसी तर्ज पर यह कोर्ट भी...हितेन पी. दलाल[548], पैराग्राफ 22 और 23 में इस प्रकार देखा गया है:

"**22.**क्योंकि धारा 138 और 139 दोनों के लिए आवश्यक है कि न्यायालय

सी

जैसा कि उल्लेख किया गया है, उन राशियों के लिए चेक जारीकर्ता का दायित्व "मानेंगे" जिनके लिए चेक जारी किए गए हैं।मद्रास राज्यमें।ए. वैद्यनाथ अय्यर[549]अदालत के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर मामले में यह अनुमान लगाए जहां अनुमान लगाने का तथ्यात्मक आधार स्थापित किया गया हो। "यह आपराधिक मामले में सबूत के बोझ के सामान्य नियम के अपवाद का परिचय देता है

डी

मामले और जिम्मेदारी आरोपी पर डाल दी जाती है।" (वही पृष्ठ 65, पैरा 14 पर)इस तरह की धारणा कानून की एक धारणा है, जो तथ्य की धारणा से अलग है जो उन प्रावधानों का वर्णन करती है जिनके द्वारा अदालत एक निश्चित स्थिति की "धारणा" कर सकती है। अनुमान साक्ष्य के नियम हैं और नहींऔर निर्दोषता की धारणा के साथ विरोधाभास, क्योंकि बाद वाले का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को

उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है। अभियोजन पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य की धारणाओं की मदद से किया जा सकता है जब तक कि आरोपी उचित सबूत पेश नहीं करता।

एफ

कल्पित तथ्य के अस्तित्व न होने की संभावना.

23.दूसरे शब्दों में, बशर्ते कि कानून की धारणा का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हों, अदालत के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेक नहीं बचता है, लेकिन यह उस व्यक्ति को खंडन करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ धारणा बनाई गई है

जी

यह और इसके विपरीत साबित करना। किसी तथ्य को तब सिद्ध कहा जाता है जब,

> "अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, अदालत या तो इसका अस्तित्व मानती है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानती है कि एक विवेकपूर्ण

[548]फुटनोट संख्या 378 पर सुप्रा
[549]एआईआर 1958 एससी 61 (फुटनोट संख्या 392 पर भी)

एच

> मनुष्य को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, ऐसा करना चाहिए

ए

> इस धारणा पर कार्य करें कि यह अस्तित्व में है"[550].

इसलिए, खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बचाव के समर्थन में अदालत के समक्ष ऐसे साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए कि अदालत को या तो बचाव के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए या इसके अस्तित्व को उचित रूप से संभावित मानना चाहिए, मानक

बी

तर्कसंगतता "विवेकपूर्ण व्यक्ति" की है।

(जोर दिया गया)

उत्तरदाताओं ने कई अन्य क़ानूनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है[551] सबूत का भार अभियुक्त पर डालने का प्रावधान करते हुए, सी जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 24 के मामले में है। इसी तरह के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर बरकरार रखा गया है। के मामले मेंयुवा लेकिन[552], यह देखा गया है कि न्यायालय को प्रावधान की व्याख्या करते समय, जैसे कि 2002 अधिनियम की धारा 24, यह ध्यान में रखना चाहिए कि संबंधित अधिनियम

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में निहित आदेश का परिणाम है, जैसा कि मौजूदा मामले में है। आगे,

डी

केवल इसलिए कि कुछ परिस्थितियों में सबूत का बोझ अभियुक्त पर डाला गया है, वही, अपने आप में कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक नहीं बना देगा। यह प्रश्न कि अभियुक्त पर बोझ कानूनी बोझ है या साक्ष्यात्मक बोझ है, यह क़ानून और उसके तात्पर्य और वस्तु पर निर्भर करेगा। दरअसल, इसे ई के सिद्धांत की परीक्षा पास करनी होगी

आनुपातिकता. किसी भी मामले में, चूंकि अभियुक्त पर बोझ केवल एक साक्ष्यात्मक बोझ होगा, इसलिए अभियुक्त द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी के भीतर तथ्यों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे हटाया जा सकता है। फिर से, के मामले मेंसीमा सिल्क एवं साड़ियाँ[553], इस न्यायालय ने इसे कानूनी बताया

[550]धारा 3, साक्ष्य अधिनियम

[551](i) (केरल) आबकारी अधिनियम, 1077 की धारा 57ए; (ii) धारा 105, 106, 113ए और

एफ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी; (iii) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139; (iv) अफ़ीम अधिनियम, 1878 की धारा 9; (v) विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी; (vi) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7; (vii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10सी; (viii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 138ए; (ix) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43ई; (x) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 98-बी; (xi) वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 57;जी (xii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18; (xiii) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 35 और 54; (xiv) महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3सी और 3डी; (xv) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 21; (xvi) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20; और (xvii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 और 30।

[552]सुप्रा फुटनोट संख्या 384 पर (फुटनोट संख्या 55 पर भी)

एच

[553]फुटनोट संख्या 385 पर सुप्रा

प्रावधान केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाता क्योंकि इसमें प्रावधान है

ए

उल्टा बोझ क्योंकि यह केवल साक्ष्य का नियम है। जब तक अभियुक्त यह दिखाने का हकदार है कि उसने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। इसके बाद, अभियुक्त अनुमान का खंडन करने का हकदार है।

96. यह देखना पर्याप्त है कि परिवर्तन धारा 24 में प्रभावी हुआ

बी

2002 का अधिनियम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उस संबंध में की गई सिफारिशों के आदेश का परिणाम है। इसके अलावा, विधायी योजना और 2002

अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य के साथ कि आरोपित व्यक्ति या मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी अन्य व्यक्ति को सी का अवसर मिलेगा।

प्राधिकरण या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान अपने व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर तथ्यों के संबंध में कानूनी अनुमान का खंडन करने के लिए जानकारी और साक्ष्य का खुलासा करना, किसी भी कल्पना से, 2002 अधिनियम की धारा 24 के रूप में प्रावधान नहीं माना जा सकता है। असंवैधानिक. 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ इसका उचित संबंध है। किसी भी स्थिति में, इसे स्पष्ट रूप से नहीं माना जा सकता है

डी

मनमाना जैसा कि हमारे सामने आग्रह करने की कोशिश की जाती है।

97. जैसा भी हो, अब हम 2002 अधिनियम की धारा 24 के तात्पर्य को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी मामले में कानूनी धारणा मनी-लॉन्ड्रिंग में अपराध की आय की भागीदारी के बारे में है। यह तथ्य तभी प्रासंगिक हो जाता है, जब

और

अभियोजन पक्ष या अधिकारी कम से कम तीन बुनियादी या मूलभूत तथ्य स्थापित करने में सफल रहे हैं। पहला, यह कि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि की गई है। दूसरा, यह कि विचाराधीन संपत्ति उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त की गई है। तीसरा, संबंधित व्यक्ति सीधे तौर पर एफ है

या परोक्ष रूप से, उक्त संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना अपराध की आय है। इस तथ्य को स्थापित करने पर कि अपराध की आय मौजूद थी और संबंधित व्यक्ति उससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था, यह स्वयं मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। प्रक्रिया या गतिविधि की प्रकृति को अब वित्त (नंबर 2) अधिनियम के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के रूप में विस्तृत किया गया है।

जी

2019. 2002 अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में इन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने पर, एक कानूनी धारणा उत्पन्न होगी कि अपराध की ऐसी आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है। तथ्य यह है कि संबंधित व्यक्ति का अपराध की ऐसी आय के साथ कोई कारणात्मक संबंध नहीं था और वह किसी भी प्रक्रिया या एच में अपनी संलिप्तता के तथ्य को गलत साबित करने में सक्षम है।

उससे जुड़ी गतिविधि, उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके

ए

कानूनी अनुमान का खंडन किया जाएगा।

98. पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिस व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाया गया है, वह मानता है कि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ धन के अपराध के आरोपी के रूप में नामित करते हुए एक औपचारिक शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

बी

लॉन्ड्रिंग. जैसा कि देखा गया है***P.N. Krishna Lal***[554], न्यायालय कानून के उद्देश्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता। इसके अलावा, इस मामले में विशेष प्रावधानों या विशेष अधिनियमों की आवश्यकता देश की संप्रभुता और अखंडता सहित औपचारिक वित्तीय प्रणाली की वेदी पर धन इकट्ठा करने की मानवीय प्रवृत्ति द्वारा बनाई गई नई स्थितियों से निपटने के लिए है। सी

ऐसे प्रावधान से निपटते समय, इसे पढ़ने से विधायी मंशा भी विफल हो जाएगी।

99. ध्यान रखें कि 2002 अधिनियम की धारा 24 (ए) के तहत कानूनी धारणा तब लागू होगी जब व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाया जाएगा और किसी भी प्रक्रिया में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी।

या अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि स्थापित की गई है। इसलिए, अपराध की आय का अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक मूलभूत तथ्य है, जिसमें उससे जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्ति की भागीदारी भी शामिल है। एक बार जब ये मूलभूत तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित हो जाते हैं, तो धन-शोधन के अपराध के आरोप का सामना करने वाले व्यक्ति पर जिम्मेदारी आनी चाहिए - इसका खंडन करने के लिए

और

कानूनी धारणा यह है कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, सबूत पेश करके जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी में है। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति "अनुमान" निर्णायक नहीं है। यह इस बात का भी पालन नहीं करता है कि कानूनी धारणा है कि अपराध की आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है, प्राधिकरण या एफ द्वारा लागू किया जाना है

न्यायालय, व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जानकारी के भीतर सबूत पेश करके इसका खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना[555].

100. ऐसा उत्तरदायित्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तात्पर्य से भी आता है। जिससे, उसे कानूनी अनुमान का खंडन उस तरीके से करना चाहिए जैसा वह करना चाहता है और जैसा कानून में अनुमत है, जिसमें जी के तहत उत्तर देना भी शामिल है।

1973 संहिता की धारा 313 या अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करके भी। व्यक्ति को प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त अवसर मिलेगा। वह यह दिखाकर अपना बोझ उतारने में सक्षम हो सकता है कि वह किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं है

[554]फुटनोट संख्या 382 पर सुप्रा

[555]सर्बानंद सोनोवाल को देखें(उपरोक्त फुटनोट संख्या 389 पर)

एच

या अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि। किसी भी मामले में, शर्तों में

ए

धारा 114 का[556] साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने के लिए स्वतंत्र है जिसके बारे में वह सोचता है कि घटित होने की संभावना है, प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उनके संबंध में। विशेष मामले के तथ्य. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन प्रावधान [धारा बी 24(ए)] को किसी भी मानक के अनुसार अनुचित नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं।

101. 2002 अधिनियम की धारा 24(बी) की ओर लौटते हुए, जो 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति से संबंधित है। उनके मामले में, अभिव्यक्ति सी खंड (बी) में प्रयुक्त "अनुमान लगाया जा सकता है" है। यह अनिवार्य रूप से एक तथ्यात्मक अनुमान या विवेकाधीन अनुमान है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया हैए. वैद्यनाथ अय्यर[557]. निर्णय के पैराग्राफ 14 में, न्यायालय ने "धारणा करेगा" और "धारणा कर सकता है" शब्दों के बीच स्पष्ट अंतर को इस प्रकार नोट किया:

डी

> "(14). ..... इसलिए जहां यह साबित हो जाता है कि परितोषण स्वीकार कर लिया गया है, तो धारा के तहत तुरंत ही धारणा उत्पन्न हो जाएगी। यह आपराधिक मामलों में सबूत के बोझ के रूप में सामान्य नियम में एक अपवाद पेश करता है और आरोपी पर जिम्मेदारी डाल देता है।यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विधायिका ने 'उपधारणा करेगा' शब्दों का उपयोग करना चुना है
>
> और
>
> और 'अनुमान नहीं लगाया जा सकता', पहला कानून का अनुमान और दूसरा तथ्य का अनुमान। इन दोनों वाक्यांशों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, निस्संदेह उस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **4** साक्ष्य अधिनियम के बराबर है क्योंकि यह संबंधित हैएफ साक्ष्य के कानून की एक शाखा के साथ, उदाहरण के लिए, अनुमान, और इसलिए इसका एक ही अर्थ होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम में "यह मान लिया जाएगा" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
>
> "जब भी इस अधिनियम द्वारा निर्देशित किया जाता है कि

जी

न्यायालय किसी तथ्य को मान लेगा, वह ऐसे तथ्य को मान लेगा जब तक यह साबित न हो जाए और जब तक यह असिद्ध न हो जाए।"

[556]**114.** न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मान सकता है.—न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व की कल्पना कर सकता है जिसके घटित होने की संभावना है, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए।

एच

[557] सुप्रा फुटनोट संख्या 549 पर (फुटनोट संख्या 392 पर भी)

यह कानून की एक धारणा है और इसलिए यह अनिवार्य है

ए

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **4** के तहत लाए गए प्रत्येक मामले में इस धारणा को उठाने के लिए अदालत पर दबाव डाला गया है क्योंकि तथ्य की धारणा के मामले के विपरीत, कानून की धारणाएं न्यायशास्त्र की एक शाखा का गठन करती हैं।....."

बी

(जोर दिया गया)

फिर से, के मामले मेंएम. नरसिंगा राव बनाम. एपी राज्य[558], न्यायालय ने पैराग्राफ 13 और 17 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"**13.** आगे बढ़ने से पहले, हम बता सकते हैं किसी साक्ष्य अधिनियम की धारा **4** में अभिव्यक्ति **"**मान सकते हैं**"** और **"**मानेंगे**"** को परिभाषित किया गया है। पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अनुमानों को अनिवार्य रूप से **"**तथ्यात्मक अनुमान**"** या **"**विवेकाधीन अनुमान**"** के रूप में जाना जाता है और बाद वाले के अंतर्गत आने वाले को **"**कानूनी अनुमान**"** या **"**अनिवार्य अनुमान**"** के रूप में जाना जाता है। जब अभिव्यक्ति "करेगी

डी

माना जाए**"** अधिनियम की धारा **20(1)** में नियोजित है, इसमें बाध्यता का समान आयात होना चाहिए.

*** *** ***

17. अनुमान ई से निकाला गया एक निश्चित तथ्य का अनुमान है अन्य सिद्ध तथ्य. किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान दूसरे से लगाते समय, अदालत केवल बुद्धिमान तर्क की प्रक्रिया को लागू कर रही है जो एक विवेकशील व्यक्ति का दिमाग समान परिस्थितियों में करेगा।अनुमान अन्य तथ्यों से निकाला जाने वाला अंतिम निष्कर्ष नहीं है। लेकिन यह अंतिम भी हो सकता है अगर बाद में इसमें कोई बाधा न आए। साक्ष्य के कानून में

अनुमानएफ

सबूत के बोझ को स्थानांतरित करने के चरण को इंगित करने वाला एक नियम है. किसी निश्चित तथ्य या तथ्यों से अदालत एक निष्कर्ष निकाल सकती है और वह तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसा अनुमान या तो अस्वीकृत या ख़ारिज न हो जाए।"

(जोर दिया गया)

जी

विशेष रूप से, 2002 अधिनियम की धारा 24 (बी) के संदर्भ में कानूनी धारणा तब आकर्षित होती है जब अपराध की आय के अस्तित्व का मूलभूत तथ्य और प्रक्रिया या गतिविधि में ऐसे व्यक्ति का लिंक अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है। बताई गई कानूनी धारणा

[558](2001) 1 एससीसी 691 (फुटनोट संख्या 392 पर भी)

एच

निर्णय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में लागू किया जा सकता है या

ए

न्यायालय, जैसा भी मामला हो। कानूनी धारणा इस तथ्य के बारे में है कि अपराध की आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है, हालांकि, व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर सबूत पेश करके इसका खंडन किया जा सकता है।

102. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 24 (बी) के तहत अनुमान

बी

2002 अधिनियम एक अनिवार्य कानूनी धारणा नहीं है, अन्य श्रेणी, अर्थात् धारा 24 (ए) के अंतर्गत आने वाले मामले के विपरीत। यदि व्यक्ति पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, तो धारा 24 (बी) के तहत कानूनी अनुमान को निर्णय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। कमोबेश सी जैसा ही तर्क 2002 अधिनियम की धारा 24(ए) की प्रभावकारिता से निपटने के दौरान पहले ही उल्लेख किया गया है, यह धारा 24(बी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की श्रेणी पर भी समान रूप से लागू होगी।

103. इसलिए, हम मानते हैं कि विचाराधीन प्रावधान अर्थात् धारा 24 का उद्देश्यों और वस्तुओं के साथ उचित संबंध है। 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई और इसे स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता।

<u>विशेष अदालतें</u>

104. अभिव्यक्ति "विशेष न्यायालय" को धारा 2(1)(जेड) में

परिभाषित किया गया है, जो बदले में धारा 43 को संदर्भित करता है। धारा 43 इस प्रकार पढ़ती है:

और

"अध्याय *VII*
विशेष अदालतें

43. विशेष न्यायालय.—(1) केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, एफ धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का परीक्षण, अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण.-इस उप-धारा में, "उच्च न्यायालय" का अर्थ उस राज्य का उच्च न्यायालय है जिसमें एक सत्र न्यायालय के रूप में नामित किया गया है

जी

ऐसे पदनाम से ठीक पहले विशेष न्यायालय कार्य कर रहा था।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के अलावा, एक अन्य अपराध की भी सुनवाई करेगा, जिसके साथ आरोपी एच कोड के तहत कर सकता है।

आपराधिक प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) के समान आरोप लगाया जाए

ए

परीक्षण।"

2002 अधिनियम की धारा 43 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों को 2002 अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार है। धारा 44 विशेष न्यायालयों को वह शक्ति प्रदान करती है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

बी

"**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

[559][(ए) धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उस धारा के तहत अपराध से जुड़ा कोई भी अनुसूचित अपराध विचारणीय होगा सी उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा जिसमें अपराध किया गया है:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले

किसी अनुसूचित अपराध का विचारण कर रहा हो, ऐसे अनुसूचित अपराध का विचारण जारी रखेगा; या]

डी

(बी) एक विशेष न्यायालय,[560][***] इस अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर[561][धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना]।

[562][बशर्ते कि जांच के निष्कर्ष के बाद, यदि कोई अपराध न हो तो ई

मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसी शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होती है, उक्त प्राधिकारी विशेष न्यायालय के समक्ष एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; या]

[559]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(i), खंड (ए) के लिए (15-2-2013 से,

एस.ओ. 343(ई के तहत),एफ

दिनांक 8-2-2013) प्रतिस्थापन से पहले खंड (ए) इस प्रकार था:

"(ए) अनुसूचित अपराध और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसमें अपराध किया गया है:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी अनुसूचित अपराध का विचारण कर रहा हो, ऐसे अनुसूचित अपराध का विचारण जारी रखेगा; या"जी

[560]2005 के अधिनियम 20, धारा द्वारा "तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर जो इस अधिनियम के तहत अपराध बनता है या" शब्द हटा दिए गए हैं। 6 (1-7-2005 से)[561]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(ii), "उस अपराध का संज्ञान जिसके लिए अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया है" के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343 (ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

[562]इन्स. सेवित **(**नंबर **2)** अधिनियम**, 2019**, सेक. 199(i) (1-8-2019

से)एच

[563][(सी) यदि न्यायालय ने अनुसूचित का संज्ञान लिया है

ए

अपराध विशेष न्यायालय के अलावा अन्य है जिसने उप खंड (बी) के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की शिकायत पर संज्ञान लिया है, यह इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के आवेदन पर संबंधित मामले को अंजाम देगा। विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय बी में अनुसूचित अपराध के लिए ऐसे मामले की प्राप्ति पर उस चरण से निपटने के लिए आगे बढ़ना होगा जिस चरण पर यह प्रतिबद्ध है।

(डी) एक विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध या मनी-लॉन्ड्रिंग के

अपराध की सुनवाई करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई करेगा। जैसा कि यह सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे पर लागू होता है।]

[564][स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) इस अधिनियम के तहत अपराध से निपटने के दौरान, इस अधिनियम के तहत जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा

डी

अनुसूचित अपराध के संबंध में, और एक ही अदालत द्वारा दोनों प्रकार के अपराधों की सुनवाई को संयुक्त सुनवाई के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ii) शिकायत में आगे की जांच के संबंध में कोई भी आगामी शिकायत शामिल मानी जाएगी

और

उस अपराध के संबंध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी, लाने के लिए आयोजित किया गया, जिसके लिए शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, चाहे मूल शिकायत में उसका नाम हो या नहीं।]

(2) इस धारा में शामिल किसी भी चीज़ को एफ को प्रभावित करने वाला

न
हीं
मा
ना
जा
ए
गा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां और उच्च न्यायालय उस धारा की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत शक्ति सहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि उस अनुभाग में "मजिस्ट्रेट" के संदर्भ में "विशेष जी" का संदर्भ भी शामिल है न्यायालय" धारा 43 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।"

यह प्रावधान a से खुलता हैतथापिखंड यह स्पष्ट करता है कि उसमें प्रदान की गई छूट कुछ भी नहीं है

[563]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(iii) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)

[564]इन्स. सेवित **(**नंबर **2)** अधिनियम**, 2019**, सेक. 199(ii) (1-8-2019 से)एच

उसमें दिए गए मामलों के संबंध में 1973 संहिता में निहित है

ए

विशेष न्यायालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित परीक्षणों के संबंध में। इस प्रावधान में 2005 के अधिनियम 20, 2013 के अधिनियम 2 और वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन किया गया है। मामलों के वर्तमान सेट में, हम अनिवार्य रूप से 2013 के अधिनियम 2 और उसके बाद प्राप्त होने वाले प्रावधान से चिंतित हैं। वित्त (संख्या 2) बी के माध्यम से संशोधन

अधिनियम, 2019। आरंभ करने के लिए, धारा 44 की उप-धारा (1) में खंड (ए), जैसा कि 2013 के संशोधन अधिनियम 2 से पहले मौजूद था, इस प्रकार था:

> "**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—
>
> सी
>
> (ए) अनुसूचित अपराध और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसमें अपराध किया गया है:
>
> बशर्ते कि विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी अनुसूचित अपराध की सुनवाई कर रहा हो, ऐसी सुनवाई जारी रखेगा
>
> डी
>
> अनुसूचित अपराध; या।"

2013 के संशोधन के बाद और जैसा कि इस तिथि पर लागू होता है, खंड (ए) इस प्रकार पढ़ता है:

> "**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) फिर भी ई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित कुछ भी, -
>
> [565][(ए) धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उस धारा के तहत अपराध से जुड़ा कोई भी अनुसूचित अपराध उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसमें अपराध एफ
> प्रतिबद्ध किया गया है:
>
> बशर्ते कि विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी अनुसूचित अपराध का विचारण कर रहा हो, ऐसे अनुसूचित अपराध का विचारण जारी रखेगा; या];
>
> ...."

जी

2013 का संशोधन वास्तव में इस अधिनियम के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित परीक्षणों और अनुसूचित अपराध के संबंध में परीक्षण के संबंध में पालन की जाने वाली व्यवस्था को स्पष्ट करता है।

[565]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(i), खंड (ए) के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

एच

ऐसे (अनुसूचित) अपराध की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत। इस खंड के आधार पर,

ए

मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित मुकदमे उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ने की जरूरत है जिसमें मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है। यदि अनुसूचित अपराध अन्यत्र विशेष अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो प्रावधान, संशोधित, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि बी के बाद दोनों परीक्षण इस अधिनियम के प्रभाव में आने पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है।

105. इसमें, मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की सुनवाई केवल मनी-लॉन्ड्रिंग अपराधों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए, जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है। सी यह एक विशेष अधिनियम है और बाद का कानून होने के कारण, 2002 अधिनियम की धारा 71 के संदर्भ में फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होगा।

106. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ए) में प्रावधान अपवाद की प्रकृति में है। यह भविष्यवाणी करता है कि प्रारंभ से पहले डी इस अधिनियम के अनुसार, यदि विशेष न्यायालय कहीं और पहले से ही अनुसूचित अपराध की सुनवाई कर रहा था, तो वह भी उसी तरह की सुनवाई जारी रखेगा।प्रथम दृष्टया, यह विचार करना संभव है कि 2013 में आये इस परंतुक का प्रभाव पूर्वव्यापी प्रभाव वाला हो सकता है। हालाँकि, हमारे ध्यान में कोई विशेष मामला नहीं लाया गया है जिसमें ऐसे संशोधन के प्रभाव की जांच करना आवश्यक हो। तदनुसार, इस पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है

और

कोई और पहलू.

107. हालाँकि, इस शर्त को निर्देशिका प्रावधान के रूप में माना

जाएगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी दिए गए मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्थान x पर किया गया हो सकता है, जो एक राज्य में हो सकता है, लेकिन संपत्ति जो मनी-लॉन्ड्रिंग का विषय है

एफ

पूरे देश में कई राज्यों सहित एक से अधिक स्थानों पर किए गए अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त किए गए हैं। ऐसे मामले में, क्षेत्र के अन्य सभी मामलों (यहां तक कि राज्य के बाहर भी) को स्थानांतरित करने के लिए स्थान x पर विशेष न्यायालय के लिए खुला नहीं होगा। यदि प्रावधान जी होना है अन्यथा व्याख्या की जाए, तो इसके उन मुकदमों पर गंभीर परिणाम होंगे जो अन्यत्र विशेष न्यायालय सहित अनुसूचित अपराधों के संबंध में लंबित हैं। इसलिए, इस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ने की आवश्यकता है कि जहां तक संभव हो, संबंधित कानून के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष अनुसूचित अपराध की सुनवाई, यदि अलग क्षेत्र में हो, तो वह विशेष अदालत ऐसे अनुसूचित अपराध की सुनवाई जारी रख सकती है।

एच

हेतु, अनुसूचित अपराध का विचारण एवं उसके संबंध में विचारण

ए

मनी-लॉन्ड्रिंग को किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध अपने आप में अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है, जो आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित बी

एक अनुसूचित अपराध के लिए.

108. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में शर्त को 2005 के अधिनियम 20, 2013 के अधिनियम 2 और वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है। 2013 के संशोधन के परिणामस्वरूप, खंड (बी) इस प्रकार पढ़ा गया:

सी

"**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(ए)***

डी

(बी) एक विशेष न्यायालय,[566][***] इस अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर[567][धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना];

...."

और

बाद में, वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से एक प्रावधान जोड़ा गया, जो इस प्रकार है:

"**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

एफ

(ए)***

(बी)***

[568][बशर्ते कि जांच के निष्कर्ष के बाद, यदि ऐसी शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता वाले धन-शोधन का कोई अपराध नहीं बनता है, तो जी

[566]2005 के अधिनियम 20, धारा द्वारा "तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर जो इस अधिनियम के तहत अपराध बनता है या" शब्द हटा दिए गए हैं। 6 (1-7-2005 से)[567]उप. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(ii), "उस अपराध का संज्ञान जिसके लिए अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया है" के लिए (15-2-2013 से, एस.ओ. 343 (ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)।

[568]इन्स. सेवित्त **(**नंबर **2)** अधिनियम**, 2019**, सेक. 199(i) (1-8-2019

से)।एच

उक्त प्राधिकारी विशेष के समक्ष एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

ए

अदालत; या]

..."

2019 के संशोधन से पहले धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (बी) में परिकल्पना की गई थी कि किसी बी द्वारा की गई शिकायत पर विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिकृत प्राधिकारी, 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान आरोपी के मुकदमे के बिना ले सकता है। इसका मतलब यह होगा कि यदि आरोपी पहले से ही हिरासत में है और किसी अन्य जगह अनुसूचित अपराध के संबंध में मुकदमे का सामना कर रहा है और दायर शिकायत पर संज्ञान लेने के समय उसे विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

सी

प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा. इस प्रावधान को फिर से निर्देशिका या विवेकाधीन प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए और मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत को मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लेने के समय

आरोपी को उसके सामने पेश करने के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कोई पूर्वाग्रह न हो। ऐसे आरोपियों को. अभिव्यक्ति डी

इस खंड में होने वाले "प्रतिबद्ध" को "उत्पादित" भी माना जा सकता है। यदि ऐसा समझा जाता है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि यह प्रावधान अभियुक्त के किसी भी अधिकार का उल्लंघन कैसे करता है, संवैधानिक अधिकारों का तो दूर की बात है।

109. वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से इस खंड [धारा 44(1)(बी)] में डाले गए परंतुक की बात करें तो यह वास्तव में एक सक्षम प्रावधान है। यह ई को अनुमति देता है

प्राधिकरण को विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है, यदि उसकी राय है कि मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनाया गया है, तो ऐसी शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है। यह प्रावधान केवल इस संदेह को दूर करने के लिए है कि उस व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर और विश्वास करने का कारण होने और लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

एफ

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होने के कारण, लेकिन 2002 अधिनियम के अध्याय V और VIII के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा की गई जांच के बाद, उन्होंने यह राय बनाई कि मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता है, जिसके लिए शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है। , उसके लिए यह खुला है कि वह उस स्थिति का खुलासा करते हुए विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर सके। प्रावधान जी

इस प्रकार, यह ऐसे मामलों में लागू होगा जहां 2002 अधिनियम के अध्याय V और VIII के तहत अधिकारियों के समक्ष जांच लंबित होने के कारण शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है। मामले को ध्यान में रखते हुए और इससे भी अधिक 2002 अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रावधान को 2002 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध के रूप में माना जाना चाहिए।

एच

कार्यवाही करना। तदनुसार, हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें हमें कोई द्वंद्व नहीं दिखता

ए

इन प्रावधानों में, स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है।

110. अब हम 2002 अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (सी) पर वापस आते हैं। इसमें 2013 के अधिनियम 2 के माध्यम से

संशोधन किया गया है और उस संशोधन के बाद, यह इस प्रकार है:

बी

"**44.** विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(ए)***

सी

(बी)***

[569][(सी) यदि वह न्यायालय जिसने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, उस विशेष न्यायालय के अलावा है जिसने उप खंड (बी) के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की शिकायत का संज्ञान लिया है, तो यह एक आवेदन पर होगा डी को अधिकृत प्राधिकारी

इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करें, अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को विशेष न्यायालय में सौंपें और विशेष न्यायालय, ऐसे मामले की प्राप्ति पर उस चरण से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जिस चरण पर यह किया गया है।]"

हमें इस प्रावधान को उपधारा ई के खंड (ए) के साथ मिलाना होगा

(1) धारा 44 का। उस प्रावधान को इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही विस्तृत किया जा चुका है और इसका मतलब यह है कि यह एक सक्षम और विवेकाधीन प्रावधान है। इस खंड के संदर्भ में दायर आवेदन पर विचार करते समय विशेष न्यायालय को उसी विचार को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि, यह खंड यह भी मानता है कि अनुसूचित एफ का परीक्षण

अपराध और मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित मुकदमे को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, भले ही इसकी सुनवाई एक ही विशेष न्यायालय द्वारा की जा सकती है क्योंकि दोनों अलग और स्वतंत्र अपराध हैं। इसमें, मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध केवल अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में है और हो सकता है और इसका किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है।

जी

111. इस प्रावधान के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे सामने जोरदार तर्क दिया गया था कि यह अपील का एक अधिकार छीन लेगा, अन्यथा 1973 संहिता के तहत उपलब्ध है। परिणामस्वरूप, धारा 44(1)(सी)

[569]इन्स. 2013 के अधिनियम 2 द्वारा, धारा. 21(iii) (15-2-2013 से, एस.ओ. 343(ई), दिनांक 8-2-2013 के तहत)

एच

विशेषकर 2002 का अधिनियम असंवैधानिक है। इस समर्पण का समर्थन करने के

लिए,

ए

में उक्ति पर निर्भरता रखी गई हैए.आर. अंतुले[570]. हालाँकि, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए भारत सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाए गए उचित रुख को देखते हुए इस आधार पर हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।राज्य *(*केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से*)* बनाम कल्याण सिंह *(*उत्तर के पूर्व मुख्यमंत्री*)*।बी प्रदेश*)* एवं अन्य।[571], जिसने इसी तरह की चुनौती पर विचार किया है। बाद के निर्णय ने प्रदर्शनी को अलग पहचान दी हैए.आर. अंतुले[572]. उसमें मूल मुद्दे पर विचार किया गयाए.आर. अंतुले[573]क्या उच्च न्यायालय 1973 संहिता की धारा 407 के तहत शक्तियों का उपयोग करके पीसी अधिनियम के अपराध से निपटने वाले विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक मुकदमे को अपने पास स्थानांतरित करने में सक्षम था। कोर्ट ने इसी का जवाब दिया

सी

नकारात्मक और माना गया कि ऐसी शक्ति उच्च न्यायालय में मौजूद नहीं है और यह अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। हालाँकि, हम 2002 के अधिनियम के रूप में संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान की गई छूट से निपट रहे हैं। यह एक विशेष कानून है और 2002 अधिनियम की धारा 65 और 71 के तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए, यह डी है विचाराधीन चुनौती के आधार का सामना करना संभव नहीं है। हम उपयोगी रूप से पैराग्राफ 28 का संदर्भ ले सकते हैंकल्याण सिंह[574], जो इस प्रकार पढ़ता है:

> "**28**.वर्तमान मामले में, किसी मामले को एक विशेष न्यायाधीश से स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग किया जा रहा हैऔर
>
> किसी अन्य विशेष न्यायाधीश को, न कि उच्च न्यायालय को। तथ्य यह है कि एक विशेष न्यायाधीश एक मजिस्ट्रेट होता है, जबकि दूसरे विशेष न्यायाधीश ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है, यहां तक कि एक मजिस्ट्रेट से सत्र न्यायालय में अपील का अधिकार भी है। न्यायालय, और सत्र से
>
> एफ
>
> यदि मामले को रायबरेली के मजिस्ट्रेट से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना आवश्यक हो तो अदालत को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत यानी धारा **407(1)** और **(8)** के आधार पर उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसलिए, धारा **407** के तहत, भले ही अपील के **2** स्तर समाप्त हो जाएंजी
>
> साथ ही, अनुच्छेद **21** को हटाने से इसका कोई उल्लंघन नहीं होता है

[570]फुटनोट संख्या 134 पर सुप्रा
[571](2017) 7 एससीसी 444

[572]फुटनोट संख्या 134 पर सुप्रा
[573]फुटनोट संख्या 134 पर सुप्रा
[574]फुटनोट संख्या 571 पर सुप्रा

एच

धारा द्वारा अपील के अधिकार पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है

ए

407(1)(iv) धारा **407(8)** के साथ पठित। परिस्थितियों में,अंतुले[575]वह निर्णय जो एक विशेष न्यायाधीश से उच्च न्यायालय में एक ठोस अपील के अधिकार से संबंधित था, जिसे आपराधिक कानून की धारा **7(1)** में गैर-विषयक खंड के विपरीत स्थानांतरण के आदेश द्वारा छीन लिया गया था।बी

हमारे समक्ष मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों में संशोधन अधिनियम, **1952** लागू नहीं होगा।"

(जोर दिया गया)

इस निर्णय में निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, हमें धारा 44 को असंवैधानिक बताकर चुनौती को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है

सी

संविधान के अनुच्छेद 14, 20(3) और 21 का उल्लंघन है।

112. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (डी) पर लौटते हुए, यह कहा गया है कि एक विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध या धन-शोधन के अपराध की सुनवाई करते समय 1973 संहिता के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई करेगा। की अदालत के समक्ष मुकदमे पर लागू होता है

डी

सत्र. इस प्रावधान की स्पष्ट भाषा के अनुसार, 1973 संहिता में दिए गए तरीके से संबंधित मामलों में सुनवाई करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। हालाँकि, शिकायत वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण के सम्मिलन के बारे में है। वास्तव में, यह सम्मिलन केवल एक स्पष्टीकरण प्रावधान है, जैसा कि प्रारंभिक ई से स्पष्ट है

प्रावधान का कथन जो कहता है कि "संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि"। इस संशोधन द्वारा डाला गया कोई भी खंड खंड (डी) में निहित मुख्य प्रावधान से आगे नहीं जाता है। स्पष्टीकरण के खंड (i) में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत विचार किए जा रहे अपराध से निपटने के दौरान विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुसूचित अपराध और मुकदमे के संबंध में पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा।

एफ

एक ही न्यायालय द्वारा अपराधों के दोनों सेटों को संयुक्त परीक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा। यह, वास्तव में, उसी धारा के पहले भाग की पुनरावृत्ति है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि भले ही दोनों मुकदमे एक ही विशेष न्यायालय के समक्ष चल सकते हैं, लेकिन 1973 संहिता के प्रावधानों के अनुसार इसे अलग

से चलाया जाना चाहिए। जहां तक स्पष्टीकरण के खंड (ii) का सवाल है, जी पहली नज़र में, ऐसा आभास होता है कि यह अनुभाग के पहले भाग से असंबद्ध है। हालाँकि, इस प्रावधान की बारीकी से जांच करने पर, यह पाया गया कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो किसी के खिलाफ आगे की जांच के संबंध में रिकॉर्ड सामग्री लेने की अनुमति देता है।

[575]फुटनोट संख्या 134 पर सुप्रा

एच

मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में शामिल आरोपी व्यक्ति

ए

कौन सी शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, शिकायत में उसका नाम है या नहीं। ऐसा प्रावधान, वास्तव में, यह सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण प्रावधान है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। शिकायत बी की सुनवाई के दौरान न्यायालय की अनुमति लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के लिए यह हमेशा खुला है जिसके संबंध में अतिरिक्त सबूतों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, जिसके अनुरोध पर विशेष न्यायालय द्वारा 1973 संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार निपटाया जा सकता है। प्राधिकृत प्राधिकारी उस व्यक्ति के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करने के लिए भी खुला है जिसे पैसे के उसी अपराध के संबंध में पहले से दायर शिकायत में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

सी

लॉन्डरिंग, जिसमें 1973 संहिता की धारा 319 के तहत अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए न्यायालय से अनुरोध करना शामिल है, जो अन्यथा ऐसे मुकदमे पर लागू होगा।

113. याचिकाकर्ताओं को यह शिकायत करना उचित हो सकता है कि प्रावधान हालांकि विशेष अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है

डी

अनुसूचित अपराध के संबंध में, फिर भी यह उस अभियुक्त के विरुद्ध दमनकारी हो सकता है जिस पर मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप नहीं है, बल्कि केवल अनुसूचित अपराध का आरोप है। क्योंकि, उसे एक अपील या पुनरीक्षण के अवसर से वंचित किया जा सकता है, जैसा मामला उच्च मंच के समक्ष हो सकता है। ऐसी शिकायत पर निश्चित रूप से विशेष न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है यदि कोई आवेदन ई

प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। चूंकि हमने माना है कि प्रावधान केवल विशेष न्यायालय में सक्षम शक्ति प्रदान करने के लिए है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए कि विशेष न्यायालय मामले-दर-मामले के आधार पर विधेय अपराध के मुकदमे को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण के अनुरोध की जांच करेगा। इसी प्रकार, किसी अन्य विशेष क़ानून, जैसे पीसी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आदि के तहत अपराध के मुकदमे के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है।

एफ

मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद केस-टू-केस आधार पर विशेष अदालत।

114. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम धारा 44 को मनमानी या असंवैधानिक होने की चुनौती में योग्यता नहीं पाते हैं। हमारा मानना है कि यह विधायी योजना और उद्देश्यों के अनुरूप है

जी

2002 अधिनियम के अधिनियमन के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धन-शोधन में शामिल अपराध की आय को विशेष अधिनियम के अनुसार उचित रूप से निपटाया जाए और अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल सभी संबंधितों पर धन के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए। -धोखा देना.

एच

जमानत

ए

115. 2002 अधिनियम में जमानत के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों का पता इस अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित अध्याय VII की धारा 44(2), 45 और 46 में लगाया जा सकता है। मुख्य शिकायत 2002 अधिनियम की धारा 45 में निर्दिष्ट जुड़वां शर्तों के बारे में है। इससे पहले कि हम और अधिक विस्तार से बताएं, संशोधित रूप में धारा 45 को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा। वही पढ़ता है

बी

इस प्रकार:

> "**45.** अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना।—(1)[576][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है[577][इस अधिनियम के तहत] जमानत पर या अपने बांड पर रिहा किया जाएगा

सी

> जब तक-]

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, डी अदालत इस बात से संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या महिला है या बीमार या अशक्त है,[578][या या तो ई पर आरोप लगाया गया है अपने दम पर या एक करोड़ रुपये से कम राशि के मनी-लॉन्ड्रिंग के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय एफ को छोड़कर धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा द्वारा की गई लिखित शिकायत-

[576]उप. 2005 के अधिनियम 20 द्वारा, धारा. 7, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, -

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) किसी भी व्यक्ति पर कारावास की अवधि के लिए दंडनीय अपराध का आरोप नहीं हैजी

अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक समय तक जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा किया जाएगा जब तक" (1-7-2005 से)।

[577]उप. 2018 के अधिनियम 13, धारा द्वारा। 208(ई)(आई), "अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा के लिए दंडनीय" के लिए (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 के तहतवां अप्रैल, 2018)।

[578]इन्स. 2018 के अधिनियम 13 द्वारा, एस. 208(ई)(ii) (19-4-2018 से, जी.एस.आर. 383(ई), दिनांक 19 द्वारावां अप्रैल, 2018)।

एच

(i) निदेशक; या

ए

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

बी

[579][(1ए) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के

बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए। सामान्य या विशेष आदेश, और, ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं।]

सी

(2) जमानत देने की सीमा निर्दिष्ट है[580][***] उपधारा (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है।

डी

[581][स्पष्टीकरण.-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति "अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना" का अर्थ होगा और हमेशा माना जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी विपरीत बात के बावजूद अपराध, और तदनुसार

और

इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है।]"

धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 के

मा
ध्य
म
से
सं
शो
धि
त
कि
या
ग
या
है

और वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पढ़ा गया। धारा 45 की उपधारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह उस समय थी, पर विचार किया गयानिकेश ताराचंद शाह[582]. इस न्यायालय ने 2002 अधिनियम की धारा 45(1) को, जैसा कि उस समय था, घोषित कर दिया, जहां तक कि उसने जी के लिए दो और शर्तें लगा दीं।

जमानत पर रिहाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है। जिन दो स्थितियों को जुड़वां स्थितियों के रूप में वर्णित किया गया है वे हैं:

[579]इन्स. 2005 के अधिनियम 20 द्वारा, धारा. 7 (1-7-2005 से)

[580]2005 के अधिनियम 20 की धारा द्वारा शब्द "खंड (बी)" को हटा दिया गया। 7 (1-7-2005 से)[581]इन्स. वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019, धारा द्वारा। 200 (1-8-2019 से)।

एच

[582]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

(i) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसा नहीं है

ए

ऐसे अपराध का दोषी; और

(ii) कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा दोनों शर्तों को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसलिए बी भी यही है। मिटा दिया गया इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, उक्ति पर भरोसा किया गया हैमणिपुर राज्य***[583]***.

116. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है: क्या कानून में, इस न्यायालय के फैसले के बाद भी दोनों शर्तें क़ानून की किताब में बनी रहेंगी?निकेश ताराचंद शाह***[584]***और यदि हां, तो सी के मद्देनजर 2018 के अधिनियम 13 के माध्यम से 2002 अधिनियम की धारा 45(1) में संशोधन के बाद, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई परिणाम नहीं होगा। इस तर्क को हमें अधिक समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अवलोकन मेंमणिपुर राज्य***[585]*** फैसले के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा यह घोषणा किए जाने के कारण कि क़ानून असंवैधानिक है, क़ानून पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया हो, यह प्रासंगिक है। में

डी

इस मामले में, न्यायालय निरसन अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसन अधिनियम की ओर रुख किया था और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त टिप्पणी की थी। तर्क-वितर्क की प्रक्रिया में, इसने प्रदर्शनी का विज्ञापन किया***Behram Khurshid Pesikaka***[586]***[586]***औरदीप चंद***[587]*** अमेरिकी न्यायशास्त्र ई सहित में व्याख्या की गईसंवैधानिक सीमाओं पर कूली***[588]*** औरनॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी***[589]***.

117. हालाँकि, वर्तमान मामले में, धन-शोधन के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद की विधायी शक्ति की कमी का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान का प्रतिपादन एफ

इस न्यायालय की पीठ, जिसमें सात-न्यायाधीशों की पीठ भी शामिल है, विचाराधीन तर्क का उत्तर देने पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। हम इस न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के आदेश का उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैंम.प्र.वि. सुंदररामियर एंड कंपनी[590].इसने बीच के अंतर को नोट किया था

[583]फुटनोट संख्या 159 पर सुप्रा

जी

[584]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर
[585]फुटनोट संख्या 159 पर सुप्रा
[586]फुटनोट संख्या 310 पर सुप्रा
[587]सुप्रा फुटनोट संख्या 210 पर (फुटनोट संख्या 69 पर भी)
[588]खंड 1, पृष्ठ 382
[589]118 यूएस 425 (1886)
[590]फुटनोट संख्या 311 पर सुप्रा

एच

किसी क़ानून की असंवैधानिकता का प्रभाव या तो उत्पन्न होता है क्योंकि

ए

कानून किसी ऐसे मामले के संबंध में है जो विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं है, या क्योंकि मामला स्वयं उसकी क्षमता के भीतर है, इसके प्रावधान कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। यह देखा गया कि यदि कोई कानून किसी ऐसे क्षेत्र पर है जो विधानमंडल के क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो यह बिल्कुल शून्य और शून्य है, और उस क्षेत्र का बाद में विधानमंडल बी को या उसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। जो कानून का अभी भी जन्मा हुआ टुकड़ा था उसमें जीवन फूंकने का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही, यह नोट किया गया कि यदि कानून विधानमंडल को सौंपे गए किसी मामले के संबंध में है, लेकिन इसके प्रावधान संवैधानिक निषेधों की उपेक्षा करते हैं, हालांकि उन निषेधों के कारण कानून अप्रवर्तनीय होगा, जब एक बार उन्हें हटा दिया जाता है, तो कानून बन जाएगा पुन: अधिनियमन के बिना प्रभावी। अमेरिकी फैसलों पर चर्चा के बाद और

सी

न्यायशास्त्र, इसका सारांश इस प्रकार है:

> "अधिकारियों के परिणाम को इस प्रकार सारांशित किया जा सकता है: जहां एक अधिनियम आंशिक रूप से असंवैधानिक है, लेकिन बाकी हिस्सों की तरह वैध है, यह मानते हुए कि निश्चित रूप से दोनों भाग अलग-अलग हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि इसे संविधान से मिटा दिया गया है।

डी

क़ानून की किताब के रूप में यह माना जाता है कि उसके वैध हिस्से को

लागू करने के उद्देश्य से उसे वहां रहना चाहिए, और क़ानून की किताब में होने के कारण, यहां तक कि वह हिस्सा जो इस आधार पर अप्रवर्तनीय है कि यह असंवैधानिक है, लागू रहेगाबस जोशजब संवैधानिक रोक हैऔर हटा दिया गया है, और इसे प्रभावी करने के लिए नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है. इस दृष्टिकोण पर, एस में स्पष्टीकरण के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं का तर्क। मद्रास अधिनियम का 22 विफल होना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह स्पष्टीकरण लेनदेन के दो वर्गों पर लागू होता है। यह बिक्री पर कराधान प्रदान करता है जिसमें माल की संपत्ति मद्रास में गुजरती है लेकिन डिलीवरी बाहर होती है

एफ

मद्रास इस आधार पर अवैध है कि वे कला के अंतर्गत आने वाली बाहरी बिक्री हैं। 286(1)(ए). यह उस बिक्री पर कर लगाने को भी अधिकृत करता है जिसमें माल की संपत्ति मद्रास के बाहर जाती है लेकिन माल मद्रास के भीतर उपभोग के लिए वितरित किया जाता है। यह वहां तक वैध है जहां तक यह बाहरी बिक्री पर कर को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जहां तक जी अवैध है

ऐसी बिक्री जिसमें माल राज्य के अंदर वितरित किया जाता है, चिंतित है, क्योंकि ऐसी बिक्री कला से प्रभावित होती है। 286(2). तथ्य यह है कि यह एक भाग के रूप में अमान्य है, इसका कानून की किताब से इसे मिटाने का प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह एक भाग के रूप में वैध है और उस हिस्से के रूप में लागू होने के लिए इसे कानून की किताब में रहना होगा। विवादित अधिनियम के अधिनियमन का परिणाम अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध हटाना है

एच

286(2), और इसका परिणाम यह है कि का वह भाग

ए

स्पष्टीकरण जो बिक्री से संबंधित है जिसमें संपत्ति मद्रास के बाहर जाती है लेकिन माल मद्रास के अंदर वितरित किया जाता है और जो पहले अप्रवर्तनीय था, वैध और लागू करने योग्य हो गया है। इस दृष्टि से, हमें इस बारे में कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि क्या इससे परिणाम में कोई फर्क पड़ेगा यदि आक्षेपित बी

प्रावधान पूरी तरह से असंवैधानिक था।

(जोर दिया गया)

118. इसमें कोई शक नहींदीप चंद[591] यह एक बाद का निर्णय है जैसा कि इसमें देखा गया हैमणिपुर राज्य[592]. हालाँकि, इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के बाद के फैसले में***Jagannath***[593],

सी

कानूनी स्थिति की समीक्षा की गई और उत्तर दिया गया। इस निर्णय ने न केवल संविधान पीठ के पहले के दो निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया हैमणिपुर राज्य[594](अर्थात।,***Behram Khurshid Pesikaka***[595]औरदीप चंद[596]), जिसमें अमेरिकी न्यायशास्त्र और निर्णय शामिल हैंनॉर्टन[597], लेकिन कई अन्य निर्णयों के लिए। पहला बिंदु डी

इस निर्णय के पैराग्राफ 9 में उल्लेख किया गया है कि जब इस न्यायालय ने संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 13 उप खंड (2) के प्रावधानों के तहत शून्य घोषित कर दिया है, तो क्या न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि कानून शून्य थाप्रारंभ सेऔरनहीं हैया अभी भी पैदा हुआ है और, इस प्रकार, कोई भी वैध उपाय उसमें जीवन पैदा नहीं कर सकता है। सभी प्रासंगिक निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में अवलोकन किया

और

और 23, इस प्रकार है:

> "**22.** हमारे विचार में**,** यद्यपि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और विलॉबी और कूली जैसे प्रसिद्ध टिप्पणीकारों की टिप्पणियों में बड़ी प्रेरक शक्ति है**,** हमें अपने संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है

एफ

> उन पर बहुत अधिक निर्भरता से**.** न ही उन निर्णयों की बहुत बारीकी से जांच करना आवश्यक है जिनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि जो कानून अनुच्छेद **13(2)** के तहत शून्य है**,** उसे मृत माना जाना चाहिए। ग्रहण के सिद्धांत पर विचार करना भी उतना ही निष्फल होगा।

जी

[591]सुप्रा फुटनोट संख्या 210 पर (फुटनोट संख्या 69 पर भी)
[592]फुटनोट संख्या 159 पर सुप्रा
[593]फुटनोट संख्या 314 पर सुप्रा
[594]फुटनोट संख्या 159 पर सुप्रा
[595]फुटनोट संख्या 310 पर सुप्रा
[596]सुप्रा फुटनोट संख्या 210 पर (फुटनोट संख्या 69 पर भी)

एच

[597]फुटनोट संख्या 589 पर सुप्रा

23.इस सवाल के अलावा कि क्या मौलिक अधिकार हैं

ए

> मूल रूप से संविधान में निहित अनुच्छेद 368 की संशोधन प्रक्रिया के अधीन थे, अब यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 31-बी और नौवीं अनुसूची ने उक्त अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों में कथित किसी भी असंवैधानिकता के संबंध में दोष, यदि कोई हो, को ठीक कर

दिया है। बी के उल्लंघन के आधार पर मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 31-बी के स्पष्ट शब्दों द्वारा दोष का ऐसा निवारण उन तारीखों से पूर्वव्यापी संचालन के साथ हुआ, जिस दिन अधिनियमों को क़ानून की किताब में रखा गया था।ये अधिनियम, भले ही उस समय शून्य या निष्क्रिय थे, जब वे संविधान के अनुच्छेद **13(2)** के उल्लंघन के कारण अधिनियमित किए गए थे, उन्होंने पूरी शक्ति और शक्ति प्राप्त कर ली।

सी

नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद उनके अधिनियमन की संबंधित तारीखें, संविधान के अनुच्छेद **31-**बी के साथ पढ़ें।राज्य, किसी भी समय, संविधान के भाग III के प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी दोष को ठीक नहीं कर सकते थे और इसलिए मद्रास सीलिंग्स डी पर आपत्ति थी।

सत्रहवें संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद मद्रास विधायिका द्वारा अधिनियम को फिर से अधिनियमित किया जाना चाहिए था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, न्यायालय द्वारा बताई गई खामी कहां है

और

वैधीकरण अधिनियम के आधार पर पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया, तो प्रावधान को माना जा सकता हैताकत के भीतरबशर्ते कि यह किसी अन्य संवैधानिक सीमा का उल्लंघन न करे। अत: ऊपर से यह स्पष्ट है कि यदि संसद ने पूर्वव्यापी रूप से प्रावधान में संशोधन करके उस दोष को दूर कर दिया है या उस आधार को हटा दिया है जिसके आधार पर प्रावधान को एफ घोषित किया गया था।

शून्य तो प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में, यदि वही आधार जिस पर प्रावधान को अमान्य घोषित करने वाले न्यायालय के फैसले को संसद द्वारा उखाड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिस्थितियों में बदलाव आया है, तो निर्णय को बदली हुई परिस्थितियों में प्रभावी नहीं किया जा सकता है, तो प्रावधान को शून्य नहीं माना जा सकता। इस मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है,

जी

विसंगतियों का उल्लेख किया गया हैनिकेश ताराचंद शाह[598] 2018 के अधिनियम संख्या 13 के माध्यम से हटा दिया गया है। इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

[598]सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 3 पर

एच